नवम माला, खंड 9, अंक 21

शुक्रवार, 7 सितम्बर, 1990
16 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 9 में अंक 11 से 21 तक हैं।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही को प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रमाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

नवम माला, खण्ड 9, तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 21, शुक्रवार, 7 सितम्बर, 1990/16 भाद्र, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 427 से 429 और 431	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20—200
तारांकित प्रश्न संख्या : 430 और 432 से 446	20—36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4938 से 5169	37—200
सभा पटल पर रखे गए पत्र	201—205 और 206—222
राज्य सभा से सन्देश	205—206
प्राक्कलन समिति	206
सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	222
पहला और पांचवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	222—223
(1) दूसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	222
(2) अध्ययन दल के दौरे का प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया	223
याचिकाएं—प्रस्तुत	223
(एक) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक में औद्योगिक अशांति तथा इसके कर्मचारियों की शिकायतों को दूर किए जाने के बारे में	223

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) बंगलादेश के विस्थापितों, जो अब हस्तिनापुर रिफ्यूजी कालोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, के रोजगार तथा पुनर्वास के बारे में	223
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	223—226
(एक) कराधान से सम्बन्धित कतिपय आवश्यक मामले	
प्रो० मधु दण्डवते	223
(दो) मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की देय राशि वसूल न किया जाना	
श्री अनिल शास्त्री	225
नियम 115 के अधीन वक्तव्य	227—230
बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबन्ध मण्डल और मजदूर संघों के बीच कोई भी समझौता होने से इन्कार करने के बारे में दिनांक 30 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2842 के इस्पात और खान मन्त्री की ओर से वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री द्वारा दिया गया उत्तर	
श्री ए० के० राय	227
श्री दिनेश गोस्वामी	228
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	230—234
कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखे गए	
सेवारत डाक्टरों की शिकायतों पर विचार करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के बारे में	234—249
अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय	249—254
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में—अनुमति नहीं दी गई	
संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) विधेयक	254—256
(नए भाग 9 का अन्तःस्थापन)	
पुरःस्थापित	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	256
दसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	
विधेयक पुरःस्थापित	257—266
(एक) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा 125 और 127 में संशोधन)	
श्री नाथू सिंह	257

विषय	पृष्ठ
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 371 में संशोधन) श्री वामनराव महाडीक	257
(तीन) महात्मा गांधी विश्वविद्यालय विधेयक श्री राधा मोहन सिंह	257
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 84 और 173 में संशोधन) श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी	258
(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 343 और 348 में संशोधन) श्री भोगेन्द्र झा	259
(छः) युवा कल्याण विधेयक श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	259
(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 57 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन) श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	260
(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची में संशोधन) श्री जनक राज गुप्त	261
(नौ) वन विधेयक श्री चन्दूभाई देशमुख	261
(दस) आयुध (निरसन) विधेयक श्री हुक्मदेव नारायण यादव	266
संविधान (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया (अनुच्छेद 263 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)	261—289
विचार करने के लिए प्रस्ताव श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा	262

विषय	पृष्ठ
श्री जनार्दन यादव	265
श्री मान्धाता सिंह	266
श्री सूबेदार	271
श्री राम कृष्ण यादव	272
श्री तेज नारायण सिंह	274
श्री सन्तोष कुमार गंगवार	275
श्री गुलाब चन्द कटारिया	276
श्री सुधीर गिरि	277
श्री हरीश रावत	279
श्री हरिशंकर महाले	282
प्रो० एन० जी० रंगा	283
श्री ए० एन० सिंह देव	285
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	287
निःशक्त व्यक्ति (पुनर्वास तथा कल्याण) विधेयक	289—290
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री उत्तम राठौड़	289
आधे घण्टे की चर्चा	290—297
इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा की गई पूंजीगत निधि	
डा० असीम बाला	290
श्री हरीश रावत	291
श्री सुधीर गिरि	292
प्रो० यशुनाथ पाण्डेय	293
डा० राम चन्द्र डोम	294
श्री भजमन बेहेरा	295
नियम 377 के अधीन मामले—सभा पटल पर रखे गए	297—305
(एक) कोची, केरल में अग्नि शमन सेवाओं का आधुनिकीकरण किए जाने की मांग	
प्रो० के० वी० थामस	297

(दो) पाकिस्तान से आकर जम्मू और कठुआ में बसे लोगों को नागरिक अधिकार दिए जाने की मांग

श्री जनक राज गुप्त 298

(तीन) आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम और श्रीकाकुलम जिलों में कनिगिरि और उसके आस-पास के गांवों के लिए ग्रामीण जल पूर्ति योजना को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की मांग

श्री राजमोहन रेड्डी 298

(चार) कटक, उड़ीसा में निकल निष्कर्षण संयंत्र लगाए जाने की मांग

श्री बालगोपाल मिश्र 298

(पांच) एन० सी० एल०, सिंगरौली में हुई अनियमितताओं की जांच कराए जाने की मांग

श्री सूर्य नारायण यादव 299

(छः) मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान कराए जाने की मांग

कुमारी उमा भारती 299

(सात) केरल-तमिलनाडु सीमा पर वालयार सीमा-चौकी पर राष्ट्रीय राज-मार्ग चौड़ा किए जाने की मांग

श्री ए० विजयराघवन 299

(आठ) भारत और बंगला देश के बीच जल के बंटवारे सम्बन्धी विवाद में विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थ की भूमिका निभाए जाने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श किए जाने की मांग

श्री सनत कुमार मण्डल 300

(नौ) उत्कल-कलिंग एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरिद्वार तक बढ़ाए जाने की मांग

श्री दिलीप सिंह जू देव 300

(दस) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के विकेन्द्रीयकरण सम्बन्धी आदेश वापस लिए जाने की मांग

श्री वसुदेव आचार्य 301

(ग्यारह) श्रेणी "क" सम्बद्ध सेवा के लिए चुने गए उम्मीदवारों को, अपनी नौकरियों से त्याग-पत्र दिए बिना, भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दिए जाने की मांग

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता 301

विषय	पृष्ठ
(बारह) बरेली, उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जाने की मांग	
श्री सन्तोष कुमार गंगवार	302
(तेरह) बिहार के गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग	
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	303
(चौदह) उत्तर प्रदेश के जौनपुर और अन्य जिलों में भारी वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाए जाने की मांग	
श्री राम सागर (बाराबंकी)	303
(पन्द्रह) मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित बिजलीघर स्थापित किए जाने की मांग	
श्री सत्य नारायण जटिया	303
(सोलह) आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले में प्रस्तावित प्रोपेलैंट कारखाना न खोलने के सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की मांग	
श्री कमालुद्दीन अहमद	304
(सत्रह) मुरैना, मध्य प्रदेश में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जाने की मांग	
श्री छवि राम अर्गल	304
(अठारह) डाक तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों की सेवाएं नियमित किए जाने की मांग	
श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा	305
(उन्नीस) बिहार में कालाजार फैलने से रोकने के लिए कदम उठाए जाने की मांग	
श्री वसई चौधरी	305
विदाई सम्बन्धी उल्लेख	306—307

लोक सभा

शुक्रवार, 7 सितम्बर, 1990/16 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा 11.02 म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को अपने एक भूतपूर्व सहयोगी श्री टी० आर० शमन्ना के दुखद निधन की सूचना देनी है। श्री शमन्ना कर्नाटक राज्य के बंगलौर (दक्षिण) निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980-84 के दौरान सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पहले वह 1967-79 के दौरान कर्नाटक विधान सभा के सदस्य रहे।

वह एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी थे। श्री शमन्ना ने स्वतन्त्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। कई बार जेल गए और लम्बे कारावास का दण्ड भुगता।

वह एक कर्मठ राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। श्री शमन्ना कई शैक्षिक, धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों से सम्बद्ध थे। समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के कार्य में भी उन्होंने सक्रिय सहयोग दिया।

वह विद्वान थे। कला और विज्ञान में उनकी रुचि थी। वह बहुत ही सीधे सादे और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके सम्पर्क में आने वाला व्यक्ति उनके अमिट प्रभाव से अछूता नहीं रहता था। खेलों में विशेषकर तैराकी और जिमनास्टिक्स में उनकी विशेष रुचि थी।

वह एक योग्य सांसद थे और सभा की कार्यवाही में बहुत रुचि लेते थे तथा उसमें अपना अमूल्य योगदान भी देते थे। श्री शमन्ना गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के भी सदस्य रहे।

श्री शमन्ना की मृत्यु 78 वर्ष की आयु में 30 अगस्त, 1990 को बंगलौर में हुई।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सदन संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप बैठ जायें।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दूरदर्शन केन्द्रों में "मस्टर रोल" कर्मचारी

*427. श्री हरि शंकर महाले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में कितने नैमित्तिक/"मस्टर रोल" कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) उक्त कर्मचारी कब से कार्य कर रहे हैं;

(ग) उन पर कितना वार्षिक व्यय किया जा रहा है; और

(घ) उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (घ) दूरदर्शन के कई केन्द्रों पर काम की आवश्यकता को देखते हुए दिहाड़ी पर मस्टर रोल कर्मचारी रखे जाते हैं। विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों पर दिहाड़ी पर रखे जाने वाले इन कर्मचारियों की संख्या हर रोज अलग-अलग होती है। मार्च, 1990 में विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों पर 197 दिहाड़ी कर्मचारी थे।

इन कर्मचारियों पर आने वाला खर्च प्रत्येक केन्द्र के लिए अलग-अलग होता है और कुल खर्च का समेकित रूप से हिसाब नहीं रखा जाता। सूचना एकत्र की जा रही है।

सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर दिहाड़ी पर रखे इन मस्टर रोल कर्मचारियों को समूह "घ" के पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है।

श्री हरि शंकर महाले : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि निर्धारित शर्तों पर समय-समय पर विचार किया जाता है, तो मैं मानना चाहता हूं कि समय एक हफ्ते का है, एक महीने का है, एक वर्ष का है, कितने दिन का है, निश्चित समय कौन सा है, शर्तों का तरीका क्या है।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : दिहाड़ी पर काम करने वाले अधिकांश लोगों को सामयिक कार्यों के लिए पानी पिलाने वाले कर्मचारियों के रूप में रखा जाता है और हम स्थायी स्वरूप की रिक्तियों पर कार्य करने वालों को आठ घंटे के कार्य दिवस के लिए महंगाई भत्ते सहित सम्बद्ध वेतनमान के न्यूनतम के 1/30 की दर से भुगतान करते हैं। अन्यथा ऊपर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू होता है।

[हिन्दी]

श्री हरि शंकर महाले : मान्यवर, मन्त्री महोदय ने बताया है कि मस्टर रोल कर्मचारियों के समूह 'घ' के पदों को नियमित नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि विचारार्थ प्रतीक्षा सूची में कितने लोग हैं और उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, जैसा कि मैंने कहा, इनकी कुल संख्या 197 है। सेवा में आने की तिथि के अनुसार उन्हें नियमित किया जाता है और सबसे पहले रखे गए कर्मचारियों को सबसे बाद में निकाला जाता है। मेरे पास अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य महोदय को लिख दूंगा।

प्रो० राम गणेश कापसे : महोदय, यहां बताया गया था कि इनकी आज तक की संख्या 197 है। लेकिन वास्तव में दूरदर्शन और आकाशवाणी में विभिन्न श्रेणियां हैं और उनमें ज्यादातर कर्मचारी अस्थायी हैं। यहां तक कि स्थानांतरण और पदोन्नति भी मनमाने ढंग से की जाती है, कम से कम आपके कार्यभार संभालने से पूर्व तो ऐसा ही होता था। इसलिए निगम को समस्त कार्य सौंपने से पूर्व क्या आप इनमें सुधार लाएंगे और फिर इसे निगम को सौंपेंगे ताकि निगम के अन्तर्गत जाते समय वे खुश रहें ?

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, मैं पहले ही इस विधेयक पर वाद-विवाद का जवाब देते समय इस बात का संकेत दे चुका हूं कि निगम को इसे सौंपने से पूर्व हम सभी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। तृतीय श्रेणी में भी कुछ कलाकार आदि हैं जो कि अस्थायी स्वरूप के हैं और उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि इस वर्ष नवम्बर तक हमें उन्हें स्थायी करने के सम्बन्ध में योजना आदि तैयार कर लेनी चाहिए। कार्मिक विभाग से विचार-विमर्श कर ऐसा किया गया है और हम निर्धारित समय के अन्तर्गत ही इसे पूरा कर लेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, ये जो टेंपरेरी वर्कर्स हैं, इनको भी कई कामों पर परमानेंटली लगाते हैं, जैसे पानी के बारे में बताया, पानी पिलाने का काम है, तो दोबारा जब सीजन आता है तो इस काम के लिए उन लोगों को नहीं लिया जाता। तो क्या सरकार इस प्रकार के डायरेक्शस देगी कि जब कभी कोई टेंपरेरी काम के लिए वर्कर्स रखे जाते हैं, वह काम समाप्त होने के बाद जब दोबारा फिर वही काम शुरू किया जाता है, जैसे पानी पिलाने का काम तो हमेशा होने वाला है, तो उन्हीं लोगों को दोबारा लिया जाए, इस प्रकार के स्पष्ट निर्देश देने के लिए क्या सरकार विचार करेगी ?

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, विहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों के रोजगार और इससे संबंधित नियम आदि सिर्फ सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा दूरदर्शन तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह श्रम मन्त्रालय से सम्बन्धित एक विस्तृत मुद्दा है। मैं यह आशा करता हूं कि श्रम मन्त्रालय के हमारे सहयोगी इस पर ध्यान देंगे और एक नीति बनाएंगे।

श्री नानी भट्टाचार्य : महोदय, मजदूरों को दिहाड़ी पर रखे जाने का हम विरोध करते हैं और इसलिए हम यह चाहते हैं कि सरकार को कुछ उपाय करने चाहिए ताकि दिहाड़ी पर काम करने वाले इन मजदूरों को नियमित रोजगार प्रदान किया जाए। इसलिए, क्या माननीय मन्त्री महोदय हमें बताएंगे कि इस सन्दर्भ में भारत सरकार, विशेषकर दूरदर्शन में इन सामयिक और दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों जैसे कि पानी पिलाने वाले लोगों को नियमित नौकरी प्रदान करने सम्बन्धी समय-समय पर बनाए जाने वाले नहीं बल्कि वर्तमान मानदंड क्या हैं ?

श्री पी० उपेन्द्र : जो नियम अन्य जगह लागू होते हैं वही यहां भी लागू होते हैं अर्थात उन्हें अनियत मजदूर के रूप में कार्य करते हुए 240 दिन हो जाने चाहिए। यह सेवा की न्यूनतम अवधि है। उनकी नियुक्ति रोजगार केन्द्र के माध्यम से होनी चाहिए। उन्हें नैमित्तिक श्रमिक के रूप में लगातार दो वर्ष की सेवा का अनुभव होना चाहिए और दो वर्षों की सेवा के प्रत्येक वर्ष में सेवा में खंडता की अवधि समेत उन्होंने नैमित्तिक श्रमिक के रूप में कम से कम 240 दिन काम किया हो। उन्हें अधिकतम उम्र सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृष्ण यादव : माननीय अध्यक्ष जी, क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि दिहाड़ी पर काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको इसलिए निकाल दिया जाएगा बीच-बीच में कि वे रेगुलर न होने पाएं। इससे उनका काफी शोषण होता है और 248 दिन पूरे नहीं होते; 248 दिन पूरे होने से पहले ही बीच में निकाल दिया जाता है। इससे मजदूरों का काफी शोषण होता है। इसके लिए क्या सरकार कोई निर्देश जारी कर रही है ताकि मजदूरों का शोषण न हो और वे रेगुलर हो जाएं।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, नैमित्तिक और सामयिक स्वरूप के कार्य, भर्ती की प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए नियुक्ति करने का एक प्रयास है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वे सभी व्यक्ति जिनका उल्लेख उन्होंने अपने उत्तर में किया है, रोजगार केन्द्रों के माध्यम से अनियत स्वरूप के कार्यों पर नियुक्ति के लिए प्रायोजित किए गए हैं अथवा नहीं। यदि नहीं, तो किस प्रकार वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विभाग में दूरदर्शन में रोजगार के आदेशों का अनुपालन रोजगार केन्द्रों द्वारा किया गया है ?

श्री पी० उपेन्द्र : इन व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम है। यह संख्या सिर्फ 197 है और मेरे पास इस बात के आंकड़े नहीं हैं कि उनमें से कितनों की नियुक्ति रोजगार केन्द्रों के माध्यम से हुई है और कितनों की नियुक्ति सीधे तौर से हुई है। किंतु नियम के अनुसार उनकी नियुक्ति रोजगार केन्द्रों के माध्यम से होनी चाहिए। यदि इस नियम का उल्लंघन किया गया है, तो मुझे अपने पूर्ववर्ती से इस उल्लंघन का कारण पूछना होगा।

श्री अजीत पांजा : महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय यह जानते हैं कि जब "मस्टर रोल" में दैनिक मजदूरी पर दिहाड़ी मजदूरों को रखा जाता है, तो उन्हें एक विशेष कार्य के लिए रखा जाता है। मैं एक उदाहरण दूंगा। यद्यपि कोई व्यक्ति स्नातक है तो भी चपरासी की आवश्यकता होने के कारण उसकी नियुक्ति चपरासी के पद पर की जाती है। परंतु महोदय, मैंने देखा है कि उनकी प्रतिभा का उपयोग कहानी लिखने अथवा 'स्क्रिप्ट' में सुधार करने हेतु तथा 'केमरा मैन' की

सहायता करने हेतु किया जा रहा है। महोदय, इन सभी 197 व्यक्तियों ने उस उच्चतर पद पर कार्य करते हुए अपनी सेवा के पांच से दस वर्ष तक व्यतीत कर दिए हैं परन्तु जब उन्हें नौकरी दी जाती है तब उनकी नियुक्ति निम्नतम श्रेणी में, जिसके लिए वे लिए जाते हैं, की जाती है। क्या मन्त्री जी ने इस समस्या के समाधान की दिशा में विचार किया है ताकि उनके अनुभव को भी ध्यान में रखा जाए तथा उस उच्च श्रेणी में ही उनकी नियुक्ति की जा सके जिस पर वे काफी लम्बे अर्से से कार्य कर रहे हैं ?

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, संबद्ध पदों की भर्ती के समय उनके अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा। यदि इस क्षेत्र में उनके पास पर्याप्त अनुभव होगा तब निश्चित रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री युवराज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि डेली वेजेज पर जो काम करते हैं इसमें जो जूट मिल्स पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको प्रतिदिन पचास रुपए डेली-वेज मिलता है। इस वेज यूनिफारमिटी को कायम करने के लिए क्या आप विचार करना चाहते हैं कि जो केजुअल मजदूर है दूरदर्शन और अन्य संस्थाओं में दोनों में एकरूपता कायम हो।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां नैमित्तिक कर्मचारी तथा नियमित कर्मचारी को एक समान कार्य सुपुर्द किया जाता है, वहां उन्हें महंगाई भत्ते सहित संबद्ध वेतनमान के न्यूनतम के 1/30 की दर से भुगतान किया जाता है। अन्यथा उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिलती है।

तंजावूर शहर, तमिलनाडु में टेलीविजन ट्रांसमीटर रिले केन्द्र

*428. **श्री एस० सिंगरावडीवेल :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तंजावूर शहर, तमिलनाडु में स्थित कम शक्ति वाले टेलीविजन ट्रांसमीटर रिले केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कितने क्षेत्र में देखे जाने की संभावना है;

(ख) क्या टेलीविजन ट्रांसमीटर से 5 किलोमीटर दूर तक के कुछ स्थानों पर भी प्रसारित कार्यक्रम स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) ट्रांसमीटर का अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

तमिलनाडु में तंजावूर में, यू० एच० एफ० बैंड में कार्यरत अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर का सेवा क्षेत्र करीब 15 किलोमीटर है (इसमें किनारे के वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां ऊंचे एंटीनों, बूस्टरों इत्यादि की सहायता से संतोषजनक सेवा प्राप्त करना संभव होता है)। बताया जाता है कि तंजावूर का दूरदर्शन ट्रांसमीटर दृष्टि रेखा की उपलब्धता के अनुसार अपने कवरेज क्षेत्र में सामान्य रूप से संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहा है। तथापि इसके ट्रांसमीटर का रिसेप्शन स्थानीय भूभागीय स्थितियों के कारण दक्षिण दिशा में सीमित है। इसके अलावा, इस ट्रांसमीटर के प्रेषण में मुख्य रूप से केन्द्र में बिजली की सप्लाई फेल होने के कारण रुकावट आती रही है। इन रुकावटों को कम से कम करने के लिए केन्द्र में डीजल जैनरेटर सेट की व्यवस्था कर दी गई है। तथापि, बिजली की सप्लाई को मेन से डीजल जैनरेटर और डीजल जेनरेटर से मेन में बदलते समय सेवा में क्षणिक रुकावट तो होती ही है।

श्री एस० सिग्नरावडीवेल : महोदय, यू० एच० एफ० बैंड में कार्यरत अल्प शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर है जिसका सेवा क्षेत्र लगभग 15 किलोमीटर है परन्तु कुछ स्थानों पर इसका सेवा क्षेत्र केवल 5 किलोमीटर ही है। उत्तर में यह बताया गया है कि 'इसके ट्रांसमीटर का रिसेप्शन स्थानीय भूभागीय स्थितियों के कारण दक्षिण दिशा में सीमित है।' कुछ अन्य स्थानों में भी इसके ट्रांसमीटर का 'रिसेप्शन' स्पष्ट नहीं है। इस दोष को सुधारने के लिए मन्त्रालय क्या कार्रवाई करने का विचार कर रहा है?

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, उनका कहना सही है कि इसका 'रिसेप्शन' दक्षिण दिशा में केवल 5 किलीमीटर तक नहीं बल्कि लगभग 7 किलोमीटर तक है। पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी दिशाओं में यह लगभग 10 से 12 किलोमीटर है क्योंकि यू० एच० एफ० बैंड में कार्यरत है जिसकी 'रेंज' सीमित है। जब तक उपभोक्ता 'यू० एच० एफ० ट्यूनर' नहीं लगायेंगे तब तक कार्यक्रम स्पष्ट दिखाई नहीं दे सकते। मैं जानता हूं कि उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है परन्तु उन्हें यू० एच० एफ० ट्यूनर तथा बूस्टर को लगाना पड़ेगा।

श्रीमती प्रेमलताई चव्हाण : महोदय, देश भर में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की कमी है। हमारे समाज के ग्रामीण वर्ग को केवल इसी संचार माध्यम के द्वारा सरकार की नीति के बारे में जानकारी मिल सकती है। पिछले पांच वर्षों से मेरी कराड़ में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना हेतु मांग लम्बित पड़ी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सरकार इसके प्रति इतनी अनिच्छुक क्यों है तथा महाराष्ट्र राज्य के प्रति सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। उन्होंने अभी तक वहां पर दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना नहीं की है तथा उनके अनुसार, इसका कारण सामग्री तथा विधियों का अभाव है। अतः क्या मन्त्री महोदय इस क्षेत्र की ओर ध्यान देंगे?

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय केन्द्र सरकार के पास लगभग 520 दूरदर्शन ट्रांसमीटर हैं। इसमें अतिशीघ्र ही 25 ट्रांसमीटर की वृद्धि और होने वाली है। नये रिले केन्द्रों तथा नये ट्रांसमीटर लगाने के लिए देश के विभिन्न भागों से काफी मांग की जाती रही है। हमने प्रयोगात्मक रूप में कुछेक केन्द्रों की स्थापना का निर्णय किया है तथा हम योजना आयोग से इसकी स्वीकृति चाहते हैं। योजना आयोग से हमें जैसे ही आबंटित राशि प्राप्त हो जाती है, हम तुरन्त उन केन्द्रों की घोषणा कर देंगे जहां पर हम नये रिले ट्रांसमीटर लगाने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नन्दी येल्लैया : आंध्र प्रदेश में मेडक जिले में हैदराबाद से 104 किलोमीटर दूरी पर सिद्दीपेट रेवेन्यू डिवीजन है जहां पर मेडक, करीमनगर, निजामाबाद इन तीन जिलों का कवरेज होता है, लेकिन वहां पर 104 किलोमीटर दूर की वजह से स्पीचेज और चित्र दिखाई नहीं देते हैं, मैं सूचना और प्रसारण मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर लो पावर ट्रांसमीटर लगाने का कोई विचार है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, माननीय सदस्य इस मांग के सम्बन्ध में मुझसे कई बार मिल चुके हैं। अन्य व्यक्तियों की भी यही मांगें हैं। उनकी मांग उचित है। परन्तु जैसा मैंने इससे पूर्व कहा था, मैं योजना आयोग से आबंटन प्राप्त हुए बिना इस समय किसी भी बात की घोषणा अथवा वायदा नहीं कर सकता। मैंने माननीय सदस्य महोदय के अनुरोध को ध्यान में रख लिया है।

श्री गोपी नाथ गजपति : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। उड़ीसा राज्य के प्रलेखमुण्डी शहर में प्रत्यक्षतः एक बिल्कुल ही खराब स्थान पर एक अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगा हुआ है। नियम 377 के अन्तर्गत मैंने इस विशेष मामले को इस सम्माननीय सदन में उठाया था तथा इसके साथ ही मैंने माननीय मन्त्री जी को एक अर्द्धशासकीय पत्र भी लिखा था जिन्होंने अपनी उदारता का परिचय देते हुए मुझे उत्तर दिया था कि इस सम्बन्ध में उन्होंने आवश्यक निदेश दे दिए हैं। परंतु महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, करने की अपेक्षा ऐसा कहना अधिक आसान है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वह इस सार्वजनिक महत्व के मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई करे तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठायें ताकि इस दोष को अति शीघ्र ही दूर किया जा सके।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, माननीय सदस्य मेरे अपने पड़ौसी राज्य से हैं तथा मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। (व्यवधान) पश्चिम बंगाल जैसे कुछ अन्य राज्य भी हैं जिनकी मैं उपेक्षा नहीं कर सकता।

महोदय, इस सम्बन्ध में हम निश्चित रूप से कुछ कार्रवाई करेंगे।

डा० तम्बि दुरै : अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर रिले केन्द्रों से केवल राष्ट्रीय कार्यक्रमों का ही प्रसारण किया जाता है। कभी-कभी क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि उस क्षेत्र में यद्यपि वे एक प्रकार का एन्टीना लगाते हैं परन्तु इससे बाधा उत्पन्न होती है। वे केवल राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण ही स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। अतएव वे क्षेत्रीय कार्यक्रमों को देखने से वंचित रह जाते हैं जो वास्तव में आवश्यक है। परन्तु मैं नहीं जानता कि मन्त्री महोदय किस प्रकार इस दोष को दूर करेंगे।

दूसरे, महोदय, उदाहरण के लिए बंगलौर के निकट धर्मपुरी में होसूर नामक सीमावर्ती कस्बा है। होसूर के निवासी क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को नहीं देख पाते हैं। अतः ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु रिले केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या कोई योजना बनाई जा रही है ?

श्री पी० उपेन्द्र : माननीय सदस्य को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि तमिलनाडु में

अल्प शक्ति वाले लगभग सभी ट्रांसमीटरों को मद्रास क्षेत्रीय केन्द्र से जोड़ा जाता है तथा रिले केन्द्रों के माध्यम से वे क्षेत्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण देख रहे हैं और यदि किसी केन्द्र विशेष को इसका प्रसारण उपलब्ध नहीं हो रहा है तब हम उसके बारे में ध्यान देंगे ।

श्री वसुदेव आचार्य : यह बड़ी विचित्र बात है कि पश्चिम बंगाल का मिदनापुर जिला कलकत्ता से केवल 40 किलोमीटर है। परन्तु इस जिले के व्यक्ति कलकत्ता दूरदर्शन कार्यक्रमों को देखने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि मिदनापुर में अल्प शक्ति वाला केवल एक ही ट्रांसमीटर है तथा वहां पर एक ही माइक्रोवेव स्टेशन है। हम मन्त्री जी से मिले और मैंने सुझाव दिया कि कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारण के लिए सूक्ष्म तरंग (माइक्रोवेव) केन्द्र का उपयोग किया जाए। इसलिए आज मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय इस सुझाव पर विचार करेंगे ताकि मिदनापुर जिले के लोग जोकि कलकत्ता के अत्यधिक नजदीक हैं, निकट भविष्य में कलकत्ता दूरदर्शन के कार्यक्रम देख पाएं ।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, जहां कहीं भी माइक्रोवेव नेटवर्क उपलब्ध हैं, हम क्षेत्रीय केन्द्रों को एल० पी० टी० और एच० पी० टी० से जोड़ रहे हैं। आसनसोल और कुनसयोंग को पहले ही इससे जोड़ दिया गया है। अब माइक्रोवेव शक्तिशाली हैं, वे मिदनापुर को भी उससे जोड़ देंगे ।

[हिन्दी]

श्री सत्य प्रकाश जटिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय मन्त्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि वे कवरेज क्षेत्र में सामान्य रूप से संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहे हैं तो यह सेवा संतोषजनक मिलती रहे, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इन्दौर दूरदर्शन सेण्टर से उज्जैन रिले सेंटर को ठीक-ठीक और साफ रिसेप्शन नहीं मिलता है, इसलिए मैंने बार-बार आग्रह भी किया है कि यह संभागीय हैडक्वार्टर है, वहां इसकी ठीक से व्यवस्था की जाए। वहां पर सुधार करने के लिए भी मैं बार-बार निवेदन कर चुका हूं तो आपने कहा है कि हम संतोषजनक सेवा करने वाले हैं तो मेरा आग्रह है कि उज्जैन को ऐसा ट्रांसमीटर या प्रसारण उपलब्ध करने की दृष्टि से कोई ऐसा उपाय करेंगे जिससे लोगों को प्रसारण का लाभ मिल सके ।

श्री पी० उपेन्द्र : सर, मैं सूचना दे चुका हूं कि आठवीं प्लान में हम कुछ फैसला कर रहे हैं जिसमें इन्दौर और उज्जैन के बारे में भी सोचेंगे ।

श्री जनार्दन यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बिहार की उपेक्षा तो पिछले 40 वर्षों से लगातार हुई है और बिहार में जो हमारा क्षेत्र है गोड्डा जिला और भागलपुर, दुमका, देवघर, मुंगेर—इनमें जो दूरदर्शन केन्द्र हैं, वे इतनी दूरी पर हैं कि ग्रामीणों को दूरदर्शन देखने का मौका ही नहीं मिलता है। भागलपुर से गोड्डा और बांका से देवघर ट्रांसमीटर ऐसी कम पावर का है कि लोगों द्वारा दूरदर्शन खरीदने के बाद भी न उन्हें न्यूज सुनने को मिलती है और न कोई और प्रोग्राम ही देख सकते हैं। मेरा मन्त्री महोदय से यही जानना है कि गोड्डा, बांका, भागलपुर के क्षेत्रों में जो जिला केन्द्र है, वहां पर दूरदर्शन के केन्द्र लगाए जाएंगे ?

श्री पी० उपेन्द्र : सर, यह तो सही नहीं है कि बिहार को इगनोर किया है ।

अध्यक्ष महोदय : जनार्दन यादव जी, बिहार इगनोर नहीं हो रहा है ।

श्री जनार्दन यादव : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने लगातार किया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब सरकार बदल गई है।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, मैं हाल ही में पटना गया था। मैंने जमशेदपुर का दौरा भी किया था और मैंने वहां पर बिहार की समस्याओं के बारे में मुख्य मन्त्री और अन्य अधिकारियों से भी विचार-विमर्श किया था। मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम तैयार करने वाली सुविधा तैयार है और निकट भविष्य में हम इसको आरम्भ कर रहे हैं। पटना में पहले ही एक अस्थायी स्टुडियो बना हुआ है।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं गोड्डा, संथाल परगना के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री पी० उपेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, वह भी हम खोलने वाले हैं। हमारी प्रोग्राम जनरेटिंग फेसिलिटी भी तैयार हैं, वह भी हम खोलने वाले हैं। पांच नए रेडियो स्टेशन तैयार हो रहे हैं, वे भी हम खोलने वाले हैं और पटना में अभी जो क्षेत्रीय न्यूज का प्रसारण नहीं हो रहा है, उसको भी हम 1। अक्तूबर से शुरू करने वाले हैं। इस प्रकार से हम बिहार के बारे में पूरा-पूरा ध्यान दे रहे हैं।

श्री रासा सिंह रावत : मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि टेलीविजन की उपयोगिता तो निरन्तर बढ़ती चली जा रही है और अधिकाधिक लोग रुचि भी रखते हैं, लेकिन कम शक्ति के ट्रांसमीटर बड़े-बड़े नगरों में लगने के कारण आसपास जो छोटे-छोटे कस्बे हैं, वे उन कार्यक्रमों का पूरा लाभ नही उठा पाते हैं। जैसे अगर अजमेर से तारागढ़ पहाड़ के ऊपर ट्रांसमीटर लगाया जाए, तो विजयसगर, ब्यावर, किशनगढ़, पुष्कर और नजीराबाद आदि के सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन अभी जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है वह नीची और फॉल्टी जगह के ऊपर लगा हुआ है जिसके कारण पूरे अजमेर जिले में कार्यक्रम स्पष्ट रूप से दिखायी नहीं देते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऊंचे और सही स्थानों पर जहां से सभी लोगों को, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र के लोगों को दूरदर्शन के कार्यक्रम स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें, ट्रांसमीटर, रिले केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ?

श्री पी० उपेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, ऐसी शिकायतें तो आती रहती हैं। यह तो सही बात है। इसके बारे में हम इन्वेस्टीगेशन कर रहे हैं कि इसको कैसे रैक्टीफाई कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, यह बात कुछ एक प्रसारण केन्द्रों तक ही सीमित नहीं है बल्कि काफी केन्द्र दोषपूर्ण हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने जब वारंगल का दौरा किया था, तब मैंने उनका ध्यान इस प्रकार के एक खराब केन्द्र की ओर दिलाया था। मन्त्री महोदय को उस प्रसारण केन्द्र के स्थान और इसकी तकनीकी खराबियों के बारे में जानकारी है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह आश्वासन दिया था कि वे इन त्रुटियों को ठीक करवायेंगे। परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय उन त्रुटियों को सुधारने के लिए कम से कम अब कुछ करेंगे।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, जैसे ही मैं वहां से वापस आया तो मैंने इस विषय पर ध्यान दिया है। टावर की ऊंचाई को बढ़ाया जाना है और इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में बैंकों में ऋण और जमा धनराशि का अनुपात

+

*429. श्री आर० एन० राकेश :

श्री आर० एम० भोये :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों का ऋण जमा धनराशि का अनुपात कितना है;

(ख) क्या पिछले कुछ वर्षों से यह अनुपात कम हो रहा है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके बारे में गत पांच वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के वर्षवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का बैंकों के ऋण और जमा धनराशि के अनुपात में वृद्धि के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ग) गत पांच वर्षों में जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब राज्यों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण-जमा (सी : डी) अनुपात निम्न प्रकार था :—

(प्रतिशत के रूप में)

मार्च की स्थिति के अनुसार	जम्मू और कश्मीर	पंजाब
1986	34.45	46.90
1987	32.79	45.18
1988	31.07	42.67
1989	33.37	43.31
1990	32.19	45.42

गत पांच के दौरान उपर्युक्त दो राज्यों में प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंक के ऋण-जमा अनुपात के बारे में ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं, और यथा संभव ब्यौरा सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख), (घ) और (ङ) जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों राज्यों के ऋण-जमा अनुपात में इन वर्षों में कुछ उतार-चढ़ाव आया है। ऋण-जमा अनुपात किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास का एकमात्र सूचक नहीं है। किसी क्षेत्र विशेष में ऋण संवितरण आर्थिक कार्यकलाप के स्तर, उद्यमवृत्ति, कच्चे माल और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, अन्य निवेश के अवसरों तथा उस क्षेत्र विशेष में शान्ति व्यवस्था की स्थिति जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है। बैंकों को उत्पादक और पहचान किए गए अर्थक्षम प्रस्तावों के लिए कमी वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में सुधार करने के लिए कारगर उपाय करने की सलाह दी गई है।

श्री आर० एन० राकेश : महोदय, मन्त्री जी द्वारा इस विवरण में दिया गया और उत्तर नकारात्मक है। फिर भी मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 1 जनवरी 1990 को कश्मीर घाटी तथा पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के कितने बैंक कार्य कर रहे थे और आज कितने बैंक कार्य कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, यह प्रश्न ऋण-जमा अनुपात से सम्बन्धित है। मेरे लिए अभी यह विवरण देना कठिन है कि किसी दिन विशेष को कितने बैंक कार्य कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें इसकी एक सूची भेज दूंगा। अब हमें उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

श्री आर० एन० राकेश : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि श्रीनगर शहर और पंजाब के शहरों में कितनी बैंक शाखाएं हैं तथा वे कौन-कौन से बैंकों की हैं। क्या जम्मू और कश्मीर बैंक एक सरकारी क्षेत्र का बैंक है ? यदि नहीं तो क्यों ?

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, जैसाकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह प्रश्न ऋण जमा अनुपात से संबंधित है। उनके प्रश्न के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि यह प्रश्न ऋण जमा अनुपात के संबंध में है। जम्मू कश्मीर का अनुपात 34.8 प्रतिशत, पंजाब का 44.5 प्रतिशत और सारे भारत का अनुपात 64.7 प्रतिशत है। मैं माननीय सदस्य को केवल यह सूचित कर सकता हूं कि विभिन्न कारणों से नकद जमा में कमी आई है। क्योंकि पहले तो पंजाब और विशेष रूप से कश्मीर घाटी के इलाके में राजनैतिक स्थिति अस्थिर है और औद्योगिक विकास की भी अत्यधिक कमी है। अतः इन क्षेत्रों में ऋण उपयोग क्षमता कम है, इसके फलस्वरूप नकद जमा में, निःसन्देह कमी आई है। आदर्श रूप में नकद जमा अनुपात 60 होगा और हम पूरा प्रयत्न करेंगे तथा देखेंगे कि आवश्यक लक्ष्य तक पहुंचा जा सके

[हिन्दी]

स० अतिन्दर पाल सिंघ : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने शरदकालीन अधिवेशन में बताया था कि पंजाब में जो जमा पूंजी निवेश है उसके बनिस्पत जो ऋण दिया जा रहा है वह 20 प्रतिशत कम है और राष्ट्रीय औसत के हिसाब से 30 प्रतिशत कम है। मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब का पैसा जो पंजाब से बाहर जा रहा है उसे पंजाब में इनवैस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, पंजाब की इण्डस्ट्री में इनवैस्टमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है ? इसके क्या कारण हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : जैसे मैंने पूर्व प्रश्न के उत्तर में बताया कि तीन-चार ऐसे प्रश्न हैं जिनकी वजह से पंजाब का क्रैडिट डिपाजिट रेशियो कम हुआ है। पहले तो मैं यह बताता हूं कि पंजाब का सवाल

हल न होने की वजह से जो अस्थिर राजनीतिक सियासी परिस्थिति पंजाब में पैदा हुई है उसकी वजह से इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए बहुत कम संख्या में लोग आते हैं। दूसरा जो क्रैडिट डिपाजिट रेशियो में बताया गया है वह पब्लिक सैक्टर बैंक्स का रेशियो है। लेकिन पंजाब की एक अच्छी बात यह भी है कि वहां कोपरेटिव स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इसलिए विशेषतः कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग ज्यादा ऋण पब्लिक सैक्टर बैंक से नहीं कोपरेटिव बैंक से लेते हैं। यह भी एक वजह है जिसके कारण पब्लिक सैक्टर बैंक्स का क्रैडिट डिपाजिट रेशियो कम है। तीसरी बात यह है कि हमें मानना होगा कि वहां की राजनीतिक परिस्थिति की वजह से वहां की औद्योगिक प्रगति किस हद तक रुक गई है यह आपकी भी शिकायत रही है। जब औद्योगिक प्रगति रुक जाती है, नए-नए इण्डस्ट्रियल यूनिट्स आते हैं तो अवय करने की क्षमता भी कम होती है। इस वजह से भी वहां का क्रैडिट डिपाजिट रेशियो कम हुआ है। जिस वक्त यह सारी परिस्थिति तबदील हो जाएगी। मैं समझता हूं कि क्रैडिट रेशियो भी बढ़ेगा।

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, कुछ राज्यों को बेरोजगारी की समस्या का अत्यधिक सामना करना पड़ रहा है। उदाहरणतः पंजाब, जम्मू-कश्मीर तथा केरल जैसे राज्यों को बेरोजगारी का अधिक सामना करना पड़ रहा है। इन राज्यों में पूंजी निवेश का स्तर भी सदा 40 प्रतिशत से कम ही रहा है। इन राज्यों में कम पूंजी निवेश के कई कारण हैं। इन कारणों में एक है बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण देने के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों का दृष्टिकोण। मैंने स्वयं भी कोचीन में यह अनुभव किया है कि जहां हजारों बेरोजगार नवयुवक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता हेतु इन बैंकों में गए, वहां इन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उनके प्रति किसी प्रकार का सहयोगपूर्ण रवैया नहीं दिखाया। अतः मेरी मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना है कि क्या केरल सरकार द्वारा स्वीकृत योजना और विशेष रूप से ऐसे राज्यों में जहां पूंजी निवेश 40% से कम है, क्या सरकार ऐसे मामलों में विशेष रुचि लेगी और राष्ट्रीयकृत बैंकों को विशेष हिदायतें देगी कि बेरोजगार युवकों द्वारा पेश की गई और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं माननीय सदस्य के इस प्रश्न पर दबाव की प्रशंसा करता हूं। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि जब भी किसी क्षेत्र में पूंजी ग्रहण सामर्थ्य बढ़ता है, उतनी ही बैंकों में पूंजी भी बढ़ती है। यदि माननीय सदस्य महोदय यह दावा करते हैं कि उन्होंने राज्य सरकार की मंजूरी से केरल में कुछ विशिष्ट स्वरोजगार योजनाएं तैयार की हैं और इसके बावजूद भी ऋण प्राप्त करने में असफल रहे हैं तो मैं निश्चित ही इस मामले को देखूंगा और मैं माननीय सदस्य महोदय को यह विश्वास दिलाता हूं कि जब भी किसी एजेन्सी द्वारा स्वरोजगार योजनाएं तैयार की जाएंगी, उन्हें कम से कम राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तो अवश्य ही ऋण सुविधाएं प्रदान की जाएंगीं क्योंकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने के मामले में हम निजी मानसिकता नहीं रख सकते।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं स्वीकार किया है कि पंजाब के बिगड़ते हालात के कारण औद्योगिक प्रगति कुछ रुक गई है। मैं उनसे सीधा प्रश्न करना चाहता हूं कि पंजाब में जितने लघु उद्योग हैं, उन्होंने लोगों को रोजगार देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन बैंकों की नीतियों के कारण, रिजर्व बैंक की तरफ से गारंटी मनी बढ़ाये जाने

के कारण, जहां लोगों को बैंकों से ऋण नहीं प्राप्त होता, वहीं लघु उद्योगपतियों को सारा कच्चा माल कैश में खरीदना पड़ता है, और तैयार माल उधार में बेचना पड़ता है, जिससे उनके सामने अनेक समस्यायें उत्पन्न हो गयी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पंजाब के लघु उद्योगपतियों को बैंक इंटरैस्ट में कोई रियायत देंगे क्योंकि सडैनली बैंक गारन्टी के बढ़ा दिए जाने से पिछले सालों में 10-'0 हजार रुपए छोटे उद्योपतियों से रिकवर किए गए, उन्हें क्या सरकार की ओर से कोई कन्सेशन दिए जाने का विचार है ?

स० अतिन्दर पाल सिंघ : माननीय सदस्य के प्रश्न से मैं भी अपने आप को सम्बद्ध करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अतिन्दर पाल सिंघ जी, आप बैठ जाइये, ऐसे नहीं, पहले आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य जानना चाहता हैं कि पंजाब में लघु उद्योगों का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। हम बैंकों की तरफ से तीन प्रकार के उद्योगों को, लोगों को ऋण उपलब्ध कराते हैं : बड़े उद्योगों को, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को तथा जैसा अभी केरल के एक माननीय सदस्य ने कहा, सैल्फ एम्पलायमेंट स्कीम के अंतर्गत भी हम लोन उपलब्ध कराते हैं। मैं मानता हूं कि पंजाब में लघु उद्योगों के सामने कई समस्याएं गारंटी के सवाल को लेकर, और अन्य सवालों पर हैं, जो पंजाब के हालात खराब होने के कारण हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर उनकी कुछ विशेष समस्याएं होंगी तो उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा और उन्हें क्रेडिट हासिल करने में कोई दिक्कत आती होगी तो मैं उसे देख लूंगा।

श्री हर्ष वर्धन : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पंजाब के संदर्भ में उनका कथन है कि वहां के हालात ऐसे हैं, जिनके चलते वहां क्रैडिट-डिपोजित रेश्यो में कमी आयी है, क्या वे बताएंगे कि 1986 से आज तक की अवधि में बड़े उद्योगों की तरफ से, लघु उद्योगों की तरफ से और सैल्फ एम्पलायमैंट स्कीम के अन्तर्गत पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों से कितने-कितने ऋण की मांग की गयी और उसकी तुलना में बैंकों की तरफ से उन्हें कितना-कितना ऋण प्रदान किया गया, सैंक्शन किया गया। बड़े उद्योगों, लघु उद्योगों और सैल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम के अन्तर्गत कृपया अलग-अलग फीगर्स बतायें कि कुल उन्होंने कितनी मांग की और बैंकों ने कितना ऋण उन्हें उपलब्ध कराया।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, इस वक्त सारे फीगर्स तो मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं लेकिन मैं दूसरे आंकड़े अवश्य बताना चाहता हूं। जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, क्योंकि क्रैडिट-डिपोजित रेश्यो से ही वहां की स्थिति के बारे में जानकारी मिल सकती है, वह अनुपात 1986 में 46 परसेंट, 1987 में 45 परसेंट, 1988 में 42 परसेंट और 1989 में 43 परसेंट रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : टैली तो होता है न।

(व्यवधान)

श्री हर्ष वर्धन : माननीय मंत्री जी ने जो कुछ बताया, वह तो इस प्रश्न के उत्तर में पहले से दिया हुआ है। मैं उनसे केवल यह जानना चाहता था कि 1986 के बाद आज तक पंजाब में बड़े उद्योगों ने लघु उद्योगों ने और सैल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम के अन्तर्गत लोगों ने आपसे कुल कितना ऋण मांगा और आपने बैंकों की तरफ से उन्हें कितना ऋण उपलब्ध कराया।

अध्यक्ष महोदय : हो गया, बस, बैठ जाइए ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इसलिए पहले प्रश्न का जिक्र कर रहा था क्योंकि क्रेडिट डिपोजिट रेश्यो से यह पता चलता है कि कितना डिपोजिट बैंकों में है और कितना क्रैडिट उनकी तरफ से दिया गया । लेकिन जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का ताल्लुक है, तीन क्षेत्रों में, बड़ी इण्डस्ट्रीज को, छोटे उद्योगों को और अन्य क्षेत्रों में, कुल कितने ऋण की उन्होंने मांग की, कितना क्रैडिट बैंकों की तरफ से उन्हें मिला, वे आंकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य को पत्र के द्वारा मैं बाद में भिजवा दूंगा ।

[अनुवाद]

श्री सुशांत चक्रवर्ती : भारत के विभिन्न राज्यों से प्राप्त ऋण जमा अनुपात के अपने अनुभव से मैंने पाया है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के मामले में यह बहुत कम है । निकटवर्ती राज्य असम में भी ऋण जमा अनुपात बहुत कम है । इन राज्यों को सहायता देने में औद्योगिक विकास बैंकों की भूमिका भी बहुत कम रही है । क्या माननीय मंत्री इसके कारण बताएंगे और कृपया यह भी बताएं कि भारत सरकार द्वारा इन राज्यों में ऋण जमा अनुपात में वृद्धि के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, हालांकि प्रश्न सिर्फ पंजाब और कश्मीर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण जमा अनुपात के बारे में है, लेकिन आपने प्रश्न की अनुमति दी है, इसलिए मुझे इसका उत्तर देना ही है और मैं इस तथ्य का सहारा लूंगा कि कश्मीर और पंजाब भारत के हिस्से हैं और असम और उड़ीसा भी भारत के हिस्से हैं । इसलिए, हम इस प्रश्न को असम और उड़ीसा पर भी लागू कर सकते हैं ।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि विभिन्न क्षेत्रों में नगद ऋण अनुपात की यह विशेष असमानता मूलरूप से विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को प्रतिफलित करती है । उड़ीसा, असम और अन्य पिछड़े राज्य और क्षेत्र बैंकों से उस सीमा तक ऋण प्राप्त करते हैं जितना उनमें ऋण को खपाने में समर्थ होती है ।

1.42 म० पू०

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी पीठासीन हुए ।]

सरकार की ओर से मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि इन क्षेत्रीय असंतुलन को सुधारने के लिए हम हरसंभव प्रयास करेंगे और ये सुधार विकसित और पिछड़े हुए राज्यों में ऋण जमा अनुपात के असंतुलन को भी सही करेंगे ।

सभापति महोदय : श्री संतोष मोहन देव अब प्रश्न पूछेंगे ।

श्री संतोष मोहन देव : माननीय मन्त्री जी के उत्तर में पूरा भारत आ गया है ।

कृषि ऋणों को माफ करने का प्रभाव

*431. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूरे देश में 10,000 रुपए तक के कृषि ऋणों की माफी का देश में ऋण-ढांचे, और सामान्य अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषकों, भूमिहीन किसानों, कारीगरों और बुनकरों को 10,000 रुपए तक की ऋण राहत प्रदान करने के लिए कृषि और ग्रामीण ऋण राहत (ए० आर० डी० आर०) योजना तैयार की है। जहां तक सहकारी क्षेत्र में बैंकों का संबंध है राज्य सरकारों से इसी पैटर्न पर एक योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अधिकांश राज्यों ने सैद्धांतिक रूप में केन्द्रीय सरकार की योजना को सहकारी समितियों के लिए इसे अपनाना मंजूर कर लिया है।

10,000 रुपए तक बकाया ऋण राशि की माफी से ऋणकर्त्ताओं पर पुराना ऋण बोझ कम होगा और आशा है कि ऋणकर्ता आगामी ऋणों का भुगतान शीघ्रता से करेंगे। एक बारगी उपाय के रूप में ऋण राहत एक सकारात्मक कदम है जिससे कृषकों, कारीगरों और बुनकरों को उनकी क्रय-विक्रय संबंधी कमजोर स्थिति के कारण ऋण बोझ से छुटकारा मिलने में सहायता मिलेगी और इससे उत्पादन और उत्पादकता को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता में कोई कमी न हो। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उपर्युक्त योजना को दोहराया नहीं जाएगा।

श्री मनोरंजन भक्त : माननीय मंत्री जी सिर्फ एक वरिष्ठ मंत्री ही नहीं है बल्कि एक स्पष्ट वक्ता हैं और मैं उनसे एक बहुत सच्चाई भरा उत्तर चाहता था। किन्तु, दुर्भाग्य से वे इस तरीके से उत्तर दे रहे हैं कि प्रश्न का मुख्य भाव ही लोप हो गया है।

प्रश्न यह है कि पूरे देश में 10,000 रुपए तक के कृषि ऋणों की माफी का देश में ऋण-ढांचे, मूल्य स्तर और सामान्य अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ? माननीय मन्त्री ने मूल्य प्रभाव के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। फिर भी, मैं माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर अपना प्रश्न पूछना चाहूंगा।

सहकारी क्षेत्र राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। किन्तु राज्यों के पास संसाधन नहीं हैं। वे कार्यक्रमों का कार्यक्रमों का कार्यान्वन नहीं कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार और माननीय वित्त मन्त्री कार्यक्रम को लागू करने पर सहमत हैं पर राज्यों के पास संसाधन नहीं हैं।

मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं और राज्य-वार कितने व्यक्ति योजना से लाभान्वित हुए।

केन्द्र शासित प्रदेशों का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर होता है, राज्यों पर नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र शासित प्रदेशों में क्या किया है और क्या सहकारी कर्ज माफ कर दिए गए हैं। जहां तक मुझे मालूम है, कुछ समय से समय पर कर्जा न चुकाने के कारण, कोई भी सहकारी कर्जा नहीं दिए गए।

प्रो० मधु दण्डवते : सभापति महोदय, मुझे स्पष्टवक्ता होने पर बधाई देने का अर्थ यह नहीं है कि मुझे सत्य उत्तर देना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि चाहे स्पष्टवक्ता हों या नहीं, इस सदन में, हमसे हमेशा सत्य बोलने की ही आशा की जाती है अन्यथा यह विशेषाधिकार

का उल्लंघन है। उन्होंने पहले भाग का उल्लेख किया और कहा कि मैंने ऋण-ढांचे, मूल्य-स्तर और सामान्य अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव का उत्तर नहीं दिया। मैं पहले ही उसका उल्लेख कर चुका हूं। किन्तु यदि आप और सूचना चाहते हैं, तो उत्तर देते समय, मैं वह दूंगा। अब पहला विशिष्ट प्रश्न है, राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को क्या-क्या प्रोत्साहन और सहायता दी जा रही है ताकि कर्ज माफी योजना उचित रूप से लागू हो।

प्रो० एन० जी० रंगा : सहकारी क्षेत्र में।

प्रो० मधु दण्डवते : हां, सहकारी क्षेत्र में। हमारी प्रारम्भिक योजना में यह था कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा माफ किए गए कर्जों का बोझ केन्द्र को लेना चाहिए क्योंकि वे केन्द्रीय क्षेत्र में हैं। किन्तु बाद में, विभिन्न राज्यों और सहकारी संस्थाओं की परेशानियों को देखते हुए, हमने निर्णय किया कि अगर राज्य कर्ज माफी का बोझ नहीं सह सकते। वे कर्ज जो सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों और भूमि-विकास बैंकों से लिए गए थे, तो केन्द्र 50 प्रतिशत व्यय वहन करने को तैयार है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि काफी विचार-विमर्श के बाद—चाहे वे कांग्रेस शासित राज्य हों या गैर कांग्रेसी राज्य हों—अधिकांश राज्यों, ने इसे एक और प्रोत्साहन देने के बाद ही स्वीकार किया है। कई मुख्यमन्त्रियों ने कहा कि मुश्किल यह है कि उनके पास सहकारी क्षेत्र के बैंकों और भूमि-विकास बैंकों के कर्ज के भार का पचास प्रतिशत भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए, हमने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से बातचीत की और वे इस पर सहमत हो गए कि रिजर्व बैंक उन्हें भुगतान की जाने वाली पचास प्रतिशत राशि पर अग्रिम राशि पर अग्रिम राशि देगा जिसे एक वर्ष के भीतर लौटाना होगा। पहले यह कहा गया था। किन्तु कई राज्यों के मुख्यमन्त्रियों ने कठिनाई व्यक्त की। इसलिए, कई वार्ताओं के द्वारा, हमने अन्तिम रूप से निर्णय लिया कि रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को बैंक से अग्रिम राशि के रूप में जो भी राशि देता है, उसे एक वर्ष में नहीं, बल्कि तीन वर्षों में लौटाया जा सकता है। इसलिए, प्रायः सभी मुख्यमन्त्री चाहे वे कांग्रेस शासित राज्यों से हों, या कम्युनिस्ट राज्यों से या जनतादल शासित राज्यों से हों। उनमे से तीन को छोड़कर अधिकांश ने इसे मान लिया है। यह हमारे द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है।

दूसरे, जहां तक केन्द्र शासित प्रदेशों का संबंध है, हम संघ शासित प्रदेशों के लिए कोई समस्या पैदा न करने का प्रयास करेंगे। अगर वे हमारे पास आते हैं और किसी कठिनाई की ओर संकेत करते हैं, तो उस दशा में, हम उन्हें रिजर्व बैंक के द्वारा आवश्यकत सहायता देने के लिए तैयार रहेंगे ताकि उनकी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है, वे इस योजना को और अधिक उदार बनाना चाहते थे और हमने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि यदि वे केन्द्रीय योजना को लागू कर सकते हैं, तथा वे इसे अपनी लागत पर ही और उदार बनाना चाहते तो भी हम तैयार हैं और हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब उन्होंने अपनी ही कीमत पर उदार होने का फैसला किया है।

श्री मनोरंजन भक्त : सभापति महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने केन्द्र शासित प्रदेशों को सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। यद्यपि उन्होंने अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि अभी तक इस योजना से कितने लोगों को लाभ हुआ है। मैं समझता हूं कि जब वह मेरे दूसरे पूरक प्रश्न का उत्तर देंगे, उसके साथ ही वे इसका उत्तर भी देंगे। मैं विशेष रूप से यह पूछना चाहता हूं कि शिल्पियों, बुनकरों और किसानों को

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए ऋण भी इस योजना में आयेंगे या नहीं, और 10 हजार रुपए तक के और ऋण माफ करने की योजना के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान होगा ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में विस्तार से अध्ययन आरंभ करेगी, क्योंकि वास्तविक प्रभाव को भली-भांति समझने के लिए इस योजना पर कार्य चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस मामले में कोई अध्ययन आरंभ करा रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : जहां तक योजना के कुल खर्च का सम्बन्ध है, हम इसे उदार बनाना चाहते हैं। आरम्भ में यह निश्चय किया गया था कि यदि केवल 10 हजार रुपए तक के ऋण लिए जाते हैं तब तो 10 हजार रुपए तक के ऋणों को माफ करने की अनुमति दी जाएगी। राशि भी 10 हजार रुपए अथवा इससे कम होनी चाहिए। फिर हमने इसे उदार बनाया। आगे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि कृषि में मत्स्यपालन भी सम्मिलित है, अतः मछुआरे भी इसमें सम्मिलित हैं। हमारे चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार बुनकरों को इसमें सम्मिलित किया गया। भूमिहीन कृषि मजदूर और अन्य किसान भी इसमें सम्मिलित हैं। आरंभ में हम बहुत सारी शर्तें लगाना चाहते थे। मैंने इस सभा में इनका कम से कम तीन बार उल्लेख किया है। शुरू में लगभग 2845 करोड़ रुपये के खर्चे का अनुमान था। जब हमने इसे उदार बनाया तो यह लगभग 4000 करोड़ रुपये तक पहुंचा गया। मुझे ऐसी शंका है कि संभवतः यह 6000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। खैर हम इस बारे में फैसला करेंगे।

अब इसे और अधिक उदार बनाना सम्भव नहीं है क्योंकि हमारे लिए भी इससे अधिक भार वहन करना संभव नहीं हो पाएगा। अतः हमने कुछ प्रतिबन्ध लगाए हैं। इस योजना में केवल 2-10-1989 तक के बकाया ऋणों को ही शामिल किया जाएगा।

श्री मनोरंजन भक्त : समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी ?

प्रो० मधु दंडवते : यह बिल्कुक ही अलग योजना है, यह इसमें सम्मिलित नहीं की गई है, इसे अलग से लिया जाएगा। आपने पहले एक प्रश्न पूछा कि क्या हमने ऋण लेने वालों का पता लगाया है और उनको सहायता दी है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि काम पूरे उत्साह से हो रहा और अभी तक 60,60,681 ऋण प्राप्त कर्ता लोगों की पहचान कर ली गई है तथा जिन लोगों को सहायता दी जाएगी, उनकी संख्या 21,71,703 है। इस कार्यवाही में और तेजी लाई जाएगी और यदि किसी भी चरण पर यह गणना संसद सदस्यों और विधायकों द्वारा गलत पाई जाती है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वे सम्बद्ध राज्य सरकारों को सूचित करें, ताकि हम इसकी ओर उचित ध्यान दे सकें और यदि इसमें कुछ गलतियां रह गई हैं, तो उनकी शुद्धि करने का प्रयास कर सकें।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : सभापति महोदय, हर पार्टी ने अपने मैनफैस्टो में किसानों और छोटे लोगों को लोन कर्जा माफ करने का कहा है। इस सरकार को दस महीने हो गए हैं और नौ महीने के बाद भी आज कुछ नहीं किया गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं, जब हम अपनी कन्स्टीचूयेंसी में जाते हैं, तो किसान हमसे पूछते हैं कि हमारे लोन का क्या हुआ, कर्जा माफ करने का क्या हुआ, क्या दीवर्स को रिजर्व बैंक की रिजर्वेशन है ? अगर नहीं है, तो कितने आज तक किसानों को लाभ हुआ है तथा आपकी योजना एक साल में या किस समय तक इम्प्लीमेंट होगी ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : इतना तो मानते हैं कि अगला मैनिफैस्टो हमारा ही होगा ।....(**व्यवधान**) माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसका जवाब तो मैंने अभी दिया है ।

[अनुवाद]

अब तक पहचान किए गए लाभभोगियों की कुल संख्या 60.64 लाख है, इनमें से 21.71 लाख लोगों को राहत दी जा चुकी है । कर्जदारों को 619.91 करोड़ रुपए की कुल राशि दी गई है, लाभभोगियों को जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या 11.14 लाख है, अर्थात् 30.94 करोड़ रुपए की राशि बट्टे-खाते डाली जा चुकी है ।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : किसानों को पता है, उनको मिल गया ।

प्रो० मधु दंडवते : अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग है । जिन प्रान्तों ने अपनी स्कीम जल्दी पूरी करके सरकार को बताया और उन्होंने लिख दिया कि पचास परसेंट राशि देने के लिए तैयार हैं और हमारा सारा खर्च रिजर्व बैंक और नाबार्ड के पास चला गया, वहां यह राशि वापिस देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है । जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, वे अपनी स्कीम को मोडिफाइड कर रहे थे, लिबरलाइज करना चाहते थे । सेंट्रल स्कीम में जितने लोगों को हम लोग उसका फायदा देना चाहते थे, उससे बाहर भी कई लोगों को उन्होंने इन्क्लयूड किया है । इसलिए उनको स्कीम बनाने में थोड़ी देर हुई । लेकिन वहां भी हमारी जो सेंटर की जिम्मेदारी है, वह पूरी करके किसान हो या आर्टिजन हो (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री शंकर सिंह वाघेला : मैं समयबद्ध कार्यक्रम चाहता हूं । अन्यथा कुछ भी नहीं होगा ।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : आप अगले चुनाव की सोच रहे हैं । हम वर्तमान सरकार के बारे में सोच रहे हैं ।

[हिन्दी]

सर, हमारे मित्र ने सवाल पूछा है कि आप एक निश्चित अवधि बता सकते हैं या नहीं । सारे चीफ मिनिस्टरों के साथ इस सिलसले में बातचीत करके एक हफ्ते के अन्दर एक आउटर डेट एनाउंस कर देंगे ताकि बैंकों को ये सारे काम करने में सुविधा मिल जाए ।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, वित्त मन्त्री महोदय अपने उत्तर में इस बात का आश्वासन देने का प्रयास कर रहे थे कि ऋण माफ करने से सम्बन्धित सरकार की घोषणा लागू करने के संबंध में उचित उपाय किए जाएं और मैं समझता हूं कि जो वह कह रहे हैं वह समय पर कार्यान्वित हो जाएगा । इस बात को देखते हुए मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान रिजर्व बैंक के गवर्नर के एक वक्तव्य की ओर गया है जो उन्होंने अन्य अर्थशास्त्रियों की उपस्थिति में एक सेमिनार में दिया था और जिसमें यह टिप्पणी की गई थी कि अन्ततः सरकार के इस उपाय को हतोत्साहित किया जाए, जो लोग ऋण की भली-भांति वापसी कर सकते हैं तथा जिन्होंने विगत में

ठीक-ठीक ऋण चुकता कर दिया है, जब सरकार भविष्य में क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लेगी, और ये बैंक ऋणों का वितरण करेंगे, तो ऐसे ऋण लेने वाले भी ऋण वापस नहीं करना चाहेंगे। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मन्त्रीजी का विचार इस स्थिति से कैसे निपटने का है तथा देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिए वे क्या उपचारात्मक उपाय करेंगे ?

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, माननीय सदस्य ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बैंकों की विश्वसनीयता की दृष्टि से मैं उनका आभारी हूं। यह बात सच्ची है कि यदि उचित सावधानी से काम नहीं किया जाता है, तो ऋण माफ करने के कार्यक्रम से बैंकिंग प्रणाली और सहकारिता पद्धति का आघात पहुंच सकता है। अतः मैं इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरी सरकार इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा क्यों है कि हमने ऋण माफ करने का यह कार्यक्रम चलाया है? कारण यह है कि विगत में किसानों के लिए लाभकारी मूल्यों के लिए कोई निश्चित मापदण्ड निर्धारित नहीं किए गए थे। अतः हमारे बजट के समय से और बाद में भी मन्त्रिमंडल ने यह निर्णय लिया, और अच्छे ढंग से ऐसी जांच भी की गई, जिसके आधार पर लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाएंगे। भविष्य में हम भारी ऋण लिए जाने को उचित नहीं ठहरा सकते हैं। अब ऋण इसलिए लिए गए हैं, क्योंकि लाभकारी मूल्य नहीं हैं। अतः हम किसानों को आश्वासन देते हैं कि यह वास्तव में एक ही समय का कार्यक्रम है और इस प्रकार न सोचें कि हर वर्ष 10 हजार रुपए तक के ऋण माफ किए जाएंगे। अतः हम इस सम्बन्ध में सावधानी बरतेंगे। हमने उन सभी लोगों को चेतावनी दी है, जिन्होंने ऋण लिए हुए हैं और हम उचित सावधानी बरतेंगे, ताकि बैंकिंग पद्धति की विश्वसनीयता को इस एक ही समय चलने वाले कार्यक्रम से हानि न पहुंचे।

[हिन्दी]

श्री कपिल देव शास्त्री : आदरणीय सभापति जी, चुनाव घोषणा पत्र में हमारी पार्टी ने वायदा किया था कि हम 10 हजार करोड़ रुपए के कर्जे हर किसान के माफ करेंगे। वित्त मन्त्री जी के वक्तव्य के अनुसार 6 हजार करोड़ रुपया माफ करने की बात आई है, 4 हजार करोड़ रुपए माफ करने शेष हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब हम अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं तो वहां कर्जा न देने की वजह से 4 दिन से 40 दिन तक किसानों को बैंकों में लाकर, रोक कर रखा जाता है और जो अमीर लोग हैं उनकी तरफ 24 अगस्त को मन्त्री जी ने बयान दिया, उसके अनुसार 560 ऐसे घराने और व्यापारिक संस्थान हैं जिन्होंने एक करोड़ रुपए का आयकर नहीं दिया है और 140 ऐसे व्यापारिक संस्थान हैं जिन्होंने उत्पाद कर का एक करोड़ रुपया नहीं दिया है, उनको कुछ नहीं कहा जाता। इसलिए मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि वे उस कर को उगाह कर किसानों का ऋण माफ कर दें तो सारा देश उनका अहसानमंद होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। अन्यथा आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। यदि आप उत्तर चाहते हैं, तो कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसका जवाब तो मैंने

इससे पहले ही दे दिया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने कहा कि 2 अक्तूबर, 1989 तक का कर्जा हम रद्द करेंगे तो उसका अर्थ यह नहीं है कि एक दिन पहले भी किसी ने 10000 का कर्जा लिया होगा तो वह भी दूसरे दिन पूरा माफ किया जाएगा। मैं समझता हूं कि सारे लोग समझते हैं कि जब दो अक्तूबर 1989 तक की एक सीमा, लक्ष्मण रेखा हमने लगा दी है तो जिन लोगों की तरफ कर्जे के ड्यूज बाकी हैं, यह 2 अक्तूबर, 1989 तक है, तब तक का कर्जा रद्द होगा और इस आधार पर हम कर रहे हैं पर उसके केलकुलेशन और हिसाब लगाने में अगर किसी अधिकारी की तरफ से गलती होती है, किसी बैंक की तरफ से गलती होती है तो शिकायत जरूर हम लोगों के सामने लाइए। इसमें हम अवश्य संशोधन करेंगे, लेकिन किस तरह से कर्जा माफ होगा, यह चित्र हमने सारे लोगों के सामने रखा है, सारे चीफ मिनिस्टर्स की सम्पत्ति ली है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने भी स्वीकृति दे दी है, उसके बाद हम इसको अमल में ला रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उर्दू में समाचारों का प्रसारण

*430. श्री एस० सी० वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आकाशवाणी की तरह दूरदर्शन भी उर्दू में समाचार प्रसारित करने के बारे में विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उर्दू में समाचारों का प्रसारण कब से आरम्भ किया जाएगा; और इसका प्रसारण समय क्या होगा;

(ग) क्या संस्कृत में भी समाचारों का प्रसारण आरम्भ किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो कब से और इसका प्रसारण समय क्या होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (घ) दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर प्रतिदिन उर्दू में 10 मिनट का समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। तथापि, इस समय राष्ट्रीय दूरदर्शन नेटवर्क पर उर्दू या संस्कृत में समाचार बुलेटिन शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्पादक स्वरोजगार योजनाओं के लिए ऋण

[हिन्दी]

432. श्री भोवेन्द्र झा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पादक स्वरोजगार योजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने की नीति अपनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को उत्तरी बिहार में पिछड़े जिलों में ऐसे ऋण देने के बारे अभ्यावेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवक, जिसकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 10,000 रु० से अधिक नहीं है, योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। बैंकों द्वारा कारोबार संबंधी उद्यमों के लिए चयन किए गए हिताधिकारियों को रियायती शर्तों पर ऋण अपने स्वयं के उद्यम प्रारम्भ करने के लिए दिए जाते हैं। परियोजना लागत की 25 प्रतिशत की सब्सिडी भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। योजना के अन्तर्गत लक्ष्य का 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों के लिए आरक्षित है।

शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार योजना के तरहत 1981 की जनगणना के अनुसार 10,000 से अधिक की आबादी वाले वे समस्त शहर/नगर शामिल हैं जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं। वे व्यक्ति जिनकी कुल पारिवारिक मासिक आय 600 रुपए से अधिक नहीं है कोई भी अर्थक्षम क्रियाकलाप शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता राशि के 25 प्रतिशत की दर से पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है।

उद्योग मन्त्रालय, जो शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्व-रोजगार योजना का संचालन कर रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें उत्तर बिहार के पिछड़े जिलों में ऐसे प्रयोजनों के लिए ऋण देने के बारे में किन्हीं अभ्यावेदनों/प्रस्तावों का पता नहीं है। योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा जिला स्तरीय सलाहकार समितियों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों में भी की जाती है।

सिंगापुर के साथ व्यापार

[अनुवाद]

*433. **श्री गोपी नाथ मजपत्ति** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंगापुर के साथ व्यापारिक संबंध सुधारने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों का विस्तार करने के लिए किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार सिंगापुर के साथ व्यापार संबंध सुधारने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। इनमें सरकारी और व्यापारिक स्तर पर प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना आदि शामिल हैं।

सिंगापुर के साथ कृषि और संसाधन संबंधों के लिए इन्जीनियरिंग उपस्कर, डिस्टल इन्जिन, हैंडटूल्स और मशीन टूल्स, स्टील कास्टिंग्स, औद्योगिक मशीनरी के पुर्जे, इलेक्ट्रानिक घटक और

साफ्टवेयर, रबड़ उत्पाद, चमड़ा और चमड़ा उत्पाद, कॉफी, मशाले, सुगन्धिया और प्रसाधन सामग्री, सब्जियों और फलों के व्यापार की अच्छी सम्भावना है।

(ग) सामान्य व्यापार संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के अतिरिक्त "भारत सिंगापुर औद्योगिक गलियारे" के विकास के विचार पर भी चर्चा चल रही है।

भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड को घाटा

*434. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 1989-90 के अन्त तक कुल कितना संचयी घाटा हुआ है; और

(ग) भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड का घाटा पूरा करने के लिए इसके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड अपने कार्यचालन से 1987-88 से लाभ कमा रही है। यद्यपि, आरम्भ में उसे कुछ घाटा हुआ था, किन्तु कम्पनी पूंजी के पुनर्विन्यास के फलस्वरूप, वर्ष 1989-90 के अन्त में कोई संचयी घाटा नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास

[हिन्दी]

*435. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का मध्य प्रदेश में नये पर्यटन-स्थलों का विकास करने और पर्यटक विश्राम स्थलों का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) जी, नहीं। भारत पर्यटन विकास निगम की वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान को सहायता

*436. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवें वित्त आयोग ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि जो राज्य अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए विशेष प्रयास करें उनके अन्य घाटों की पूर्ति हेतु उन्हें विशेष दीर्घावधि ऋण प्रदान किए जाएं;

(ख) क्या लोगों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राजस्थान का स्थान सबसे नीचे है;

(ग) क्या वित्त आयोग ने यह स्वीकार किया है कि राजस्थान का प्रति व्यक्ति राजस्व घाटा वर्ष 1990-95 में अधिकतम हो जाएगा;

(घ) क्या राज्य सरकार ने वर्ष 1990-91 के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार से 140 करोड़ रुपए की राशि के दीर्घावधि ऋण की मांग की है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार यह ऋण मंजूर करने का है; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री मधु दण्डवते) : (क) नवें वित्त आयोग ने 1990-95 के लिए अपनी दूसरी रिपोर्ट में ये अभिमत व्यक्त किए हैं कि यदि घाटे वाले राज्य अपने राजस्व घाटों में आयोग द्वारा मूल्यांकित स्तरों से भरपूर कमी लाने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करें तो योजना आयोग उनके शेष राजस्व घाटे के एक भाग को पूरा करने के लिए उन्हें विशेष दीर्घावधि ऋण देने पर विचार कर सकता है।

(ख) 1987-88 से 1990-91 के वर्षों के दौरान सामाजिक सेवाओं पर राजस्थान सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय/परिव्यय 14 बड़े राज्यों में सबसे कम नहीं था।

(ग) नवें वित्त आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में 1990-95 के लिए राजस्थान के समग्र राजस्व खाते में कमी वाले राज्यों में से सबसे अधिक प्रति व्यक्ति घाटे का आंकलन किया है।

(घ) राजस्थान सरकार ने 1990-91 के समग्र राजस्व खाते के अन्तर को अंशत: पूरा करने तथा सामाजिक सेवाओं का स्तर ऊंचा करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने हेतु 140 करोड़ रुपए के विशेष दीर्घावधि ऋण के लिए अनुरोध किया है।

(ङ) मामला विचाराधीन है।

व्यापारियों को लोहे और इस्पात की सप्लाई

*437. **श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा और इस्पात व्यापार संघ के फेडरेशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि लोहे और इस्पात के प्रमुख उत्पादकों के स्टाकयार्ड से लोहे और इस्पात के उत्पादों की सरकारी खरीद का एक निश्चित प्रतिशतता में कोटा व्यापारियों के लिए निर्धारित किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो अब तक की गई कार्यवाही सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य-मुख्य मांगें निम्नानुसार हैं :—

(i) एकीकृत इस्पात संयंत्रों के उत्पादन का कम से कम 25 प्रतिशत व्यापारियों को आवंटित हो।

(ii) व्यापारियों को पूरे वर्ष सभी श्रेणियों और सभी आकारों के माल दिए जायें।

(iii) वास्तविक प्रयोक्ताओं और व्यापारियों दोनों से प्राप्त मांग-पत्र पंजीकृत किए जायें।

(iv) माल की बिक्री वाणिज्यिक आधार पर की जाये।

(v) व्यापारियों को आयात की अनुमति दी जाये।

(vi) व्यापारियों की मान्यता और स्थिति संयुक्त संयंत्र समिति के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार हो।

(vii) इस्पात उपभोक्ता परिषद के स्थान पर लोहा तथा इस्पात परामर्शी परिषद हो जिसमें अन्यों सहित व्यापारिक संघ के प्रतिनिधि भी हों।

यह निर्णय किया गया है कि विकास आयुक्त, लोहा तथा इस्पात और इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली क्षेत्रीय बैठकों में व्यापारिक संघ को आमंत्रित किया जाए।

सरदार सरोवर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कर-मुक्त बांड जारी किए जाना

[अनुवाद]

*438. **श्री चन्दूभाई देशमुख :**
श्री काशीराम राणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि सरदार सरोवर परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए उसे कर-मुक्त बांड जारी करने की अनुमति दी जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में अनुमति दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह अनुमति कब तक दी जाएगी ?

वित्त मन्त्री (श्री मधु दण्डवते) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों की मौजूदा योजना केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तक ही सीमित है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में खनिज पदार्थों का विदोहन

*439. **श्री अनादि चरण दास :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कटक, मयूरभंज और क्योंझर जिलों में खनिज भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्र में कितनी मात्रा में खनिज भंडार होने का अनुमान है; और

(ग) उनके वाणिज्यिक तौर पर विदोहन के लिए क्या उपाय किए गए हैं/ करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री बिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) ओड़िसा के कटक, मयूरभंज तथा क्योंझर जिलों में खनिजों के अनुमानित भंडार इस प्रकार हैं—

(मिलियन टन में)

खनिज	कटक जिला	मयूरभंज जिला	क्योंझर जिला
बाक्साइट	शून्य	शून्य	8.2
चीनी मिट्टी	शून्य	92.5	1.5
क्रोमाइट	178	शून्य	4.5
तांबा अयस्क	शून्य	1.6	शून्य
डोलोमाइट	शून्य	शून्य	0.9
फायर क्ले	2.2	शून्य	शून्य
लौह अयस्क	48.4	16	1470
मैंगनीज अयस्क	शून्य	शून्य	28
निकिल अयस्क	128	10	शून्य
क्वार्टज व क्वार्टजाइट	1	6	2
वैनेडियम अयस्क	शून्य	2	शून्य

(ग) खनिजों के वाणिज्यिक विदोहन हेतु खान व खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत खनन पट्टे मंजूर किए गए हैं। इस समय कटक जिले में 37, मयूरभंज जिले में 47 तथा क्योंझर जिले में 115 पट्टों पर खनन कार्य हो रहा है।

अवरक के उत्पाद

*440. श्री ए० चार्ल्स : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड ने कुछ अवरक उत्पादों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन उत्पादों की मांग का पता लगाने के लिए कोई बाजार सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) क्या इन उत्पादों का वाणिज्यिक तौर पर उत्पादन करने का विचार है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) जी, हां। मसाला बोर्ड ने अदरक का क्रिस्टलीकृत बयूब अदरक का कैन्डी क्यूब तथा सीरप के रूप में अदरक का टिट-बीट्स इत्यादि जैसे कुछ अदरक उत्पाद विकसित किए हैं।

(ग) और (घ) हां, अदरक उत्पादों की मांग तथा उनके विभिन्न उपयोगों और अनुप्रयोगों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया गया है। अध्ययन से पता चलता है कि ये उत्पाद उपभोक्ताओं को बहुत पसन्द हैं। तथा देश और विदेश दोनों में उनकी मांग की बहुत संभावना है।

(ङ) जी, हां। मसाला बोर्ड ने इच्छुक उद्यमियों से वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तकनीक के अन्तरण के बारे में पहले ही प्रस्ताव मांगा है।

अमरीका और अफगानिस्तान से बादाम की खरीद

*441. **श्री चांद राम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से सूखे मेवे आयात करने के लिए वर्ष-वार और देश-वार, कितना धन व्यय किया गया; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, अमरीका और अफगानिस्तान से कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के बादाम की सीधी खरीद की गई और पूर्व और पश्चिम एशियाई देशों से कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के अमरीकी बादाम का आयात किया गया ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) बादाम तथा सूखे फलों (काजू, गरी को छोड़कर तथा बादाम को मिलाकर) का 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 वर्षों के दौरान देश वार आयात को दर्शाने वाले विवरण-I और 2 संलग्न हैं।

विवरण-I

तालिका : 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 वर्षों के दौरान बादाम के देश-वार आयात को दर्शाने वाला विवरण

मात्रा : मी० टन

मूल्य : लाख रुपए

क्र० सं०	देश	1985-86		1986-87		1987-88	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अफगानिस्तान	1214	179.33	2615	337.37	2417	315.70
2.	आस्ट्रेलिया	—	—	49	4.56	66	7.46
3.	ईरान	432	41.95	856	90.02	984	86.57
4.	इराक	—	—	—	—	26	2.20
5.	पाकिस्तान	205	22.51	74	8.78	678	79.15
6.	सिंगापुर	—	—	1	0.14	7	2.36
7.	संयुक्त अरब अमीरात	—	—	8	0.70	20	1.64
8.	संयुक्त राज्य अमरीका	3164	737.55	1871	463.93	2028	595.90
9.	अन्य देश	4	0.54	1	0.28	—	—
	कुल :	5019	981.88	5575	906.78	6226	1081.98

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महादेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़े भाग II (आयात)

विवरण-2

तालिका : वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के लिए सूखे फलों (काजू, गिरी को छोड़कर तथा बादाम को मिलाकर) के आयात को दर्शाने वाला विवरण

मात्रा : मी० टन में

मूल्य : लाख रुपए में

क्र० सं०	देश	1985-86		1986-87		1987-88	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अफगानिस्तान	5122	659.42	13873	1684.76	9478	1172.54
2.	आस्ट्रेलिया	1297	126.06	1420	142.58	1003	180.16
3.	इरान	9302	482.43	7663	444.75	6418	382.93
4.	इराक	8400	564.82	82921	1299.47	46774	1393.46
5.	पाकिस्तान	12278	611.92	12299	610.93	29046	1447.54
6.	संयुक्त राज्य अमरीका	3421	773.17	2087	500.76	2114	610.60
7.	अन्य देश	2765	207.75	7819	525.27	3175	209.58
	कुल :	42585	3425.57	128082	5208.51	98008	5324.81

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़े, भाग-II (आयात)

इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुओं का आयात

*442. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि विभिन्न उद्योगों के लिए आयात किए जाने वाले सामान में 15 प्रतिशत कटौती करने के निर्णय को इलेक्ट्रानिक्स वस्तुओं पर लागू न किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अवध कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। ये अभ्यावेदन मूलत: हाल ही में लिए गए उस निर्णय के विरुद्ध हैं जिसके अनुसार इलेक्ट्रानिक मदों के विनिर्माण में लगे सभी वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए सूची साक्यांकन प्रक्रिया लागू कर दी गई है और उनकी आयात हकदारी में 15% कटौती कर दी गई है।

(ग) वर्तमान भुगतान संतुलन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनियंत्रित तरीके से आयात की अनुमति देना उपयुक्त नहीं है।

उत्तर प्रदेश में नदी के तलों से सोने की खोज

[हिन्दी]

*443. **श्री बालेश्वर यादव** :
श्री हरीश रावत :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में नदियों के तलों से सोने के भंडारों की खोज अभी तक जारी है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(ग) क्या वहां सोने के भंडारों के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार के भूविज्ञान तथा खनन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश में यमुना और कालाढुंगी के बीच लगभग 200 किलोमीटर की पट्टी में शिवालिक पर्वत श्रृंखला से प्रवाहित नदियों की 1 मीटर से 1.5 मीटर की गहराई में तलीय बालू का अर्द्ध-मात्रात्मक मूल्यांकन किया है तथा 1 मीटर गहराई तक की तलीय बालू में सहारनपुर जिले में 60 किलोग्राम स्वर्ण तथा पौड़ी गढ़वाल, बिजनौर और नैनीताल जिलों में 30,000 किलोग्राम के संभावित भंडारों की पुष्टि की है। इन खोजों के वर्ष 1995 में पूरा हो जाने की संभावना है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी शिवालिक पहाड़ियों में तथा नैनीताल, पिथौरागढ़ और गोरखपुर जिलों के नदी तल-छाटन में सोना होने की संभावना के लिए प्रारम्भिक अन्वेषण कर रहा है। ये अन्वेषण वर्ष 1994 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

"हाई स्पीड स्टील प्रोजेक्ट" के लिए आस्ट्रिया का सहयोग

[अनुवाद]

444. **श्री नकुल नायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में स्थापित किए जाने वाले "हाई स्पीड स्टील प्रोजेक्ट" के स्थापना स्थल के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके स्थापना-स्थल, लागत और रोजगार क्षमता के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस परियोजना की स्थापना के लिए आस्ट्रिया से कुछ पूंजी निवेश करने का आग्रह किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री, तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) मैसर्स "पावमेक्स स्टील्स लिमिटेड" को आंध्र प्रदेश राज्य में "हाई स्पीड स्टील प्रोजेक्ट" की स्थापना के लिए एक आशय-पत्र जारी किया था। कम्पनी के अनुरोध पर परियोजना के प्रस्तावित स्थापना-स्थल को बदलकर उड़ीसा राज्य के बोलनगीर जिले में कर दिया गया था। परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। जैसाकि कम्पनी ने बताया है कि परियोजना की लागत लगभग 70 करोड़ रुपए है और इसमें लगभग 290 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन की क्षमता है।

(ग) और (घ) कम्पनी के अनुसार तकनीकी सहयोगी आस्ट्रिया के मैसर्स बोहलर गम ने परियोजना की इक्विटी में 46 लाख रुपए (चालू विनिमय दरों पर) का पूंजी-निवेश किया है।

वित्त मन्त्रालय के अधिकारियों द्वारा पार्टी की बैठकों में सम्मिलित होना

*445. **श्री अजीत पांजा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सरकार की नीतियों को स्पष्ट करने के लिए सत्तारूढ़ दल और उसकी समर्थक पार्टियों/सम्बद्ध ग्रुपों की समन्वय बैठकों में भाग ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे अधिकारी कौन-कौन हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारियों से इन बैठकों में भाग लेने के लिए कहा गया था ?

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

महाराष्ट्र में विभिन्न खानों की खोज

[हिन्दी]

446. प्रो० महादेव शिवनकर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चन्द्रपुर, गढ़चिरोली और भंडारा जिलों में किस-किस स्थानों पर लौह, मैंगनीज, क्रोमाईट, डोलोमाईट के भंडारों का पता चला है और इन जिलों में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां इस समय सर्वेक्षण और खोज कार्य चल रहा है;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिन्हें इन स्थानों के खनन पट्टे/ठेके दिए गए हैं और उनकी अवधि क्या है;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां खनन कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है; और

(घ) इन ठेकेदारों/पट्टेदारों के विरुद्ध अभी तक खनन कार्य शुरू न किए जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और वहां पर खनन कार्य शुरू करने में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, चन्द्रपुर और भंडारा जिलों में लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट व डोलामाइट खनिजों के प्राप्ति स्थल इस प्रकार हैं :—

खनिज	गढ़चिरौली जिला	चन्द्रपुर जिला	भंडारा जिला
लौह अयस्क	सूरजगढ़, दामकेद-बडवी व भामरागढ़ हिल्स रेंज देवलगांव तथा फूसर व वरिया हिल डिपोजिट	लहारा, वागलपेठ, गंजावाही	खुर्सीपार-मानेगांव
मैंगनीज अयस्क	—	—	चिखाला, डोंगरी दुर्गुर्ग, हिवाड़ा, कर्ली, पवनखेड़ी, भंडेकासू
क्रोमाइट	—	पिटघुआ, पुयारडांड और वल्लारपुर (फ्रीहोल्ड)	पवनी
डोलामाइट	देवलमारी-काजलपल्ली	—	—

इन निक्षेपों में इस समय गवेषण नहीं हो रहा है।

(ख) पट्टा प्राप्त व्यक्ति के नामों और पट्टा अवधि की सूचना संलग्न विवरण-1 में है।

(ग) और (घ) खनन आरम्भ न होने वाले स्थान, खनन आरम्भ न करने वाले पट्टाधारियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा खनक आरम्भ करने में विलम्ब से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-2 में है।

विवरण-I

महाराष्ट्र के भंडारा, चन्द्रपुर व गढ़चिरौली जिलों में लौह अयस्क, क्रोमाइट, डोलामाइट व मैंगनीज अयस्क के खनिज पट्टों के बारे में सूचना

खनिज, जिला, पट्टाधारी का नाम	गांव जहां खान स्थित है	पट्टे की अवधि
1	2	3
लौह अयस्क, भंडारा, मै० महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि०, नागपुर	खर्सीपार	20 वर्ष—31-3-84 से 30-3-2004
लौह अयस्क, चन्द्रपुर, मै० गाहरा मिनरल्स, नागपुर	गुंजेवाही पो० ओ० सिंदेवाही	20 वर्ष—22-3-83 से 21-3-2003
—वही—	वाघलपेठ	20 वर्ष—2-6-87 से 1-6-2007
लौह अयस्क, चन्द्रपुर, मै० महाराष्ट्र इलै० स्मेल० लि०	लोहारा पो० ओ० अलेवाह	20 वर्ष—17-6-75 से 16-6-95
—वही—	असोला, पो० ओ० सिंदेवाही	20 वर्ष—17-6-75 से 16-6-95
लौह अयस्क, गढ़चिरौली, अब्दुल सकूर ताहेर मोहम्मद	देओल गांव, पो० ओ० अरमोरी	20 वर्ष—15-4-72 से 14-4-92
मैंगनीज, भंडारा, पी० सी० सिंडीकेट (प्रा०) लिमिटेड, नागपुर	अलेसर व कर्ली, पो० ओ० गोबरवाही	20 वर्ष—8-4-71 से 7-4-91

1	2	3
मैंगनीज, भंडारा, मै० मैंगनीज और इण्डिया लि० (एम० ओ० आई० एल)	चिखाला, पो० ओ० सीतासांव	20 वर्ष—10-7-62-नवीकृत-30-6-2001
—वही—	—वही—	20 वर्ष—23-6-72 से 22-6-92
—वही—	चिखाला	20 वर्ष—28-2-74 से 27-2-94
—वही—	—वही—	20 वर्ष—8-9-77 से 2-5-99
—वही—	—वही—	20 वर्ष—9-4-81 से 8-4-2001
—वही—	डोंगरी बुजुर्ग बालापुर, पो० ओ० हामेशा	20 वर्ष—2-10-69 से 1-10-89 से 30-6-2002
—वही—	बालापुर, पो० ओ० हमेशा	20 वर्ष—4-4-78 से 3-4-98
—वही—	डोंगरी बीके, करमुंडा	20 वर्ष—18-2-82 से 17-2-2002
मैंगनीज, भंडारा, आर० बी० लांजेवर भंडारा	हिवाड़ा, पो० ओ० कांदरी	20 वर्ष—19-11-71 से 18-11-91
क्रोमाइट, चन्द्रपुर, मै० महाराष्ट्र स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि०, नागपुर	पिटीचुवा आदि	20 वर्ष—20-3-84 से 19-3-2004
क्रोमाइट, भंडारा, मै० एस० सी० खुक्स, नागपुर डोलोमाइट, भंडारा, चन्द्रपुर और गढ़चिरौली जिलों में कोई खान नहीं है।	पावनी	20 वर्ष—20-5-57-नवीकृत-27-6-1998

विवरण-2

चन्द्रपुर, गढ़चिरोली और भंडारा जिलों में लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट तथा डोलोमाइट के उन खनन पट्टों की सूची, जिन पर खनन आरम्भ नहीं किया गया तथा वहां खनन आरम्भ करने में विलम्ब के लिए जिम्मेदार पट्टाधारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही और उसके कारण

क्रमांक	जिला, खनिज, पट्टाधारी, गांव का नाम, क्षेत्र (हेक्टर में)	अवधि	पट्टाधारी के विरुद्ध कार्यवाही	खनन कार्य आरम्भ करने में हुए विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5
1.	भंडारा, लौह अयस्क, मै० महाराष्ट्र राज्य खनन निगम लि०, कर्सीपुर, 43.00	31-3-84 से 30-3-2004	पट्टाधारी को खनिज रियायत नियमावली, 1960 के प्रावधानों के तहत 31-12-90 तक खनन कार्य बन्द करने की अनुमति दी गई है।	क्षेत्र में पाया जाने वाला लौह अयस्क मैग्नेटाइट किस्म का है जिसकी बाजार मांग नहीं है।
2.	चन्द्रपुर, लौह अयस्क, मै० महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि०, लंकरा, 206.00	17-6-75 से 16-6-95	पट्टाधारी को खनिज रियायत नियमावली, 1960 के प्रावधानों के तहत खान को बन्द करने की अनुमति हेतु आवेदन करने के लिए कहा गया।	यह एक वन क्षेत्र है तथा वन्येतर प्रयोजन हेतु इसके प्रयोग पर वन (संरक्षण) अधिनियम लागू होता है और पार्टी ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है।
3.	चन्द्रपुर, लौह अयस्क, मै० महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि० बंसोला, 26.72	17-6-75 से 16-6-90	—वही—	पट्टाधारी ने अभी तक न तो खान बन्द करने की अनुमति के लिए आवेदन किया है और न खनन आरम्भ करने के लिए कोई कार्यवाही की है।

1	2	3	4	5
4.	भंद्रा, मैंगनीज, मै० मैंगनीज और (इण्डिया) लि०, डोंगरी बुजरुक 58.98	1-7-82 से 30-6-2002	पट्टाधारी को खनन कार्य आरम्भ न करने के कारण बताने तथा खनिज रियायत नियमावली, 1960 के प्रावधानों के तहत खनन कार्य बन्द करने की अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया है।	पट्टाधारी से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
5.	भद्रा, मैंगनीज, मै० मैंगनीज और (इण्डिया) लि०, चिकला, 71.33	23-6-72 से 22-6-92	—वही—	—वही—
6.	भंद्रा, मैंगनीज, मै० मैंगनीज और (इण्डिया) लि०, चिकला, 115.00	8-11-74 से 7-11-94	—वही—	—वही—
7.	भंद्रा, मैंगनीज, मै० मैंगनीज और (इण्डिया) लि०, चिकला, 5.27	3-5-79 से 2-5-99	—वही—	—वही—
8.	भंद्रा, मैंगनीज, मै० मैंगनीज और (इण्डिया) लि०, चिकला, 70.71	18-2-81 से 17-2-2001	—वही—	—वही—
9.	भंद्रा, मैंगनीज, मै० सी० पी सिंडीकेट, कर्नी, 4.48	8-4-71 से 7-4-91	पट्टाधारी ने पट्टा क्षेत्र वापस करने के लिए आवेदन किया है।	इस क्षेत्र में अत्यधिक फास्फोरस अयस्क हैं और इसकी मांग न होने तथा अधिक उत्पादन लागत के कारण खनन लाभदायक नहीं है।

1	2	3	4	5
10.	चन्द्रपुर, क्रोमाइट, मै० महाराष्ट्र राज्य खनन निगम लि०, पिटिजोकुवा, मारेगांव और भीसी, 37-97	20-3-84 से 19-3-2004	खनिज रियायत नियमावली, 1960 के प्रावधानों के तहत पट्टाधारी को 31-12-90 तक खनन कार्य बन्द करने की अनुमति दी गई है।	घटते भंडारों के कारण इस क्षेत्र में खनन कार्य असाध्यप्रद होने से 1-5-88 से काम बन्द है।
11.	भंडारा, क्रोमाइट, श्री एस० सी० शुक्ल, पावनी, 57.29	22-11-77 से 21-11-97	राज्य सरकार ने 16-8-88 के आदेश द्वारा पट्टा परिसमाप्त कर दिया है। पट्टाधारी ने इस आदेश के विरुद्ध भारत सरकार को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है, जिस पर अभी निर्णय होना है।	पुनरीक्षण याचिका पर भारत सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है।
12.	चन्द्रपुर, डोलोमाइट तथा चूना-पत्था, श्री आर० के० मिश्र, कोनाहाल, 30.60	12-1-87 से 11-11-2007	चूंकि खान में जुलाई, 1989 से कार्य नहीं हो रहा है अतः पट्टाधारी को खान बन्द करने की अनुमति लेने के लिए कहा गया है।	अत्यधिक सिलिका वाले खनिज के उत्पादन (जिसकी बिक्री नहीं है) के कारण खान बन्द की गई है।

भारतीय स्टेट बैंक के तकनीकी अधिकारियों को पेंशन

[अनुवाद]

4938. **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जुलाई, 1990 में पश्चिम बंगाल से भारतीय स्टेट बैंक में खपाए गए तकनीकी अधिकारियों को पेंशन देने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सरकार को इस संबंध में माननीय सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सूचित किया है कि उनके पेंशन निधि में न तो बाहरी एजेंसी से अंशदान स्वीकार करने की व्यवस्था की गई है और न ही उनमें कर्मचारियों द्वारा सरकारी विभागों में की गई सेवा को, बैंक में पेंशन योग्य सेवा के रूप में गणना करने का प्रावधान ही किया गया है।

राज्यों में वकीलों के लिए कल्याण निधि योजना

4939. **श्री पी० सी० थामस** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में वकीलों के लिए कल्याण निधि योजना लागू है;

(ख) क्या कनिष्ठ वकीलों को सहायता देने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वकीलों (विशेषकर कनिष्ठ वकीलों) को पुस्तकें खरीदने और उन्हें स्वयं को स्थापित करने के लिए कोई धनराशि अथवा सहायता उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रतिवर्ष औसतन कितने वकील इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि, न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) अधिवक्ता कल्याण निधि स्कीमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, और हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल राज्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में चल रही हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

रूटिल, इलमेनाइट, सिलिमेनाइट और जिरकॉन का उपयोग

4940. **श्री शांताराम पोटदुखे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में रूटिल, इलमेनाइट, सिलिमेनाइट और जिरकॉन खनिज पाए जाते हैं;

(ख) क्या इन खनिजों का निर्यात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनके वाणिज्यिक उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) भारी खनिजों यथा-इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकान, सिलिमेनाइट एवं मोनाजाइट जैसे खनिजों से सम्पन्न तटीय बालू देश के पूर्वी और पश्चिमी घाटों पर हैं, जो केरल, तमिलनाडु तथा उड़ीसा राज्यों में स्थित हैं। सिलिमेनाइट के भंडार असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान राज्यों में भी मिले हैं।

(ख) और (ग) उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1987-88 में 42,532 टन इल्मेनाइट, 18 टन रूटाइल तथा 9,054 टन सिलिमेनाइट का निर्यात किया गया। जिरकोनियन अयस्क व सांद्रों का निर्यात वर्ष 1987-88 में नहीं किया गया, परन्तु वर्ष 1986-87 में यह 100 टन मात्रा में निर्यात किया गया था।

(घ) मैसर्स इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड (एक केन्द्र सरकारी उपक्रम) ने इन खनिजों के विदोहन हेतु दो प्रशोधन संयंत्र लगाए हैं—एक तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के मानवलाकुरुची में में 65,000 टन इल्मेनाइट तथा 1500 टन रूटाइल वार्षिक क्षमता का संयंत्र तथा दूसरा केरल के क्विलोन जिले के चावारा में 2,00,000 टन इल्मेनाइट और 9,000 टन रूटाइल की वार्षिक क्षमता का संयंत्र। मै० केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लि० (एक राज्य सरकारी उपक्रम) ने भी चावारा में 27,000 टन इल्मेनाइट तथा 2400 टन रूटाइल वार्षिक क्षमता का एक संयंत्र लगाया है। इसके अतिरिक्त मैसर्स इंडियन रेयर अर्थस लि० ने उड़ीसा के गंजम जिले से छत्रपुर में 2,20,000 टन इल्मेनाइट तथा 10,000 टन प्राकृतिक रूटाइल की वार्षिक क्षमता का अत्याधुनिक शोधन संयंत्र लगाया।

कलकत्ता में बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्शियल रिकन्सट्रक्शन खण्डपीठ की स्थापना

4941. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने कलकत्ता में बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाईनेन्शिल रिकन्सट्रक्शन की एक स्थायी खंडपीठ स्थापित करने की मांग को दोहराया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस मांग को स्वीकार करने में केन्द्रीय सरकार को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना करना पड़ रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय दिल्ली से बाहर कलकत्ता या किसी अन्य स्थान पर औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की अलग से पीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय स्थान पर बोर्ड के कार्यकरण से, जब कभी आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदस्य एक-दूसरे से मशविरा कर सकते हैं और कुछ सीमा तक पहुंच और निर्णयों में एकरूपता सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा, विभिन्न प्रशासनिक कारणों से दिल्ली से बाहर किसी पीठ को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड बोर्ड व्यवहार्य नहीं समझता है। अलबत्ता, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अलग-अलग राज्यों की राजधानियों में नियमित आधार पर सुनवाई के लिए पीठों (बेंचों) की प्रथा तैयार की गई है।

बिहार में संथाल परगना के विकास हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक से धनराशि

4942. **श्री साइमन मरांडी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक का बिहार के संथाल परगना में साहेबगंज और अन्य जिलों के कस्बों के विकास हेतु धनराशि आवंटित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि आवास के लिए निधियों का जिला अथवा नगर-वार आवंटन नहीं किया जाता। अलबत्ता, वह पात्र ऋणदाता एजेंसियों द्वारा अपने उधारकर्ताओं को मंजूर की गई निर्दिष्ट रकमों तक के ऋणों के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कर्नाटक में किसानों को ऋण

4943. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में किसानों को किन-किन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण दिया जा रहा है;

(ख) क्या इस संबंध में प्रक्रियाओं तथा किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को ऋण मंजूर करने संबंधी सरकार की नीति को उदार तथा सरल बनाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं लागू की गई?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्विलोन जिला (केरल) में पलाक्कवी पर्यटन केन्द्र का विकास

4944. **श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील** : क्या **पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल के क्विलोन जिले में पलारूवी पर्यटन विकास हेतु सहायता मंजूर करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे कब तक स्वीकृति दी जाएगी ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पलारूवी में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं प्रदान करने की एक परियोजना के लिए 11.50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से केरल सरकार को 7.00 लाख रुपए की पहली किस्त रिलीज कर दी गई है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता और प्रतिपूर्ति भत्ता

4945. प्रो० प्रेम कुमार धूमाल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता, प्रतिपूर्ति भत्ता जैसे कुछ भत्ते प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) (और ख) केन्द्रीय सरकार के पास अपने कर्मचारियों को सीमा क्षेत्र भत्ते के साथ-साथ अन्य प्रतिपूर्ति भत्ते दिए जाने के लिए अपनी स्कीमें हैं। ऐसे भत्तों की दरें और उनकी शर्तें एवं निबंधन केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि वे राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अनुसरण की जा रही पद्धति पर ही हों।

जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में पर्यटकों की संख्या

4946. श्री कमल चौधरी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में, राज्यवार पिछले एक वर्ष के दौरान कितने देशी और विदेशी पर्यटक आए;

(ख) पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर द्वारा इन पर्यटकों की यात्रा को सुविधाजनक, आरामदेह और आकर्षक बनाने के लिए दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और क्या किए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1989 के दौरान पंजाब और कश्मीर की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या इस प्रकार थी :—

	पर्यटकों की संख्या		
	विदेशी	स्वदेशी	जोड़
पंजाब	784	1,11,246	1,12,030
जम्मू और कश्मीर			
कश्मीर घाटी	67,762	4,90,215	5,57,977
वैष्णों देवी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	23,12,001

(ख) पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर सरकार अपने-अपने राज्य की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए आवास, परिवहन और मार्गस्थ सुविधाओं की व्यवस्था करती है।

(ग) केन्द्र सरकार पर्यटन का विकास करने के लिए राज्य सरकारों को उनसे मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता देती है। पंजाब में नवां शहर, बरनाला, फरीदकोट, कपूरथला तथा भटिंडा में और जम्मू एवं कश्मीर में लेह, कार्गिल, चिगास, रामसे, परिहार, रांगोन व तप्तपानी में मार्गस्थ सुविधाओं/पर्यटक परिसरों/आवास मुहैया कराने के लिए स्कीमों की वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु प्राथमिकता निर्धारित की गई है।

राजस्थान में खनन किए गए खनिज

[हिन्दी]

4947. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार राजस्थान में कौन-कौन से तथा कितने मूल्य के खनिजों का खनन किया गया;

(ख) इसमें से किस-किस खनिज का किन-किन देशों को निर्यात किया जाता है; और

(ग) इस निर्यात से प्राप्त आय में से राज्य सरकार को कितना हिस्सा मिला ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान ने 6 धात्विक तथा 29 अधात्विक खनिजों का उत्पादन किया, जो वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान क्रमश: 195.32 करोड़ रुपये, 205.95 करोड़ रुपये तथा 217.95 करोड़ रुपये बैठता है। इनमें परमाणु खनिज तथा गौण खनिज शामिल नहीं है। उपर्युक्त वर्षों के दौरान विभिन्न खनिजों के उत्पादन तथा मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ख) उपर्युक्त में से विभिन्न देशों को निर्यात किए जाने वाले खनिजों की सूची विवरण-2 में है।

(ग) खनिज निर्यात से प्राप्त आय आम-तौर पर निर्यातक एजेंसी की होती है। किन्तु राज्य सरकारों (राजस्थान सरकार सहित) को खनिज खनिजों पर खनिज-रायल्टी एवं अन्य खनन राशियों के रूप में राजस्व प्राप्त होता है।

विवरण-1

वर्ष 1987, 88 और 89 के दौरान राजस्थान में विभिन्न खनिजों का उत्पादन और उनका मूल्य।
(ईंधन, परमाणु खनिजों और गौण खनिजों को छोड़कर)

(मूल्य हजार रु०)

खनिज	मात्रा की इकाई	1987		1988		1989	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
धात्विक खनिज							
तांबा अयस्क	टन	1,724,386	43,09,47	1790,349	45,50,33	1696424	42,91,03
लौह अयस्क	हजार टन	56	25,12	36	1936	37	1500
सीसा सान्द्र	टन	37,359	221509	30353	178310	33913	207518
टंगस्टन सान्द्र	टन	31416	5027	25267	4674	24215	4480
चांदी	कि०ग्रा०	9,497	473,73	9949	570,87	9500	564,30
जस्ता अयस्क	टन	104,638	53,82,60	119,20	69,95,34	126,607	73,6585
गैर-धात्विक खनिज							
फास्फोराइट	टन	4,34,983	21,69,36	461,232	44,3142	410,924	37,74,19

1	2	3	4	5	6	7	8
एस्बेस्टस	टन	27,221	2309	29,532	26,86	35,960	3136
बाल क्ले	टन	180,877	142,19	175,857	14,60,8	167,433	115,00
बेराइट	टन	6251	1914	8373	2490	15095	3073
कैलसाइट	टन	25,408	59,59	26,482	61,85	33,487	79,92
क्रोमाइट	टन	—	—	—	—	15	2
कोरंडम	टन	1	+ +	3	9	4	19
डोलोमाइट	टन	6481	232	4190	165	5265	170
फेल्डस्पार	टन	40,522	2064	34992	23,05	42,472	22,90
फायरक्ले	टन	60,209	45,39	62,919	48,33	83,910	60,82
फ्लोराइट (वर्मीकृत)	टन	3465	9290	4499	11573	50,74	136,79
गार्नेट (अपघर्षक)	टन	336	40	368	47	417	59
गार्नेट (रत्न)	कि०ग्रा०	1974	43	1390	47	2483	109
जिप्सम	टन	15,77,581	99673	1333,516	83511	1483054	104136
जेस्पार	टन	4407	716	4011	704	5652	718
कैओलिन	टन	254990	7441	176,167	5383	182,457	4956
कायनाइट	टन	139	24	184	37	189	31
सिलिमेनाइट	टन	20	5	137	34	29	7
चूना पत्थर	हजार टन	6287	249502	6875	29,33,74	7345	308075

1	1	3	4	5	6	7	8
मैगनेसाइट	टन	787	188	772	188	454	204
माइका (कच्चा)	टन	787	4753	463	3674	470	3048
माइका (छीजन और कतरन)	टन	2030	उ० न०	1303	उ० न०	1062	उ० न०
बोकार	टन	95269	2751	93276	2023	119,362	2495
पाइरोफिलाइट	टन	8261	610	9712	889	11995	1131
क्वार्टज	टन	49250	1443	40768	1583	61698	2114
क्वार्टज़ाइट	टन	1231	135	1591	175	1989	160
सिलिका रेत	टन	185360	10535	202289	13155	208746	13557
स्लेट	टन	18	10	2	1	—	—
स्टेटाइट	टन	313567	63193	351236	62715	377951	68403
वर्मीकुलाइट	टन	148	26	419	60	368	39
वैलस्टोनाइट	टन	31021	9182	35421	12894	44042	14510

(II) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की राजपुरा-दरीबा खान द्वारा सूचित तांबा-सान्द्रों का उत्पादन भी शामिल है अर्थात 1987 में 3129 टन, 1988 में 3120 टन और 1989 में 2488 टन।

विवरण-2

राजस्थान में उत्पादित खनिजों में से अन्य देशों को निर्यात किए जाने वाले खनिज इस प्रकार हैं :

खनिज का नाम		निर्यात किए गए देश का नाम
1. धात्विक खनिज		
1. ताम्र अयस्क एवं सांद्र	:	कोरिया गणराज्य, कनाडा, चीन गणराज्य, संघीय जर्मन गणराज्य
2. लौह अयस्क	:	जापान, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य, इटली, बाहरीन
3. टंगस्टन एलाय और स्क्रैप	:	ब्रिटेन, सिंगापुर, बंगलादेश, जाम्बिया
2. अधात्विक खनिज		
1. एस्बेस्टस	:	जापान, संघीय जर्मन गणराज्य, युगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, बंगलादेश
2. बेराइट	:	संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, संयुक्त अरब अमीरात, अरब मिश्र गणराज्य, ओमान
3. खड़िया	:	बंगलादेश, नेपाल
4. कोरन्डम	:	बंगलादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, संघीय जर्मन गणराज्य, फ्रांस
5. डोलोमाइट		बंगलादेश, यमन लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य, मारीशस
6. फेलस्पार		मलेशिया, बंगलादेश, जापान, सिंगापुर, चीन गणराज्य, फिलीपीन
7. फायर क्ले		बंगलादेश, केनिया
8. गार्नेट (प्राकृतिक)		जापान, नीदरलैंड, कोरिया गणराज्य तथा बेल्जियम
9. जिप्सम	:	श्रीलंका, ओमान, बंगलादेश
10. काउलिन	:	बंगलादेश, जापान, सीरिया, अरब गणराज्य
11. चूना पत्थर	:	बंगलादेश, सिंगापुर, नेपाल
12. मैग्नेसाइट	:	ब्रिटेन, जापान, आस्ट्रेलिया, बंगलादेश

अधात्विक खनिज

13. अभ्रक	:	सोवियत रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, संघीय जर्मन गणराज्य, फ्रांस, बेल्जियम, चेकोस्लाविया, पोलैंड, रोमानिया, ब्रिटेन, बुल्गारिया, लोकतांत्रिक जर्मन गणराज्य
14. ओकर (रेड़ आक्साइड)	:	फिलीपीन, चीन गणराज्य, कोरिया, ब्रिटेन, बंगलादेश, थाइलैंड, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अरब गणराज्य, कुवैत, आस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, इटली, ओमान, सिंगापुर, कोरिया गणराज्य
15. क्वार्ट्ज		जापान, बंगलादेश
16. सिलिका रेत		संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान
17. स्लेट		आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, संघीय जर्मन गणराज्य, ब्रिटेन
18. स्टेटाइट	:	नीदरलैंड, केनिया, आस्ट्रिया, बंगलादेश, आस्ट्रेलिया, सोवियत रूस, श्रीलंका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संघीय जर्मन गणराज्य, नाइजीरिया, थाइलैंड, मलेशिया, फ्रांस, नार्वे
19. वर्मीकयूलाइट (कच्चा)		कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, चीन गणराज्य, मलेशिया, जापान, बंगलादेश
20. वोलास्टोनाइट	:	नादरलैंड, जापान, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, संघीय जर्मन गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन।

उड़ीसा में नन्दन कानन का पर्यटन स्थल के रूप में विकास करना

[अनुवाद]

4948. श्री डी० अमात : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा स्थित नन्दन कानन को आठवीं योजना के दौरान एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के बारे में एक प्रस्ताव भेजा है, ताकि वहां अधिक देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को कब मंजूरी दी जाएगी और इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

दूरदर्शन द्वारा क्षेत्रीय फिल्मों के प्रसारण के लिए मापदंड

4949. **श्रीमती जे० जयुना :**
श्री एम० वागा रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन द्वारा क्षेत्रीय फिल्मों के प्रसारण के सम्बन्ध में सरकार ने क्या मार्ग-निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या दिल्ली दूरदर्शन ने गत छह महीनों के दौरान इन मार्गनिर्देशों का पालन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है, जिनमें उक्त मार्गनिर्देशों का पालन नहीं किया गया और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) राष्ट्रीय नेटवर्क पर रविवार को दोपहर बाद की प्रादेशिक फीचर फिल्मों को प्रसारित करने के मानदंडों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

विवरण

प्रादेशिक भाषाओं की फीचर फिल्मों, जिन्होंने निम्नलिखित राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हों और जो निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हैं । जैसा भी मामला हो, पर ही रविवार को राष्ट्रीय नेटवर्क में प्रसारण के लिए के विचार किया जाता है :

1. राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पुरस्कृत

(क) वर्ष का सर्वोत्तम या द्वितीय सर्वोत्तम कथाचित्र (सभी भाषाओं में संयुक्त रूप से) राष्ट्रीय पुरस्कार ।

(ख) किसी निर्देशक के सर्वोत्तम प्रथम कथाचित्र के लिए इन्दिरा गांधी पुरस्कार ।

(ग) लोकप्रिय एवं स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाले कथाचित्र के लिए पुरस्कार ।

(घ) राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम कथाचित्र के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार ।

(ङ) परिवार कल्याण पर सर्वोत्तम कथाचित्र पुरस्कार ।

(च) मद्यनिषेध महिला और बाल कल्याण, [दहेज-निषेध, नशीली दवाओं का प्रयोग आदि जैसे अन्य सामाजिक मामलों पर सर्वोत्तम कथाचित्र पुरस्कार ।

(छ) क्षेत्रीय भाषा में सर्वोत्तम कथाचित्र के लिए राष्ट्रपति का "रजत कमल" पुरस्कार।

अन्य मानदंड

(क) किसी भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/फिल्मोत्सव में भारतीय पैनोरमा/मुख्य-धारा खंड में प्रविष्टि।

(ख) वे फिल्में जिन्होंने रजत जयंती मनाई हो (लगातार 25 सप्ताह चली हो) और जिसे "यू" प्रमाण पत्र मिला हो।

उड़ीसा में दामनजोड़ी में एल्यूमिना संयंत्र का विस्तार

4950. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दामनजोड़ी में एल्यूमिना संयंत्र का विस्तार का प्रभाव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

आंध्र प्रदेश में अभ्रक की खानें

4951. श्री पी० नरसा रेड्डी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक के बाजार मूल्यों में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश में अभ्रक की कितनी खानें हैं; और उनमें कितने श्रमिकों को रोजगार प्राप्त है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) अभ्रक का विक्रय विभिन्न रूपों में होता है। अभ्रक के मूल्य में भी, उसके ग्रेड के अनुसार, काफी अन्तर होता है। वर्ष 1984 से 1989 तक कच्चे अभ्रक का प्रति इकाई औसत मूल्य इस प्रकार रहा :—

(मूल्य हजार रुपए प्रति टन)

1984	—	5390
1985	—	5783
1986	—	6043
1987	—	6208
1988	—	7218
1989	—	6296

चूंकि अभ्रक के औसत मूल्य की कई कारकों पर निर्भरता तथा अभ्रक मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव को देखते हुए, उपर्युक्त आंकड़ों से अभ्रक के मूल्यों में कोई खास गिरावटी रुख का पता नहीं चलता।

(ग) आंध्र प्रदेश में अभ्रक खानों की संख्या और पिछले दो वर्षों के दौरान उनमें नियोजित मजदूरों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	खानों की संख्या	नियोजित औसत दिहाड़ी मजदूर
1988	44	743
1989	50	1024

भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में अमरीका की व्यापार-सम्बन्धी कार्यवाही

4952. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका की व्यापार सम्बन्धी कार्यवाही का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान अमरीका की व्यापार सम्बन्धी कार्यवाही के संभावित प्रभावों का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अमरीका द्वारा भारत को सुपर-301 से मुक्त न किए जाने के क्या कारण हैं, जबकि जापान और ब्राजील को मुक्त कर दिया गया है; और

(ङ) क्या सुपर-301 के अन्तर्गत किन्हीं अन्य देशों को भी लाया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ङ) 25 मई, 1989 को संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधियों (यू० एस० टी० आर०) ने संयुक्त राज्य व्यापार अधिनियम के सुपर-301 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए तीन देशों अर्थात ब्राजील और जापान सहित भारत को चुना था।

14 जून, 1990 को संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यू० एस० टी० आर०) ने घोषणा की कि यद्यपि भारत सरकार द्वारा तथा कथित व्यापार प्रतिबंधक निवेश उपाय और विदेशी बीमा प्रबन्धकों पर लगाए गए प्रतिबन्ध उनके विचार से उचित नहीं हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार पर बोझ डालते हैं अथवा उसे प्रतिबन्धित करते हैं, किन्तु संयुक्त राज्य व्यापार अधिनियम के सुपर-301 के अन्तर्गत इस समय कोई भी प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करना उचित नहीं है क्योंकि व्यापार से सम्बन्धित निवेश उपायों और सेवाओं पर अरुग्वे दौर की वार्ताओं में भारत सरकार के शामिल होने से परिणामों की गुंजाइश है। हालांकि भारत के विरुद्ध शुरू की गई जांच समाप्त कर

दी गई है, फिर भी संयुक्त राज्य सरकार उरुग्वे दौर की वार्ताएं समाप्त होने के बाद भारत की कार्यपद्धति की समीक्षा करना चाहती है कि क्या सुपर-301 के तहत कोई कार्रवाई करना न्यायसंगत होगा। भारत के विरुद्ध कभी भी कोई व्यापार प्रतिबन्ध नहीं लगाए गए हैं। अतः संयुक्त राज्य व्यापार कार्रवाई से भारतीय अर्थव्यवस्था पर किसी प्रकार के प्रभाव का प्रश्न ही नहीं उठता।

रिपोर्टों के अनुसार, जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत की है और उन सभी क्षेत्रों में समझौता किया है जिनमें उनकी कार्य प्रणालियों के विरुद्ध सुपर-301 जांच प्रारम्भ की गई थी। ब्राजील ने आयात लाइसेंसिंग को उदार बनाने का निर्णय लिया था जिसके सम्बन्ध में सुपर-301 कार्रवाइयां शुरू की गई थीं। इन कार्रवाइयों के अनुसरण में यू० एस० टी० आर० ने घोषणा की थी कि इन देशों के विरुद्ध सुपर-301 कार्रवाई को समाप्त कर दिया जाएगा।

सुपर-301 के अन्तर्गत अभी अन्य किसी देश को नहीं रखा गया है।

बेलाडिला खान से विजाग इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की सप्लाई

4953. **श्री राजमोहन रेड्डी :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजाग इस्पात संयंत्र ने केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के माध्यम से बेलाडिला खान से लौह अयस्क की सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र ने लौह अयस्क की सप्लाई प्राप्त करने के लिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के साथ दिनांक 4-9-1989 को एक समझौता किया है और वास्तव में सप्लाई पहले से ही शुरू हो गई है।

बसई बाजार समिति, महाराष्ट्र की योजना

4954. **श्री राम नाईक :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसई बाजार समिति, (जिला ठाणे) महाराष्ट्र ने बाजार-स्थल का विकास करने के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गई है;

(ग) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने उक्त योजना के बारे में क्या निर्णय लिया है; और

(घ) यदि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) 52.14 लाख रुपए के वित्तीय परिव्यय की यह योजना पशु बाजार के विकास के लिए है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा इस योजना की जांच की गई है और प्रयोजक बैंक अर्थात महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को उनकी ओर से आगे का कार्रवाई करने के लिए तकनीकी टिप्पणियां और सुझाव भेज दिए गए हैं।

दूरदर्शन का प्रसारण देश के सभी लोगों तक पहुंचाना

4955. **श्री इरा अग्गारापु :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्षों में दूरदर्शन प्रसारण नेटवर्क से देश की समूची जनता लाभान्वित होने लगेगी और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम क्या हैं;

(ख) दूरदर्शन सुविधाओं का विस्तार करने और घर पर वीडियो देखने तथा सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में दूरदर्शन कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए किस-किस प्रकार के प्रमुख इलेक्ट्रोनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है; और

(ग) इन उपकरणो को खरीदने के लिए सरकार की योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) सरकार का यह प्रयास है कि संपूर्ण देश में दूरदर्शन सेवा का विस्तार, इस प्रयोजन के लिए धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए चरणबद्ध ढंग से किया जाए।

(ख) दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण के लिए जिन मुख्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणों की अपेक्षा होती है उनमें वीडियो केमरा, वीडियो टेप रिकार्डर, विजन माइक्रोफोन, आडियो मिक्सर तथा संपादन उपकरण शामिल हैं। उपग्रह से दूरदर्शन कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए सेटलाइट रिसेप्शन टर्मिनल (टी० वी० आर० ओ० एस०) की आवश्यकता होती है तथा कार्यक्रमों को रिले करने के लिए प्रसारण एन्टिना सहित ट्रांसमीटरों की अपेक्षा होती है। ट्रांसमीटरों द्वारा रिले कार्यक्रमों के संग्रहण के लिए टी० वी० रिसीवरों की आवश्यकता होती है। वीडियो कैसिटों पर रिकार्ड किए गए कार्यक्रमों को देखने के लिए टी० वी० रिसीवर युक्त कैसिट प्लेयरों की आवश्यकता होती है।

(ग) दूरदर्शन अपनी आवश्यकता के अधिकांश उपकरण स्वदेशी स्रोतों से, प्राप्त करता है। यदि कोई विशेष उपकरण देश में नहीं बनाया जाता है तो वह विदेश से मंगाया जाता है।

चुरहट बाल कल्याण समिति

[हिंदी]

4956. **श्री राघवजी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने चुरहट बाल कल्याण समिति, जिला सिधी (मध्य प्रदेश) को आयकर अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत पूर्णतः सार्वजनिक धर्मार्थ संस्था के रूप में अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संस्था के कार्यकलाप उक्त प्रयोजन के लिए निर्धारित सभी शर्तें पूरी करते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां। प्रथम बार दिनांक 31 अगस्त, 1984 को 1984-85 तथा 1985-86 के कर-निर्धारण वर्षों के लिए तथा दूसरी बार दिनांक 25 मार्च, 1986 को 1986-87 से 1988-89 के कर-निर्धारण वर्षों के लिए अधिसूचित किया गया था।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उक्त दो अधिसूचनाओं को जारी करते समय स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लिया था कि इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया गया है।

(ग) इनका प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंकों द्वारा कृषि ऋणों की मंजूरी

4957. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में दस हजार रुपए से अधिक के कृषि ऋण मंजूर करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में उक्त ऋण को प्राप्त करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों द्वारा मांगी गई प्रतिभूति के स्वरूप में कोई अन्तर है; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं शर्तों पर उक्त कृषि ऋण मंजूर करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) वाणिज्यिक/सहकारी बैंकों द्वारा 10,000 रुपए से अधिक के कृषि ऋणों को मंजूर करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुरूप है तथा सभी राज्यों एवं संघ राज्यों में इसमें एकरूपता है। हिताधिकारियों से वसूली जाने वाली तुरन्त भुगतान की राशि लघु कृषकों से 5 प्रतिशत, मझोले कृषकों से 10 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों से 15 प्रतिशत है। अलबत्ता सहकारी बैंकों के मामले में धारित अनिवार्य हिस्सा पूंजी को तुरन्त भुगतान में जोड़ा जा सकता है। सहकारी समितियों द्वारा दिए जाने वाले फसल ऋण नियम पुस्तिका में विहित प्रक्रिया के अनुसार मंजूर किए जाते हैं। ऋण राशि का निर्धारण जिला तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित की गई वित्त पोषण सीमा तथा प्रमुख फसलें उगाने के कार्य में प्रयुक्त की गई जोत भूमि की एकड़ों में संख्या के आधार पर किया जाता है। सहकारी समितियों द्वारा मौसमी कृषि कार्यों के लिए किए जाने वाले वित्त पोषण की उक्त प्रक्रिया सभी राज्यों और संघ राज्यों में अपनाई जाती है। मौसमी कृषि कार्यों के वित्त पोषण के लिए वाणिज्यिक बैंक भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं। कृषि के लिए मध्यम अवधि और लम्बी अवधि के ऋण, यूनिट लागत समिति द्वारा तय की गई समान लागत तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा तय किए गए तकनीकी मानकों के आधार पर दिए जाते हैं।

(ख) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ली जाने वाली प्रतिभूतियों का स्वरूप सभी राज्यों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने मार्जिन राशि और प्रतिभूति मानकों के सम्बन्ध में सभी सहकारी समितियों के पंजीयकों को मार्ग निर्देश जारी किए हैं, पंजीयक सहकारी समितियों तदनुसार राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों को परामर्श देती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देश सभी राज्यों के लिए एक समान हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

आन्ध्र प्रदेश में बैंक शाखाएं खोलना

[अनुवाद]

4958. **श्री के० एस० राव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में नलगोंडा के सभी मण्डलों में बैंक शाखाएं खोलने हेतु लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो ये लाइसेंस कब तक जारी किए जाएंगे;

(ग) क्या गांवों में नागार्जुन ग्रामीण बैंक योजना के अन्तर्गत चल रही वाणिज्यिक बैंक शाखाएं पर्याप्त राशि का आबंटन न होने के कारण ऋण नहीं दे पा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे सभी कार्यक्रमों को चलाने हेतु बैंकों को अधिक धनराशि देने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) पिछली शाखा लाइसेंसिंग नीति 1985—90 की अवधि 31 मार्च, 1990 को समाप्त हो चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगामी बैंक शाखा लाइसेंसिंग नीति से सम्बन्धित मार्गनिर्देशों को अभी तक अन्तिम रूप प्रदान नहीं किया है। नलगोंडा जिला सहित आंध्र प्रदेश में अतिरिक्त बैंक शाखाएं खोलने के सम्बन्ध में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई बैंक शाखा लाइसेंसिंग नीति को अन्तिम रूप प्रदान करने के बाद, विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) इस विषय के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि किसी मामले में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की समुचित रूप से पूर्ति करने की स्थिति नहीं है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इस शाखा के सबसे नजदीक की इस उद्देश्य के लिए नामित की गई वाणिज्यिक बैंक की दूसरी शाखा ऐसे हिताधिकारियों को ऋण सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध करा सकती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित विभिन्न बैंकों को आबंटित किए गए क्षेत्रों को उपलब्ध कराए गए ऋण के प्रवाह की जिला स्तरीय बैठकों में समीक्षा की जाती है। इस प्रकार, नामित की गई वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं द्वारा ग्रामीण बैंक के सेवा क्षेत्र की उपयुक्त ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

पंजाब में प्रति व्यक्ति बचत/ऋण

4959. **श्री कृपाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में ऋण बैंक ऋण स्वीकृत करने संबंधी नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पंजाब में 1985 से 1990 की अवधि के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सूचीबद्ध बैंकों में जमा राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसी अवधि के दौरान कृषि/लघु उद्योग/अन्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की गई ऋण राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रति व्यक्ति बचत/ऋण के संबंध में पंजाब की स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक उद्योग, कृषि, व्यापार, सेवायें आदि जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ऋण देने के सम्बन्ध में वाणिज्यिक बैंकों को समय-समय पर निर्देश जारी करता है। प्रतिभूति मापदण्डों और मार्जिन की अपेक्षाओं में ढील देकर तथा रियायती ब्याज दरों के माध्यम से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाता है। बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं।

(ख) गत पांच वर्षों के लिए पंजाब राज्य में भारतीय स्टेट बैंक समूह, राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियां नीचे दी गई हैं :—

(करोड़ रुपए)

बैंक समूह	मार्च 1986	मार्च 1987	मार्च 1988	मार्च 1989	मार्च 1990
1. भारतीय स्टेट बैंक समूह	1142.52	1362.24	1681.41	1904.99	2203.03
2. राष्ट्रीयकृत बैंक	3265.11	3958.24	4704.56	5652.03	6333-15
3. अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	64.84	57.09	64.09	59.92	73.02
4. सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	4478.96	5391.18	6473.80	7656.66	8667.90

(ग) दिसम्बर 1984-1988 को समाप्त वर्षों के लिए पंजाब में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि, लघु उद्योग और अन्य क्षेत्रों को मंजूर किए गए बकाया अग्रिम नीचे दिए गए हैं :—

	दिसम्बर 1984	दिसम्बर 1985	दिसम्बर 1986	दिसम्बर 1987	दिसम्बर 1988
कृषि	607.48	672.51	761.98	883.08	950.53
लघु उद्योग	409.37	495.15	613.59	713.53	838.32
अन्य सभी	168.44	184.93	228.34	256.45	312.39
कुल	1185.29	1352.59	1597.91	1852.06	2101.24

(घ) प्रति व्यक्ति बचत/ऋण और इस संबंध में पंजाब की स्थिति से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव सूचना सभापटल पर रख दी जाएगी।

सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान

4960. **श्री पी० एम० सईद :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान" धारावाहिक कार्यक्रम के प्रसारण से पूर्व प्रत्येक बार कल्पित कहानी का उल्लेख करने के संबंध में जनता से कोई प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अन्य धारावाहिकों के प्रसारण से पूर्व ऐसा कोई उल्लेख न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या किसी धारावाहिक कार्यक्रम के एक कल्पित कहानी होने के सम्बन्ध में मूल्यांकन करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह शीर्षक कि "यह धारावाहिक कल्पित कहानी पर आधारित है" दिखाने का निर्णय इस धारावाहिक से सम्बद्ध विवाद को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।

(घ) इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष मानदण्ड तय नहीं किए गए हैं और प्रत्येक मामले का निर्णय उनके गुणदोषों के आधार पर किया जाता है।

ऋण माफी योजना का कार्यान्वयन

4961. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1990 तक किन-किन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन ने ऋण माफी योजना के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ कर दी थी और उसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिए थे; और

(ख) क्या किसी राज्य सरकार, विशेषकर मध्य प्रदेश ने बहुत अधिक प्रचारित ऋण माफी योजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है, यदि हां, तो उसे स्थगित किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारत सरकार ने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किसानों, भूमिहीन कृषकों, कारीगरों तथा बुनकरों को 10,000 रुपए तक की ऋण राहत प्रदान करने के वास्ते कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 तैयार की है। जहां तक सहकारी क्षेत्र के बैंकों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों से इसी पैटर्न पर एक योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है। तेरह राज्य सरकारों अर्थात् पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा असम ने सहकारी बैंकों की देय रकमें माफ करने के लिए अपनी योजनाएं तैयार की हैं। मध्य प्रदेश सहित इन सभी राज्यों में, योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

सोने का व्यापार

4962. **श्री एम० कुप्पुस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को समाप्त करने के बाद देश में सोने के आभूषणों के निर्माण और आंतरिक व्यापार के बारे में कोई मार्ग निर्देश जारी किए हैं;

(ख) क्या सोने का व्यापार शुरू करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम 1968 की समाप्ति के साथ ही सोने के आंतरिक व्यापार पर से सभी पाबन्दियां हटा ली गई हैं, अतः और मार्ग सिद्धान्तों की आवश्यकता है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की भर्ती

[हिन्दी]

4963. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 से 1990 तक (अब तक) लिपिक और अधिकारी संवर्ग में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग हैं;

(ग) क्या आरक्षण कोटा नहीं भरा गया; और

(घ) यदि हां, तो इसे भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभिन्न संवर्गों में की गई भर्तियों के वर्षवार आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं । अलबत्ता, प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसम्बर, 1987 से दिसम्बर, 1989 तक 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के विभिन्न संवर्गों में वृद्धि के अनुमानित आंकड़े इस प्रकार हैं :—

अधिकारी	:	4834
लिपिक	:	6788
अधीनस्थ कर्मचारी	:	3715

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1 जनवरी, 1987 से 31 दिसम्बर, 1989 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भर्ती के आंकड़ों का विवरण इस प्रकार है :—

(आंकड़े अनंतिम)

संवर्ग अधिकारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
अधिकारी	670	390
लिपिक	4575	2692
अधीनस्थ कर्मचारी	5026	1785

(ग) बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कुछ बकाया शेष अभी रहता है।

(घ) आरक्षण की नीति के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा बैंकिंग उद्योग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सरकार ने, बैंकिंग प्रभाग में समय-समय पर निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए भारतीय बैंक संघ के माध्यम से एक अलग पुस्तिका जारी की गयी है।

(2) सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से कहा गया है कि वे प्रति वर्ष अपने निदेशक मण्डल के सामने बैंक में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के बारे में एक समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करें। इस प्रयोजन के लिए एक मानक प्रोफार्मा तैयार किया गया है और सभी बैंकों में परिचालित किया गया है।

(3) सरकार के बैंकिंग प्रभाग में, निदेशक मण्डलों के समक्ष प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्टों की प्रतियां प्राप्त होती हैं तथा उनकी बारीकी से जांच की जाती है और यदि कोई कमी हो, तो उसे सुधारने और उपचारी कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित बैंकों को सूचित किया जाता है।

(4) बैंकिंग प्रभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संपर्क अधिकारी प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैंक की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की गहराई से जांच करता है जब अन्य बातों के साथ-साथ रोस्टरों, मांग-पत्रों आदि की जांच की जाती है। अध्ययन के दौरान सामने आई कमियों पर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यपालकों से चर्चा की जाती है और उन पर उपचारी कार्रवाई की जाती है।

(5) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों/रोजगार कार्यालयों को बैंकों द्वारा मांग पत्र भेजने के लिए उचित प्रोफार्मा तैयार किया गया है जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितों की ठीक ढंग से रक्षा हो सके।

(6) बैंकों से कहा गया है कि वे भर्ती-पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।

(7) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए लिपिक संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताओं में ढील दी गई है।

(8) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के अभ्यार्थियों का चुनाव लिखित परीक्षाओं

और साक्षात्कार दोनों में ढील प्राप्त मानकों के आधार पर किया जाता है।

(9) बैंकों ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी अर्थात उप महाप्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक को सम्पर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है जो अपने-अपने बैंकों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

(10) बैंकों से कहा गया है कि वे अपनी, चयन समितियों/विभागीय जांच समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य शामिल करें।

(11) लगभग सभी बैंकों ने अपने केन्द्रीय, अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति कक्ष स्थापित किया है।

(12) बैंकों से कहा गया है कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कल्याण संघों को अनौपचारिक मान्यता प्रदान करें ताकि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के हितों की रक्षा कर उनकी शिकायतों, यदि कोई हो, का निवारण कर सकें।

(13) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों से कहा गया है कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति संघों के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक तिमाही में एक बार मिलें और आरक्षण नीति सम्बन्धी उनकी शिकायतों को सुनें।

(14) बैंकों से कहा गया है कि वे वर्ष 1989-90 के दौरान बकाया शेष को पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाएं जिसका परिणाम प्रोत्साहित करने वाला हो।

गुजरात में बैंक आफ बड़ौदा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के प्रबन्धक

4964. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में बैंक आफ बड़ौदा की कुल कितनी शाखाएं हैं;

(ख) इन शाखाओं के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के वेतनमानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कितने लोग प्रबन्धक के पद पर नियुक्त किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) गुजरात राज्य में इस समय बैंक आफ बड़ौदा की 609 शाखाएं काम कर रही हैं।

(ख) और (ग) गुजरात में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शाखा प्रबन्धकों की संख्या निम्नानुसार है :—

वेतनमान	संख्या
कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड/स्केल-I	55
मिडल प्रबन्धन ग्रेड/स्केल-II	17

बाल प्वाइंट टिप और अतिरिक्त पुर्जों का आयात

[अनुवाद]

4965. श्री उदयसिंह राव नानासाहिब गायकवाड़ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बाल प्वाइन्ट टिप के आयात पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या कुछ ब्रांडों के बाल प्वाइन्ट पैन के अतिरिक्त पुर्जों के आयात की भी अनुमति दे दी जाती है और यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं;

(ग) बाल प्वाइन्ट टिप को खुला सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं, जबकि बाल प्वाइन्ट टिप के निर्माण के लिए मशीनरी आयात करने की अनुमति खुला सामान्य लाइसेंस के अधीन पहले ही दे रखी है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान लेखन उपकरणों (बाल प्वाइन्ट पेन आदि) के निर्यात से कुल कितनी आय हुई और इन्हें किन-किन देशों को निर्यात किया गया ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) विवरण I संलग्न है।

(ख) किसी मद के लिए आयात नीति ब्रांड नाम से तैयार नहीं की जाती है। तथापि, बाल प्वाइन्ट पैनों के कुछ अतिरिक्त पुर्जों के आयात की काफी समय से अनुमति है।

(ग) केवल उन मदों के आयात की अनुमति दी जाती है जो स्वदेशी रूप से उपलब्ध नहीं है अथवा अगर उपलब्ध है तो उनकी मात्रा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। निर्यातों के लिए अन्तर्विष्टों की व्यवस्था करने के लिए भी कभी आयात करना जरूरी हो जाता है।

(घ) विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

II. वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान पैन की निबों तथा प्वाइन्टों का आयात दर्शाने वाला विवरण

(मूल्य लाख रु०)

क्रमांक	मदों के विवरण	1985-86	1986-87	1987-88
1.	पैन निब तथा निब प्वाइन्ट अ० उ० न०	5.01	21.84	1.93
2.	पैनों के लिए नायलान फाइबर टिप्स	10.73	1.00	5.41

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टोस्टिकस आफ फारेन ट्रेड इण्डिया खंड II (आयात)

टिप्पणी : आयात आंकड़े 1987-88 तक ही उपलब्ध हैं।

विवरण-2

II. वर्ष 1983-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान लिखाई उपकरणों (बाल प्वाइन्ट पैन आदि) का निर्यात दर्शाने वाला विवरण पत्र

वर्ष	मूल्य (लाख रु०)	उन देशों के नाम जिन्हें निर्यात किया गया
1985-86	134.21	अफगानिस्तान, बंगलादेश, जार्डन, नेपाल, कतार, मारिशस, साउदी अरब
1986-87	172.51	सिंगापुर, कुवैत, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यू० के०, यू० एस० ए०, यू० एस० एस० आर०
1987-88	314.61	जाम्बीया, बहरीन द्वीप, हंगरी, यूगोस्लावीया, फिनलैंड, इटली, चीन, गणराज्य, जर्मन संघीय गणराज्य, ओमान, बोवाना, क्यूबा, फ्रांस, जापान, जिम्बाब्वे

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड इण्डिया खंड II (आयात)

टिप्पणी : निर्यात आंकड़े केवल 1987-88 तक के उपलब्ध हैं।

पुणे में आयात और निर्यात नियंत्रक का कार्यालय

4966. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुणे में आयात और निर्यात नियंत्रक का कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्यालय कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) जी, हां। यह निश्चय किया गया है कि मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात का एक कार्यालय पुणे में खोला जाए। इसके शीघ्र ही कार्य शुरू कर देने की संभावना है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

4967. **श्री अमल दत्त** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के सलाहकारों (कंस्लटेंट्स) द्वारा बिड़ला टैक्नीकल सर्विस के सभी उप ठेकेदारों की जांच कर ली गई है और उनके लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है;

(ख) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए इन्जीनियरी और उपकरण डिजाइन तैयार करने के लिए बिड़ला टैक्नीकल सर्विस द्वारा रखे गए उप ठेकेदारों/अन्य बाहरी लोगों की सूची इस संयंत्र के अधिकारियों के पास है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री विधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां। बिड़ला टेक्निकल सर्विसेज (बी०टी०एस०) के उप ठेकेदारों/विक्रेताओं की जांच कर ली गई है और "मेकन", जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण परियोजना का परामर्शदाता है, द्वारा अनुमोदित कर दित गए।

(ख) दूर्गापुर इस्पात संयंत्र के पास बी० टी० एस० के उप विक्रेताओं जो इंजीनियर डिजाइन करते हैं और उपकरणों की सप्लाई करते हैं, की सूची है। बी० टी० एस० आधारभूत इन्जीनियरिंग, सिविल और संरचनात्मक आन्तरिक डिजाइन आदि जैसे अन्य कार्य करता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र/सेल को बी० टी० एस० द्वारा कार्य पर लाइ व्यक्ति को रखे जाने के बारे में कोई जानकारी है।

(ग) बिड़ला टेक्निकल सर्विसेज ने स्वदेशी उपकरणों की सप्लाई के लिए अनेक स्वदेशी विनिर्माताओं नामतः हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन सीमेन्स (आई) लि०, मेकनली भारत, एलीकोन, हिन्दुस्तान मोटर्स, ए० सी० सी० ओ० इत्यादि को आर्डर दिए हैं।

बैंकों द्वारा चार्टर्ड अकाउन्टेंटों को फीस का भुगतान

4968. **श्री जयन्ती लाल बीर चन्द भाई शाह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बैंक द्वारा आंतरिक जांच/लेखा परीक्षा हेतु चार्टर्ड अकाउन्टेंटों को कितने भत्ते/फीस की अदायगी की जाती;

(ख) क्या उनकी फीस/भत्ता विभिन्न बैंकों में भिन्न-भिन्न है;

(ग) इन भत्तों और फीस में अंतिम बार संशोधन कब किया गया था;

(घ) क्या सरकार का फीस/भत्तों में संशोधन करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अश्विन शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों के आन्तरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा प्रत्येक बैंक के अपने निरीक्षण विभागों/चार्टर्ड लेखाकारों की फर्मों द्वारा किए जाते हैं और इन चार्टर्ड लेखाकारों की फर्मों की नियुक्ति की शर्तें शाखा के आकार, कारबार की मात्रा, लेखा परीक्षा के कार्य भार आदि को देखते हुए बैंकों द्वारा निश्चित की जाती हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए, ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

जामनगर (गुजरात) में मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रण का शाखा कार्यालय

4969. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जामनगर (गुजरात) में मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक का एक शाखा कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस शाखा कार्यालय के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

जूनियर अकाउन्टेंटों और जूनियर अकाउन्ट्स आफिसरों के वेतनमान

4970. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक/महालेखा नियंत्रक की सिफारिशों के आधार पर जूनियर अकाउन्टेंटों/जूनियर अकाउन्ट्स आफिसरों का दिनांक 1 अप्रैल, 1987 से 80 और 20 के अनुपात में उच्च दर्जा बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक/महालेखा नियंत्रक ने सरकार को पे एण्ड अकाउन्ट्स आफिसरों/आडिट आफिसरों के लिए समानुपातिक उच्च वेतनमानों का प्रस्ताव भेजा था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, हां । भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने यह सिफारिश की है कि लेखा परीक्षक अधिकारियों/लेखा अधिकारियों के 80% पदों को 2200-4000 रुपए के उच्चतर वेतनमान में रखा जाए और यह विचाराधीन है ।

मुम्बई में तांबा तार निर्माताओं के भवनों पर आय कर अधिकारियों के छापे

4971. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1990 में तांबा तार निर्माताओं के विभिन्न भवनों पर आयकर अधिकारियों द्वारा छापे मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या जांच का सारा कार्य डी० डी० आई०, बम्बई, कार्यालय से सी० बी० डी० टी० कार्यालय, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) आयकर अधिनियम की धारा 132 के अधीन जनवरी, 1990 के महीने में तांबे की तार तथा सम्बद्ध उत्पादों का विनिर्माण करने वाले जिन-जिन कतिपय विनिर्माताओं के तथा उनसे घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित व्यक्तियों के परिसरों की तलाशियां ली गई थीं, उनकी सूची इस प्रकार है :—

(i) मैसर्स ज्योति वॉयर इन्डस्ट्रीज ।

(ii) मैसर्स भारत इन्सुलेशन कंपनी ।

(iii) मैसर्स एटलस वायर्स लिमिटेड ।

(iv) मैसर्स नेशनल वायर्स एण्ड मेटल इण्डस्ट्रीज ।

(v) मैसर्स शाश्वत ट्रेडिंग कंपनी लि० ।

इन तलाशियों के दौरान 73.05 लाख रुपये के मूल्य की लेखा बाह्य परिसम्पत्तियां अभिगृहीत की गई थीं । जिन व्यक्तियों की तलाशी ली गई थी, उन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 132(4) के अधीन दर्ज कराए गए अपने बयानों में 2.19 करोड़ रुपए की लेखा-बाह्य आय को घोषित किया है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । सम्मिलित रूप से जांच-पड़ताल करने के उद्देश्य से इन मामलों को बम्बई में केन्द्रीयकृत किया गया है ।

इस्पात संयंत्रों में खलासी के पद

[हिन्दी]

4972. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल** : इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात संयंत्रों में खलासी के पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निर्णय से कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं तथा इन व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मुक्त व्यापार क्षेत्रों से निर्यात

[अनुवाद]

4973. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, मुक्त व्यापार क्षेत्रों से किए गये निर्यात का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने इन क्षेत्रों पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष क्षेत्र-वार कितनी धन-राशि व्यय की है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क)

निर्यात (करोड़ रुपए में)

	1987-88	1988-89	1989- 90
कांडला एफ० टी० जेड०	185.05	271.59	338.23
शान्ताक्रुज इलेक्ट्रानिक ई० पी० जेड०	110.14	185.19	285.01
मद्रास ई० पी० जेड०	16.45	24.04	29.56
फाल्टा ई० पी० जेड०	1.86	8.11	16.38
कोचीन ई० पी० जेड०	3.94	6.25	11.00
नोएडा ई० पी० जेड०	16.05	21.34	51.90
विशाखापत्तनम ई० पी० जेड०	—	—	—

(ख) सरकारी क्षेत्र (करोड़ रुपए में)

	1987-88			1988-89			1989-90		
	पूंजी	राजस्व	योग	पूंजी	राजस्व	योग	पूंजी	राजस्व	योग
कांडला एफ० टी० जेड०	1.08	0.53	1.61	0.40	0.64	1.04	0.66	0.82	1.48
सांताक्रुज इलेक्ट्रानिक ई० पी० जेड०	—	1.19	1.19	1.50	1.45	2.95	3.71	1.77	5.48
मद्रास ई० पी० जेड०	1.02	0.31	1.33	3.00	0.42	3.42	0.01	0.46	0.47
फाल्टा ई० पी० जेड०	2.68	0.17	2.85	1.83	0.21	2.04	0.97	1.26	1.23
कोचीन ई० पी० जेड०	1.40	0.21	1.61	0.70	0.19	0.89	0.50	0.31	0.81
नोएडा ई० पी० जेड०	2.94	0.29	3.23	2.94	0.44	3.38	3.54	0.53	4.07
विशाखापत्तनम ई० पी० जेड०	—	—	—	0.52	—	0.52	0.50	0.03	0.53

विदेशी बैंक

4974. **श्री रामदास सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने विदेशी बैंक चल रहे हैं और प्रत्येक बैंक की कितनी-कितनी शाखाएं हैं; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार हमारे देश में प्रत्येक विदेशी बैंक ने कितना-कितना लाभ कमाया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं की संख्या तथा मार्च, 1989 और मार्च 1990 को समाप्त अवधि के दौरान उनके द्वारा अर्जित लाभों से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	विदेशी बैंक का नाम	भारत में शाखाओं की संख्या	निम्नलिखित को समाप्त लेखा वर्ष के दौरान अर्जित लाभ	
			मार्च 89	मार्च 90
1	2	3	4	5
1.	ए० एन० जेड० ग्रिंडलेज बैंक	56	24.76	35.34
2.	द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड (हांगकांग बैंक)	20	17.82	15.75
3.	सिटी बैंक एन० ए०	6	24.21	32.53
4.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	24	6.91	28.85
5.	बैंक आफ अमेरिका एन० टी० एंड एस० ए०	4	12.15	28.42
6.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	3	11.30	18.08
7.	बैंक नेशनेल डी० पेरिस	5	1.22	5.40
8.	ब्रिटिश बैंक आफ द मिडल ईस्ट	1	2.75	4.43
9.	बैंक आफ तोक्यो लिमिटेड	3	0.35	(—) 5.98 हानि
10.	एम्स्ट्रीमेन बैंक नीदरलैंड एन० वी०	3	2.58	2.61
11.	द मित्सुई ताइयो कोबे बैंक लि०	1	0.88	1.26

1	2	3	4	5
12.	सोनाली बैंक	1	0.43	उ० न०
13.	बैंक इन्डो सुएज	1	2.40	2.86
14.	ड्यूश बैंक (ए० जी०)	2	1.08	3.35
15.	बैंक आफ ओमान लिमिटेड	1	0.71	1.49
16.	आबूधाबी कमर्शियल बैंक लिमिटेड	1	0.32	0.31
17.	बी० सी० सी० आई० (बैंक आफ क्रेडिट एंड कामसे इन्टरनेशनल (ओवरसीज) लिमिटेड	1	3.27	3.05
18.	बैंक आफ नोवा स्काटिया	1	0.50	1.34
19.	सोशिएट जनरेल	1	0.82	1.10
20.	ओमान इन्टरनेशनल बैंक एस० ए० ओ० जी०	1	2.07	3.33
21.	बैंक आफ बहरीन एंड कुवैत बी० एस० सी०	1	0.10	0.34
22.	क्रेडिट लियोनेइस	1	—	(—) 0.39 हानि
	कुल :	138	116.73	189.84 (6.37 हानि)

आर० एन० आई० द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान नई सावधिक पत्रिकाएं

4975. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर० एन० आई० में वर्ष 1989-90 के दौरान नई सावधिक पत्रिकाओं के नाम की स्वीकृति हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए और राज्य-वार और भाषा-वार इनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान राज्य-वार और भाषा-वार कितने "टाइटलों" को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) 31 मार्च, 1990 को कितने आवेदन लम्बित थे उनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य-वार और भाषा-वार कितने "टाइटलों" का पंजीकरण उनका प्रकाशन न होने के कारण रद्द कर दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है ।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है ।

(ग) वर्ष 1989-90 में 335 आवेदन लम्बित थे ।

(घ) वर्ष 1989-90 में, प्रकाशन न होने के कारण, किसी पुस्तक का पंजीकरण रद्द नहीं किया गया है ।

विवरण-1

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा 1989-90 के दौरान पत्रिकाओं की निकासी के लिए प्राप्त नए आवेदनों की संख्या

(क) राज्यवार

राज्य	आवेदनों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	708
बिहार	700
गुजरात	502
हरियाणा	231
हिमाचल प्रदेश	27
जम्मू एवं कश्मीर	201
कर्नाटक	172
केरल	1107
मध्य प्रदेश	1790
महाराष्ट्र	2936
उड़ीसा	517
पंजाब	503
राजस्थान	1047
तमिलनाडु	1067
उत्तर प्रदेश	2196

1		2
पश्चिम बंगाल		792
दिल्ली		1678
पूर्वोत्तर		126
	योग :	16,600
(ख) भाषावार		
असमी		31
बंगला		725
अंग्रेजी		3666
गुजराती		362
हिन्दी		5293
कन्नड़		853
कौंकणी		360
मलयालम		850
मराठी		1250
उड़िया		113
पंजाबी		186
सिन्धी		12
तमिल		950
तेलुगु		424
उर्दू		1162
अन्य भाषाएं		63
	योग :	16,600

विवरण-2

वर्ष के दौरान भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा स्वीकृत शीर्षकों की संख्या

(क) राज्यवार

राज्य	आवेदकों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	207
बिहार	208
गुजरात	273
हरियाणा	131
हिमाचल प्रदेश	15
जम्मू एवं कश्मीर	79
कर्नाटक	695
केरल	228
मध्य प्रदेश	441
महाराष्ट्र	1017
उड़ीसा	181
पंजाब	223
राजस्थान	300
तमिलनाडु	350
उत्तर प्रदेश	703
पश्चिम बंगाल	198
दिल्ली	1058
पूर्वोत्तर क्षेत्र	59
योग :	6366

1	2
(ङ) भाषावार	
असमी	15
बंगला	258
अंग्रेजी	1215
गुजराती	248
हिन्दी	2164
कन्नड़	679
कौंकणी	40
मलयालम	150
मराठी	502
उड़िया	120
पंजाबी	111
सिन्धी	4
तमिल	285
तेलुगु	133
उर्दू	417
अन्य भाषाएं	25
योग :	6,366

मध्य प्रदेश के रायपुर और बिलासपुर जिलों में बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

[हिन्दी]

4976. श्री रेशम लाल जांगड़े : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 से 1989 तक तथा जनवरी 1990 से जुलाई, 1990 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में कुण्डा, पत्रियाना, लौरामी, पंडारिपाना, बिल्हा, तखतपुर तथा रायपुर जिले में बिलाईगढ़, सरसिवा, पंडरावन, भटगांव, कसदोल, कटगी भावरपुर, जगदीशपुर और बांसना स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा गरीबी रेखा से नीचे तथा इससे ऊपर रहने वाले कितने-कितने व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जीप, ट्रक, आटो-रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने के लिए तथा लघु उद्योग लगाने के लिए कितने किसानों और अन्य व्यक्तियों को ऋण मंजूर किए गए;

(ग) इस समय उक्त बैंकों में कितने आवेदन-पत्र एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े हुए हैं;

(घ) इनमें से कितने आवेदन पत्रों पर जिला उद्योग केन्द्र, रायपुर ने अपनी सिफारिश की है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों ने अनुसूचित जातियों के कितने आवेदकों को ऋण मंजूर किए और कितने आवेदकों के आवेदन पत्र लम्बित पड़े हुए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ङ) आंकड़ा सूचना प्रणाली से क्षेत्र-वार/पेशेवार आधार पर पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, यथा संभव सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी मुद्रा अर्जन

[अनुवाद]

4977. **श्री माणिक साम्बाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों को उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा और आयात और विदेशी मुद्रा में किए गए अन्य व्ययों के सम्बन्ध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सूचना देने की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या नेपाल और भूटान को की गई बिक्री को विदेशी मुद्रा अर्जन के रूप में माना जाता है; और

(ग) क्या इन देशों से किए जाने वाले आयातों को विदेशी मुद्रा बहिर्गमन माना जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत और नेपाल तथा भारत और भूटान के बीच सभी व्यापारिक लेन-देन भारत और इन देशों के बीच विद्यमान व्यापार और पारगमन करारों द्वारा अधि-प्रशासित होते हैं। इन देशों से आयातों और निर्यातों के लिए की गई सभी अदायगियां और प्राप्तियां, ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें ऐसे आयातों/निर्यातों की लागत का वित्त पोषण विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आदि द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों/ऋणों के माध्यम से किया जाता है, जिनकी अदायगी और प्राप्ति विदेशी मुद्रा में होती है, केवल भारतीय रुपयों में की जाती है।

समाचारों/कार्यक्रमों का संस्कृत में प्रसारण

[हिन्दी]

4978. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सरल संस्कृत में समाचार प्रसारित करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है; और

(ख) क्या संस्कृत का सम्पर्क भाषा के रूप में विकास करने के लिए संस्कृत में और अधिक कार्यक्रम प्रसारित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) इस समय राष्ट्रीय कार्यक्रम में सस्कृत में समाचार बुलेटिन शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) संस्कृत या किसी अन्य भाषा में कार्यक्रमों का प्रसारण इस बात पर निर्भर करता है कि क्या ये कार्यक्रम दूरदर्शन की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं या नहीं।

देश में साप्ताहिक और सावधिक पत्रिकाओं की संख्या

[अनुवाद]

4979. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में भाषा-वार और राज्य-वार कुल कितने साप्ताहिक और सावधिक पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारत के समाचार पत्र के पंजीयक के कार्यालय में तैयार रजिस्टर में
दिनांक 31-12-1988 की स्थिति के अनुसार साप्ताहिकों
तथा अन्य पाक्षिकों की संख्या

(क) भाषावार

भाषा	साप्ताहिक	आवधिक
1	2	3
हिन्दी	3756	3539
अंग्रेजी	509	3742
असमी	34	68
बंगला	473	1284
गुजराती	225	552
कन्नड़	218	474
कशमीरी	1	—
मलयालम	137	704
मराठी	438	663

1	2	3
उड़िया	56	291
पंजाबी	222	274
संस्कृत	5	28
सिन्धी	27	45
तमिल	171	694
तेलुगु	184	429
उर्दू	813	658
द्वि-भाषी	401	1364
बहु-भाषी	69	294
अन्य भाषाएं	74	205
	7813	15308
(ख) राज्य-वार		
आंध्र प्रदेश	483	742
अरुणाचल प्रदेश	—	—
असम	91	120
बिहार	453	335
गोवा	11	49
गुजरात	225	506
हरियाणा	175	304
हिमाचल प्रदेश	28	60
जम्मू और कश्मीर	143	46
कर्नाटक	300	763
केरल	157	931
मध्य प्रदेश	832	309
महाराष्ट्र	791	1958

1	2	3
मणिपुर	9	54
मेघालय	28	24
मिजोरम	24	17
नागालैंड	8	2
उड़ीसा	67	355
पंजाब	287	419
राजस्थान	606	805
सिक्किम	—	2
तमिलनाडु	195	1096
त्रिपुरा	45	15
उत्तर प्रदेश	1738	1484
पश्चिम बंगाल	567	1935
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	13	10
चंडीगढ़	44	151
दादरा और नगर हवेली	1	—
दमन और दीव	—	1
दिल्ली	484	2772
पांडिचेरी	8	43
कुल	7813	15,308

सरकारी वित्तीय संस्थाओं का पूंजीनिवेश

4980. श्री सुधाम देशमुख : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून, 1990 को (i) टाटा ग्रुप, (ii) बिरला ग्रुप, (iii) बजाज ग्रुप तथा (iv) मुफतराल ग्रुप के औद्योगिक उद्यमों में कितनी राशि की शेयर पूंजी थी और उसकी कुल शेयर पूंजी में सरकारी वित्तीय संस्थाओं की शेयर पूंजी की प्रतिशतता क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित

किया है कि टाटा, बिरला, बजाज एवं मफतलाल समूहों के औद्योगिक उद्यमों में सरकारी वित्तीय संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम एवं साधारण बीमा निगम द्वारा अधिकृत शेयर पूंजी की रकम तथा कुल शेयर पूंजी की तुलना में उसकी प्रतिशतता निम्नानुसार है :—

समूह का नाम	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम की शेयरधारिता	कुल चुकता पूंजी की तुलना में कालम (2) शेयरधारिता की प्रतिशतता
	(करोड़ रुपए)	
टाटा	140.90	18.37
बिरला	107.18	17.47
बजाज	6.99	17.47
मफतलाल	32.28	20.94

रिद्धपुर का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

[हिन्दी]

4981. **श्री सुधाम वसात्रेय देशमुख** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को अमरावती जिले में रिद्धपुर का पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने के लिए मंजूरी हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत प्रवासी श्रमिक

[अनुवाद]

4982. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के मातदाताओं के रूप में पंजीकृत स्थायी और अस्थायी प्रवासी श्रमिकों की विधान सभा चुनाव क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) राज्य में वास्तविक निवास स्थान का पता लगाने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है;

(ग) क्या सरकार को वास्तविक चुनाव के समय ऐसे मतदाताओं की पहचान करने में होने वाली परेशानियों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) निर्वाचक नामावलियों से यह दर्शित नहीं होता कि मतदाता कोई प्रवासी श्रमिक है। असम, पंजाब की निर्वाचक नामावलियों में रजिस्टर किए गए ऐसे मतदाताओं की संख्या बताना संभव नहीं है।

(ख) मतदाता के रूप में रजिस्टर किए जाने के लिए किसी व्यक्ति के निवास स्थान का निर्धारण, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंड के अनुसार किसी व्यक्ति का मामूली तौर पर वह निवास स्थान ही सामान्यतः उसके रहने का स्थान या घर है जहां से दूर होने पर वह वहां लौटने की इच्छा करता है। विनिर्दिष्टतः जब कोई व्यक्ति सोता एक स्थान पर है और नौकरी दूसरे स्थान पर करता है तो वह स्थान, जहां वह सोता है; उसका मामूली तौर पर निवास स्थान होगा।

(ग) और (घ) निर्वाचन आयोग को पंजाब की लोक सभा के लिए हुए पिछले निर्वाचनों के दौरान ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। फिर भी निर्वाचन के समय मतदाताओं से पहचान के बारे में आयोग द्वारा जारी किए गए विस्तृत अनुदेश प्रभावी हैं।

मर्सीडीज कारों का आयात

4983. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और आम जनता ने कितनी मर्सीडीज कारें आयात की हैं;

(ख) क्या आयातित कारों की बिक्री पर निश्चित समय के लिए कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को किन्हीं ऐसे मामलों का पता चला है जिनमें सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना ही कारें आयात की गयी थीं और प्रतिबन्धित अवधि के अन्दर ही इन्हें बेच दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सम्बन्धित व्यक्तियों को दंड देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) वर्ष 1984 और वर्ष 19 5 के दौरान मर्सीडीज कारों के आयात हेतु 42 सरकारी अधिकारियों और 471 आम लोगों को सी० सी० पी० दिए गए थे। किन्तु, वर्ष 1984-85 और वर्ष 1985-86 के दौरान वास्तव में 1047 कारों कारों का आयात हुआ था। मर्सीडीज कारों के वास्तविक आयात के निश्चित ब्यौरे रखे नहीं जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीयों और स्थायी तौर पर बसने के लिए भारत लौटने वाले भारतीय मूल के लोगों द्वारा आयातित कारों के सम्बन्ध में पांच वर्ष की "कोई बिक्री नहीं" की अवधि थी।

(घ) और (ङ) कारों का आयात सीमा शुल्क निकासी परमिटों पर होता है जिसके लिए सीमा शुल्क देना होता है। किन्तु, इस आयात में राजनयिकों से सम्बन्धित मामले शामिल नहीं हैं जिन्हें पुनर्निर्यात आधार पर सीमा शुल्क दिए बिना ही नयाचार के अन्तर्गत कार आयात करने की अनुमति है। उन्हें खुले बाजार में कारें बेचने की अनुमति नहीं है। किन्तु, वे विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों और एस०टी०सी० को अपनी ऐसी कारें बेच सकते हैं, ऐसे मामलों, यदि कोई हों, के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं जिनमें कारों का आयात सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना हुआ हो और उन्हें प्रतिबन्धित अवधि के भीतर बेच दिया गया हो।

मतदाताओं की सूची में नाम शामिल करना

[हिन्दी]

4984. **श्री बसई चौधरी** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित बहुत से व्यक्ति दिल्ली में रहते हैं, जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का दिल्ली राज्य की विधान सभा के चुनावों से पहले इन व्यक्तियों के नाम मतदान सूची में शामिल करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो ये नाम मतदाता सूची में कब शामिल किए जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) मुख्य निर्वाचन आफिसर, दिल्ली को न तो ऐसे नामों के लोप किए जाने के बारे में कोई जानकारी है और न उसे इस आशय की कोई विनिर्दिष्ट शिकायत की प्राप्ति हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरदर्शन धारावाहिक कार्यक्रम "कृष्ण"

[अनुवाद]

4985. **श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन धारावाहिक कार्यक्रम "रामायण" के निर्माता से "कृष्ण" दूरदर्शन धारावाहिक कार्यक्रम के प्रसारण हेतु कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस धारावाहिक कार्यक्रम का प्रसारण कब से होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फिलहाल टी० वी० धारावाहिक "कृष्ण" को प्रसारित करने का कोई विचार नहीं है।

मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को राहत

4986. श्री मदन लाल खुराना : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इस्पात और खान मन्त्रालय और इस्पात विकास आयुक्त के कार्यालय में तथा अन्य सम्बद्ध कार्यालयो में पृथक-पृथक रूप से सेवाकाल के दौरान कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई;

(ख) कितने मामलों में पारिवारिक पेन्शन, भविष्य निधि, बीमा राशि का भुगतान आदि को निपटा लिया गया है और करुणामूलक आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है;

(ग) करुणामूलक आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने तथा कर्मचारियों के मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को मिलने वाले लाभ/धनराशि के मामलों को निपटाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(घ) मृतक कर्मचारियों की विधवाओं को मिलने वाली धनराशि/लाभों के मामलों को शीघ्र निपटाने और जिन माललों में करुणामूलक आधार पर रोजगार देने का अनुरोध किया गया है, उनमें बिना विलम्ब किए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उनके मन्त्रालय का ध्यान दिनांक 6 अगस्त, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स के "शिकायत कालम" में "विडो बेट्स फार पेन्शन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(च) यदि हां, तो उक्त महिला के देय राशि के मामले को अन्तिम रूप से निपटाने और उसके परिवार को निरन्तर परेशानी से बचाने के लिए उसके पुत्र को करुणामूलक आधार पर रोजगार देने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क)

	1988	1989	1990
इस्पात विभाग	1	1	—
खान विभाग	—	2	1
लोहा और इस्पात (मुख्य कार्यालय)			विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात मुख्य कार्यालय में 5 मौतें हुईं और क्षेत्रीय विकास आयुक्त, कार्यालय में 3 मौतें हुईं
			2 नई दिल्ली में तथा 1 बम्बई में।

(ख) से (घ) 13 मामलों में से 9 मामलों के सम्बन्ध में देयताओं को निपटा लिया गया है और 4 मामलों पर कार्यवाही की जा रही है। 7 मामलों में अरुणामूलक आधार पर नियुक्तियां कर ली गई हैं। विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात के कार्यालय के 5 मामलों में करुणामूलक आधार पर नहीं की जा सकी क्योंकि इस कार्यालय में कार्य-शक्ति उनकी स्वीकृति कार्य-शक्ति से अधिक है। अभी हाल में मृत कर्मचारी के आश्रितों में से एक को नौकरी देने के सम्बन्ध में पहले ही कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है।

विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात के मृत कर्मचारी की मृतक देयताओं को निपटाने के लिए और मृतक के आश्रितों को नौकरी देने के सम्बन्ध में भी सभी संभव उपाए किए गए हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। पेंशन के मामले पर कार्रवाई की जा रही है। तथापि, स्वर्गीय श्री जयमल सिंह की विधवा, श्रीमती राजकली को सामान्य भविष्य निधि और बीमें की 1,71,890/- की राशि का भुगतान किया जा चुका है। उनके पुत्र को नौकरी की पहले ही पेशकश की जा चुकी है।

पंजाब सरकार में विधि अधिकारी

4987. **श्रीमती बिमल कौर खालसा :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार और इसके स्वायत्त बोर्डों और निगमों में कार्य कर रहे विधि अधिकारियों, अर्थात् विधि सहायक, सहायक जिला न्यायवादी, सहायक न्यायवादी, उप-महान्यायवादी, अतिरिक्त महाधिवक्ता और अन्य सभी श्रेणियों के अधिकारियों जिनके लिए विधि अर्हताएं आवश्यक होती हैं, की संख्या कितनी है;

(ख) इन अधिकारियों की भर्ती और पदोन्नति के मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें अनुसूचित जातियों के कितने अधिकारी है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित जातियों के आरक्षित रिक्त पद खाली हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत परियोजनाओं में इस्पात की कमी

4988. **श्री जी० एस० वासवराज :**
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :
श्री एस० बी० चोरट :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्ड की अधिकांश चालू विद्युत उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं को इस्पात की कमी के कारण नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) राज्यों के विद्युत बोर्ड संयुक्त संयंत्र समिति (जे० पी० सी०) के वितरण मार्गदर्शी सिद्धान्तों में प्राथमिकता श्रेणी की "क" श्रेणी में रखे गए हैं। अतः उन्हें लोहे और इस्पात सामग्री की सप्लाई के मुख्य उत्पादकों द्वारा समुचित प्राथमिकता दी जाती है। राज्यों के विद्युत बोर्डों से इस्पात की सप्लाई के बारे में कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं मिली है।

पर्यटन वर्ष, 1991

4989. **श्री कुसुम कृष्णमूर्ति :**
श्री के० एस० राव :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का पर्यटन वर्ष, 1991 के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) पर्यटन नीति में किए गए मुख्य परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) और (ख) 1991 को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने के लिए मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

1. पर्यटन के भावी विकास के लिए पर्यटन आकर्षणों का विकास करना;

2. पर्यटन के सामाजिक-आर्थिक लाभों के प्रति राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करना;

3. भारत की अन्तर्राष्ट्रीय छवि को सुधारना; और

4. अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का संवर्धन करने में आने वाली रुकावटों को समाप्त करना।

(ग) और (घ) पर्यटन वर्ष 1991 के दौरान अनेक नए परिपथों और मेलों तथा त्यौहारों का संवर्धन किया जाएगा। परिपथों की एक सूची संलग्न विवरण-1 के रूप में और मेले तथा त्यौहारों की सूची विवरण-2 के रूप में दी गई है।

विवरण-1

भारत पर्यटन वर्ष- 991

(परिपथों की सूची)

1. उदयपुर—चित्तौड़गढ़—माउंट आबू—रणकपुर—कुम्बलगढ़—जोधपुर
2. मद्रास—त्रिची—मदुराई—तंजावुर
3. मद्रास—कांचीपुरम—महाबलीपुरम—पांडिचेरी—मद्रास
4. मैसूर—बांदीपुर (राष्ट्रीय उद्यान)—काबिनी—मैसूर (वन्य जीव)
5. भुवनेश्वर—चिल्का झील और ललितगिरि—रत्नगिरि
6. भावनगर—पलिताना—लोथल—अहमदाबाद—मोढ़ेरा
7. इन्दौर—मांडु—उज्जैन
8. सरिस्का—अलवर—देवगढ़ और भरतपुर
9. पटना—राजगीर—नालंदा—बोधगया
10. झांसी—ओरछा—खजुराहो—पन्ना
11. झांसी—शिवपुरी—ग्वालियर—दतिया
12. बेलगांव—बदामी—होसपेट—हासन—मैसूर
13. बंगलौर—हम्पी—एहोल—पट्टादकल—बदामी—बीजपुर
14. गुवाहाटी—काजीरंगा—शिलांग
15. हैदराबाद—गोलकुण्डा किला—उसमानसागर—नागार्जुन कोंडा—बिदर
16. कलकत्ता—सुन्दरबन—कलकत्ता
17. कलकत्ता—शान्तिनिकेतन—बिष्णुपुर—कलकत्ता
18. कलकत्ता—दार्जिलिंग—कलिम्पांग
19. कलकत्ता—पटना—राजगीर—नालंदा—बोधगया
20. हिमाचल प्रदेश में कुल्लू—मनाली में तथा इसके आसपास पैदल—भ्रमण
21. बंगलौर—कोचीन—एल्लेप्पी—कोट्टायम—थेक्कड़ी—कोडईकनाक—मदुराई
22. कोयम्बटूर—कुन्नूर—ऊटी—मदुमलाई—मैसूर—बंगलौर
23. मद्रास—कांचीपुरम—महाबलीपुरम—पांडिचेरी

विवरण-2

भारत पर्यटन वर्ष 1991

(मेले और त्यौहारों की सूची)

1. मरू पर्व
2. अन्तर्राष्ट्रीय चाय पर्व
3. पतंगबाजी पर्व
4. पोंगल पर्व
5. हाथी दौड़
6. नागौर पर्व
7. गणतन्त्र दिवस
8. शिल्प मेला
9. योग सप्ताह
10. गोआ आनन्दोत्सव
11. हाथी पर्व
12. हेली-स्कीइंग
13. कोणार्क पर्व
14. चापचारकुट
15. होला पर्व
16. बसंत उत्सव
17. बोहाग बिहू रंगोली बिहू
18. खजुराहो पर्व
19. एल्लोरा पर्व
20. चिथिराई पर्व
21. अन्तर्राष्ट्रीय पुष्प पर्व
22. त्रिचूरपुरम
23. हेमिस पर्व
24. ग्रीष्म पर्व

25. हिमाचल ग्रीष्म पर्व
26. आम्र पर्व
27. रथ पर्व
28. एल्लेप्पी नौका दौड़
29. गणेश चतुर्थी
30. त्रय पर्व
31. ओनम
32. नृत्य पर्व
33. गोलकुण्डा पर्व
34. हिकरू हितोंगबा
35. नवरात्री पर्व
36. दशहरा
37. दुर्गा पूजा
38. मुक्ता पर्व
39. का पलमबलंग नोंगक्रेम
40. दिवाली
41. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला
42. पुष्कर
43. सोनपुर मेला
44. अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र भोजन पर्व
45. हम्पी विजयानगर
46. जोरमेला

ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में वित्त पोषित परियोजनाएं

4990. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटेन की संसदीय लोक लेखा समिति द्वारा की गई इस टिप्पणी की जानकारी है कि भारत में उन परियोजनाओं में प्रदूषण फैल रहा है जिनके लिए ब्रिटिश सरकार ने भारी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) ब्रिटिश संसदीय लोक लेखा समिति ने अमलोढ़ी ओपन-कास्ट खान में धूल और गैस, भू-दृश्य विनाश तथा सतही आग से स्वत: उत्पन्न होने वाले प्रदूषण-खतरों का उल्लेख किया है।

(ग) अमलोढ़ी ओपन-कास्ट परियोजना में भूमि-सुधार, वन-रोपण, उभरी जमीन का समतलीकरण, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा वायु और जल-प्रदूषण नियंत्रण संबंधित पर्यावरणीय व्यवस्था के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ऋण देना

[हिन्दी]

4991. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष ऋण देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) दालों की खेती के लिए बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण सहायता फसल ऋण वित्त प्रणाली का एक भाग होती है। प्रत्येक फसल के लिए अपेक्षित ऋण राशि, जिला तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित वित्त पोषण की मात्रा और फसलों के लिए खेती के अन्तर्गत लाई जाने वाली भूमि एकड़ों की संख्या के आधार पर तैयार की जाती है। वित्त पोषण की मात्रा को निर्धारित करते समय तकनीकी समिति उर्वरक और बीज सहित विभिन्न निवेश वस्तुओं की प्रचलित लागत, मिट्टी की प्रकृति, पानी की उपलब्धता, किसानों की खपत सम्बन्धी आवश्यकता, मजदूरी की लागत आदि को मद्देनजर रखती है। मौसमी कृषि परिचालनों का वित्त पोषण करने के लिए सहकारी समितियों के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मौसमी कृषि परिचालनों का वित्त पोषण करने लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

मॉरीशस के साथ व्यापार

[अनुवाद]

4992. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मारीशस के साथ व्यापार बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अनेक भारतीय शिष्ट मण्डलों और व्यापारियों ने मारीशस का दौरा किया है;

(ग) क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां। सरकार की यह सतत नीति रही है कि मारीशस के साथ व्यापार बढ़ाया जाए।

(ख) वर्ष 1990 के दौरान मन्त्रियों, अधिकारियों तथा व्यापारियों के स्तर पर अनेक भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने मारीशस का दौरा किया है।

(ग) इस वर्ष मारीशस के साथ सरकारी स्तर पर कोई भी औपचारिक करार नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल में भारतीय पूंजी निवेश

4993. **श्रीमती वासव राजेश्वरी :**
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग को ध्यान में रखते हुए, नेपाल ने संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योग स्थापित करने के लिए भारतीय पूंजी निवेश को आमन्त्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों द्वारा 10 जून, 1990 को नई दिल्ली में जारी संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों नेताओं ने, अन्य बातों के साथ-साथ, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सहयोग के एक नए युग की शुरुआत की इच्छा व्यक्त की। इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों सरकारों द्वारा एक बार संयुक्त उद्यम के लिए अनुमोदन हो जाने पर भारत सरकार संयुक्त उद्यम के लिए सम्मत शर्तों पर पूंजी प्रदान करती रहेगी। संयुक्त उद्यमों की स्थापना भारतीय और नेपाली कम्पनियों के बीच एक सतत प्रक्रिया है। सरकार इन उपायों को भारत और नेपाल के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक साधन के रूप में बढ़ावा देती है।

कार्यक्रम कार्यकारी अधिकारियों के वेतन से जीवन बीमा निगम के प्रीमियम राशि की कटौती

[हिन्दी]

4994. **श्री राम अवध** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समान श्रेणी के राजपत्रित कार्यक्रम कार्यकारी अधिकारियों के वेतन से जीवन बीमा निगम के प्रीमियम की राशि की भिन्न दरों पर कटौती की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समानता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) सरकारी कर्मचारियों के वेतन में से भारतीय जीवन बीमा की कोई किस्त अनिवार्य रूप से नहीं काटी जाती है। तथापि, केवल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की बीमा स्कीम 1977 या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सामूहिक बीमा स्कीम 1980 की बीमा अंशदान की राशि को इन स्कीमों के प्रावधानों के अनुसार काटा जाता है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सामूहिक बीमा स्कीम-1980 को लागू करते समय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की पुरानी बीमा स्कीम 1977 से कवर होने वाले कर्मचारियों के लिए, नई स्कीम में शामिल होने का विकल्प था। इन दोनों स्कीमों का अंशदान भिन्न-भिन्न दरों पर है। अतः कार्यक्रम निष्पादकों सहित केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में से स्कीम विशेष की सदस्यता पर निर्भर करते हुए कटौती की जाती है।

जब्त किया गया तस्करी का माल

4995. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत आठ महीनों के दौरान तस्करी का कितना और कितने मूल्य का सोना, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य सामान जब्त किया गया;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी लोग शामिल पाए गए और गिरफ्तार किए गए; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्यौरा है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जनवरी 1990 से अगस्त, 1990 के विगत आठ महीनों के दौरान पकड़े गए सोने तथा चांदी जैसे निषिद्ध माल की मात्रा एवं इसका मूल्य तथा घड़ियों, संश्लिष्ट वस्त्रों, इलैक्ट्रानिक माल जैसे अन्य निषिद्ध माल का मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है :—

पकड़ी गयी जिन्स का नाम	मात्रा*	मूल्य (करोड़ रुपयों में)*
1. सोना	3.2 मी० ट०	108.92
2. चांदी	13.5 मी० ट०	93.86
3. घड़ियां	—	1.23
4. संश्लिष्ट वस्त्र	—	5.75
5. इलैक्ट्रानिकी माल	—	12.96
6. अन्य माल	—	196.48

* आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) और (ग) इसी अवधि के दौरान सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विदेशी नागरिकता वाले 225 (अनन्तिम) व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे व्यक्तियों पर विभागीय

कार्यवाहियों में अर्थदण्ड लगाया जा सकता है तथा उनके खिलाफ न्यायालयों में मुकदमा भी चलाया जा सकता है तथा उन्हें निवारक नजरबन्दी नियमों के तहत नजरबन्द भी किया जा सकता है।

वीडियो फिल्म "अरमान"

[अनुवाद]

4996. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टी० ए० जी० टेलीविजन द्वारा प्रस्तुत वी० एच० ए० आई० यूनिसेफ की वीडियो फिल्म "अरमान" में प्रभावी ढंग से दर्शायी गई किशोरावस्था की समस्या की जानकारी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी परियोजना को सहायता देने और यह सुनिश्चित करने का है कि ये फिल्में दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारण में दिखाई जाएं तथा महिला गैर-सरकारी महिला संगठनों और ग्रन्थालयों इत्यादि को इनकी प्रतियां मुफ्त में सप्लाई की जायें ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) सरकार को वीडियो फिल्म "अरमान" की जानकारी है। यह फिल्म लड़कियों में किशोरावस्था की कुछ समस्याओं को दिखाने का प्रयास है।

(ख) दूरदर्शन द्वारा महिलाओं और शिशुओं के कल्याण की दृष्टि से नियमित रूप से उच्च स्तर के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। तथापि स्वैच्छिक संगठनों/लाइब्रेरियों आदि को अपने या बाहरी एजेन्सियों द्वारा निर्मित वीडियो कैसेटों के वितरण की दूरदर्शन की कोई अपनी व्यवस्था नहीं है।

बैंकों द्वारा अल्पसंख्यकों को दिए गए ऋण

4997. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा अल्पसंख्यकों को जो ऋण प्रदान किए जाते हैं, उनकी बकाया राशि से सम्बन्धित विवरणियां उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करनी होती हैं;

(ख) इस प्रयोजन के लिए किन-किन अल्पसंख्यक समुदायों का चयन किया गया है;

(ग) क्या ये विवरणियां नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती हैं;

(घ) उनकी समीक्षा और अनुवर्ती कार्य के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा चयन किए गए प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को ऋण देने लिए वर्षवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और उन्हें कितनी धनराशि के ऋण प्रदान किए गए; और

(च) अल्पसंख्यकों को ऋण प्रदान किए जाने के मामले में यदि किसी बैंक के काम काज में कोई खामियां पाई गई हैं, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) बैंकों को एक तिमाही विवरण भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करना होता है जिसमें अल्पसंख्यक आबादी के बाहुल्य वाले

पता लगाए गए 41 जिलों में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् इसाई, मुस्लिम, नव-बौद्ध, सिख तथा पारसियों को दिए गए उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों को दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त बैंकों को समूचे देश के सभी जिलों में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए उनके कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों को भी तिमाही विवरण में प्रस्तुत करना होता है।

(ग) से (च) दिसम्बर, 1989 के अन्त की स्थिति के अनुसार, पता लगाए गए 41 जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का हिस्सा ऋण खातों का 27.02 प्रतिशत तथा शेष बकाया रकमों का 12.63 प्रतिशत था। देश के सभी जिलों के सम्बन्ध में तदनुरूप प्रतिशतता क्रमशः 14.65 प्रतिशत तथा 10.93 प्रतिशत थी। दिसम्बर, 1987, दिसम्बर, 1988 तथा दिसम्बर, 1989 को समाप्त अवधि के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को मंजूर किए गए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम नीचे दिए गए हैं :—

(खातों की संख्या लाखों में)

(रकम करोड़ रुपए में)

अल्पसंख्यक समुदाय	दिसम्बर 1987		दिसम्बर 1988		दिसम्बर 1989	
	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
1. इसाई	1.01	57.84	1.13	75.40	1.29	91.04
2. मुस्लिम	6.43	300.57	8.58	400.62	9.98	508.98
3. नव-बौद्ध	0.09	5.00	0.09	4.90	0.08	4.89
4. सिख	0.35	60.77	0.37	63.00	0.43	72.17
5. पारसी	0.01	4.44	0.005	4.74	0.005	5.82
कुल	7.89	428.62	10.175	548.66	11.785	682.90

दिसम्बर 1987, दिसम्बर 1988 तथा दिसम्बर 1989 को समाप्त अवधि के लिए अन्य सभी जिलों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को मंजूर किए गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम नीचे दिए गए हैं :—

अल्पसंख्यक समुदाय	दिसम्बर 1987		दिसम्बर 1988		दिसम्बर 1989	
	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
1	2	3	4	5	6	7
1. इसाई	5.77	385.38	8.64	479.59	9.71	618.84
2. मुस्लिम	17.27	905.71	25.86	1379.17	29.97	1781.09

1	2	3	4	5	6	7
3. नव-बौद्ध	1.18	70.77	1.08	48.13	1.28	60.89
4. सिख	8.36	1161.06	8.03	1211.11	8.83	1429.41
5. पारसी	0.04	12.62	0.04	15.08	0.05	22.12
कुल	32.62	2535.54	43.05	3132.88	49.84	3912.35

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बैंक ऋणों के वास्ते कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋणों के प्रवाह की आवधिक आधार पर निगरानी करता है। खातों की संख्या तथा बकाया रकमों दोनों मामलों में अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले कुल ऋणों में वृद्धि हो रही है।

भारतीय अभ्रक व्यापार निगम को माइका पेपर उत्पादन में हानि

4998. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अभ्रक व्यापार निगम को अपने जापानी सहयोगकर्ता द्वारा माइका पेपर को खरीदने की अपनी वचनबद्धता से मुकर जाने के कारण इसमें हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का जापानी फर्म द्वारा अपनी वचनबद्धता पूरा न करने के लिए उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) मिटको ने अपने सहयोगकर्ता के साथ यह मामला उठाया है ताकि वह उसे अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अग्रसर कर सके। इसी बीच, मिटको ने अपने सहयोगकर्ता को देय कुछ राशियों का भुगतान रोक रखा है।

मद्रास दूरदर्शन का कार्यकरण

4999. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मद्रास दूरदर्शन तमिलनाडु में विपक्षी दलों की सहमति से समाचार तथा अन्य कार्यक्रम प्रसारित नहीं करता है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि दूरदर्शन की भूमिका का दुरुपयोग न किया जाए ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) लोक महत्व की घटनाओं को, केन्द्र द्वारा राजनीतिक आधार पर कोई भेदभाव किए बिना, उचित रूप से कवर किया जाता है।

शिरडी में टी० वी० रिले केन्द्र स्थापित करना

[हिन्दी]

5000. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिरडी में आने वाले श्रद्धालुओं और वहां के स्थानीय लोगों द्वारा पिछले तीन-चार वर्षों से, शिरडी में एक टी० वी० रिले केन्द्र स्थापित करने की मांग की जाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) महाराष्ट्र के अहमद नगर जिले के शिरडी में दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) शिरडी सहित देश के कवर न हुए भागों में शीघ्रता से दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने का सरकार का प्रयास है किन्तु ऐसा इस प्रयोजन के लिए धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए केवल चरणों में ही किया जा सकता है।

दिल्ली के आसपास पर्यटन परिसर

[अनुवाद]

5001. **श्री बे० पी० अग्रवाल :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के आसपास स्थित पर्यटन परिसरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर्यटन परिसरों पर क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) इन परिसरों में ठहरने, आदि का कितना प्रभार लिया जाता है; और

(घ) इन क्षेत्रों के लिए क्या-क्या यात्रा सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (घ)—

परिसरों का नाम और स्थान	आवासीय सुविधाएं	शैय्याओं की संख्या	प्रभार रु० के बीच	यात्रा सुविधाएं
1	2	3	4	5
1. उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटक परिसर, हिंडन, जिला-गाजियाबाद	कमरे और परिवार स्वीट्स	12	75—300	सड़क

1	2	3	4	5
2. हरियाणा				
पर्यटक परिसर बढ़कल झील जिला-फरीदाबाद	एसी कमरे/नान-एसी कमरे/परिवार स्वीट्स	74	150—500	सड़क
3. पर्यटक परिसर सूरजकुण्ड जिला फरीदाबाद	डीलक्स स्वीट्स/एसी और नान-एसी कमरे	195	150—550	सड़क
4. सुलतानपुर पक्षी विहार-स्थल जिला गुड़गांव	गेस्ट हाउस और कैम्पर हट्स	28	75—200	सड़क
5. पर्यटक परिसर, शामा जिला गुड़गांव	एसी और नान-एसी कमरे	28	225—300	रेल/सड़क
6. गौड़िया पर्यटक परिसर, बहादुरगढ़	मोटल	10	275	रेल/सड़क
7. मैगपाई पर्यटक परिसर, फरीदाबाद	एसी और नान-एसी कमरे	50	200—350	रेल/सड़क

प्रादेशिक भाषा की फिल्मों के अंग्रेजी उप-शीर्षक

5002. **श्री बी० एन० रेड्डी :**
श्रीमती जे० जयन्ती :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन द्वारा प्रादेशिक भाषा की फिल्मों के संवादों के अंग्रेजी उप-शीर्षक प्रसारित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गत छः महीनों के दौरान सरकार की नीति में कोई व्यतिक्रम आया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) दूरदर्शन द्वारा दिखाई जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों में सामान्यतया अंग्रेजी उप शीर्ष रहते हैं और ऐसे उपशीर्ष न होने की स्थिति में फिल्म दिखाने से पूर्व फिल्म की कहानी का सार दे दिया जाता है।

तथापि दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली तथा इसके संबद्ध ट्रांसमीटरों पर माह के चौथे वृहस्पतिवार को दिखाई जाने वाली क्षेत्रीय फीचर फिल्मों के उप-शीर्ष नहीं होते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

चित्रदुर्ग का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

5003. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक सरकार से राज्य में ऐतिहासिक चित्रदुर्ग का पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में ऐतिहासिक चुनार किले का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

[हिन्दी]

5004. **श्री सूबेदार प्रसाद सिंह :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में ऐतिहासिक चुनार किले में भारी संख्या में पर्यटकों के आने को ध्यान में रखते हुए इसका प्रथम श्रेणी के पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार कब तक स्वीकृति दे देगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में नये पर्यटन स्थलों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

[अनुवाद]

5005. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में नये पर्यटन स्थलों का पता लगाने के लिए व्यापक सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वहां और अधिक संख्या में घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और अधिक पर्यटन स्थलों को विकसित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(घ) हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के सम्बन्ध में आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार का कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, हां। राज्य की पर्यटन संभावनाओं का अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण किए गए हैं।

(ख) कुल्लू, मनाली, डलहौजी और धर्मशाला को राज्य के नए विस्तारित परिपथों के रूप में निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) पर्यटक केन्द्रों का विकास करने का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और धन की उपलब्धता के आधार पर, न कि आवंटनों के आधार पर, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक, केन्द्र सरकार ने पैदल-भ्रमण के लिए टैन्टों की खरीद करने हेतु 9.60 लाख रु० और सोलांग में एक रोपवे के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कराने के वास्ते 3 लाख रु० स्वीकृत किए हैं।

स्वर्ण आयात नीति को उदार बनाना

5006. **प्रो० राम गणेश कापसे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जौहरियों ने स्वर्ण आयात सम्बन्धी नीति उदार बनाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) गुजरात वाणिज्य और उद्योग मंडल से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें आयात करके देश में सोने की सप्लाई बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। फिर भी, इस समय सरकार निर्यात के लिए स्वर्णाभूषणों को तैयार करने में लगे सोने के बदले सोने को आयात करने हेतु मंजूरी देने के लिए सहमत है।

इन्स्टेंट कॉफी निर्माताओं को कॉफी का आवंटन

5007. **श्री एच० सी० श्रीकांतय्या** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी उत्पादकों ने इंस्टेंट कॉफी निर्माताओं को कॉफी आवंटित करने के कॉफी बोर्ड के उस प्रस्ताव पर आपत्ति की है जिसके द्वारा नीलामी द्वारा कॉफी का विपणन करने की परम्परा का उल्लंघन होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त प्रस्ताव को त्यागने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने कॉफी बोर्ड को सलाह दी है कि वह इन्सटेंट कॉफी विनिर्माताओं और कॉफी बोर्ड विपणन समिति से विचार-विमर्श करके एक उपयुक्त तंत्र तैयार करे ताकि इन्सटेंट काफी विनिर्माताओं को निर्धारित कीमत पर ग्रीन कॉफी उपलब्ध कराई जा सके।

भारतीय स्टेट बैंक समूह के सम्बद्ध बैंकों को पृथक करना

[हिन्दी]

5008. **पुंडलिक हरी दानवे :**
श्री राम नाईक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोशिएट बैंक्स आफिसर्स एसोसियेशन ने भारतीय स्टेट बैंक समूह के सात सम्बद्ध बैंकों को अलग करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक से अलग करने में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को इस समय कोई लाभ दिखाई नहीं देता है। भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक समूह के सदस्यों के रूप में कार्य करते हुए कई लाभ प्राप्त करते हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आयात/निर्यात में आरक्षण

[अनुवाद]

5009. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आयात/निर्यात की मदों में कुछ प्रतिशत आरक्षित करने का विचार है ताकि कमजोर वर्ग के लोग अपने जीवन-स्तर में सुधार कर सकें;

(ख) क्या सरकार का बिचौलियों को प्रोत्साहन देने के स्थान पर चमड़ा तथा चमड़े का सामान जैसे जूते इत्यादि का निर्यात करने के लिए कामगार एसोसिएशनों को प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने चमड़ा तथा चमड़े का सामान और जूतों इत्यादि का निर्यात करने के लिए अनुसूचित जातियों के ऐसे जूता निर्माता एसोसिएशनों को निर्यात का कोई आर्डर दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरूण कुमार नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) तैयार चमड़े तथा जूते, परिधान जैसी चमड़े की अन्य सभी वस्तुओं के निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत दी जाती है। चमड़े तथा चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के लिए कामगार संघ, बिचौलियों आदि को संरक्षण देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) एस० टी० सी० ने जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य को जूतों के ऊपरी भाग की सप्लाई के लिए 1989 के दौरान अपनी निम्नलिखित इकाइयों को, जोकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है, निर्यात क्रयादेश दिए थे :—

क्र०	इकाई का नाम	मद
1.	पीपुल एक्सोर्ट, आगरा	जूते
2.	महेश शू फैक्टरी, आगरा	जूते के ऊपरी भाग
3.	पीपुल एक्सपोर्ट, आगरा	—वही—
4.	फुटकेयर इन्टरप्राइसेस आगरा	—वही—

राजस्थान में टेलीविजन देखने के लिए "डिस्कल्" की स्थान

[हिन्दी]

5010. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ऐसे कितने ग्राम, टाउनशिप और शहर हैं जहां टेलीविजन देखने के लिए "डिस्कल्" की स्थापना की गई है; और

(ख) क्या जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार अधिकाधिक ग्रामों में यह सुविधा उपलब्ध कराने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) इस समय राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत भिन्न-भिन्न शक्तियों के 36 टी० वी० ट्रांसमीटरों से राज्य की लगभग 52 प्रतिशत जनसंख्या को कवरेज प्राप्त हो रही है। सातवीं योजना की शेष स्कीम के रूप में मौजूदा ट्रांसमीटरों में से तीन ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने तथा एक नए स्थान पर और ट्रांसमीटर लगा दिए जाने से राज्य की अनुमानित 67 प्रतिशत जनसंख्या टी० वी० कवरेज के अन्तर्गत आ जाएगी। सरकार का यह प्रयास है कि जहां तक संभव हो सके, राज्य की शेष कवर न हुई जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा प्रदान की जाए परन्तु यह कार्य इस प्रयोजन के लिए धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए चरणबद्ध ढंग से ही पूरा किया जा सकता है।

हॉस्पेट में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना

[अनुवाद]

5011. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मुकुन्द आयरन एंड स्टील कम्पनी को

हॉस्पेट में, प्रतिवर्ष एक मिलियन टन की क्षमता वाला एक "हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील प्लान्ट" स्थापित करने हेतु मंजूरी देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने संघ सरकार से बेल्लारी-हॉस्पेट क्षेत्र में इस्पात संयंत्र की स्थापना से सम्बन्धित कार्रवाई शीघ्र करने का अनुरोध किया है। हाल ही में उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार, यदि आवश्यक हो तो मैसर्स मुकन्द लि० के सहयोग से 10 लाख मी० टन की क्षमता वाली संयंत्र की संयुक्त क्षेत्र में इस परियोजना के कार्यान्वयन पर विचार कर सकती है। तथापि, सरकार को मैसर्स मुकन्द लि० से इस स्थान पर इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के सम्बन्ध में कोई औपचारिक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। यह स्थिति आठवीं योजना परिव्यय और लोहे और इस्पात क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यक्रम के बारे में पता चलने के बाद ही स्पष्ट होगी।

खाड़ी के देशों में स्थित भारतीय बैंकों द्वारा स्वदेश में धन भेजा जाना

[हिन्दी]

5012. **डा० बंगाली सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक द्वारा कुवैत पर किए गए आक्रमण को देखते हुए, खाड़ी के देशों में स्थित भारतीय बैंकों में जमा धनराशि के अन्तरण की कोई संभावना है;

(ख) यदि हां, तो अब तक भारत को कुल कितनी धनराशि भेजी गई है और सरकार का इस धन को किस प्रकार उपयोग मे लाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि खाड़ी के देशों में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाओं ने कुवैत में संकट की स्थिति उत्पन्न होने के पश्चात धननाशियां भारत भेजी हैं। इन शाखाओं ने 2-8-1990 से 28-8-1990 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा (एफ० सी० एन० आर०) के रूप में 355.29 लाख अमेरिकी डालर और उनके रुपया बिक्री के रूप में 4000.92 लाख रुपए भेजे। ये धनराशियां इन बैंकों की कुल जमा राशि का एक हिस्सा है।

बिहार में छोटे किसानों को बोरिंग पम्पसेट सप्लाई किया जाना

5013. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिसम्बर, 1989 में बिहार में छोटे और सीमांत किसानों को दिए गए बोरिंग पम्पसेटों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार का प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का विचार है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) शिकायत में, बिहार में लघु और सीमान्तिक किसानों को बोरिंग पम्पसेटों की आपूर्ति के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों पर विभिन्न भ्रष्ट कृत्यों के आरोप लगाये गए थे । उक्त उल्लिखित पत्र में उठाए गए मुद्दों पर पहले भी सरकार का ध्यान दिलाया गया था और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच की गई थी । केन्द्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पहले ही पटना उच्च न्यायालय में 15 मामले दर्ज किए हैं और इन पर न्यायालय में कार्रवाई चल रही है । इन 15 मामलों में बैंक कर्मचारियों और 31 निजी व्यवसायिकों के विरुद्ध मुकदमे शामिल हैं । न्यालालय के निर्णय के अनुरूप सम्बद्ध एजेंसियों/प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी ।

चीनी मिलों के लिए मंजूर किया गया ऋण

5014. **श्री सी० डी० गामित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार चीनी मिलों को कुल कितनी राशि के ऋण मंजूर किए गए;

(ख) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को, क्रमशः मंजूर किए गए ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त तारीख को चीनी मिलों की ओर से ऋण की कितनी राशि बकाया थी; और

(घ) इसके मुख्य कारण क्या हैं और इस राशि के कब तक वसूल किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) चार अखिल भारतीय सावधि ऋणदाता वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार गैर सरकारी एवं सरकारी क्षेत्र में चीनी मिलों को मंजूर की गई कुल सहायता एवं बकाया सहायता निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपए में)

		मंजूर की गई सहायता	बकाया सहायता
1	2	3	4
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	गैर सरकारी क्षेत्र	114.00	74.00
	सरकारी क्षेत्र	87.00	29.00
	कुल**	559.00	—

1	2	3	4
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	गैर सरकारी क्षेत्र	90.48	39.33*
	सरकारी क्षेत्र	59.29	29.66*
	कुल**	464.97	—
भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम	गैर सरकारी क्षेत्र	58.48*	29.40*
	सरकारी क्षेत्र	1.95*	0.49*
	कुल**	228.48	—
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	गैर सरकारी क्षेत्र	37.92	24.34*
	सरकारी क्षेत्र	18.12	6.74*
	कुल**	76.04	

(*ये आंकड़े 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार हैं)

(**मंजूर की गई कुल सहायता में सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र भी शामिल हैं)

उपर्युक्त वित्तीय संस्थाओं ने यह भी सूचित किया है कि एककों से ऋण की बकाया रकम वापसी अदायगी कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न चरणों में वसूल की जाती है।

महाराष्ट्र में बन्द पड़ी रोलिंग मिलें

5015. **श्री किशनराव बाबूराव वानखेले** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में बन्द पड़ी रोलिंग मिलों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) इनमें कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है और इसके फलस्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं;

(ग) इनके बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मिलों के पुनः खोले जाने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री विनिश गीरवानी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों का समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम

[अनुवाद]

5016. **श्री टी० बशीर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान केरल में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक द्वारा कितनी ऋणराशि देने का वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में समेकित ग्रामीण विकास बैंक लाभार्थियों को कितनी ऋण राशि दी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार, केरल में, वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई प्रगति निम्नानुसार है :—

(लाख रुपए)

वर्ष	कुल आबंटन	कुल व्यय	कुल वास्तविक लक्ष्य परिवारों की संख्या	कुल वास्तविक उपलब्धियां परिवारों की संख्या	जमा राशियां जुटाना
1988-89	1805.79	1878.84	84054	87006	3234.51
1989-90	1871.12	1926.69	72843	74150	3157.11

भारतीय रिजर्व बैंक ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कोई बैंकवार अथवा राज्य-वार ऋण सम्बन्धी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए जाने वाले ऋण बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों का ही एक हिस्सा होते हैं। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत हिस्से का लक्ष्य कमजोर वर्गों के लिए रखें। कृषि मन्त्रालय, कार्यक्रम के कार्यान्वयन को कारगर बनाने तथा उसकी गति में सुधार लाने की दृष्टि से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन करता है।

भुगतान संतुलन में सुधार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता

5017. **श्री सुशांत चक्रवर्ती :**
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :
डा० वेंकटेश कावड़े :
श्री शांताराम पोटदुखे :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की भुगतान-संतुलन की स्थिति में सुधार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था के अन्तर्गत किस रूप में तथा कितनी धनराशि प्राप्त की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

मध्य प्रदेश से खनिजों का निर्यात

[हिंदी]

5018. **श्री कंकर मुंजारे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार मध्य प्रदेश से कितनी-कितनी मात्रा में तथा कितने-कितने मूल्य के विभिन्न खनिजों का खनिज-वार निर्यात किन-किन देशों को, देश-वार किया गया ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : निर्यात के राज्य-वार आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं । तथापि, मध्य प्रदेश मूल के लौह अयस्क का निर्यात विजाग पत्तन के माध्यम से एम० एम० टी० सी० द्वारा किया जाता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात के वर्ष-वार और देश-वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

मात्रा : मिलियन टन

मूल्य : करोड़ रु०

देश	1987-88		1988-89		1989-90	
	मा०	मू०	मा०	मू०	मा०	मू०
जापान	5.29	119.69	6.65	163.42	6.25	203.83
द० कोरिया	0.21	3.85	0.30	6.74	0. 4	9.07
	5.50	123.54	6.95	170.19	6.59	212.90

मध्य प्रदेश मूल के मैंगनीज अयस्क का निर्यात भी विजाग पत्तन के माध्यम से एम० एम० टी० सी० द्वारा किया जाता है, इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से प्राप्त अयस्क भी शामिल होते हैं । चूंकि आपूर्तियां विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से की जाती हैं, इसलिए इन एजेंसियो द्वारा मध्य प्रदेश से प्राप्त वास्तविक मात्रा अलग से उपलब्ध नहीं है ।

उत्तर प्रदेश और बिहार में भगवान बुद्ध से सम्बद्ध पर्यटन स्थलों के विकास के लिए जापान से सहायता

5019. **श्री हरीश पाल** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान भगवान बुद्ध से सम्बद्ध पर्यटन स्थलों पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए भारत को वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो जापान की सहायता से देश में विकसित किए जाने वाले ऐसे पर्यटन स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थलों का भी विकास किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) से (ग) जी, हां। जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग कोष चुनिंदा बौद्ध स्थलों का विकास करने के लिए ऋण सहायता देने पर सहमत हो गया है जिसमें बिहार राज्य के बोधगया, राजगीर, नालंदा और वैशाली तथा उत्तर प्रदेश के कुशी नगर तथा सारनाथ शामिल हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिपूरक भत्ता

[अनुवाद]

5020. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ता देना आरंभ कर दिया है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने कुछ समय के लिए इसका भुगतान बंद कर देने के बाद अब इसका पुनः भुगतान आरम्भ किया है; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों को इसका भुगतान कब तक किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) प्रश्न में ऐसे मामले पर सूचना मांगी गई है जिसका सम्बन्ध राज्य सरकारों से है और वह मामला केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

मालाजखंड में तांबा अनुसंधान केन्द्र

[हिन्दी]

5021. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मालाजखंड क्षेत्र में प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में तांबे का उत्पादन होता है;

(ख) क्या खेतड़ी की भांति मालाजखंड में भी तांबा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) में स्थित मलंजखंड ताम्र परियोजना के अन्तर्गत एक ओपन कास्ट खान, और समान क्षमता का एक सांद्रक संयंत्र है। प्रद्रावण और शोधन सुविधाएं न होने से, उत्पादनसांद्र

खेतड़ी कापर कंपलेक्स (राजस्थान) और इण्डियन कापर कम्पलेक्स (बिहार) के धातुकर्म संयंत्रों में शोधित किया जाता है, शेष सांद्र टोल प्रद्रावण द्वारा ताम्र धातु प्राप्ति के लिए विदेश भेजा जाता है। मलंजखंड ताम्र परियोजना में वर्ष 1989-90 के दौरान, लगभग 24,000 टन तांबा धातु-युक्त सांद्रों का उत्पादन हुआ था।

(ख) और (ग) मलंजखंड ताम्र परियोजना में अपस्कों के परिष्करण में प्रक्रिया शोध करने के लिए रासायनिक और शैल-खनिजीय विश्लेषण हेतु एक केन्द्रीय प्रयोगशाला है।

निर्यात और आयात में वृद्धि

[अनुवाद]

5022. **श्री निर्मल कांति चटर्जी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1990 से जून, 1990 के दौरान लघु क्षेत्र का निर्यात और आयात व्यापार में कितना योगदान रहा; और

(ख) इसी अवधि के दौरान निर्यात और आयात के विकास में निर्यातोन्मुख एककों और एम० आर० टी० पी० कम्पनियों का कितना योगदान रहा ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) इस समय निर्यात और आयात के आंकड़े वस्तु और देश के वर्गीकरण के आधार पर संकलित किए जाते हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्यात और आयात वृद्धि के औद्योगिक उप-क्षेत्रों, जैसे कि लघु क्षेत्र, एम० आर० टी० पी० कम्पनियां आदि का योगदान वार्षिक आधार पर संकलित किया जाता है।

बुनकरों के ऋण माफ करना

[हिन्दी]

5023. **श्री अमृतलाल बल्लभदास तारवाला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 में बुनकरों को भी शामिल किया गया है;

(ख) क्या उपरोक्त योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बुनकरों के बीच कोई भेदभाव किया गया है;

(ग) क्या शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बुनकरों को ही ऋणराहत दी जाएगी;

(घ) क्या विद्युतकरघा मालिकों को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) गैर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों को ऋण राहत प्रदान करने के विषय पर भारत

सरकार द्वारा विचार किया गया है और वर्तमान योजना के ढांचे में विद्युत एवं हथकरघा बुनकरों दोनों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम

[अनुवाद]

5024. **डा० वेंकटेश काबडे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में अनेक कार्यक्रम इस समय गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो जनवरी से जून, 1990 तक की अवधि के दौरान कितनी एजेन्सियों द्वारा कितने कार्यक्रम प्रायोजित किए गए;

(ग) इनमें कितने कार्यक्रम समाचारों से, कितने विचार व्यक्त करने से तथा कितने मनोरंजन से संबंधित है; और

(घ) सरकार ने इन एजेन्सियों के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए किस तंत्र की स्थापना की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जनवरी से जून, 1990 की अवधि के दौरान दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय नेटवर्क पर 575 प्रायोजकों/प्राहकों द्वारा प्रस्तुत किए गए 278 प्रायोजित कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया जिनमें से 19 कार्यक्रम, समाचार और विचार तथा 259 मनोरंजन से संबंधित थे।

(घ) दूरदर्शन जांच और चयन की कड़ी प्रक्रिया द्वारा उपयुक्तता के बारे में संतुष्ट होने पर ही प्रायोजित कार्यक्रमों सहित कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।

प्लाईवुड-बक्स

5025. **श्री शिकिहो सेमा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "प्लाईवुड-बक्सों" को "स्टील-बक्सों" में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप अनेक लघु औद्योगिक एकक बन्द हो जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय सामान की अधिप्राप्ति मांगकर्ता द्वारा दिए गए विनिर्देश के अनुसार करता है। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं होता।

बंगलौर दूरदर्शन को प्रेस विज्ञप्ति भेजना

5026. **श्री जौस फर्नान्डीज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र ने बंगलौर शहर से काफी दूर स्थित होने के कारण, संगठनों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों को अपनी प्रेस विज्ञप्तियां भेजने में कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का आकाशवाणी केन्द्र, बंगलौर में एक प्रेस रिलीज बाक्स रखने का विचार है, ताकि लोगों को अपनी प्रेस विज्ञप्तियां भेजने में सुविधा हो ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र नगर की सीमाओं के अन्तर्गत स्थित है। अतः किसी संगठन को केन्द्र में प्रेस विज्ञप्तियां भेजने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

कृषि ग्रामीण ऋण के स्वैच्छिक चूककर्ताओं के ऋणों को बट्टे खाते डालना

5027. **श्री ए० एन० सिंह देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों से लिए गए ऋणों का स्वेच्छा से भुगतान न करने, जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा परिभाषित किया गया है, का ध्यान किए बिना, सभी कृषि ऋणों को बट्टे खाते में डालने का निर्णय किया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस प्रकार की ऋण माफी वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए ऋणों पर भी लागू होगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषकों, भूमिहीन कृषकों, कारीगरों तथा बुनकरों को 10,000 रुपये तक की ऋण राहत प्रदान करने के लिए कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 बनाई है। ऋण राहत का लाभ उधारकर्ताओं की निम्नलिखित श्रेणीयों को प्राप्त होगा :—

(i) ग्राम आधार पर लागू अन्नावरी पद्धति के अनुसार जानबूझकर चूक न करने वाला किसान। ऐसा किसान जिसने अन्नावरी पद्धति के आधार पर दो या उससे अधिक वर्ष खराब फसल के कारण अपने ऋण की अदायगी न की हो, उसे जान बूझकर चूक न करने वाला माना जाएगा और वह ऋण राहत के लिए पात्र होगा।

(ii) ऐसा चूक-कर्ता किसान, कारीगर तथा बुनकर जिसकी पुरानी अतिदेय राशियां हों अर्थात दिनांक 2-10-1989 की तारीख को तीन वर्षों से अधिक से अतिदेय राशियां जिनका भुगतान न किया गया हो। अन्नावरी की धारणा इस श्रेणी पर लागू नहीं होती है।

(iii) दिवंगत उधारकर्ता का उत्तरजीवी परिवार, जिस पर ऋण की जिम्मेदारी दिनांक 2-10-1989 या उससे पहले आ गयी हो।

(iv) ऐसा किसान जिसने दिवालियापन के लिए याचिका दायर कर रखी है अथवा जो दिनांक 2-10-1989 या उससे पहले दिवालिया घोषित कर दिया गया है। ऋण राहत 2-10-1989 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों, जिनमें भूमि विकास बैंक भी शामिल हैं, द्वारा दिए गए अल्पावधि तथा आवधिक ऋणों पर मिलेगी और इसके अन्तर्गत सभी गांव आते हैं। जहां तक सहकारी क्षेत्रों में बैंकों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों से इसी पैटर्न पर एक

योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, अधिकतर राज्य सरकारों ने सहकारी समितियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की इस योजना को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है।

दूरदर्शन पर कन्नड़ फिल्मों का प्रसारण

5028. **श्री डी० के० नायकर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदर्शन को सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों का अक्सर प्रसारण किया जाता है लेकिन कन्नड़ फिल्मों का प्रसारण नहीं किया जाता; और

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन पर कन्नड़ फिल्मों का प्रसारण भी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के प्रसारण की तरह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित कन्नड़ फिल्मों की संख्या इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किसी अन्य प्रादेशिक भाषा की फिल्मों की तुलना में अनुकूल रही है।

कॉफी उत्पादन

5029. **श्री बी० कृष्ण राव :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान देश में, राज्य-वार, अलग-अलग कितनी मात्रा में कॉफी का उत्पादन हुआ ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा उत्पादित कॉफी की अनुमानित मात्रा निम्नानुसार है :—

(मी० टन में)

राज्य	1987-88	1988-89	1989-90
1. कर्नाटक	80,685	1,49,905	83,610
2. केरल	22,590	47,425	21,250
3. तमिलनाडु	18,650	16,860	14,310
4. आंध्र प्रदेश	910	595	765
5. अन्य	165	215	65
योग :	1,23,000	2,15,000	1,20,000

भारत को विश्व बैंक से ऋण

[हिन्दी]

5030. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1990-91 के लिए भारत को ऋण मंजूर किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 में अब तक विश्व बैंक के साथ 14535.0 लाख डालर की कुल वचनबद्धता के लिए आठ परियोजनाओं के सम्बन्ध में बातचीत की गई है।

परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख डालर)

परियोजना का नाम	वचनबद्ध राशि
1. तमिलनाडु पोषाहार-II	958.0
2. एकीकृत बाल विकास योजना (उड़ीसा और आंध्र प्रदेश)	1060.0
3. भारतीय जनसंख्या-VII	967.0
4. सीमेंट उद्योग पुनःसंरचना	3000.0
5. उत्तरी क्षेत्र पारेषण	4850.0
6. गैर-सरकारी विद्युत उपयोगिताएं	980.0
7. एकीकृत वाटरशेड विकास (आयोजना)	620.0
8. आंध्र प्रदेश चक्रवात संकटकालीन पुनर्निर्माण	2100.0

मगध ग्रामीण बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति

5031. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया स्थित मगध ग्रामीण बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है;

(ख) क्या यह सरकार की नीति के विरुद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों से विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) मगध ग्रामीण विकास बैंक, गया के प्रयोजक बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि इस ग्रामीण बैंक में अनुसूचित जातियों/

अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की गई है। आगे यह भी बताया गया है कि ग्रामीण बैंक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस सम्बन्ध में सरकार के अनुदेशों का पालन किया जा रहा है।

बीजिंग एशियाई खेलों का आकाशवाणी और दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

5032. **श्री खेदी पासवान :**
श्री हरीश पाल :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बीजिंग में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों का दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

बीजिंग में होने वाले ग्यारहवें एशियाई खेलों के सीधे टेलीकास्ट/प्रसारण का ब्यौरा

(क) **दूरदर्शन :**

(i) 22-9-90 तथा 7-10-90 को क्रमश: उद्घाटन तथा समापन समारोह;

(ii) 5-10-90 को हाकी फाइनल;

(iii) 6-10-90 को पुरुष फुटबाल फाइनल।

(ख) **आकाशवाणी :**

(i) 22-9-90 तथा 7-10-90 को क्रमश: उद्घाटन तथा समापन समारोह;

(ii) हाकी मैच, जिनमें भारतीय टीम भाग ले रही हो तथा सेमी-फाइनल तथा फाइनल मैच जिनमें चाहे भारतीय टीम भाग ले रही हो या नहीं।

औषधों पर सीमा शुल्क में रियायत

[अनुवाद]

5033. **श्री कल्पनाथ लोनकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने रसायन विभाग की सिफारिशों पर औषधों और इन्टरमीडिएट औषधों पर तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय की सिफारिशों पर आधारित तैयार दवाइयों पर सीमा-शुल्क में रियायतें दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक ने इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों में क्या औचित्य ठहराया है;

(ग) क्या यह सच है कि इन मामलों में से किसी भी मामले में उपभोक्ता को रियायत का लाभ नहीं पहुंचा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या उनके मन्त्रालय ने इस मामले पर सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट मांगी है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और निर्धन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) विनिर्दिष्ट औषध मध्यवर्तियों, बल्क औषधियों तथा तैयार औषध योगों को सामान्यतः पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय की सिफारिशों पर सीमा शुल्क रियायतें दी जाती हैं। सीमा शुल्क की रियायती दरें भिन्न-भिन्न होती हैं और उन्हें अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है जिनकी सूची नीचे दी गई है :—

क्र० सं०	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1.	45/79-सी० शु०	1-3-79
2.	64/79-सी० शु०	6-3-79
3.	208/81-सी० शु०	22-9-81
4.	287/84-सी० शु०	5-12-84
5.	57/85-सी० शु०	17-3-85
6.	89/85-सी० शु०	17-3-85
7.	11/86-सी० शु०	17-1-86
8.	179/86-सी० शु०	1-3-86
9.	271/86-सी० शु०	28-4-86
10.	14/88-सी० शु०	1-3-86
11.	27/88-सी० शु०	1-3-88
12.	213/88-सी० शु०	30-6-88
13.	296/88-सी० शु०	1-11-88
14.	39/90-सी० शु०	20-3-90

(घ) से (ङ) पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1987 के अन्तर्गत बल्क औषधियों तथा औषध-योगों का मूल्य निश्चित करते समय शुल्क रियायतों को भी ध्यान में रखता है। उन बल्क औषधियों, औषध-योगों तथा और औषध-मध्यवर्तियों के सम्बन्ध में जो औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1987 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट होते हैं अथवा जो ऐसी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट बल्क औषधियों तथा औषध-योगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मूल्य समय-समय पर संशोधित किए जाते रहते हैं ताकि इनका लाभ आम जनता को प्राप्त हो सके।

भारत बिजनेस इन्टरनेशनल लिमिटेड की स्थापना

5034. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, पी० ई० सी०, एल० टी० सी० एल० की नियन्त्रक कम्पनी के रूप में भारत बिजनेस इन्टरनेशनल लिमिटेड नामक एक नई कम्पनी स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी की शेयर पूंजी कितनी होगी और नियंत्रक कम्पनी की सहायक कम्पनियों द्वारा इसमें से कितनी शेयर पूंजी का योगदान किया जाएगा;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम में फालतू कर्मचारी हैं और यदि हां, तो क्या उनसे इस कम्पनी में नियुक्ति के लिए कहा जाएगा।

(घ) उक्त कम्पनी की स्थापना और उसके कार्यालय आवास पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि कम होने का अनुमान है और इसमें से कितना व्यय सहायक कम्पनियों तथा भारत बिजनेस इन्टरनेशनल लिमिटेड को करना होगा; और

(ङ) सरकार की मन्त्रालयों/सरकारी उपक्रमों के व्यय में कटौती करने की नीति और राज्य व्यापार निगम के कारबार में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए इस कम्पनी की स्थापना का क्या औचित्य है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णय लिया गया है कि अनुषंगी कम्पनियों की 68 करोड़ रु० की समस्त प्रदत्त पूंजी धारक कम्पनी को अन्तरित कर दी जाए।

(ग) हालांकि एम० एम० टी० सी०/एस० टी० सी ने किन्हीं फालतू कर्मचारियों का पता नहीं लगाया है, लेकिन दि भारत बिजनेस इन्टरनेशनल लिमिटेड अपने कार्य के लिए एस० टी० सी०/एम० एम० टी० सी० के कुछ उपयुक्त कर्मचारियों को लेगा।

(घ) चूंकि भारत बिजनेस इन्टरनेशनल लिमिटेट की स्थापना हाल ही में हुई है, इसलिए इसकी स्थापना आदि के सम्बन्ध में कोई अन्तिम बजट अनुमान नहीं प्रतिपादित किया गया है।

(ङ) धारक कम्पनी की संरचना का उद्देश्य अनुषंगी कम्पनियों के कार्यपालन में प्रभावी समन्वय और निर्देशन प्राप्त करना, दुहरापन और प्रतिस्पर्धा/अधोरदन से बचना, विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों में भागीदारी और विनियोजन बढ़ाना, आयात/निर्यात व्यापार की आम अवस्थापनात्मक सुविधाओं को बढ़ाना और निर्यात को बढ़ाने के लिए आयात की उत्तोलन शक्ति को और कारगर ढंग से उपयोगी बनाना।

प्रियदर्शिनी टी-इस्टेट, केरल में चाय कारखाना

5035. **श्री के० मुरलीधरण : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल सरकार द्वारा केरल राज्य के वायनाड़ जिले में प्रियदर्शिनी टी-इस्टेट, मनटोडी में चाय कारखाने के निर्माण के लिए भेजे गए प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : मनटोडी जनजाति बागन सहकारी समिति लि०, केरल ने प्रियदर्शिनी टी-इस्टेट में चाय की फैक्टरी के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया है जो विचाराधीन है ।

भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता के मामले

5036. **श्री मनोरंजन सुर : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1988 से अगस्त, 1990 के दौरान दिल्ली और बम्बई में भारत पर्यटन विकास निगम के कुछ अधिकारियों के कार्यालय-भवनों कार्य करने के स्थानों तथा निवास-स्थानों पर सतर्कता/केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने छापे मारे थे तथा उनके पास आपत्तिजनक दस्तावेज, वस्तुएं और उनकी घोषित आय के स्रोतों के अनुपात में अधिक सम्पत्ति पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो भारत पर्यटन विकास निगम के इन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; उनके विरुद्ध किस प्रकार के मामले दर्ज किए गए हैं; उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के तथ्य क्या हैं तथा इनका स्वरूप क्या है; केन्द्रीय जांच ब्यूरो/सतर्कता विभाग द्वारा उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध किस तारीख को मामले दर्ज किए गए;

(ग) प्रत्येक मामला इस समय किस स्थिति में है; और

(घ) शीघ्र जांच के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) जांच पहले ही चल रही है ।

विवरण

जनवरी 1988 से अगस्त 1990 (13-8-90 तक) की अवधि में दिल्ली तथा बम्बई में भारत पर्यटन विकास नियम के कर्मचारियों के कार्यस्थलों तथा निवास स्थानों पर मारे गए छापों के परिणामस्वरूप इन कर्मचारियों के विरुद्ध सी० बी० आई० द्वारा पंजीकृत नियमित मुकदमों का विवरण

अधिकारी का नाम	संक्षेप में मामलों/आरोपों का प्रकार	पंजीकरण की तारीख	मामले की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
दिल्ली			
कनिष्ठ सहायक, अशोक होटल, नई दिल्ली	अनधिकृत/गैर-कानूनी ढंग से विदेशी मुद्रा अर्जित करना/रखना, इसे अधिमूल्य पर बेचना, आदि	आर० सी० तारीख 11-11-88	त्याग-पत्र दिया और सेवाएं छोड़ दीं ।
एरिया उपाध्यक्ष (कनिष्ठ) प्रधान प्रबंधक, होटल जनपथ	एक व्यक्ति को अनुचित आर्थिक लाभ देने के लिए आपराधिक साजिश जनपथ होटल नई दिल्ली के एक लॉकर में से धन तथा आभूषण अप्राधिकृत रूप से किसी को सौंपना ।	आर० सी० तारीख 11-12-89	जांच चल रही है ।
प्रधान प्रबंधक (कार्मिक) मुख्यालय, दिल्ली	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्ति का अर्जन, सरकारी पद का दुरुपयोग आदि ।	आर० सी० तारीख 28-12-89	जांच चल रही है ।

1	2	3	4
सम्राट होटल नई दिल्ली के वरिष्ठ प्रबंधक (एम०एम० एण्ड डी०) वरिष्ठ प्रबन्धक (लेखा) अधीक्षक भण्डार	कार्यविधि का उल्लंघन तथा रिकार्डों में जालसाजी करके भारत पर्यटन विकास निगम को धोखा देने की नियत से आपराधिक साजिश ।	आर० सी० तारीख 11-4-90	जांच चल रही है ।
उपाध्यक्ष (परियोजना इंजीनियरिंग) मुख्यालय, दिल्ली	संविदा प्रदान करने में आपराधिक साजिश और गैर-कानूनी परितोषण स्वीकार करना ।	आर० सी० तारीख 25-6-90	जांच चल रही है ।
बम्बई			
दो बिक्री सहायक	आयातित सामानों/मदों को अनधिकृत रूप से अधिमूल्य पर बेचना, अतिरिक्त/अघोषित विदेशी/ भारतीय मुद्रा रखकर अनियमितताएं बरतना आदि ।	आर० सी० तारीख 16-5-90	जांच चल रही है ।
पांच बिक्री सहायक	आयातित सामानों/मदों को अनधिकृत रूप से अधि-मूल्य पर बेचना, अतिरिक्त/अघोषित विदेशी/मुद्रा रखकर अनियमितताएं बरतना, शराब के स्टॉक में कमी आदि ।	आर० सी० तारीख 16-5-90	जांच चल रही है ।

स्वैच्छिक लेखाबाह्य धन प्रकटन योजनाओं का असफल होना

5037. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :**
श्री राम बहादुर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1965, 1975 में लागू की गई स्वैच्छिक लेखाबाह्य धन प्रकटन योजनाओं और बाद में 1983 की क्षमा योजना के असफल होने के कारणों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के अन्तर्गत कर-वसूली ब्याज आदि के रूप में (योजना-वार) कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है और इन योजनाओं को लागू किए जाने से अनुमानत: कितना काला धन सफेद धन में परिवर्तित हुआ ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) वर्ष 1965 और 1975 में लागू की गई स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजनाओं के तहत प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं :

योजना	कर-निर्धारितियों की संख्या	घोषित आय (करोड़ रु० में)	संदेय कर (करोड़ रु० में)
अघोषित आय की स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना, 1965 का वित्त अधिनियम (सं० 1)	2001	52.18	30.80
आय की स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना, 1965 का वित्त अधिनियम (सं० 2)	1,14,226	145	19.45

योजना	आय के संबंध में घोषणाओं की संख्या	घोषित आय की राशि	धन के संबंध में घोषणाओं की संख्या	घोषित धनराशि
आय और धन के स्वैच्छिक प्रकटीकरण की योजना, 1975	2,45,570	746.07 करोड़ रुपए	13,422	841.72 करोड़ रुपए

(कुल संदेय कर की राशि लगभग 249 करोड़ रुपए बैठती थी)

सरकार ने वांचू समिति की रिपोर्ट (दिसम्बर, 1971) पर विचार किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, 1965 की दो योजनाओं सहित स्वैच्छिक प्रकटीकरण की पूर्ववर्ती योजनाओं पर गहराई से विचार किया गया था।

सरकार ने लोक लेखा समिति की 123वीं रिपोर्ट (1978-79) (छठी लोक सभा) में की गई उनकी सिफारिशों पर भी विचार किया है, जिसमें आय और धन की स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना, 1975 पर विचार किया गया था। इस योजना से सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के सीमित उद्देश्य की पूर्ति में काफी सहायता मिली थी।

वर्ष 1985 में लागू राजक्षमा योजना, जो कि 31 मार्च, 1987 तक जारी रही थी, से प्राप्त ठीक-ठीक परिणाम उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि यह योजना एक अलग सांविधिक योजना नहीं थी और इसके अन्तर्गत पूर्ववर्ती प्रकटीकरण योजनाओं की भांति अलग से विवरणियां दाखिल करने की अपेक्षा नहीं की गई थी।

स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि०, नई दिल्ली द्वारा कच्चे माल की बुकिंग

5038. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० एस० ओ० स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लि०, नई दिल्ली में डी० जी० टी० डी० के कुछ एककों में नियमित उत्पादन के लिए उन्हें डी० जी० टी० डी० प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की अनदेखी करके प्राइवेट चार्टर्ड इन्जीनियर के प्रमाण-पत्र के आधार पर भारी मात्रा में कच्चे माल की बुकिंग अभी भी जारी है;

(ख) एफ० आर० एस० में उपरोक्त आधार पर जुलाई-सितम्बर, 89 से अब तक स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लि० द्वारा प्रत्येक तिमाही ग्रेशम एंड कम्पनी, लक्ष्मी एग्रो इण्डस्ट्रीज, शिवानी फेब्रीकेटर्स, जी० एम० सी० हिम्को के लिए कितनी मदें दर्ज की गई;

(ग) उपरोक्त एककों की लाइसेंस क्षमता, कच्चे माल की आवश्यकता संबंधी प्रमाण-पत्र और प्राइवेट चार्टर्ड इन्जीनियर प्रमाण-पत्र, मात्रा/मद-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ब्रेक उपकरणों के लिए वार्षिक लाइसेंस क्षमता क्या है और डी० जी० टी० डी० द्वारा ग्रेशम एंड कम्पनी को "स्टील सेक्शनों" और "पिग आयरन" (कच्चा लोहा) के कच्चे माल की आवश्यकता के लिए जारी प्रमाण-पत्र का ब्यौरा क्या है;

(ङ) ग्रेशम एंड कम्पनी द्वारा एफ० आर० एस० में प्राइवेट चार्टर्ड इन्जीनियर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र पर स्टील अथारिटी द्वारा माल बुक करने का औचित्य क्या है; और

(च) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ङ) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड अपने नई दिल्ली स्थित ब्रांच सेल्स आफिस सहित विभिन्न खरीदारों को संयुक्त संयंत्र समिति वितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों में दी गई शर्तों के अनुसार संयुक्त संयंत्र समिति श्रेणी की लोहे और इस्पात की सामग्री वितरित करती है।

मैसर्स ग्रेशम एंड कम्पनी डी० जी० टी० डी० की एक यूनिट है जिसको अन्यों के साथ-साथ सेल के ब्रांच सेल्स आफिस द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

जहां तक डी० जी० टी० डी० यूनिट का संबंध है, क्षमता/पंजीकरण प्रमाण-पत्र में तैयार माल की मात्रा का उल्लेख होता है न कि इसके लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री का। अतः डी० जी० टी० डी० के प्रामण पत्रों में उल्लिखित तैयार माल के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री की आपूर्ति के लिए चार्टर्ड इन्जीनियरों पर भरोसा करना होगा। संयुक्त संयंत्र समिति वितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों में डी० जी० टी० डी० यूनिटों को चार्टर्ड इन्जीनियरों के प्रमाण-पत्र पर सप्लाई देने पर कोई रोक नहीं है। निर्धारित प्रपत्र के अनुसार मांगकर्त्ता को यह घोषणा करनी होती है कि की गई मांग उनकी लाइसेंसीकृत/पंजीकृत क्षमता से अधिक नहीं है ।

(ख) से (घ) इस सूचना को प्रकट करना न तो सेल के हित में है और न ही उल्लिखित पार्टियों के।

(च) उपरोक्त को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में जब्त किए गए गांजे को नष्ट करना

5039. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन अधिकारियों को पुरस्कार देने का विचार है, जिन्होंने मन्नाट, केरल में गांजे को नष्ट किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) केरल के इडुक्की जिले में मन्नाट क्षेत्र के समीप गांजे को नष्ट करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार देने का कोई प्रावधान नहीं है। पुरस्कार ग्राह्य हैं, किन्तु पुरस्कारों के भुगतान को स्थगित करने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों को देखते हुए ऐसे भुगतानों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

"खुला मंच" का प्रसारण

5040. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन ने "खुला मंच" नामक पाक्षिक कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा 18 अगस्त, 1990 के "खुला मंच" कार्यक्रम को सेंसर किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, कार्यक्रम का समुचित संपादन करना पड़ा ताकि दर्शकों का ध्यान कार्यक्रम की वास्तविक विषय वस्तु अर्थात रेलवे के काम की ओर केन्द्रित किया जा सके।

सी० आर० सी० ए० शीटों पर आयात शुल्क

5041. **श्री समरेन्द्र कुण्डू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० आर० सी० ए० शीटों, जी० पी० शीटों और रंग चढ़ाए गए शीटों पर आयात शुल्क में वृद्धि की गयी है; यदि हां, तो इनमें कितनी वृद्धि की गयी है; और

(ख) क्या 'होट रोल्ड कॉइल्स', 'वेस मेटिरियल्स' पर आयात शुल्क में वृद्धि नहीं की गयी है; यदि हां, तो इस पक्षपात के क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जी० पी० शीटों तथा रंग चढ़ायी गयी शीटो पर आयात शुल्क की दरों में हाल ही में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। 1990-91 के बजट में 'कोल्ड रोल्ड शीटो' के सम्बन्ध में शुल्क के समग्र भार पर बिना किसी महत्वपूर्ण प्रभाव के मूल्यानुसार शुल्क के एक भाग को विशिष्ट शुल्क में परिवर्तित करके आयात शुल्क की दरों को 5000 रुपए प्रति मीटरी टन जमा 45% (मूल+उपचंगी) से बढ़ाकर 6600 रुपए प्रति मीटरी टन जमा 30% (मूल+उपचंगी) किया गया था। तदनुसार मूल सामग्रियों पर आयात शुल्क में वृद्धि न किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन के सेन्ट्रल प्रोडक्शन सेंटर को एशियाड खेल गांव परिसर में किराए पर देना

5042. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के एशियाड खेल गांव परिसर स्थित सेन्ट्रल प्रोडक्शन सेन्टर को किराए पर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका किराया कितना है;

(ग) क्या दूरदर्शन फिल्मो और अन्य कार्यक्रमों के निर्माता कम से कम समय में इन सुविधाओं का अधिकतम सदुपयोग कर रहे है ताकि खर्च को कम किया जा सके; और

(घ) मुख्य दूरदर्शन प्रोडक्शन सेन्टर की तुलना में सेन्ट्रल प्रोडक्शन सेन्टर के दिन प्रतिदिन के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) दूरदर्शन के केन्द्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र की स्थापना दूरदर्शन के अपने कार्यक्रमों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय सुविधा के रूप में की गई है। जिनमें गहन अनुसंधान और लम्बे समय की रिकार्डिंग की अपेक्षा होती है। दूरदर्शन का यह शतत प्रयास है कि इस सुविधा का लाभप्रद ढंग से अधिकतम उपयोग किया जाए।

(घ) केन्द्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, दूरदर्शन के अन्य कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों की तरह नित्य प्रति के प्रसारण के लिए अपेक्षित कार्यक्रमों के निर्माण से नहीं जुड़ा है। तथापि, इसकी कार्य पद्धति ऐसी रखी गई है जिससे इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

कलकत्ता दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र का कार्यकरण

5053. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता स्थित दूरदर्शन के कार्य करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या कलकत्ता दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल में, कलकत्ता के दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों के काम के बारे में शिकायत की थी । मन्त्रालय और माध्यम यूनिटों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कलकत्ता का दौरा किया। यह पाया गया कि समाचार बुलेटिनों में कुछ समाचारों को देने के बारे में माध्यम यूनिटों के कलकत्ता केन्द्रों और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कुछ गलतफहमी हो गई थी । दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता और आकाशवाणी, कलकत्ता को यह कह दिया है कि वे राज्य सरकार के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करें और साथ ही समाचारों और समाचार विश्लेषणों का सही, वस्तुनिष्ठ पक्षपात रहित और संयत प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने के लिए मार्गनिर्देशों का कड़ाई से अनुसरण करें।

राजस्थान में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

5044. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उन परियोजनाओं को स्वीकृत देने का अनुरोध किया है जो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों में विदेशी मुद्रा के रूप में वित्त पोषित की जा रही हैं; और

(ख) निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली इन परियोजनाओं का, स्थान-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एककों का बन्द होना

5045. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** :
श्री बम्कम पुरुषोत्तमन :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआरा कल्याण निधि के कतिपय उपबन्धों से संबंधित विवादों के समाधान करने में सरकार की असफलता के परिणामस्वरूप केरल में कई समुद्री उत्पाद निर्यातक एकक, प्रसंस्करण एकक और चाय संयंत्र बन्द हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में समुद्री उत्पाद निर्यातक एसोसिएशन के अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का इन मामलों को शीघ्र निपटाने का विचार है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार के गतिरोध की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिससे कि भारी विदेशी मुद्रा की क्षति होती है; क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) केरल क्षेत्र में समुद्री उत्पादों के सभी संसाधन-पूर्व और संसाधन संयंत्रों ने केरल मछुआरा कल्याण निधि में बकाया अंशदान एकत्र करने के लिए सरकार के राजस्व वसूली के निर्णय के खिलाफ 10-7-90 से काम करना बन्द कर दिया।

(ख) और (ग) समुद्री खाद्य उद्योग, केरल सरकार तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय बैठक के आधार पर 25 जुलाई, 1990 को एक समझौता हुआ था। समुद्री खाद्य संसाधन एककों ने अब काम करना पुन: आरम्भ कर दिया है।

(घ) सरकार को भविष्य में दोबारा ऐसा अवरोध होने की सम्भावना दिखाई नहीं देती।

दूरदर्शन के लिए कुमायूं की संस्कृति/इतिहास संबंधी लघु धारावाहिक

[हिन्दी]

5046. **श्री एम० एस० पाल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन को 31 मार्च, 1990 तक कुमायूं की संस्कृति/इतिहास के संबंध में कितने लघु धारावाहिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए; और

(ख) इन धारावाहिकों को स्वीकृति देने में कितना समय लगने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा विभिन्न केन्द्रों में प्रसारण के लिए प्राप्त प्रस्तावों की केन्द्रवार समेकित सूची नहीं रखी जाती।

राजकोट, भुज और अहमदाबाद दूरदर्शन केन्द्रों की प्रसारण क्षमता

[अनुवाद]

5047. **श्री बलवंत मन्वर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोट, भुज और अहमदाबाद दूरदर्शन केन्द्रों की प्रसारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) अहमदाबाद, राजकोट और भुज में कार्यरत दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की अनुमानित सेवा रेंज तथा शक्ति रेटिंग अलग दी गई है :

	सेवा रेंज	शक्ति रेटिंग
1. अहमदाबाद का उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर	120 कि० मी०	10 कि० वाट
2. राजकोट का उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर	120 कि० मी०	10 कि० वाट
3. भुज का अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर	25 कि० मी०	100 कि० वाट

उपर्युक्त सेवा रेंज में किनारे के क्षेत्र भी आते हैं, जहां संतोषजनक रिसेप्शन प्राप्त करने के लिए ऊंचे एन्टिना और बूस्टरों की आवश्यकता होती है।

(ख) और (ग) अहमदाबाद और राजकोट के उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर इस समय कम शक्ति पर चल रहे हैं, क्योंकि एन्टिना सिस्टम के कुछ ब्रांच फीडर केबल खराब हो गए हैं। इन खराब ब्रांच फीडर केबलों के बदलने/इनकी मरम्मत करने के बारे में कार्रवाई आरंभ की गई है। भुज के अल्प शक्ति ट्रांसमीटर का कवरेज स्थानीय भूभागीय स्थितियों के कारण सीमित है।

(घ) अहमदाबाद, काजकोट के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा भुज को अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के सेवा रेंज के भीतर आंशिक अथवा पूर्णरूप से आने वाले जिलों के नाम नीचे दिए गए हैं :

दूरदर्शन ट्रांसमीटर	सेवा रेंज के भीतर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से आने वाले जिलों के नाम
1. उच्च शक्ति (10 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर अहमदाबाद	अहमदाबाद, बड़ोदरा, गांधी नगर, महीसाना, साबरकंठ, सुरेन्द्र नगर, खेड़ा और पंचमहल
2. उच्च शक्ति (10 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर राजकोट	राजकोट, जामनगर, सुरेन्द्र नगर, जूनागढ़, भाव नगर और अमरेली
3. अल्प शक्ति (100 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर, भुज	कच्छ जिले का छोटा भाग

उड़ीसा और राजस्थान में आयोजित लोक अदालतें

5048. **श्री रवि नारायण पाणि :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा और राजस्थान में कितनी लोक अदालतें आयोजित की गयीं; और

(ख) इन लोक अदालतों द्वारा कितने मामलों का निपटान किया गया तथा 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार इनके पास कितने मामले विचाराधीन हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) उड़ीसा और राजस्थान विधिक सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अनुसार जानकारी निम्नानुसार है :

उड़ीसा

वर्ष	आयोजित लोक अदालतों की सं०	निपटाए गए मामलों की सं०
1988-89	271	77,314
1989-90	277	77,031

राजस्थान

वर्ष	आयोजित लोक अदालतों की सं०	निपटाए गए मामलों की सं०
1988	73	68,601
1989	3	16,285

लोक अदालतें नियमित रूप से गठित न्यायालय नहीं हैं। वे स्वैच्छिक प्रयास हैं और देश के भिन्न-भिन्न भागों में समय समय पर आयोजित की जाती हैं। सामान्यतः लोक अदालतों में लिए गए मामले उसी दिन निपटा दिए जाते हैं। ऐसे मामले, जो न्यायालयों से मंगाए गए हों और जिन्हें लोक अदालतें निपटा नहीं पातीं, उन्हीं न्यायालयों को निपटाने के लिए वापस भेज दिए जाते हैं। अतः लोक अदालतों में कुछ लम्बित नहीं रहता है।

दूरदर्शन के लिए धारावाहिक कार्यक्रमों का निर्माण

5049. **श्री माग्यता सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हम लोग" और "इण्डिया क्वीज" जैसे कुछ धारावाहिक कार्यक्रम जिनका गुड़गांव स्थित किसी गैर-सरकारी स्टूडियो में निर्माण किया गया था, दूरदर्शन पर प्रसारित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए सरकार से कोई अनुमति ली गई थी और क्या इन धारावाहिक कार्यक्रमों के लिए विभाग द्वारा निर्माताओं को कोई धनराशि दी गई थी; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी अनियमितता का पता चला था और यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) दूरदर्शन ने "हम लोग" तथा "इण्डिया क्वीज" टी० वी० धारावाहिकों का निर्माण कार्य बाहरी गैर-निर्माताओं को सौंपा था। ऐसे मामलों में स्टूडियो चुनने की जिम्मेदारी पूर्णरूप से गैर-सरकारी निर्माताओं की होती है तथा उसके लिए उन्हें न तो दूरदर्शन को किसी प्रकार का ब्यौरा देना होता है और न ही इसके लिए किसी पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है।

चूंकि, ये दोनों धारावाहिक प्रायोजित कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित किए गए थे, इसलिए दूरदर्शन को इन धारावाहिकों के निर्माण पर किसी प्रकार का खर्च नहीं उठाना पड़ा था।

मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड के विरुद्ध बकाया राशि का दावा

5050. **श्री हेत राम** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पटना ने मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड के विरुद्ध 9.29 करोड़ रुपए की बकाया राशि का दावा किया था; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त कम्पनी ने इस दावे के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी;

(ग) क्या सरकार ने इस रिट याचिका पर मुकदमा लड़ने के लिए पटना उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील नियुक्त किया था; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पटना उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका पर निर्णय किया था और इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय का निर्णय क्या था;

(ङ) क्या सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई अपील करने की इच्छा जताई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां। निरीक्षण महानिदेशक के न्याय निर्णयन आदेश के अनुसार विभेदी शुल्क की मात्रा का पुनः निर्धारण किए जाने के कारण 8.29 करोड़ रुपए की राशि की मांग की गई थी।

(ख) मैसर्स आई० टी० सी० लि० ने पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 1713/90 इस आधार पर दायर की थी कि उनको जारी की गई उक्त मांग नैसर्गिक-न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध थी क्योंकि यह मांग जारी करने से पूर्व उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था।

(ग) जी, हां, विभाग की ओर से बिहार के एडवोकेट जनरल पैरवी कर रहे थे।

(घ) पटना उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका पर 16-5-90 को निर्णय दे दिया है। उच्च न्यायालय ने मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड, पटना के नाम जारी की गई 8.29 करोड़ रुपए की

उक्त मांग को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि विभाग कारण बताओ नोटिस आदि जारी करने के बाद मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अतिरिक्त राशि की वसूली कर सकता है, यदि यह कानूनी तौर पर संभव हो।

(ङ) पटना उच्च न्यायालय के आदेश की सम्बन्धित विधिक प्राधिकारियों के परामर्श से जांच की जा रही है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सोने की तस्करी और इसका आयात

5051. **श्री माणिकराव होल्डया गावीत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सोने के आयात और इसकी तस्करी में दिन प्रति दिन वृद्धि हो रही है जैसा कि 9 अगस्त, 1990 के 'नवभारत टाइम्स' में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा होने के कारण क्या हैं;

(ग) सातवीं योजना अवधि में प्रत्येक वर्ष सोने की कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(घ) सातवीं योजना में प्रत्येक वर्ष देश में सोने की अनुमानित खपत एवं उपलब्धता कितनी रही; और

(ङ) देश में सोने की तस्करी रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) तस्करी रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है तथा तस्करी-रोधी तन्त्र को सम्पूर्ण देश में, विशेषतया भू-सीमाओं और समुद्र तट के सुगम्य स्थानों पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा समुद्र पत्तनों पर सुदृढ़ बना दिया गया है। सोने की तस्करी सहित, अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का पता लगाने एवं इसे रोकने के लिए लगाई गई सभी सम्बन्धित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है। एक्स-रे मशीनों, धातु-खोजी यंत्रों आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, सीमा शुल्क कार्यालयों को जलयानों, वाहनों, अग्नेयास्त्रों, दूर संचार आदि जैसे उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

अनिवासी भारतीयों द्वारा इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों के किराए का डालर में भुगतान

5052. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों और विदेशियों को इण्डियन एयरलाइन्स के विमान किराए का डालर में भुगतान करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां। विदेशियों तथा अनिवासी

भारतीयों द्वारा इण्डियन एअरलाइन के विमानो का अन्तर्देशीय भाड़ा अमेरिकी डालरों में दिया जाना अपेक्षित है ।

(ख) विदेशियों/अनिवासी भारतीयों को जारी किए जाने वाले टिकटों के मामले में, चाहे टिकट जारी करने का स्थान कोई भी हो, इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों का अन्तर्देशीय भाड़ा, 1 जुलाई, 1990 से अमेरिकी डालरों में दिया जाना लागू हो गया है । अदायगी या तो अमेरिकी डालरों में और या किसी अन्य स्वीकार्य विदेशी मुद्रा में की जा सकती है । इण्डियन एअरलाइन्स द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि इस प्रणाली के परिणामस्वरूप लगभग 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित की जाएगी ।

स्वर्ण आभूषणों और चांदी की वस्तुओं का निर्यात

5053. **श्री वसंत साठे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण आभूषणों तथा चांदी की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ख) जनवरी, 1990 से जून, 1990 के दौरान वर्ष 1989 की इसी अवधि की तुलना में, स्वर्ण आभूषणों तथा चांदी की वस्तुओं का कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) रत्न और आभूषण निर्यात के लिए थ्रस्ट क्षेत्र है । सरकार ने स्वर्णाभूषण और चांदी की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं । इनमें शामिल हैं—स्वर्णाभूषण के निर्यात-उत्पादन के लिए विशेष कंप्लेक्स स्थापित करना, एम० एम० टी० सी० द्वारा इन विशेष कंप्लेक्सों को सोना सप्लाई करने के लिए विशिष्ट व्यवस्था, अपेक्षित निविष्टि और अवस्थापना सम्बन्धी सहायता तथा स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम रद्द करना । निर्यात संसाधन जोन तथा शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक योजना के तहत इस क्षेत्र में एकक स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाया गया है ।

(ख) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जनवरी, जून, 1989 की तुलना में जनवरी-जून, 1990 के दौरान स्वर्णाभूषण और गैर-स्वर्णाभूषण (जिनमें चांदी के आभूषण और वस्तुएं शामिल हैं) के निर्यात का निम्नानुसार अनुमान लगाया गया है :

(करोड़ रु०)

मद	जनवरी-जून 1990	जनवरी-जून 1989
1. स्वर्णाभूषण	161.09 (अ)	122.44
2. गैर-स्वर्णाभूषण	6.38 (अ)	4.49

(अ) अनन्तिम ।

उत्तर प्रदेश में लगी लोक अदालतें

[हिन्दी]

5054. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-90 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी लोक अदालतें लगाई गयीं; और

(ख) इन लोक अदालतों द्वारा वर्ष-वार कितने मामले निपटाए गए ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1987-90 के दौरान उत्तर प्रदेश में आयोजित लोक अदालतों और निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	लोक अदालतों की संख्या (छोटी लोक अदालतों सहित)	निपटाए गए मामलों की संख्या
1987-88	129	1,73,147
1988-89	174	1,83,384
1989-90	186	2,14,400

पूर्वी-यूरोपीय देशों को निर्यात

[अनुवाद]

5055. **श्री गंगा चरण लोधी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी यूरोपीय देशों को किन-किन मदों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) क्या पूर्वी-यूरोपीय देशों को उपभोक्ता सामान का कोई निर्यात नहीं किया जाता; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) भारत से पूर्वी यूरोपीय देशों को निर्यात की जाने वाली विभिन्न मदों में कृषि-उत्पाद, खनिज तथा अयस्क, चर्म-उत्पाद, पोशाक सहित वस्त्र, रसायन तथा रसायन-उत्पाद, इंजीनियरी सामान इत्यादि शामिल हैं। निर्यात के क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ता वस्तुएं जैसे पोशाक, घरेलू सामान, रसायन, डिटरजेंट, रेजर ब्लेड, इत्यादि तथा उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स, यात्री-कार, मोपेड जैसे दोपहिए इत्यादि जैसी टिकाऊ वस्तुएं आती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में मामलों की पैरवी करने वाले अधिकारियों को मानदेय

5056. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय कठिनाइयों के कारण सरकार ने न्यायालयों और विशेषकर केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में मामलों की पैरवी के लिए कोई गैर-सरकारी वकील न रखने और संबद्ध कार्यालयों के इन मामलों को निपटाने वाले अधिकारियों से ही इन मामलों की पैरवी बिना किसी अतिरिक्त प्रतिपूर्ति के कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय के ध्यान में यह बात आई कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों में मामलों की पैरवी करने वाले या विभागीय कार्यवाही में जांच अधिकारियों का काम करने वाले अधिकारियों को मानदेय का भुगतान या सरकारी धन का अपव्यय किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस फिजूलखर्ची को रोकने के लिए किए जा रहे ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यात गृहों का कार्य निष्पादन

5057. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्यता प्राप्त अधिकांश निर्यात गृहों द्वारा बहुत कम विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) कितनी वार्षिक निर्यात राज सहायता स्वीकृत की गई और इन राज सहायताओं के लाभार्थियों ने कुल कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन किया है; और

(घ) क्या मान्यता प्राप्त निर्यात गृहों की निर्यात आय मुख्यतः उनके अपने उत्पादों की बजाय लघु उद्योगों से खरीदे गए उत्पादों के कारण हैं;

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निर्यात घरानों को दी जाने वाली निर्यात अर्थ-सहायता के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) लघु उद्योगों से खरीदे गए उत्पादों के निर्यात से हुई आय की जानकारी अलग से नहीं रखी जाती है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के दूरदर्शन केन्द्रों को लखनऊ से जोड़ा जाना

[हिन्दी]

5058. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के दूरदर्शन केन्द्रों को लखनऊ दूरदर्शन से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जायेगा; और

(ग) क्या गोरखपुर दूरदर्शन केन्द्र को अपने कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) दूरदर्शन ने दूरदर्शन केन्द्र लखनऊ और इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर सहित राज्य में कार्यरत बहुत से उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटरों के बीच डेडीकेटिड टी० वी० बेयरिंग माइक्रोवेव सर्किट की स्थापना करने के लिए पक्के आर्डर दे दिए हैं। यद्यपि इलाहाबाद और वाराणसी के टी० वी० ट्रांसमीटर को 1991 के दौरान दूरदर्शन केन्द्र लखनऊ के साथ जोड़ दिए जाने की आशा है; लेकिन, गोरखपुर में यह सुविधा 1992 में ही उपलब्ध हो सकेगी। तथापि, बिहार में कार्यरत किसी ट्रांसमीटर को लखनऊ दूरदर्शन से जोड़ने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) गोरखपुर दूरदर्शन केन्द्र सप्ताह में 5 दिन हर रोज 40 मिनट की अवधि का एक स्थानीय महत्व का कार्यक्रम पहले से ही निर्मित एवं प्रसारित कर रहा है।

अन्तर्राज्यीय कानूनों के कारण निर्यात में बाधा

[अनुवाद]

5059. **श्री बबन राव ढाकणे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इन अन्तर्राज्यीय कानूनों को समाप्त करने पर विचार कर रही हैं जिनके कारण निर्यात में बाधा आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) निर्यात में बाधक किसी भी अन्तर्राज्यीय कानूनों में संशोधन का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

निर्यात और आयात में अन्तर

5060. **श्री जे० चौक्का राव** :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात और आयात में वर्तमान अन्तर कितना है और यह अन्तर होने का मुख्य कारण क्या है;

(ख) क्या सरकार का निर्यात बढ़ाने हेतु और प्रोत्साहन देने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वी यूरोप में आए राजनीतिक परिवर्तनों का भारत की भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 1990-91 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान व्यापार घाटा 1877 करोड़ रुपए था। व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारण हैं : विश्व बाजार में छोटे हीरों जिनका कि भारत से निर्यात होता है, की मांग में मन्दी की वजह से रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के निर्यात में कमी होना है और उर्वरकों, दालों, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों, अखबारी कागजों, धात्विक अयस्कों और धातु कतरनों आदि जो कि घरेलू उपभोग विनियोजन और उत्पादन के लिए आवश्यक हैं, के आयात में वृद्धि होना है।

(ख) वर्ष 1990-91 की निर्यात रणनीति के मूल तत्व हैं : निर्यातकों के लिए विश्व कीमतों पर कच्चे माल, संघटक और पूंजीगत सामान की उपलब्धता, सी० सी० एस०, शुल्क वापसी, आई० पी० आर० एस० और रियायती ब्याज दरों जैसे निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को मजबूत बनाना, समर्थनकारी विनिमय दरें और मांग प्रबन्ध नीतियां, अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार और प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

(ग) इस समय, यह दिखाने के कोई सबूत नहीं कि पूर्वी यूरोप में परिवर्तनों से देश की भुगतान संतुलन की स्थिति में विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों की मांगें

5061. **श्री बी० राजशेखर वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आल इण्डिया स्टेट बैंक आफिसर्स फेडरेशन ने कर्मचारियों की अत्यधिक कमी तथा वेतन ढांचे में विसंगतियों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए आन्दोलन चलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मांगों में अन्य मांगों के अलावा व्यापक पदोन्नति नीति तथा पेंशन योजना में सुधार करने की मांगे शामिल हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) बैंक में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से सम्बन्धित मुद्दा अलग-अलग बैंकों में विभागीय पदोन्नति समिति (डी० पी० सी०) जैसे निकाय पर छोड़ दिया गया है। फेडरेशन की अन्य मांगों का, विशेष रूप से वे जिनमें वित्तीय बोझ शामिल है, समूचे उद्योग पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए उन पर, मांगों की व्यवहार्यता के संदर्भ में अथवा अन्यथा विचार किया जाना होता है।

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन

5062. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान देश में प्राकृतिक रबड़ का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इस अवधि के दौरान रबड़ की कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ग) इस वर्ष रबड़ का कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(घ) क्या निकट भविष्य में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरूण कुमार नेहरू) : (क) वर्ष 1989 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का कुल उत्पादन 2,88,592 मी० टन हुआ।

(ख) वर्ष 1989 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान आयात की गई मात्रा 27,005 मी० टन है।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान रबड़ का उत्पादन 3.30 लाख एम० टी० होने का अनुमान है।

(घ) सरकार का प्रयास है कि विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से इस शताब्दी के अन्त तक रबड़ उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली जाए।

(ङ) आठवीं योजना के लिए रबड़ बोर्ड ने निम्नलिखित तीन सूत्री नीति का सुझाव दिया है।

(1) रबड़ की खेती में क्षेत्र का 80,000 हेक्टेयर तक विस्तार करना।

(2) 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले आधुनिक कल्टीवारों के साथ-साथ पुराने और कम उपज देने वाले क्षेत्रों में पुनर्रोपण ।

(3) पौधा संरक्षण, खाद देना, खेती और फसल संसाधन की नयी तकनीकें अपनाने को लोकप्रिय बनाकर वर्तमान रोपण की उत्पादकता में वृद्धि करना।

आठवीं योजना के टर्मिनल वर्ष के लिए प्रस्तावित उत्पादन लक्ष्य 4,81,000 टन तथा प्रस्तावित खर्च 256.54 करोड़ रुपए है।

सीमेंट का आयात

[हिन्दी]

5063. **श्री राजबीर सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 के दौरान उत्तर प्रदेश की विभिन्न नियत एजेंसियों के माध्यम से सामान्य (जनरल) लाइसेंस के अन्तर्गत सीमेंट का आयात करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राज्य नागरिक पूर्ति निगम द्वारा आयात नीति का उल्लंघन करके खुले बाजार में सीमेंट बेचा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनजातीय क्षेत्रों में रेडियो स्टेशन

5064. **श्री नन्दलाल मीना : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : वर्ष 1990-91 के दौरान चाइबासा, गोधरा, बेतूल, रायगढ़, शहडोल, बारीपाडा, बांसवाड़ा और कैलाशहर के जनजातीय क्षेत्रों में नये रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1990-91 के दौरान जोरहाट, कन्नानौर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, खंडवा, अहमदनगर, चन्दरपुर, नान्देड, यवतमाल, चित्तौड़ गढ़ में भी रेडियो स्टेशन स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इन केन्द्रों के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ जनजातीय आबादी वाले कुछ क्षेत्र भी आ जाते हैं।

निर्यात घरानों का कार्य निष्पादन

5065. **श्री संजय लाल :**
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फेडरेशन आफ इण्डिया एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन के पास ऐसे कितने पंजीकृत एकक हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान 50 करोड़ या उससे अधिक धनराशि का माल प्रति वार्षिक निर्यात किया है;

(ख) गत वित्त वर्ष के दौरान लघु उद्योगों और बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा कितने मूल्य का माल निर्यात किया गया;

(ग) क्या बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा किए गए निर्यात की अपेक्षा लघु उद्योगों द्वारा अधिक मात्रा में निर्यात किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपलब्ध परिणामों के आधार पर निर्यात कंपनियों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की वर्तमान नीति के बारे में पुनर्विचार करने का है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) 12

(ख) और (ग) वर्ष 1988-89 के लिए सभी लघु उद्योगों द्वारा किए गए निर्यात का कुल मूल्य 5681.15 करोड़ रुपये (अनुमानित) रहा है। वर्ष 1989-90 के लिए सही आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

बहु राष्ट्रीय कम्पनियों से सम्बन्धित निर्यात आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। अतः लघु उद्योग क्षेत्र से उनके तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब नेशनल बैंक और फरोहा होल्डिंग्स के बीच समझौता

5066. **श्री बृज भूषण तिवारी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब नेशनल बैंक और फरोहा होल्डिंग्स के बीच जोकई टी होल्डिंग्स लिमिटेड शेयरों के लिए किन-किन तारीखों में हस्ताक्षर किए गए और कितनी अवधि के लिए समझौता बढ़ाया गया;

(ख) पंजाब नेशनल बैंक और फरोहा होल्डिंग्स के अधिकारियों के बीच समझौते का नवीकरण तथा इसकी अवधि बढ़ाने के लिए लंदन में किन-किन तारीखों और कुल कितनी बैठकें हुईं; और

(ग) पंजाब नेशनल बैंक के उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जो इन बैठकों में भाग लेने के लिए लंदन गए और उन्होंने भारत से किन-किन तारीखों में प्रस्थान किया ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि जोकई टी होल्डिंग्स लिमिटेड (जे० टी० एच० एल०) के शेयरों (जो बैंक के पास मैसर्स इसाल (कमोडिटीज) के खातों में प्रतिभूतियों में से एक प्रतिभूति के रूप में रखे हुए थे) की बिक्री खरीद से सम्बन्धित एक करार दिनांक 19 फरवरी, 1990 को मैसर्स रौस्सेल एस्टेट्स लिमिटेड के साथ किया गया था। इस करार से पहले मैसर्स फरोहा होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ बैंक द्वारा 22-6-1988 को एक सहमति पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रारम्भ में, बिक्री खरीद करार 15 मई, 1990 तक वैध था। बाद में दिनांक 14 मई, 1990, 30 जुलाई, 1990, 7 अगस्त, 1990 और 31 अगस्त, 1990 के अनुपूरक करारों द्वारा इसकी वैधता-अवधि 28 सितम्बर, 1990 तक बढ़ा दी गई है। बैंक ने आगे यह भी बताया है कि बिक्री-खरीद करार/सहमति ज्ञापन के नवीकरण/समयावधि बढ़ाने के प्रश्न पर सारी बातचीत, बैंक के लंदन स्थित प्रतिनिधियों द्वारा बैंक के लंदन स्थित प्रतिवक्ताओं (सालिसिटरों) के जरिए की गई थी। अलबत्ता, बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा महा प्रबन्धक, प्रत्येक के सामने नीचे दी गई तारीखों पर, सरकारी परिसमापकों और अन्य व्यक्तियों के साथ, विश्वव्यापी समझौतों को अन्तिम रूप देने के प्रश्न पर बातचीत करने के लिए गए थे।

पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा की गई लंदन यात्रा की तारीख	पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबन्ध द्वारा की गई लंदन यात्रा की तारीख
17-6-88 से 21-6-88	19-11-89 से 29-11-89
14-7-88 से 23-7-88	18-12-89 से 23-12-89
18-12-89 से 23-12-89	

अखबारी कागज के मूल्य में कमी का प्रस्ताव

[अनुवाद]

5067. **कुमारी उमाभारती :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इण्डिया लेंग्वेज न्यूजपेपर एसोसियेशन" ने प्रधान मन्त्री से अनुरोध किया है कि छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को संकट से बचाने के लिए अखबारी कागज के मूल्य में कमी की जाए;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पेपर मिलों को इस आशय के दिशानिर्देश जारी करने का है, जिससे अखबरी कागज के मूल्य में वृद्धि करने से पूर्व उन्हें केन्द्रीय सरकार की मंजूरी प्राप्त करनी पड़ेगी; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे दिशानिर्देश कब तक जारी कर दिए जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री वी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

कर प्रशासन को सुदृढ़ बनाना

5068. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेहतर कर वसूली/पालन सुनिश्चित करने हेतु कर प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ नए कदम उठाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) कर प्रशासन का मुख्य उद्देश्य करदाताओं से बेहतर कर वसूली सुनिश्चित करने तथा करदाताओं से बेहतर अनुपालन को बढ़ावा देना है। तथा वित्तीय व्यवस्था के अन्य विभिन्न वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में समय-समय पर निरंतर आधार पर सुसमुचित उपाय तैयार किए जाते हैं।

महंगाई भत्ते की घोषणा

5069. **श्री उत्तम राठौड़** :
श्री जे० पी० अग्रवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन-यापन लागत के सूचकांक में वृद्धि हो जाने के कारण केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई, 1990 से महंगाई भत्ता देय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार सूचकांक आंकड़ों में कितनी छमाही वृद्धि हुई है;

(ग) महंगाई भत्ते की घोषणा करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने के बारे में विचार कर रही है जिससे सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उत्तरोत्तर महंगाई भत्ते की अदायगी के परिणामस्वरूप राजस्व पर पड़ने वाले भार को कम किया जा सके; और

(ङ) क्या सरकार देय होते ही स्वतः महंगाई भत्ते का भुगतान स्वीकृत करने की स्थिति में है, क्योंकि वह स्वयं को एक आदर्श नियोक्ता समझती है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960 100) 31-12-1989 को 863 की तुलना में 30-6-1990 को 912 था।

(ग) वर्तमान स्कीम के अनुसार, 1 जुलाई से दी जाने वाली महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त सितम्बर के वेतन के साथ देय होती है और इस तरह उसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(घ) मूल्य वृद्धि रोकने को सरकार उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है जिसके लिए जो भी कदम आवश्यक समझे जाते हैं, समय-समय पर उठाए जाते हैं।

(ङ) महंगाई भत्ते का भुगतान स्वतः ही नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसकी राशि का निर्धारण मूल्य सूचकांकों में वृद्धि के आधार पर केन्द्रीय तौर पर किया जाना होता है जिसके लिए आंकड़े महंगाई भत्ते के देय होने की तारीख से सामान्यतः लगभग 6 सप्ताह का समय बीत जाने पर ही उपलब्ध होते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 171 में संशोधन

5070. श्री लाल कृष्ण आडवाणी :
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 19 जनवरी, 1990 को मुम्बई उच्च न्यायालय की खंड पीठ की इस टिप्पणी पर विचार किया है कि महाराष्ट्र विधान परिषद में 12 व्यक्तियों को नामित करने सम्बन्धी अधिसूचना वास्तव में संवैधानिक आदेश का उल्लंघन है, और यह औचित्य पूर्ण नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संविधान के अनुच्छेद 171 में उपयुक्त संशोधन करने सम्बन्धी कानून बनाने का है ताकि नामांकन शक्ति का प्रयोग संविधान निर्माताओं की मंशा के अनुरूप हो ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। किन्तु सरकार महसूस करती है कि इस सम्बन्ध में कोई स्वरूप परंपरा स्थापित की जानी चाहिए।

सलाहकार समितियों की बैठकों में होने वाली चर्चा

5071. श्री जे० पी० अग्रवाल : क्या संसदीय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सलाहकार समितियों की बैठकों में चर्चा के दौरान अधिकांश समय सम्बद्ध मंत्री अथवा सत्ताधारी दल/समर्थक दलों के सदस्यों द्वारा लिया जाता है;

(ख) क्या हाल ही में गृह मन्त्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में, अनेक सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर या तो चर्चा ही नहीं हुई अथवा इन्हें कार्यसूची में शामिल ही नहीं किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कुछ दिशा निर्देश निर्धारित करने का है ताकि सभी दलों/सदस्यों को सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने के दौरान सदन में उनकी संख्या, के अनुपात में समय दिया जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) नहीं श्रीमन। परामर्शदात्री समितियों के सभी सदस्यों को इन समितियों की बैठकों में चर्चा में भाग लेने के लिए उनकी दलीय सम्बद्धता को ध्यान में रखे बिना एक-समान अवसर दिए जाते हैं। मंत्रिगण केवल सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों का उत्तर देने अथवा स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं।

(ख) गृह मन्त्रालय की परामर्शदात्री समिति की 35-7-1990 को हुई बैठक की कार्यसूची में 13 मदों को छोड़कर शेष सभी मद को जो समय पर प्राप्त हो गए थे, शामिल किया गया था। 12 मदें मुख्यतः गृह मन्त्रालय से सम्बन्धित नहीं थी। शेष रही मद के बारे में संबंधित माननीय सदस्य को सूचित कर दिया गया था क्योंकि इस विषय की विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच की जा रही है इसलिए इसे परामर्शदात्री समिति की बैठक में चर्चा के लिए कार्यसूची में शामिल करना उचित नहीं होगा। 8 मद जो 27-7-1990 अथवा उसके बाद प्राप्त हुई थी, को कार्यसूची में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि उस समय तक कार्यसूची आदि को अन्तिम रूप दिया जा चुका था।

सामान्यतः सदस्यों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में मदों का सुझाव दिया जाता है और बैठक में चर्चा के लिए उपलब्ध सीमित समय को ध्यान में रखते हुए इन सभी मदों पर बैठक में चर्चा करना सदैव संभव नहीं होता है। तथापि, सदस्यों को सभी मदों पर टिप्पणियां अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट

5072. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बैंकों में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ए० सी० आर०) के लिए निर्धारित प्रपत्र में एक कालम है, जिसमें लिखा है कि "क्या कर्मचारी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति से सम्बन्धित है";

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रपत्रों से इस कालम को हटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सहकारी क्षेत्र के 15 बैंकों ने, जिनसे सूचना प्राप्त हुई है, सूचित किया है कि उनके बैंकों में वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में ऐसा कोई कालम नहीं है। वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के फार्मेट सम्बन्धित बैंकों द्वारा स्वयं तैयार किए गए हैं, न कि सरकार द्वारा। अलबत्ता, कुछ बैंकों ने सूचित किया है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में इस प्रकार का कालम होने से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित करने में सुविधा होती है।

केरल की पर्यटन योजनाएं

5073. **श्री कोडीक्कुन्नील सुरेश** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार की ओर से आठवीं योजना के दौरान केरल में पर्यटन के विकास के लिए मंजूरी प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के लिए केरल सरकार के परामर्श से निम्नलिखित स्कीमों को प्राथमिकता दी गई है :—

1. ट्रेकिंग के लिए 50 टेन्ट
2. कोच्चिन से कोट्टायम के बीच तटीय सुख-सुविधाएं
3. त्रिवेन्द्रम में यात्री केन्द्र
4. पाथरीनिमानम में पर्यटक कुटीरें
5. कोच्चिन और कोवलम के लिए जलक्रीड़ा उपकरण

तथापि, राज्य सरकार से विस्तृत अनुमानों सहित परियोजनाओं की प्रतीक्षा की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ता

5074. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के हिमाचल प्रदेश में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के तथा सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह नगर प्रतिपूर्ति भत्ता देने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है और सरकार का इसे कब तक लागू करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जी, हां। इस मामले पर राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) के साथ परामर्श करके विचार किया जाता रहा है परन्तु अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं।

पैनल बनाने हेतु समाचार पत्रों और सावधिक पत्रिकाओं के आवेदन

5075. **श्री कमल चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन समाचार पत्रों और सावधिक पत्रिकाओं ने विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा बनाए जाने वाले पैनल के लिए अप्रैल से जुलाई की अवधि के दौरान आवेदन दिए थे;

(ख) निदेशालय द्वारा पैनल में नाम लिखे जाने में औसतन कितना समय लगता है;

(ग) उन समाचार पत्रों और सावधिक पत्रिकाओं का ब्यौरा क्या है जिनके मामलों के बारे में अब तक निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) शेष समाचारपत्रों और सावधिक पत्रिकाओं को पैनल में न लिए जाने के क्या कारण हैं और उनके मामले में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को सूची में शामिल करने के लिए अप्रैल-जुलाई, 1990 के दौरान 306 आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) लगभग चार से छः सप्ताह।

(ग) 204 मामलों में पहले ही निर्णय ले लिया गया है।

(घ) 102 मामलों के बारे में अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।

चांदी और जस्ते का आयात

[हिन्दी]

5076. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चांदी और जस्ते का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार किए गए कुल आयात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह आयात कितने देशों में तथा कितने-कितने मूल्य का किया गया ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन धातुओं के लिए देशी आपूर्ति और उपभोक्ता-मांग के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए आयात किए जाते हैं। वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान आयातों का ब्यौरा इस प्रकार है :

धातु	आयात			कुल कितने देशों से आयात किया गया
	198 -86	1986-87	1987-88	
1	2	3	4	5
जस्ता				
मात्रा (टन में)	77237	61816	95886	27

1	2	3	4	5
मूल्य (लाख रुपए में)	8759.91	6127.39	10325.52	
चांदी				
मात्रा (ग्राम में)	22150	2600	3171320	8
मूल्य (लाख रुपए में)	7.51	0.26	138.45	

उड़ीसा में "हिल स्टेशनों" का विकास

[अनुवाद]

5077. **श्री डी० अमात** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति एवं वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) 1990-91 के लिए प्राथमिकता प्रदान की गई परियोजनाओं हेतु उड़ीसा राज्य सरकार से अनुमानों सहित कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आवास के लिए जीवन बीमा निगम से ऋण सहायता

5078. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने आवास निर्माण क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम ने क्या उपाय किए हैं;

(ग) वर्ष 1990-91 के लिए जीवन बीमा निगम ने कर्नाटक में आवास ऋण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) आवास ऋणों पर जीवन बीमा निगम किस दर से ब्याज वसूल करता है;

(ङ) क्या ब्याज की दर घटाने की कोई मांग है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1987 में सरकार ने "प्रथम बन्धकपत्र" के सम्बन्ध में बीमा अधिनियम की संगत धारा में संशोधन किया था जिससे भारतीय जीवन बीमा निगम अपने पालिसीधारियों को फ्लैट खरीदने के लिए ऋण प्रदान कर सकता है; और तदनुसार "बीमा निवास योजना" नामक एक नई स्कीम तैयार की गई थी। निगम की "अपना घर बनाओ योजना (ओन योर होम) (ओ० वाई० एच०) स्कीम में भी 1987 में आशोधन किया गया था ताकि आवास वित्तपोषण सम्बन्ध क्रिया-कलापों को बढ़ावा मिल सके। अब, ओ० वाई० एच० स्कीम का व्यापक विस्तार करने के लिए 317 केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। भारतीय जीवन बीमा ने, यू०टी०आई०, आई० सी० आई० सी० आई० और आई० एफ० सी० आई० के साथ संयुक्त रूप से इस प्रयोजनार्थ 19 जून, 1989 से एक सहायक आवास वित्त कम्पनी भी स्थापित की है।

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1990-91 के लिए कर्नाटक में ओ० वाई० एच० के अन्तर्गत 3300 ऋणों का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, ग्रामीण और शहरी आवास के लिए योजना आबंटन में से कर्नाटक सरकार को भारतीय जीवन बीमा निगम के ऋण की राशि 1990-91 के दौरान 8.49 करोड़ रुपए होगी।

(घ) ओ० वाई० एच० योजना के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आवास ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर, ऋण की मात्रा के अनुसार, 12%से 1 % तक है राज्य सरकार को दिए गए ऋणों पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर ग्रामीण आवास के लिए 10.25% और शहरी आवास के लिए 11.00% है अपैक्स को-ओपरेटिव हाउसिंग सोसायटियों से लिए जाने वाले ब्याज की दर 12% है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

काली मिर्च का उत्पादन

5079. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काली मिर्च का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई "क्रेश" कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो "क्रेश" कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन राज्यों में काली मिर्च के उत्पादन के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया है;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इन राज्यों में काली मिर्च का कितना उत्पादन होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने काली मिर्च के फालतू उत्पादन के निपटान के उपायों का पता लगाया है; और

(ङ) किन-किन देशों को काली मिर्च के निर्यात करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विजयवाड़ा को एक निर्यात पत्तन के रूप में घोषित करना

5080. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्रप्रदेश में विजयवाड़ा को एक निर्यातपत्तन के रूप में घोषित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) विभिन्न अन्तर्देशीय स्थानों पर कंटेनरों की व्यवस्था सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय करने के लिए निर्यात संवर्धन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना और वित्तीय क्षमता महत्वपूर्ण कारक हैं। भारत में कंटेनरीकरण के विकास के लिए भावी योजना से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट में मैसर्स राईटस ने अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो के लिए विजयवाड़ा को एक संभावित क्षेत्र के रूप में चुना है। ताकि उक्त क्षेत्र की हमारी आयात और निर्यात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट और बैंक पारस्परिक निधियों से पूंजी निवेश

5081. **श्री शांताराम पोटदुखे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक पारस्परिक निधियों से बाजार में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की पूर्व साख को कड़ी चुनौती पैदा हो गई है;

(ख) बैंक पारस्परिक निधियों द्वारा इस समय बाजार में बढ़ते मूल्यों पर मजबूत पकड़ पर इस विवाद का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) बाजार में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के प्रमुख स्थान को हड़पने वाली बैंक पारस्परिक निधियों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट आज भी देश की सबसे बड़ी पारस्परिक निधि है।

(ख) पारस्परिक निधियों का कारोबार उनके निवेश उद्देश्यों तथा सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों से शासित होता है।

(ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

कुछ होटलों द्वारा करों का भुगतान न किया जाना

5082. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मौर्य, ताज, राजदूत होटल सहित दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर स्थित अनेक होटलों ने सरकार को विलासिता कर, व्यय कर, बिक्री कर तथा अन्य करों का गत एक वर्ष से भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) मैसर्स मौर्य होटल द्वारा गत दो वर्षों के लिए भुगतान किए गए विलासिता करों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार बकाया करों की वसूली के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) दिल्ली में मैसर्स मौर्य, ताज, राजदूत होटलों के विरुद्ध प्रत्यक्ष करों और बिक्री कर अपवचन का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(घ) जांच अथवा कर निर्धारण कार्रवाई के दौरान जहां कहीं कम भुगतान के मामले ध्यान में आए, बकाया राशि को वसूल करने के लिए कदम उठाए गए थे।

स्टेट बैंक डिपोजिट कलेक्टर

5083. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 45 वर्ष से कम आयु के और अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले स्टेट बैंक डिपोजिट कलेक्टरों को भारतीय स्टेट बैंक में नियमित नौकरी सेवा में लेने के बारे में न्यायालय ने बैंक डिपोजिटरों के पक्ष में निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ऐसे अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जो कमीशन के आधार पर डिपोजिट कलेक्टरों की सेवाओं का उपयोग करते हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय बैंकों में डिपोजिट कलेक्टरों को नियमित नौकरी उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) औद्योगिक न्यायाधिकरण हैदराबाद ने प्रश्न में उल्लिखित अधिनिर्णय दिया था।

(ख) से (ङ) चूंकि इस अधिनिर्णय को भ्रांतिपूर्ण और समर्थन योग्य नहीं समझा गया था, अतः इसे चुनौती दी गयी है और भारतीय बैंक संघ तथा भारतीय स्टेट बैंक ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है और न्यायालय ने अब उक्त अधिनिर्णय के लागू होने पर रोक लगा दी है।

अजमेर अर्बन-कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड में अनियमितताएं

[हिन्दी]

5084. **प्रो० रासा सिंह रावत : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को अजमेर, राजस्थान स्थित अजमेर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि० में गबन और अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का इस बैंक की जमाराशियों, व्यय और पूंजी लेन-देन के बारे में तत्काल कोई जांच कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1987 में, अजमेर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि०, अजमेर, राजस्थान में अनियमितताओं/गबनों के कतिपय आरोपों से सम्बन्धित एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने मामले की जांच की थी। तदुपरान्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को उसकी 31 दिसम्बर, 1987 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण करने के लिए चुना था। बैंक को, दिसम्बर, 1983 के अन्त की स्थिति के अनुसार उसकी वित्तीय स्थिति के आधार पर एक कमजोर बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बैंक निरंतर पुर्नस्थापना के कार्यक्रम के अन्तर्गत है। वर्तमान में, इसके कार्यों की प्रबन्ध व्यवस्था राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा की जाती है। बैंक के कार्यों की शीर्षस्थ स्तर पर निगरानी आवधिक तौर पर राज्य स्तरीय पुनरीक्षा समिति द्वारा तथा बैंक स्तर पर बैंक स्तरीय पुनरीक्षा समिति द्वारा की जाती है, जिनको 1 अक्तूबर, 1985 को गठित किया गया था।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल उद्योग को मियादी ऋण

[अनुवाद]

5085. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने पर्यटन को बढ़ावा देने और देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए कम ब्याज दरों पर होटल उद्योग को मियादी ऋण देने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) बड़ी परियोजनाओं को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा और अपेक्षाकृत छोटी परियोजनाओं को राज्य स्तरीय संस्थानों द्वारा सावधि ऋण उपलब्ध कराना उनका प्राथमिक कार्य है। सम्बन्धित वित्तीय संस्थानों द्वारा जिन सावधि ऋणों के लिए सहभागिता की व्यवस्था की जाती है उनमें से बहुत से सावधि ऋणों में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 25% तक की सहभागिता उपलब्ध कराई जाती है। भारतीय स्टेट बैंक उन होटल परियोजनाओं को सीधे भी सावधि ऋण उपलब्ध कराता है जिनकी लागत 3 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होती है।

भारतीय स्टेट बैंक ने पर्यटकों के लिए होटल और आवास के लिए वित्त पोषण की एक विशेष योजना भी तैयार की है और बैंक इसके लिए सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 50% मार्जिन और 5 वर्ष की वापसी अदायगी अवधि के अध्याधीन होटल परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है। उपयुक्त मामलों में वापसी अदायगी

की अवधि 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और मार्जिन राशि 33.3% तक कम की जा सकती है। जहां तक ब्याज का सम्बन्ध है भारतीय स्टेट बैंक ऐसे अवधि ऋणों पर न्यूनतम 16% वार्षिक की दर से ब्याज लेता है।

दीर्घावधि कर प्रणाली

5086. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात शुल्क, उत्पाद शुल्क और आयकर इत्यादि के सम्बन्ध में दीर्घावधि कर प्रणाली अपनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) एक नई दीर्घावधि राजकोषीय नीति, 1990—95 तैयार की जा रही है।

लघु क्षेत्र के लिए "एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन"

5087. **श्री गोपीनाथ गजपति :**
श्री बसंत साठे :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अगस्त, 1990 के "इकोनामिक टाइम्स" में "एक्सक्लूसिव ई० पी० जेड० फार स्माल सेक्टर प्रॉपोज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित "एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन" की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ऐसे "एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोनों" की स्थापना कब तक और किन-किन स्थानों पर की जाएगी ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लघु उद्योगों के लिए अनन्य निर्यात संसाधन जोन स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्नाटक में तम्बाकू बोर्ड की स्थापना

5088. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने तम्बाकू लगाने वाले किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए राज्य में तम्बाकू बोर्ड का एक कार्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और राज्य में शाखा कार्यालय कब स्थापित किया जाएगा; और

(ग) यह कार्यालय राज्य में तम्बाकू उगाने वाले किसानों के लिए किस हद तक सहायक सिद्ध होगा ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) तम्बाकू बोर्ड का एक कार्यालय लगभग 10 वर्षों से कर्नाटक में पहले ही कार्य कर रहा है। इस कार्यालय को वर्ष 1983 में अपग्रेड करके निदेशालय बना दिया गया था। वर्जीनिया तम्बाकू के विपणन के लिए नीलामी प्रणाली कर्नाटक में वर्ष 1984 में आरम्भ की गई थी। इससे तम्बाकू कृषकों को राज्य में अपने उत्पाद के लिए लाभकारी कीमत प्राप्त करने में सहायता मिली है।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा अलौह धातुओं के मूल्यों में कटौती

5089. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिज और धातु व्यापार निगम को सभी अलौह धातुओं के मूल्य में कटौती करने के लिए प्राधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो खनिज और धातु व्यापार निगम ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इस मामले में विभिन्न राज्य सरकारों ने क्या सुझाव दिए हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) जी, नहीं। अलौह धातुओं की बिक्री कीमतें मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात की अध्यक्षता में एक अन्त: मन्त्रालयी समिति द्वारा प्रत्येक महीने निर्धारित की जाती हैं। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों, विद्यमान विनिमय दरों, गोदाम से बाहर सुपुर्दगी स्टाक स्थिति और अन्य संबंधित घटकों के बारे में जानकारी देने वाले अन्य लागत तत्वों को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) हाल के दिनों में राज्य सरकार द्वारा कोई सुझाव नहीं प्राप्त हुए हैं।

विदेशी ऋण

[हिन्दी]

5090. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार भारत पर संस्था-वार और देश-वार कुल कितना विदेशी ऋण बकाया था;

(ख) प्रति वर्ष कितना धन ब्याज के रूप में और कितना धन मूलधन के रूप में अदा करना पड़ता है;

(ग) उपरोक्त राशि किस मुद्रा में अदा करनी पड़ती है और सारा धन किस अवधि तक वापस करना है;

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशों से ऋण लेने की नीति में कुछ परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी की राशि क्रमशः 4770 करोड़ रुपए और 3734 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) ऋणों की वापसी अदायगी प्रत्येक ऋण की शर्तों के अनुसार विभिन्न दाता देशों की मुद्रा में की जाती है। अब तक अनुबंधित किए गए विदेशी ऋणों का वर्ष 2039 तक परिसमापन हो जाएगा।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

विवरण

31-3-1990 की स्थिति के अनुसार बकाया विदेशी ऋण को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	देश/संस्थान	करोड़ रुपए (अनुमानित)
1	2	3
1.	ऑस्ट्रिया	77.00
2.	बेल्जियम	179.95
3.	कनाडा	981.40
4.	डेनमार्क	259.72
5.	फ्रांस (सरकारी लेखा)	1940.38
	(गैर-सरकारी लेखा	4.55
6.	एफ० आर० जी० (सरकारी लेखा)	4835.06
	(गैर-सरकारी लेखा)	434.75
7.	इतली	209.04
	इटली	139.81
8.	जापान	4532.20
9.	नीदरलैंड	1650.22
10.	संयुक्त राज्य अमेरिका	4484.32
11.	आई० बी० आर० डी० (सरकारी लेखा)	9693.82
	(गैर-सरकारी लेखा)	1083.07
12.	आई० डी० ए०	13962.51
	आई० डी० ए०	7075.17
13.	आई० एफ० ए० डी०	265.01

1	2	3
14.	एशियाई विकास बैंक (सरकारी लेखा)	63.19
	(गैर-सरकारी लेखा)	234.15
15.	स्विटजरलैंड	59.90
16.	कुवेत निधि	321.14
17.	ओ० पी० ई० सी०	176.17
18.	साउदी निधि	123.54
19.	चेकोस्लोवाकिया	35.96
20.	यू० एस० एस० आर०	1703.52
21.	आई० एम० एफ० न्यास निधि	164.11
	आई० एम० एफ० (ई० एफ० एफ०)	2362.00
22.	ईरान	423.21
23.	पोलैंड	0.02
24.	यू० ए० ई०	41.13
25.	यू० के०	458.99
26.	आई० एस० ओ०	9.78
27.	ई० ई० सी० (एस० ए० सी०)	89.85
28.	आबू-धाबी	12.43
29.	स्वीडन	14.11
	स्वीडन	82.30
30.	स्पेन	29.92
31.	संयुक्त राज्य अमेरिका (गैर सरकारी लेखा)	6.52
32.	ई० सी० बी० (विदेशी वाणिज्यिक उधार)	21912.00
	जोड़ :	80131.94

स्टील स्टॉकयार्डों से इस्पात का वितरण

5091. **श्रीमती जयन्ती नवीनचन्द्र मेहता :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड और टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड के संयंत्रों द्वारा उत्पादित कुल इस्पात में से उनके स्टॉकयार्डों से प्रति वर्ष कितनी-कितनी मात्रा में और कितने प्रतिशत इस्पात जारी किया गया; और

(ख) निर्धारित मूल्यों के अतिरिक्त स्टॉकयार्डों द्वारा पारिश्रमिक के रूप में ग्राहकों से यदि कोई अतिरिक्त मूल्य वसूल किया जाता है तो कितना वसूल किया जाता है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड और टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड के स्टाकयार्डों से हुई बिक्री निम्नानुसार थी :—

	लाख मी० टन	प्रतिशतता
सेल (इस्को सहित)	42.6	60%
टिस्को	14.0	95%

(ख) संयुक्त संयंत्र समिति मदों के सम्बन्ध में 350 रुपये प्रति मीटरी टन स्टाकयार्ड मूल्य वसूला जाता है जो कि इस्पात संयंत्रों के प्रत्यक्ष प्रेषणों के मामले में वसूले गये मूल्यों के अतिरिक्त होता है। गैर-संयुक्त संयंत्र समिति की मदें निजी संयंत्रों की वाणिज्यिक विशेषताओं के अनुसार बिक्री की जाती हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के "स्टॉकयार्ड"

5092. **श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कितने "स्टाक यार्ड हैं और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) क्या उनके आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(घ) प्राधिकरण द्वारा "कालम्बोली" "स्टाकयार्ड" के आधुनिकीकरण पर कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या प्राधिकरण का विचार कुछ और नए स्टाकयार्ड खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) लोहे और इस्पात सामग्री के विक्रय के लिए सेल के 39 स्थानों पर स्टाकयार्ड और 8 कनसाइनमेंट तथा 2 बिस्तार काउन्टर हैं। इन निगम स्थानों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) जहां इस समय पर्याप्त स्थान नहीं है और जहां भविष्य में विक्रय स्तर बढ़ने की संभावना है, वहां सेल विकल्पी प्लाटों के अधिग्रहण के लिए प्रयास कर रही है बशर्ते निधि उपलब्ध हो और समग्र अर्थव्यवस्था के अनुरूप हो। इस दौरान सेल का अपने स्टाकयार्डों में हार्ड स्टैंडों, बिजली, सम्भाल सुविधाएं पर्याप्त जल वाहितारें आदि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(घ) सेल द्वारा कालम्बोली स्टॉकयार्ड के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए का कुल खर्च विद्यमान प्राक्कलन के अनुसार करने की संभावना है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	स्टाकयार्ड की स्थान-स्थिति	कन्साइनमेंट एजेन्सी	विस्तार काउन्टर
1	2	3	4
1.	कलकत्ता	लखनऊ	वाराणसी
2.	हावड़ा	आगरा	भोपाल
3.	दुर्गापुर	लुधियाना	
4.	राउरकेला	मंडी गोविन्द गढ़	
5.	भुवनेश्वर	जबलपुर	
6.	गोवाहाटी	भरतपुर	
7.	न्यू बोंगईगांव	बेलगाम	
8.	पटना	गोआ	
9.	बोकारो		
10.	दीमापुर		
11.	धरम नगर		
12.	कानपुर		
13.	इलाहाबाद		
14.	गाजियाबाद		
15.	दिल्ली		
16.	फरीदाबाद		

1	2	3	4

17. ग्वालियर
18. जालन्धर
19. जम्मू
20. चण्डीगढ़
21. पारवानो
22. श्रीनगर
23. कलाम्बोली
24. पुणे
25. नागपुर
26. भिलाई
27. इन्दौर
28. अहमदाबाद
29. जयपुर
30. कोटा
31. बड़ौदा
32. मद्रास
33. कोचीन
34. कोयम्बटूर
35. त्रिची
36. सिकन्दराबाद
37. विजयवाड़ा
38. विजाग
39. बंगलौर

गुजरात में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर

[अनुवाद]

5093. श्री चम्पूभाई देशमुख :
श्री बलवंत मनवर :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य के विभिन्न भागों में कम शक्ति वाले 51 ट्रांसमीटर स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य के विभिन्न भागों में कम शक्ति वाले ऐसे ट्रांसमीटर स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(घ) क्या सरकार ने भुज के लिए 10 किलोवाट का एक उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर मंजूर किया है; और

(ङ) यदि हां, तो भुज में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्थापना के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार का राज्य में शीघ्रता से दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार करने का प्रयास है, किन्तु ऐसा इस कार्य के लिए धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए केवल चरणों में ही किया जा सकता है।

(घ) जी हां। सातवीं योजना की शेष बची स्कीम के रूप में भुज में 300 मीटर ऊंचे आर० सी० सी० टावर सहित उच्च शक्ति (10 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का कार्य चल रहा है।

(ङ) इस परियोजना के लिए निर्माण कार्य, एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी से मिट्टी की विस्तृत जांच कराने के पश्चात् मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि० (ई० पी० आई०), जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, को मार्च, 1989 में सौंपा गया था। तथापि, टावर की बुदायी के दौरान भूवैज्ञानिक त्रुटि पाए जाने पर ठेकेदार ने नवम्बर, 1989 में कार्य स्थगित कर दिया गया। अतिरिक्त जांच कराई गई थी और टावर को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टावर को मौजूदा स्थल में ही अलग स्थान पर लगाने का निर्णय लिया गया था।

ट्रांसमीटर उपकरण की सप्लाई के लिए भी निर्माताओं को आदेश दे दिए गए हैं।

अहमदाबाद और दिल्ली दूरदर्शन के बीच "माइक्रोवेव" सम्पर्क

5094. **श्री चन्दूभाई देसमुख :**
श्री काशीराम राणा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अहमदाबाद और दिल्ली दूरदर्शन के बीच "माइक्रोवेव" सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह सम्पर्क कब स्थापित हो पायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) अहमदाबाद और दिल्ली के दूरदर्शन केन्द्रों के बीच माइक्रोवेव सम्पर्क स्थापित करना अनिवार्यतः इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध धनराशि पर निर्भर करता है। तथापि, गुजरात में उपग्रह से प्रादेशिक दूरदर्शन सेवा उपलब्ध हो जाने पर समाचारों तथा अन्य सामयिक कार्यक्रमों को अहमदाबाद से दिल्ली भेजने के लिए इस सुविधा का उपयोग करना सम्भव हो सकेगा।

होस्टलों और मनोरंजन उद्यानों, मार्गस्थ सुविधाओं और यात्रीनिवासों के लिए वित्तीय सहायता

5095. **श्री चम्बूभाई देशमुख** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने वर्ष 1988-89 के दौरान कई परियोजनाओं उदाहरणार्थ होस्टलों और मनोरंजन उद्यानों, मार्गस्थ सुविधाओं तथा यात्रीनिवासों के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) क्या सरकार ने किसी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को 1988-89 के दौरान परियोजनाओं तथा होस्टलों, मनोरंजन पार्कों, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं और यात्री निवासों की मंजूरी हेतु गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राउरकेला इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण

5096. **श्री अनादि चरण दास** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राउरकेला इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण कार्य पूरा करने में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या उपकरणों के आयात पर आई लागत ठेके में उल्लिखित लागत से अधिक है; और

(घ) क्या विलम्ब के कारण ठेकेदारों को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा है और यदि हां, तो कितनी ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) जी, नहीं। परियोजना के आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है और समय-सूची के अनुसार इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। विदेशी उपकरणों के लिए आयात आर्डरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, अतएव यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सुकिन्दा, उड़ीसा में फेरो सिलिकॉन/फेरो—मैंगनीज उद्योग की स्थापना

5097. **श्री अनादि चरण दास :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सुकिन्दा (जिला कटक) में उच्च श्रेणी का मैंगनीज पाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस स्थान पर फेरो सिलिकोन/मैंगनीज उद्योग की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में मैंगनीज अयस्क की खोज

5098. **श्री अनादि चरण दास :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में लगभग कितनी मात्रा में मैंगनीज अयस्क उपलब्ध है;

(ख) मैंगनीज अयस्क के अधिकतर भंडार किस क्षेत्र में हैं; और

(ग) राज्य में उपलब्ध मैंगनीज अयस्क का उचित रूप से पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) दिनांक 1-1-1985 की स्थिति के अनुसार, खनिज माल सूची के अनुसार उड़ीसा में मैंगनीज अयस्क के कुल अनुमानित भण्डार 336 लाख मी० टन हैं

(ख) उड़ीसा राज्य में मैंगनीज अयस्क के मुख्य निक्षेप बोलानगिरि, क्योंझर, कोरापुट, सम्बलपुर और सुन्दरगढ़ जिलों में पाए जाते हैं।

(ग) अयस्क का गवेषण घरेलू उद्योगों की मांग तथा सरकार द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत निर्यात निर्यात के लिए आवश्यक मात्रा पर निर्भर करता है। उड़ीसा में मैंगनीज अयस्क के उत्पादन का विद्यमान स्तर 4.8 लाख मी० टन वार्षिक है।

काली मिर्च का निर्यात

5099. **श्री ए० चार्ल्स :**
श्री नकुल नायक :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश-वार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की कालीमिर्च निर्यात की गई;

(ख) इस वर्ष काली मिर्च के निर्यात का क्या लक्ष्य रखा गया है और अब तक कितना लक्ष्य पूरा हो गया है;

(ग) क्या इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मलेशियाई फसलों की आवक से काली मिर्च के निर्यात पर कुप्रभाव पड़ने की आशंका है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) (क) : एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1990-90 के लिए काली मिर्च के निर्यात का लक्ष्य 42,000 मी० टन है, जिसमें जुलाई, 1990 के अन्त तक 14470 मी० टन का निर्यात पहले ही किया जा चुका है।

(ग) और (घ) काली मिर्च के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मलेशिया और इण्डोनेशिया हमारे परम्परागत प्रतियोगी हैं। इस वर्ष काली मिर्च के सभी प्रमुख उत्पादक देशों में पिछले वर्ष की तुलना में काली मिर्च का उत्पादन काफी अधिक होने का अनुमान है इस वर्ष काली मिर्च के व्यापार में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। सरकार ने मसाला बोर्ड को सलाह दी है कि वह निर्यातकों को विपणन प्रयासों में हर सम्भव सहायता प्रदान करें।

विवरण

वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक भारत से काली मिर्च का प्रमुख देशवार निर्यात

मात्रा : मी० टन

मूल्य : करोड़ रु० में

	1987-88		1988-89		1989-90	
देश	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
सोवियत संघ	17570	106.95	9540	44.32	20020	95.66
संघीय जर्मन गणराज्य	2042	10.94	1856	4.15	873	3.72
इटली	1070	6.46	1921	8.65	1237	4.53
स्पेन	166	0.86	343	1.62	55	0.13
यूगोस्लाविया	1920	12.21	1803	8.13	938	3.76
सिंगापुर	561	2.23	336	1.13	60	0.09
अमरीका	7279	42.69	4779	21.97	2061	7.70
कनाडा	832	4.80	1083	4.70	1001	3.49

1	2	3	4	5	6	7
साउदी अरब	1495	9.24	1408	6.21	875	3.21
अन्य	8076	44.20	14951	59.02	9381	37.58
कुल	41011	240.58	38020	164.20	36001	159.87

वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा "खुला मंच" की बैठकों का आयोजन

5100. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा देश के विभिन्न वाणिज्यिक केन्द्रों में "खुला मंच" (ओपन हाउस) की बैठकें आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बैठकों में क्या-क्या मुद्दे उठाए गए; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) जी, हां। छः खुले मंच पहले ही निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित किए जा चुके हैं अर्थात अहमदाबाद (22-5-1990) कोचीन (26-6-90), बम्बई (17-4-90), मद्रास (26-7-90), दिल्ली (27-8-90) और जोधपुर (3-9-90)

(ग) और (घ) : इन खुले मंचों पर निर्यातकों द्वारा उठाई गई मुख्य समस्याएं इन विषयों से संबंधित थीं :—(क) एक्जिम नीति (ख) शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक और निर्यात संसाधन जोनों में एकक (ग) निर्यात प्रोत्साहन (घ) ऋण और वित्त पोषण (निर्यात ऋण गारन्टी निगम तथा भारतीय रिजर्व बैंक सहित (ङ) अवस्थापना, इन मामलों पर निर्णय लेते समय दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा जाता है। इन्हें कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालयों/विभागों को भी भेजा जाता है।

भारतीय स्टेट बैंक की शाखायें खोलना

5101. **श्री प्रतापराव जी० भोसले :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में नई शाखाएं खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए जिला-वार किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) क्या इन सभी शाखाओं में विदेशी मुद्रा विभाग की सुविधा होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) 1985—90 की पिछली शाखा लाइसेंसिंग नीति 31-3-1990 को समाप्त हो चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भावी शाखा लाइसेंसिंग नीति के मार्ग निर्देशों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है। अतः इस समय चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोली जाने वाली नई शाखाओं की संख्या बताना या यह बताना सम्भव नहीं है कि कितनी ऐसी शाखाओं में विदेशी विनिमय विभाग की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश को सहायता

[हिन्दी]

5102. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आठवीं योजना में आठ लाख लोगों को रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता देने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक और कितनी सहायता धनराशि दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चाय के सम्बन्ध में दीर्घकालिक नीति

[अनुवाद]

5103. **श्री नकुल नायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय का उत्पादन और उसका निर्यात बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निकट भविष्य में ऐसी नीति कब तक तैयार करने का विचार है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) दीर्घ आवधिक नीति के संबंध में सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं; और उनकी जांच की जा रही है।

लौह पिंड का उत्पादन और आयात

5104. **श्री नकुल नायक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी मात्रा में लौह पिंड का उत्पादन हुआ और कितनी मात्रा में उसका आयात किया गया तथा चालू वर्ष के लिए इस संबंध में प्राक्कलन क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान आयात पर कितनी लागत आयी और कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई; और

(ग) आयात को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाने का विचार किया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कच्चे लोहे का कुल उत्पादन और आयात निम्नलिखित है :—

(मात्रा : हजार मी० टन में)

वर्ष	उत्पादन	आयात (फाउण्ड्री ग्रेड)	आयात का मूल्य (अनुमानित) (करोड़ रुपये)
1987-88	1272	34	6.77
1988-89	1107	164	37.85
1989-90	1338	306	100.00
1990-91 (संभावित)	137 *	खुला सामान्य लाइसेंस	

* वी० एस० पी० द्वारा चालू वर्ष के दौरान 1.6 लाख मी० टन अतिरिक्त कच्चे लोहे के उत्पादन किए जाने की संभावना है।

(ग) कच्चे लोहे के उत्पादन को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है। कच्चे लोहे के घरेलू उत्पादन को गौण क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है और आठवीं योजना के अन्त तक गौण क्षेत्र में 20 लाख मी० टन की क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है।

भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यम

5105. **श्री नकुल नायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ग) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाए किए गए हैं; और

(घ) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा प्रति-व्यापार पर जोर देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अवध कुमार मेहरा) : (क) और (ख) रॉक फास्फेट संचय की खरीद तथा फास्फोरिक अम्ल एवं डी० ए० पी० के उत्पादन के लिए कुछ संयुक्त उद्यम योजनाएं

स्थापित करना, तकनीकी तथा परिचालन दृष्टिकोण से इस समय एम० एम० टी० सी० में सूत्रीकरण के स्तर पर हैं।

(ग) एम० एम० टी० सी० द्वारा विशेषकर असरणीबद्ध निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों में कृषि उत्पादों कटे तथा पालिश किए हुए हीरे, रत्न तथा स्वर्ण आभूषण, खनिज तथा मूल्य-वर्द्धित खनिज उत्पाद के असरणीकृत निर्यात के लिए निर्यात-समूहों की स्थापना इंजीनियरी परियोजनाओं के निर्यात के लिए एक अलग प्रभाग केवल निर्यात की जाने वाली कुछ मदों का पता लगाने तथा आपूर्ति के विश्वसनीय घरेलू स्रोत जो एम० एम० टी० सी० के सहयोगी आपूर्ति कर्त्ताओं के रूप में कार्य कर सकें इत्यादि शामिल हैं।

(घ) बल्क खरीद के उत्तोलक का उपयोग करते हुए एम० एम० टी० सी० कच्चे माल के विदेशी आपूर्ति कर्त्ताओं के मन में यह बैठाने का काफी प्रयत्न कर रही है कि वे भारत से प्रति व्यापार के अन्तर्गत माल की खरीद करें। एम० एम० टी० सी० द्वारा 1989-90 के दौरान 150.40 मिलियन अमरीकी डालर का प्रति व्यापार सृजित किया गया।

निर्यात घरानों पर छापे

*106. **श्री पी० एम० सईद :***
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन, दिल्ली निर्यातक संघ के इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया है कि सहायक आयुक्त के पद से कम के अधिकारी से प्राधिकृत हुए बिना कोई भी श्रम अथवा फैक्ट्री निरीक्षक निर्यात घरानों के परिसरों में प्रवेश नहीं करेगा;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब लागू किया जाएगा;

(ग) दिल्ली में उन निर्यात घरानों का महीने-वार ब्यौरा क्या है जिन पर श्रम और फैक्ट्री निरीक्षकों ने गत छह महीनों के दौरान छापे मारे थे; और

(घ) छापों के दौरान पता लगी गड़बड़ियों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) दिल्ली प्रशासन क्षेत्रीय कार्य और निरीक्षण कार्य को सरल बनाने और उसे ध्यानपूर्वक मानीटर करने के उपायों पर विचार करता रहा है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि श्रम विभाग के सभी निरीक्षकों को जैसे फैक्टरी, बायलर, बिजली और श्रम निरीक्षकों को निरीक्षण करने के लिए कम से कम सहायक श्रम आयुक्त से (अथवा उस जोन के फैक्टरी, बायलर और बिजली निरीक्षणालय के समान ओहदे के अधिकारी) से प्राधिकार प्राप्त करना होगा जिस जोन में उनकी तैनाती की गई है। दिल्ली निर्यातक संघ के किसी प्रस्ताव से इसका कोई सरोकार नहीं है।

(ख) प्रस्ताव को 10-3-90 से लागू कर दिया गया है।

(ग) और (घ) पिछले छः महीनों में श्रम एवं फैक्टरी निरीक्षकों ने निर्यात घरानों पर कोई छापा नहीं मारा है।

भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम में संशोधन

5107. **श्री पी० सी० थामस :**
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल उच्च न्यायालय ने भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम की कतिपय धाराओं में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कार्यवाही करने का कोई निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस सम्बन्ध में कब तक एक विधेयक लाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : जी, हां।

(ख) केरल उच्च न्यायालय ने, 1988 के ओ० पी० सं० 5805 में श्रीमती मेरी सोनिया जकरिया बनाम-भारत संघ वाले वामले में, सी० एम० पी० सं० 17247/88 में अपने आदेश द्वारा भारत संघ को भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10 के संशोधन पर विधि आयोग की 90वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर विनिश्चय करने का निदेश दिया है। इस विषय पर कुछ क्रिश्चियन संगठनों में साथ विचार-विमर्श किया गया है। सरकार के लिए इस मुद्दे पर विनिश्चय करना तभी संभव होगा जब वह उन संगठनों के विचार जान लेगी क्योंकि सरकार की नीति यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित स्कीम विधि में संशोधन तभी किया जाय जब संबंधित समुदाय उसके लिए सहमत हो।

केरल में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के कारोबार में वृद्धि

5108. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के कारोबार में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य में कारोबार में वृद्धि दर्ज की है और उसे निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :—

(करोड़ रुपए)

	जमा राशियां	अग्रिम	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)
दिसम्बर 87	572	324	56.6
मार्च 89	689	457	66.3
मार्च 90	815	581	71.3

बैंकों द्वारा तुलन पत्रों में हेरा फेरी

5109. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
डा० सुधीर राय :
श्री राम बहादुर सिंह :
श्री हेत राम :
श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :
श्री मदन लाल खुराना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अगस्त, 1990 में "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "बैंक्स कुक-अप बैलेंस शीट" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि वर्ष 1989-90 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अनेक प्रबन्धकों ने लाभ दर्शाने के लिए अपने तुलन-पत्रों में हेराफेरी की है ;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गलत रिपोर्ट देने के लिए लेखा परीक्षकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) बैंकों को अत्यधिक नुकसान होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) खाताधारियों/लोगों के हितों की रक्षा हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्यकुशलता के मूल्यांकन/समीक्षा करने तथा इनकी कार्यकुशलता बढ़ाने/प्रशासन को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सरकार ने 9 अगस्त, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "बैंक्स कुक अप बैलेंस शीट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि लेखे, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्रों में तैयार करें। इन बैंकों को नियन्त्रित करने वाले कानूनों के अनुसार, बैंकों के वार्षिक लेखों अर्थात तुलन-पत्रों और लाभ-हानि लेखों की कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत, किसी कम्पनी के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर सकने वाले किसी अर्हता प्राप्त व्यक्ति से लेखा परीक्षा करवाने की अपेक्षा की जाती है। लेखा-परीक्षक, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली अपनी रिपोर्ट में यह प्रमाणित करता है कि उसके विचार से, तुलन-पत्र पूरा तथा सही है जिसमें सभी आवश्यक ब्योरे दिए गए हैं और वह सही ढंग से तैयार किया गया है ताकि संबंधित बैंक के कार्यों की सच्ची तथा सही तस्वीर प्रदर्शित हो सके और जहां कहीं किसी स्पष्टीकरण अथवा जानकारी की मांग की गई थी वह दे दी गई है और उसे संतोषजनक समझा गया है।

वर्ष 1989-90 के लिए, सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में से, 27 बैंकों ने अपने लेखों को अंतिम रूप दे दिया है। 26 बैंकों ने 36[illegible] करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। एक बैंक ने अभी तक वर्ष 1989-90 से सम्बन्धित अपने लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया है। एक बैंक अर्थात न्यू बैंक

आफ इण्डिया ने वर्ष 1989-90 के अपने लेखे को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया था। अलबत्ता, यह देखा गया था कि व्यय की एक मद का गलती से वर्गीकरण कर दिया गया था जिससे बैंक द्वारा पहले दिखाए गए लाभ के आंकड़े गलत साबित हो गए। बैंक ने वर्ष 1989-90 के अपने तुलन पत्र तथा लाभ व हानि के लेखे पुन: तैयार किए हैं जिसमें 9.89 करोड़ रुपए की हानि दिखाई गई है। बैंक ने लेखा सम्बन्धी चूक के लिए उत्तरदारी कतिपय अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक से भी इस बात की जांच करने के लिए कहा गया है कि क्या न्यू बैंक आफ इण्डिया के लेखे की लेखा परीक्षा करने वाले लेखा परीक्षकों ने कोई लापरवाही की है तथा इस सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है।

(ङ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने कारोबार के स्तरों में वृद्धि करने, लाभों के नए स्रोतों का पता लगाने तथा व्यय पर कारगर नियंत्रण रखने की कार्य-नीतियों के माध्यम से बैंकों के लाभ अर्जित करने की क्षमता में वृद्धि करने के वास्ते विभिन्न उपाय किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण शोध क्षमता, नकदी निधि, परिचालनात्मक दक्षता तथा लाभप्रदता के संबंध में बैंकों की स्थिति की आवधिक समीक्षा करता है।

दुग्ध-चूर्ण का निर्यात

5110. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दुग्ध चूर्ण के निर्यात में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दुग्ध चूर्ण का वर्ष-वार कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और चालू वर्ष लिए इसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का दुग्ध चूर्ण के बदले वनस्पति तेलों का आयात करने का विचार है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) दुग्ध चूर्ण के निर्यात पर 1-4-90 तक प्रतिबन्ध था। जिस तारीख से इसे आयात और निर्यात नीति की "एक्सपोर्ट्स ओन मैरिट्स" सूची में रखा गया था इसके बाद 10-8-90 को दूग्ध चूर्ण के निर्यात को नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सरणीकृत किया गया है।

(ग) जी, नहीं। दुग्ध उत्पादों के निर्यात द्वारा एन० डी० डी० बी० की आयातित पामोलिन की आवश्यकताओं का वित्त-पोषण करने का प्रस्ताव है।

कर्नाटक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

5111. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर० आर० बी०) के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) कर्नाटक में कार्यरत वर्तमान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम और संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने क्या भूमिका निभाई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आसानी से संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करने के लिए ग्रामीण बचतें जुटाना एवं उसका उपयोग करना है। **(ख) इस समय कर्नाटक में निम्नलिखित 13 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं :—**

1. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक ।
2. मालप्रभा ग्रामीण बैंक ।
3. कावेरी ग्रामीण बैंक ।
4. कृष्णा ग्रामीण बैंक ।
5. चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक ।
6. कल्पतरु ग्रामीण बैंक ।
7. कोलार ग्रामीण बैंक ।
8. बीजापुर ग्रामीण बैंक ।
9. चिकमगलूर कोडागू ग्रामीण बैंक ।
10. सह्याद्रि ग्रामीण बैंक ।
11. नेत्रावती ग्रामीण बैंक
12. वरदा ग्रामीण बैंक ।
13. विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक ।

(ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि कर्नाटक में क्षत्रीय ग्रामीण बैंकों ने राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने सातवीं योजना अवधि के दौरान अपनी जमा राशियों तथा लक्ष्यगत समूह के हिताधिकारियों के लिए अग्रिमों में निरन्तर वृद्धि की है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने दिसम्बर 1985 से दिसम्बर 1989 तक की अवधि के दौरान जमा खातों में 62% तथा जमाराशियों में 153% की वृद्धि दर्ज की। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लक्ष्यगत समूह हिताधिकारियों की संख्या तथा उन्हें जारी किए गए ऋणों की रकमों में क्रमशः 569% तथा 852% की वृद्धि हुई।

दूरदर्शन पर देर रात प्रसारण के लिए फिल्में

[हिन्दी]

5112. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने देर रात प्रसारण के लिए कुछ फिल्में खरीदी हैं;

(ख) यदि हां, तो खरीदी फिल्मों के मूल्य सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनकी खरीद राष्ट्रीय फिल्म वित्त निगम की जानकारी में की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) फीचर फिल्में, चाहे आयातित हों अथवा देश में निर्मित, दूरदर्शन उन्हें रायल्टी देकर लेता है, न कि सीधे खरीद कर।

(ग) और (घ) दूरदर्शन को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को अपनी मांग दिए बिना, फीचर फिल्मों का सीधे आयात करने की विशेष छूट दी गई है।

इस्पात संयंत्र में प्रदूषण पर नियन्त्रण

[अनुवाद]

5113. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न इस्पात संयंत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) "सेल" के सभी संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण विभाग स्थापित कर दिए गए हैं। ऐसे क्षेत्र जिन्हें सशक्त बनाने/आवर्धन की आवश्यकता है, की पहचान कर ली गई है। आवश्यक योजनाएं चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जा रही हैं। इन संयंत्रों में प्रदूषण निगरानी की आधुनिक पद्धतियां भी स्थापित की गई हैं। प्रदूषण नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं तथा उपकरणों को ठीक ढंग से चलाने के सम्बन्ध में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं को स्थापित करने की आवश्यकता है।

मैडागास्कर में संयुक्त उद्यम

5114. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मैडागास्कर को भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उस देश में संयुक्त उद्यमों के एकक स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) मैडागास्कर में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित करने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में समुद्र किनारे सैरगाह

5115. **श्री काडम्बुर एम० आर० जनार्दन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न दक्षिणी राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या तमिलनाडु में घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए समुद्र किनारे सैरगाह विकसित करने हेतु उस राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) विभिन्न दक्षिणी राज्यों में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करके निम्नलिखित यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं :—

(1) मद्रास—त्रिची—मदुराई—तंजावुर

(2) मद्रास—कांचीपुरम—महाबलीपुरम—पांडिचेरी—मद्रास

(3) मैसूर—बांदीपुर (राष्ट्रीय उद्यान)—काबिनी—मैसूर (वन्य जीव)

(4) बेलगाम—बदामी—होसपेट—हासन—मैसूर

(5) बंगलौर—हम्पी—एहोल—पट्टादकल—बदामी—बीजापुर

(6) हैदराबाद—गोलकुण्डा किला—उसमानसागर—नागार्जुन कोंडा—बिदर

(7) बंगलौर—कोचीन—एलेप्पी—कोट्टायम—थेकड़ी—कोडईकनाल—मदुराई

(8) कोयम्बटूर-कुन्नूर—ऊटी—मदुमलाई—मैसूर—बंगलौर

(9) मद्रास—कांचीपुरम—महाबलीपुरम—पांडिचेरी

(ख) और (ग) समुद्र तट पर्यटन का विकास करने के लिए, पर्यटन मन्त्रालय ने निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की हैं :—

1. कन्याकुमारी	स्नानघाटों पर 8 समुद्रतटीय कुटीरें तथा पर्यटक सुख-सुखधाएं और एक अल्पाहारगृह ।
	विवेकानन्द शिला स्मारक पर प्रकाशपुंज व्यवस्था और कन्याकुमारी एवं विवेकानन्द शिला स्मारक के बीच एक फेरि लांच
2. माम्मलापुरम	एक पर्यटक परिसर और भूदृश्यांकन के लिए एक परियोजना ।
3. मुत्तुकाडु	जलक्रीड़ा सुविधाएं
4. पिचावरम	रेस्तरां ब्लाक
5. कुड्डालोर	पर्यटक परिसर
6. पूमपुहार	यात्रियों के लिये प्रतीक्षा हाल
7. नागापट्टीनम्	यात्री निवास
8. रामेश्वरम	पर्यटक स्वागत केन्द्र

चुरहट बाल कल्याण समिति

[हिन्दी]

5116. **श्री राघवजी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल के आयकर आयुक्त ने चुरहट बाल कल्याण समिति जिला सिधी (मध्य प्रदेश के बारे में) प्रथम अपीलीय निर्णय के विरुद्ध निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सम्मुख दूसरी याचिका दायर की है;

(ख) यदि हां, तो कितने दिन का विलम्ब हुआ है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस याचिका को दायर करने में हुए विलम्ब के बारे में आयकर आयुक्त अथवा संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इसमें आयकर की कितनी राशि पर विवाद है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस मामले में विवाद ग्रस्त राशि 1,47,02,054 रुपए की है । ऊपर (क) को देखते हुए आयकर-कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

(घ) इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयों में लंबित कत्ल और आपराधिक मामले

[अनुवाद]

5117. **श्री कमल चौधरी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली उच्च न्यायालय तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पिछले तीन से पांच वर्षों से लम्बित कत्ल और अपराध सम्बन्धी मामलों की संख्या कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों से लम्बित ऐसी अपीलों की न्यायालयवार संख्या क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

गांधी फिल्म के सह-निर्माताओं और सह-वित्त पोषकों के बीच हुआ समझौता

5118. **श्री बी० एन० रेड्डी** :
श्रीमती वे० वसुना :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित प्रसिद्ध भारत-ब्रिटिश फिल्म "गांधी" के सह-निर्माताओं और सह-वित्त पोषकों के बीच कोई समझौता हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) "गांधी" फिल्म के सह-निर्माण और वित्त अनुबन्ध से सम्बन्धित करार की प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

भारतीय चाय व्यापार निगम के अन्तर्गत चाय बागानों का कार्य-निष्पादन

5119. **श्री माणिक साम्याल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय व्यापार निगम के अन्तर्गत आने वाले चाय बागान घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का उक्त चाय बागानों को अर्थक्षम और लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) टी० टी० सी० आई० के बागानों में घाटे के मुख्य कारण पुरानी चाय झाड़िया, कम उत्पादकता, निजी मालिकों द्वारा परंपरागत रूप से रखे हुए अधिक श्रमिक।

(ग) टी० टी० सी० आई० के बागानों में उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने तथा उनका पुनरुद्धार करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और सरकार उसकी जांच कर रही है।

लुकसन टी० एस्टेट के श्रमिकों से अभ्यावेदन

5120. **श्री माणिक साम्याल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय चाय व्यापार निगम के लुकसन टी० एस्टेट के श्रमिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुद्दे उठाए गए हैं;

(ग) उस पर सरकारी की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) श्रमिकों की शिकायत को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) जी, हां। श्रमिकों ने न्यून उत्पादकता और चाय एस्टेटों के उचित प्रबन्धन की आवश्यकता, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी की पुरानी देयताओं आदि का मामला उठाया है।

(ग) और (घ) चाय एस्टेटों में चाय की उत्पादकता बढ़ाने के लिए टी० टी० सी० आई० से प्राप्त प्रस्ताव पर मन्त्रालय में विचार किया जा रहा है और एस्टेटों का यथाशीघ्र पुनरुद्धार करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

चीन में भारतीय पूंजी निवेश

5121. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन सरकार ने अपने सबसे बड़े प्रांतों में से एक प्रांत "अनहुई" में विभिन्न औद्योगिक उद्यमों में भारतीय पूंजी-निवेश की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में चीन सरकार ने कौन-कौन से मुख्य प्रस्ताव किए हैं; और

(ग) इस पर भारत सरकार किस सीमा तक सहमत हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) चीन की सरकार से अनहुई प्रांत में निवेश करने के सम्बन्ध में सरकार को कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नामीबिया में भारतीय विशेषज्ञ

5122. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नामीबिया की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायता देने हेतु वहां अनेक विशेषज्ञ भेजे है;

(ख) यदि हां, तो नामीबिया को कितने विशेषज्ञ भेजे गए हैं तथा नामीबिया की अर्थव्यवस्था के किन-किन क्षेत्रों में सुदृढ़ता प्रदान करने का उन्हें आश्वासन दिया गया है; और

(ग) भारतीय नामीबिया को कितनी सहायता देने के लिए सहमत हुआ है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक क्रमशः जल संसाधन व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्रों में सहायता बढ़ाने हेतु दो अल्पावधि विशेषज्ञों ने नामीबिया का दौरा किया है। भारतीय सरकार ने दस दीर्घावधि विशेषज्ञों को नियुक्त करने और नामीबिया सरकार द्वारा चुने हुए 50 नामीबियनों को इन क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण देने प्रस्ताव रखा है।

(ग) जिन क्षेत्रों में तकनीकी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है, उनमें शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, लघु उद्योग, जल संसाधन विकास और परिवहन शामिल हैं। ये सहायता आई० टी० ई० सी० (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहायोग) कार्यक्रम के अन्तर्गत और अफ्रीका निधि के अन्तर्गत द्विपक्षीय रूप से दोनों ही तरह से दी जाएगी।

भारतीय सरकार ने पूंजीगत वस्तुओं और ऐसी अन्य वस्तुओं के जिनके बारे में दोनों पक्षों के बीच परस्पर सहमति होगी, भारत से आयात के लिए नामीबिया को 100 मीलियन रुपए के ऋण की सहायता देना स्वीकार किया है।

मत्स्य उद्योग सम्बन्धी मन्त्रियों का सम्मेलन

5123. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल तथा पश्चिम बंगाल सहित तटवर्ती राज्यों मत्स्य उद्योग सम्बन्धी मन्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में आठवीं योजना के लिए कोई ठोस नीति तैयार की गई है; और

(घ) उक्त सम्मेलन में अन्य किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) समुद्री उत्पादों के निर्यात को आठवीं योजना में शामिल करने से सम्बन्धित प्रस्ताव को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श से तैयार कर लिया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

लौंग और तेजपत्ते का आयात

5124. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लौंग और तेजपत्ते के आयात के सम्बन्ध में व्यापारियों के पिछले कार्य-निष्पादन के आधार पर उन्हें आयात का लाइसेंस देने का विचार है;

(ख) क्या खुला सामान्य लाइसेंस को वापस लिए जाने से ठीक पहले से बम्बई के गोदामों में काफी मात्रा में आयातित लौंग और तेजपत्ता अब भी बड़ा हुआ है जिसे निकालने के लिए स्वीकृति दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) पिछले आयात के आधार पर लौंग और तेजपत्ते के लिए आयात लाइसेंस देने के सम्बन्ध में आयात नीति में पहले ही व्यवस्था है।

(ख) दिनांक 30-6-1990 की स्थिति के अनुसार 11,12,575 किलोग्राम लौंग जिस पर 801.05 लाख रुपए का शुल्क देय है और 5,53,917 किलोग्राम तेजपत्ता जिस पर 404.35 लाख रुपए का शुल्क देय है, बम्बई स्थित सार्वजनिक अनुबंधित भण्डागारों से क्लीयरेंस न हो पाने के कारण रुका हुआ है ।

(ग) और (घ) लौंग तथा तेजपत्ते की उपरोक्त मात्रा का भंडारागार अवधि समाप्त हो गई है । अत: सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 72 के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में मांग नोटिस जारी कर दिए गए हैं । किन्तु, अधिकांश अनुबन्धकर्त्ताओं ने लौंग तथा तेजपत्ते की नीलामी के संबंध में अधिकांशतया दिल्ली उच्च न्यायालय से अन्तरिम स्थगनादेश ले लिए है ।

बादाम का आयात

5125. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का काली मिर्च और इलायची के निर्यात के आधार पर बादाम का आयात करने में लाइसेंस देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सोवियत संघ के साथ व्यापार

5126. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हमारे देश के सोवियत संघ के साथ किए गए व्यापार संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ख) आगामी तीन वर्षों में कितना और क्या व्यापार किया जाएगा; और

(ग) व्यापार में वृद्धि करने तथा सामान्य मुद्रा देय और रुपये भुगतान देय के अन्तर्गत हुए निर्यात में यदि कोई असंगति रही है तो उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) वर्ष 1987-8 , 1988-89 और 1989-90 के दौरान भारत से सोवियत संघ को निर्यात और सोवियत संघ से भारत को आयात का मूल्य निम्नानुसार है :

(करोड़ रु० में)

	1987-88 (अनंतिम)	1988-89 (अनंति)	1989-90 (अनंतिम)
सोवियत संघ को निर्यात	1970.86	2606.27	4462.97
सोवियत संघ से आयात	2041.00	1964.75	3099.72
कुल व्यापार कारोबार	4011.86	4571.02	7562.69

स्रोत : डी० जी० सी० आई० एस० कलकत्ता। अपरिष्कृत सप्लाई को शामिल करने के लिए आयात संबंधी आंकड़े समायोजित किए गए हैं।

(ख) भारत-रूस व्यापार संलेख कैलेंडर वर्ष के आधार पर सम्पन्न किए जाते हैं।

वर्ष 1990-91 के लिए व्यापार संलेख अभी सम्पन्न नहीं हुआ है और वर्ष की अन्तिम तिमाही में इसको अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

(ग) वर्षों से व्यापार माल न केवल मौजूदा मदों के प्रावधन में वृद्धि करके अपितु उनमें नई मदें जोड़कर भी उनका विस्तार किया गया है। संपर्कों को बढ़ाने के लिए व्यापार प्रतिनिधि-मण्डलों के दौरे, प्रदर्शनियों में सहयोग, संगोष्ठियों और क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन को भी प्रोत्साहन दिया गया है। चूंकि सोवियत संघ के साथ संतुलित रुपया व्यापार प्रणाली से उत्पन्न होने वाले निर्यात के वित्त पोषण करने के लिए आयात से रुपया निधि का सृजन होता है, इसलिए उस देश से आयात को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। व्यापार के परम्परागत विनियम के अलावा आर्थिक सहयोग के नये तरीकों को भी प्रोत्साहित किया गया है। सामान्य मुद्रा वाले क्षेत्र को और रुपया भुगतान वाले क्षेत्र को किए जाने वाले निर्यात के बीच कोई पक्षपात नहीं किया जाता है।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा वाणिज्यिक सूचनाएं

5127. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख उद्योगपतियों और निर्यातकों से इस आशय की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि विदेश में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा भेजी जाने वाली सूचना नियमित आधार पर भेजी जाने वाली जानकारी के स्वरूप वाली होती है और इससे भारत से निर्यात को बहुत कम बढ़ावा मिलता है;

(ख) यदि हां, तो विदेशों में स्थित हमारे मिशनों के घटिया कार्यकरण के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का भारत के निर्यातों को बढ़ाने और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए उनके कार्यकरण में सुधार लाने हेतु उन मिशनों के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वाणिज्य मन्त्रालय ने विदेश में हमारे व्यावसायिक प्रतिनिधियों के सम्मेलन आयोजित किए थे। ऐसे सम्मेलनों में अन्य सुझावों के साथ-साथ भारत के विदेश व्यापार पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया था ताकि हमारे व्यावसायिक प्रतिनिधि एक ऐसे तन्त्र के रूप में कार्य करे जिससे कि हमारे देश की छवि बन सके। विदेश मन्त्रालय और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा भारत में व्यावसायिक प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस्पात स्टॉक यार्ड

[हिन्दी]

5128. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में इस्पात स्टॉक यार्ड की सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) कानपुर और ग्वालियर स्थित अपने स्टाकयार्डों तथा जबलपुर स्थित कन्साइन्मेंट एजेंसी स्टाकयार्ड के माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र के अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है।

टिस्को की उत्तर प्रदेश में दो, कानपुर और गाजियाबाद में तथा मध्य प्रदेश में इन्दौर में एक स्टाक यार्ड हैं।

सहायकों के वेतनमान में संशोधन

[अनुवाद]

5129. **प्रो० रामगणेश कापसे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत सहायकों के वेतनमान में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृत दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उनके वेतनमान में संशोधन को किस आधार पर स्वीकृति दी गई है;

(ग) क्या कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों ने भी अपने वेतनमानों में संशोधन करने की मांग की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का कर्मचारियों के वेतनमानों में विसंगतियों के सभी मामलों पर विचार करने के लिए कोई अन्य वेतन निकाय गठित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका गठन कब करने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सहायकों के वेतनमान का पुनरीक्षण चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमान में विसंगति को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ठीक करने के उद्देश्य से किया गया था।

(ग) जी, हां। आल इण्डिया रेडियो एंड दूरदर्शन स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन, आल इण्डिया एसोसिएशन आफ इन्वेस्टिगेटर्स (एन० एस० एस० ओ०) और आल इण्डिया सेन्ट्रल गवर्नमेंट नॉन सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर्स फोरम इत्यादि ने अपने वेतनमानों का पुनरीक्षण किए जाने हेतु मांग की है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में बांड जारी किया जाना

5130. **श्रीमती जे० जमुना** :
श्री राजमोहन रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें बांड जारी करके सड़कों और पुलों के लिए धन एकत्र करने के लिए अनुमति मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो यह अनुरोध कब प्राप्त हुआ था; और

(ग) इसके लिए अनुमति कब तक दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जी, हां। इस आशय का एक सुझाव वित्त मंत्रालय में 15 मार्च, 1990 को प्राप्त हुआ था।

(ग) मौजूदा योजना केवल केन्द्रीय सरकार के उद्यमों तक ही सीमित है।

दिल्ली दूरदर्शन द्वारा तेलुगु फिल्म का प्रसारण

5131. **श्रीमती जे० जमुना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत आठ महीनों के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क पर दिल्ली दूरदर्शन प्रसारित तेलुगु फीचर फिल्मों के नाम क्या हैं;

(ख) इसी अवधि के दौरान प्रसारित की जाने वाली उन तेलुगु फीचर फिल्मों के नाम क्या हैं जिनके स्थान पर अन्य फिल्में प्रसारित की गई;

(ग) आखिरी क्षणों में निर्धारित फिल्म को बदलने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का निकट भविष्य में इन स्थगित तेलुगु फिल्मों को प्रसारित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) दूरदर्शन द्वारा गत आठ महीनों (जनवरी अगस्त, 1990) के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क पर निम्नलिखित तेलुगु फीचर फिल्में दिखाई गयीं।

1. स्वाति मुत्यम
2. गुण्डालु
3. दान वीर शूर कर्ण
4. मा भूमि
5. पेल्लिनाटि प्रमाणालू

(ख) इस अवधि के दौरान, दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण के लिए घोषित किसी भी तेलुगु फीचर फिल्म के स्थान पर कोई दूसरी फिल्म प्रसारित नहीं की गई।

(ग) से (ङ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

पर्यटक गाइडों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

5132. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1991 को पर्यटक वर्ष के रूप में मनाने के सिलसिले में बंगलौर में एक त्रिमासीय पर्यटक गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने गाइडों को प्रशिक्षण देने का विचार है;

(ग) उपर्युक्त पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए क्या मानदंड होंगे;

(घ) क्या उम्मीदवारों को कोई छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, हां ।

(ख) 26 गाइडों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

(ग) उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय का स्नातक होना चाहिए अथवा वह किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से पर्यटन में 3 वर्षीय डिप्लोमा धारी होना चाहिए और प्रेस में छपे विज्ञापन की तारीख को उसकी आयु 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए । क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, के प्रतिनिधि तथा स्थानीय पर्यटन निदेशक और होटल तथा यात्रा उद्योग के प्रतिनिधियों को समाहित करते हुए एक स्क्रीनिंग कमेटी प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा करती है और उन आवेदकों की, जो योग्यताएं पूरी करते हैं, एक लिखित परीक्षा ली जाएगी । फिर उनमें से चुने गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा तत्पश्चात प्रशिक्षण के लिए उनका चयन किया जाएगा;

(घ) और (ङ) उम्मीदवारों को कोई वजीफा देने का प्रस्ताव नहीं है ।

महालेखाकार, बंगलौर द्वारा पेंशन संबंधी मामलों का निपटारा

5133. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महालेखाकार कार्यालय, बंगलौर में जून, 1990 तक पेंशन, परिवार पेंशन, उपदान और मृत्यु व सेवानिवृत्ति उपदान की स्वीकृति के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन पेंशनों की स्वीकृति में आम तौर पर कितना समय लगता है;

(ग) क्या महालेखाकार कार्यालय, बंगलौर में "सिंगल विन्डो सिस्टम" उपलब्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार महालेखाकार कार्यालय, कर्नाटक में "सिंगल विन्डो सिस्टम" आरम्भ करने का है जिससे कि पेंशन संबंधी मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जुलाई, 1989 से जून, 1990 तक की अवधि के दौरान महालेखाकार, कर्नाटक के कार्यालय में कुल 17736 मामले प्राप्त हुए थे ।

(ख) पेंशन के मामले को निपटाने में सामान्यत: लगभग एक महीने का समय लगता है ।

(ग) और (घ) हालांकि महालेखाकार, कर्नाटक के कार्यालय में इस तरह का कोई "सिंगल

विन्डो सिस्टम" नहीं है, पेंशन के लिए आवेदन विभागीय प्राधिकारियों से केन्द्रीय तौर पर पेंशन मानीटरी सेल में प्राप्त होते हैं : आवेदनों की जांच की जाती है और जहां आवश्यक होता है मानीटरी सेल द्वारा विभागीय प्राधिकारियों से वांछित ब्यौरे/स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाते हैं। संबंधित विभाग को आगे पेंशनभोगी को प्रेषित करने हेतु भुगतान प्राधिकरण पत्र जारी किया जाता है जिसकी सूचना पेंशनभोगी को भी दी जाती है। पेंशनभोगी को विभिन्न प्राधिकारियों के पास जाने के लिए नहीं कहा जाता है।

कर्नाटक में राष्ट्रीयकृत बैंकों में आटोमेटिड टैलर मशीनों की स्थापना

5134. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों में आटोमेटिड टैलर मशीनों की सुविधा मौजूद है;

(ख) वर्तमान समय में कर्नाटक में यह सुविधा किन-किन स्थानों पर मौजूद है।

(ग) प्रत्येक आटोमेटिड टैलर मशीन की स्थापना में कितनी लागत आती है; और

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीयकृत बैंकों में आटोमेटिड टैलर मशीनों की स्थापना के काम को जारी रखने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विजया बैंक ने इन्दिरा नगर, बंगलौर स्थित अपनी शाखा में दो आटोमेटिड टैलर मशीनें (ए० टी० एम०) लगाई हैं। इन दो आटोमेटिड टैलर मशीनों की लागत 31 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने दिनांक 30 6-1990 तक स्थल निर्माण आदि पर लगभग 4.55 लाख रुपए व्यय किये हैं।

(घ) बैंकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास से जागरूक रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा अन्य बातों के साथ-साथ इससे ग्राहकों और स्वयं बैंकों को उपलब्ध होने वाले लाभों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक बैंक को चयनित आधार पर अपनी-अपनी शाखाओं में आटोमेटिड टैलर मशीनों को लगाने की मंजूरी प्रदान कर रहा है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा व्यापार संबंधी करार

5135. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने गत दो वर्षों के दौरान विदेशों के साथ व्यापार सम्बन्धी करारों पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार

5136. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरोप में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के समाकलन तथा फैलाव और दोनों जर्मनी के एकीकरण द्वारा प्रदत्त अवसर का लाभ उठाने के लिए कोई संदर्शी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय और राज्य कार्यक्रमों द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई नीतिगत निर्णय किया है; और

(घ) क्या सरकार ने उन मुख्य मदों की पहचान कर ली है जिसे यूरोपीय देशों में बड़ा बाजार मिल सकता है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) वर्ष 992 में एकांकी यूरोपीय बाजार के गठन के निहितार्थों तथा भारतीय निर्यातों पर उनके प्रभाव की जांच अप्रैल, 1989 में पांच राजदूतों की एक समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में की गई थी। उसके बाद एक अन्तः मंत्रालयी समिति की स्थापना की गई है ताकि यूरोप में हुए परिवर्तनों के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके और ऐसे अध्ययन किए जा सकें जोकि इस स्थिति का सामना करने के लिए किए जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में आवश्यक हों।

(ग) निर्यातों में वृद्धि करने की सरकार की नीति केन्द्र तथा राज्य उपक्रमों पर समान रूप से लागू होती है।

(घ) विदेशी मुद्रा की आय में अधिकाधिक वृद्धि करने के लिए सरकार का यह प्रयास है कि निर्यात वस्तुओं का विविधीकरण किया जाए और यह देखा जाए कि उत्पादों का बढ़ता हुआ क्षेत्र स्वीकार्यता, कीमत तथा क्वालिटी की दृष्टि में प्रतियोगी हो।

कांडला मुक्त व्यापार जोन

5137. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला मुक्त व्यापार जोन ने किस तारीख को कार्य आरम्भ किया था और इस समय इसका कुल कारोबार कितना है;

(ख) क्या कांडला मुक्त व्यापार जोन किन्हीं नियमों/विनियमों के अन्तर्गत कार्य कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र मार्च 1965 में स्थापित किया गया था और आरम्भ होने से 1989-90 तक इसके निर्यात 2182.90 करोड़ रु० के रहे।

(ख) और (ग) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र वाणिज्य मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और सभी सरकारी नियम और अधिनियम उस पर लागू होते हैं।

नए प्रकाशनों के लिए आवेदन

5138. **श्री इरा अन्बारासु :**
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री चित्त महाता :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नए दैनिक समाचारपत्रों, साप्ताहिकों और मासिकों आदि के प्रकाशन के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 में प्रत्येक श्रेणी में वर्षवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) उपरोक्त आवेदनों पर क्या कार्रवाई की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया।

विवरण

कलेण्डर वर्षवार प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा उस पर की गई कार्रवाई

	1987	1988	1989
गतवर्ष के लंबित	624	657	318
प्राप्त	14,659	15,267	15858
कुल	15,313	15,924	16,176
स्वीकृत	7,511	8,298	6,935
अस्वीकृत	7,145	7,308	8,479
31 दिसम्बर को लम्बित	657	318	762

टिप्पणी : शीर्षकों को स्वीकृत करते समय उनकी आवधिकता की अपेक्षा नहीं होती है और इसलिए ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

पीयरलेस जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी

5139. **श्री इरा अन्बारासु :**
डा० देवी प्रसाद पाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा "रेजिड्यरी नान-बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) डायरेक्शन, 1987" के जारी किए जाने के बाद किए गए कार्यों के बारे में कोई रिपोर्ट उपलब्ध है;

(ख) क्या कम्पनी इन आदेशों के अन्तर्गत कार्य करते हुए जमाकर्ताओं और प्रतिभूतियों में निवेश करने वालों को लाभ देने के बाद लाभ अर्जित कर रही है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व-बैंक ने वर्ष 1988 में, दिनांक 31-12-87 की स्थिति के अनुसार, कम्पनी की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड (पीयरलेस) के प्रधान कार्यालय तथा चार क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इसकी जांच से पता चला है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई उन हिदायतों से पूर्व कम्पनी द्वारा प्रारम्भ की गई योजनाओं के संबंध में कुछ उपबन्धों का पालन कम्पनी द्वारा नहीं किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने कम्पनी को उपयुक्त परामर्श दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश बाद की तारीख से प्रभावी होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील की है तथा मामला न्यायाधीन है।

रोकड़ खाते की प्रविष्टियों को सत्यापित करना

5140. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान आयकर और बिक्री कर के अधिकारीगण ने दिल्ली की विभिन्न पार्टियों/फर्मों के रोकड़ खाते की प्रविष्टियों और नकद धनराशि को कितनी बार सत्यापित किया है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) रोकड़ बही की प्रविष्टियों और नकद धनराशि में अन्तर के लिए बताए गए कारणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बिक्री कर आय कर विभागों के बीच कोई समन्वय नहीं है और छापे के दौरान प्रकाश में आने वाले तथ्य अन्तिम निर्धारण में छूट जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन विभागों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान, दिल्ली में विक्रय-कर विभाग के पदाधिकारियों ने रोकड़ बही की प्रविष्टियों को 2274 बार सत्यापन किया और वास्तविक रोकड़ और दर्ज राशि के बीच 216 मामलों में अन्तर पाया गया। कम रोकड़ा

पाए जाने की दशा में प्रायः यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि राशि किसी भागीदार अथवा किसी कर्मचारी को व्ययों के लिए दी गई है। अधिक रोकड़ा पाए जाने की दशा में, प्रायः यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि उक्त राशि किसी भागीदार की है अथवा किसी पार्टी से क्रय करने के लिए प्राप्त की गई है।

आयकर विभाग, रोकड़ बहियों की प्रविष्टियों तथा वास्तविक रोकड़ की जांच केवल तलाशियों तथा सर्वेक्षणों के दौरान ही करता है। इस विभाग ने वर्ष 1989-90 के दौरान दिल्ली में 577 तलाशियां लीं और 167 सर्वेक्षण किए।

(घ) विक्रय कर और आयकर विभागों के बीच पर्याप्त समन्वय है।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा उर्वरकों का आयात

[हिन्दी]

5141. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के रसायन उर्वरकों का आयात किया गया; और

(ख) क्या इन उर्वरकों का आयात सीधे ही किया गया अथवा कुछ एजेन्टों के माध्यम से किया गया ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए रासायनिक उर्वरकों की कुल मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार है :

मात्रा : लाख टनों में

मूल्य : करोड़ रुपए में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1987-88	16.69	174.67
1988-89	25.84	511.41
1989-90	51.89	1292.63

(ख) इन उर्वरकों का खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा सीधी उत्पादकों तथा व्यापारियों से आयात किया गया।

बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं में धोखाधड़ी

5142. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** : क्या वित्त मन्त्री बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं में धोखाधड़ी के बारे में 18 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9368 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धोखाधड़ी के मामलों में शामिल धनराशि का बैंकवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त मामलों में कितने बैंक कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति शामिल हैं तथा उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं में बाहरी व्यक्तियों/अंदरूनी व्यक्तियों द्वारा की गयी धोखाधड़ियों के मामलो में अन्तर्ग्रस्त धनराशि, लिप्त कर्मचारियों की संख्या और सम्बन्धित बैंक द्वारा उनके विरुद्ध की गयी कार्रवाई का बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी शाखाओं में बाहरी व्यक्तियों/अंदरूनी व्यक्तियों द्वारा की गई बड़ी धोखाधड़ियों के मामलों में अन्तर्ग्रस्त राशि लिप्त कर्मचारियों की संख्या और संबंधित बैंक द्वारा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का बैंकवार ब्यौरा

क्र० सं०	बैंक/शाखा का नाम	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए)	लिप्त कर्मचारियों की संख्या	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	बैंक आफ इण्डिया, सिंगापुर शाखा	352.00	कोई अधिकारी/कर्मचारी लिप्त नहीं पाया गया	सवाल ही पैदा नहीं होता
2.	बैंक आफ इण्डिया, सिंगापुर शाखा	450.00	—तदैव—	सवाल ही पैदा नहीं होता
3.	बैंक आफ इण्डिया, लंदन (वेम्बले शाखा)	438.00	2	जहां शाखा प्रबन्धक को बरखास्त कर दिया गया है, एक अन्य अधिकारी के वेतनमान में कमी की गई है।

1	2	3	4	5
4.	सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, (लंदन शाखा)	5985.00	2	जबकि उप महाप्रबन्धक विभागीय कार्यवाही से पूर्व ही अवकाश प्राप्त कर चुके थे, एक अन्य अधिकारी को बरखास्त कर दिया गया है। तथापि इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध लंदन में अपराधिक शिकायत दर्ज करायी गयी है और स्काटलैंड यार्ड द्वारा इसकी जांच की जा रही है।
5.	इण्डियन ओवरसीज बैंक, (सिंगापुर शाखा)	106.09	कोई कर्मचारी लिप्त नहीं।	सवाल ही पैदा नहीं होता।
6.	पंजाब नेलनल बैंक, (लंदन शाखा)	164.61	2	दोनों अधिकारियों को बैंक की सेवा से बरखास्त कर दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच चल रही है।
7.	पंजाब नेशनल बैंक, लंदन शाखा	100 लाख अमरीकी डालर	2	दोनों अधिकारियों को बैंक की सेवा से बरखास्त कर दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच चल रही है।
8.	इण्डियन ओवरसीज बैंक, सिंगापुर शाखा	141.23	4	तीन अधिकारियो के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। चौथा पहले ही अवकाश प्राप्त कर चुका है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी शाखाओं में बाहरी व्यक्तियों/अंदरूनी व्यक्तियों द्वारा की गई बड़ी धोखाधड़ियों के मामलों में अन्तर्ग्रस्त राशि लिप्त कर्मचारियों की संख्या और संबंधित बैंक द्वारा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का बैंकवार ब्यौरा

क्र० सं०	बैंक/शाखा का नाम	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए)	लिप्त कर्मचारियों की संख्या	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	बैंक आफ इण्डिया, सिंगापुर शाखा	352.00	कोई अधिकारी/कर्मचारी लिप्त नहीं पाया गया	सवाल ही पैदा नहीं होता
2.	बैंक आफ इण्डिया, सिंगापुर शाखा	450.00	—तदैव—	सवाल ही पैदा नहीं होता
3.	बैंक आफ इण्डिया, लंदन (वेम्बले शाखा)	438.00	2	जहां शाखा प्रबन्धक को बरखास्त कर दिया गया है, एक अन्य अधिकारी के वेतनमान में कमी की गई है ।

1	2	3	4	5
	4. सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, (लंदन शाखा)	5985.00	2	जबकि उप महाप्रबन्धक विभागीय कार्यवाही से पूर्व ही अवकाश प्राप्त कर चुके थे, एक अन्य अधिकारी को बरखास्त कर दिया गया है। तथापि इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध लंदन में अपराधिक शिकायत दर्ज करायी गयी है और स्काटलैंड यार्ड द्वारा इसकी जांच की जा रही है।
	5. इण्डियन ओवरसीज बैंक, (सिंगापुर शाखा)	106.09	कोई कर्मचारी लिप्त नहीं।	सवाल ही पैदा नहीं होता।
	6. पंजाब नेशनल बैंक, (लंदन शाखा)	164.61	2	दोनों अधिकारियों को बैंक की सेवा से बरखास्त कर दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच चल रही है।
	7. पंजाब नेशनल बैंक, लंदन शाखा	100 लाख अमरीकी डालर	2	दोनों अधिकारियों को बैंक की सेवा से बरखास्त कर दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच चल रही है।
	8. इण्डियन ओवरसीज बैंक, सिंगापुर शाखा	141.23	4	तीन अधिकारियो के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। चौथा पहले ही अवकाश प्राप्त कर चुका है।

गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में तस्करी की गतिविधियां

5143. श्री सी० डी० गामित :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री राम सागर (सैंदपुर) :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में, विशेषकर खाद्य तेलों के मामले में तस्करी की गतिविधियां बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) मार्च, 1988 से जून, 1990 तक कितने मूल्य की तस्करी की वस्तुएं जब्त की गई और किस प्रकार की वस्तुओं की तस्करी की गई थी; और

(घ) तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा होने के कारण यह कहना संभव नहीं है कि गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्रों में हाल ही में तस्करी में वृद्धि हुई है। उपलब्ध रिपोर्टों से यह भी पता नहीं चलता है कि गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्रों में खाद्य तेलों की बड़ी मात्रा में तस्करी की जा रही है। तथापि, गुजरात राज्य में मार्च, 1988 से जून, 1990 तक की अवधि के दौरान सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा 132.83 करोड़ रुपए (लगभग) के मूल्य के सोना, चांदी और कपड़े आदि जैसे निषिद्ध माल का अभिग्रहण किया गया है।

(घ) तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है तथा तस्करी रोधी तन्त्र को समग्र देश में विशेषकर समुद्र तटीय तथा भू-सीमाओं के सुगम्य क्षेत्रों और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और समुद्री पत्तनों पर सुदृढ़ कर दिया गया है। तस्करी का पता लगाने और रोकने में लगी हुई सभी सम्बन्धित एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है। सीमाशुल्क कार्यालयों को, जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, जलयान, वाहन, अग्नेयास्त्र, एक्स-रे मशीन, धातु-खोजी यंत्र आदि उपलब्ध करा दिए गए हैं।

यूनाइटिड बैंक आफ इण्डिया में छपी हुई सामग्री का अभाव

[अनुवाद]

5144. श्री सुशांत चक्रवर्ती : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनाइटिड बैंक आफ इण्डिया में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली अनेक छपी हुई मदों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया

ने सूचित किया है कि मितव्ययिता के उद्देश्य से बैंक ने शाखाओं से प्राप्त मांग के आधार पर फार्मों आदि की छपाई की एक नई पद्धति अपनाई है। उन शाखाओं में जिन्होंने मांग भेजने में चूक की थी, कुछ फार्मों की कुछ समय के लिए कमी महसूस की गई। तथापि, नई पद्धति प्रभावी हो चुकी है। शाखाओं में दैनिक व्यवहार की मुद्रित मदों की किसी संभावित कमी से बचने के लिए सही समय पर उनकी मांग प्राप्त करने के लिए चूककर्ता शाखाओं के साथ सस्ती से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

प्रति व्यक्ति आय

5145. **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के लिए अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे विश्व के प्रमुख देशों में प्रति व्यक्ति आय तथा आयकर के लिए छूट की सीमा की तुलना में भारत की इस संबंध में स्थिति क्या है तथा तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या देश में आयकर के लिए छूट की सीमा में कमी करने की और गुञ्जाइश है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सरकार के पास वर्ष 1988-89 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस तथा जर्मनी जैसे विश्व के प्रमुख देशों में, प्रति व्यक्ति आय तथा आयकर से छूट की सीमा से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, श्री पी० नायक तथा श्री पी० के० अग्रवाल द्वारा "छूट सीमा तथा व्यक्तिगत आयकर' के बारे में तैयार किए गए कार्यकारी दस्तावेज में कुछ प्रमुख देशों के बारे में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1986 के दौरान प्रतिव्यक्ति आय के एक अनुपात के रूप में वर्ष 1987 के दौरान आयकर से छूट की वास्तविक सीमा निम्नानुसार है :—

देश	प्रति व्यक्ति आय के अनुपात में छूट की वास्तविक सीमा
संयुक्त राज्य अमेरिका	0.1087
पश्चिम जर्मनी	0.1729
फ्रांस	0.2230
यूनाइटेड किंगडम	0.4010
भारत	4.9218

(ख) छूट की सीमा का निर्धारण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय ही एकमात्र परिमाप है। छूट सम्बन्धी सीमा के बारे में निर्णय सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है।

नैनीताल बैंक लिमिटेड में बैंक आफ बड़ौदा के शेयर

[हिन्दी]

5146. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैनीताल बैंक लिमिटेड के कितने प्रतिशत शेयर बैंक आफ बड़ौदा के पास है;

(ख) क्या सरकार को बैंक आफ बड़ौदा के शेयरों का हस्तान्तरण करने के लिए नैनीताल कर्मचारी संयुक्त परिषद से कोई ज्ञापन मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 13 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार नैनीताल बैंक लिमिटेड की चुकता पूंजी की 81.9 प्रतिशत पूंजी बैंक आफ बड़ौदा के पास थी।

(ख) और (ग) सरकार को संयुक्त कर्मचारी परिषद नैनीताल का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नैनीताल बैंक लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने अथवा बैंक आफ बड़ौदा द्वारा धारित नैनीताल बैंक लि० के हिस्सों को नैनीताल बैंक लिमिटेड के कर्मचारियों को हस्तांतरित करने की मांग की गई है।

(घ) इस समय सरकार के पास नैनीताल बैंक लिमिटेड की शेयरधारिता पद्धति में किसी तरह का परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बैंक की शाखाएं खोलना

5147. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपनी शाखाएं एक विशेष स्थान पर खोलने हेतु लाइसेंस जारी करने के बारे संसद सदस्यों और विधान सभाओं के सदस्यों सहित जन प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को, उचित महत्व देता है;

(ख) यदि हां, तो क्या जन प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ विशेष स्थानों पर उक्त बैंकों की कुछ शाखाएं खोलने के बारे में सुझाव दिए थे;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां जन प्रतिनिधियों के सुझावों के अनुसार बैंक शाखाएं नहीं खोली गयीं;

(घ) क्या निकट भविष्य में ऐसे स्थानों पर नई बैंक शाखाएं खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो ये शाखाएं कब तक खोल दी जाएंगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोलने के सम्बन्ध में संसद सदस्यों तथा विधान सभाओं के सदस्यों सहित जन प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर, भारतीय रिजर्व बैंक, अपने द्वारा तैयार की गई शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुरूप विचार करता है। वर्ष 1985—90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ सहित सभी जिलों में वाणिज्यिक बैंकों को केन्द्रों का आबंटन, अग्रणी बैंक समूहों द्वारा सिफारिश की गई पता लगाए गए केन्द्रों की सूची जो सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उनकी सिफारिशों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी गई थी, के आधार पर किया गया था।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 65 लाइसेंसों में से बैंकों के पास 17 लाइसेंस, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ के जिलों में शाखाएं खोलने के वास्ते लम्बित पड़े हैं। आधार-भूत सुविधाएं न होने के कारण, बैंक आबंटित केन्द्रों में अपनी शाखाएं नहीं खोल सके। अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने इन लाइसेंसों की वैधता अवधि 30 सितम्बर, 1990 तक बढ़ा दी है। इन केन्द्रों का जिला-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

जिले का नाम	केन्द्र का नाम
अल्मोड़ा	1. भोला
	2. भिगावनटोला
	3. रवाइनखड
	4. रामपुर
	5. धयारिया
	6. काफरा
	7. दनगोली
	8. कपकोट (लोहारखेत)
	9. कपकोट (चौड़ास्थल)
	10. मैनारंगखाम
	11. बिलैख
	12. मानन
पिथौरागढ़	13. रायनगर
	14. कंडकिरोटी
	15. देवबिशीना
	16. चरमा
	17. बनसंबागव

उत्तर प्रदेश में यात्री निवास

5148. श्री हरीश रावत : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में यात्री निवास के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों में इनका निर्माण करने का विचार है;

(ग) क्या ये यात्री निवास रानी खेत और पिथौरागढ़ जैसे पर्यटन केन्द्रों पर बनाये जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इन स्थानों पर पर्यटकों को आवास उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 1990-91 के दौरान हरिद्वार में यात्री निवास का निर्माण करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रस्ताव को स्वीकार किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पर्यटक केन्द्रों का विकास करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकार की है। तथापि केन्द्रीय पर्यटन विभाग प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर उनके गुण-दोषों तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

झुपुलचौड़ा में बैंक शाखा खोलना

5149. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने उत्तर प्रदेश में झुपुलचौड़ा अथवा लोद में बैंक शाखा खोलने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन किया है;

(ख) क्या उक्त स्थान के आसपास के क्षेत्र में घनी आबादी है किन्तु वहां इस समय बैंक की कोई सुविधा नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो वहां उक्त बैंक की शाखा कब तक स्थापित की जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सूचित किया है कि बैंक ने लोद सहित 43 केन्द्रों के शाखा लाइसेंसों के लिए आवेदन किया था, परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक ने आबंटन के लिए इन पर विचार नहीं किया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आवंटन राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश किए गए और पहचान किए केन्द्रों की सूचियों के आधार पर किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ये दो केन्द पूर्व नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भेजी गई पहचान किए केन्द्रों की सूचियों में शामिल नहीं थे। झुपुलचौड़ा और लोद की बैंककारी आवश्यकताओं की पूर्ति उस बैंक शाखा द्वारा की जाती है जिसे ग्रामीण ऋण प्रदान करने की सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत इन्हें आबंटित किया है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता है।

बोकारो इस्पात संयंत्र की प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन

[अनुवाद]

5150. **श्रीमती वासव राजेश्वरी :**
श्री ए० के० राय :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के कार्यकरण में सुधार करने की योजनाओं के भाग के रूप में इस संयंत्र की प्रबन्ध व्यवस्था में उच्च स्तर पर अनेक परिवर्तन किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो बोकारो इस्पात संयंत्र में उच्च स्तर पर किए गए परिवर्तन से उसके कार्य-करण में सुधार लाने में कितनी सहायता मिलेगी ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) इस्पात संयंत्रों के प्रबन्धन में विभिन्न कारणों से जब और जैसी आवश्यकता होती है, परिवर्तन किए जाते हैं। तदनुसार बोकारो इस्पात संयंत्र में उच्च स्तरीय प्रबन्ध में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, आशा है कि इन परिवर्तनों से कार्य-निष्पादन में सुधार करने के सहायता मिलेगी।

निर्यातोन्मुख एककों

5151. **श्रीमती वासव राजेश्वरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत प्रतिशत माल का निर्यात करने वाले एककों के सम्बन्ध में प्रस्तावित पैकेज कार्यक्रम को उनके मन्त्रालय ने स्वीकृति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रस्तावित पैकेज कार्यक्रम द्वारा वर्तमान योजना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव में शामिल किए जाने वाले मामूली परिवर्तनों को भी स्वीकृति न दिए जाने के मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में वाणिज्य मन्त्रालय से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए एक समान मापदंड

5152. **श्रीमती वासव राजेश्वरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी० बी० एफ० सी०) ने अपने विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों में निर्णय एक समान मापदंड और स्तरों को सुनिश्चित करने के लिए कोई बहु-आयामी कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्मों के प्रमाणन के लिए सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों को समान रूप से लागू करने के लिए कार्यवाही की है। बोर्ड द्वारा सभी प्रादेशिक कार्यालयों को बलात्कार, निर्दयता, संत्रास और हिंसा के दृश्यों के बारे में स्पष्ट अनुदेश जारी किए गए हैं। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों की स्वीकृति में उच्च स्तर की एकरूपता का लक्ष्य लाने के लिए प्रादेशिक केन्द्रों की सलाहकार पैनलों के सदस्यों के लिए समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित करना भी शुरू कर दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में 'स्कूल हेल्थ प्रोग्राम' योजना

5153. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में 'स्कूल हेल्थ प्रोग्राम' की एक योजना उनके मन्त्रालय के विचाराधीन है जिसमें 17.55 करोड़ रुपए की सहायता मांगी गई है तथा जिसे ब्रिटेन के ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को आगे भेजा जाना है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उस्मानिया जनरल हास्पीटल, हैदराबाद के लिए जापानी सहायता

5154. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस्मानिया जनरल हास्पीटल, हैदराबाद में कुली कुतेल शाह डायगनोस्टिक सेंटर हेतु चिकित्सा उपकरण के लिए जापान से अनुदान सहायता का कोई प्रस्ताव उनके मन्त्रालय के पास लम्बित पड़ा हुआ है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र से उक्त सहायता को शीघ्र मंजूरी दिए जाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) उस्मानिया जनरल हास्पीटल, हैदराबाद में स्थापित किए जा रहे एक नैदानिक केन्द्र के लिए जापान सरकार से चिकित्सा उपस्कर दान में प्राप्त करने के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय में इस प्रस्ताव की जांच-पड़ताल की जा रही है और इस तथ्य की सूचना आन्ध्र प्रदेश सरकार को 5 अगस्त, 1990 को दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर शीघ्रता से विचार करने का प्रस्ताव है।

विदेशी शेयरधारी सिगरेट कम्पनियों को विदेशी मुद्रा का आवंटन

1555. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान कुछ विदेशी शेयरधारी सिगरेट कम्पनियों को एक करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

मारुति कार के डीलरों के घरों पर छापे मारना

5156. **श्री सनत कुमार मंडल** :
श्री शांताराम पोटदुखे :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 13 अगस्त, 1990 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार के अनुसार आय कर विभाग ने दिल्ली में कुछ प्रमुख मारुति कार डीलरों की दुकानों और घरों पर छापे मारे हैं और मारुति कार की बुकिंग में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसी धोखाधड़ी किस तरीके से की गई; और

(ग) इस मामले की आय कर की दृष्टि से जांच किए जाने के अलावा उद्योग मन्त्रालय की सहायता से ऐसे दोषी डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) आयकर अधिनियम की धारा 132 के अधीन दिनांक 8 अगस्त, 1990 को दिल्ली तथा फरीदाबाद स्थित मारुति-वाहनों के एक व्यापारी के व्यापारिक, कारखाना तथा रिहायशी परिसरों तथा उसकी सहायक कम्पनियों की तलाशियां ली गई थीं। इस तलाशी के दौरान 5.25 लाख रुपए की नकद राशि तथा अपराध-आरोपणीय दस्तावेज पकड़े गए थे। 10.20 करोड़ रुपए के सकल मूल्य की 2916 सावधिक जमा रसीदें बरामद हुईं, जिन्हें आयकर अधिनियम की धारा 132(3) के अधीन रोक लिया गया है।

अभिगृहीत किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत यथापेक्षित अनुवर्ती कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

उद्योग मन्त्रालय के साथ अभी परामर्श नहीं किया गया है क्योंकि इस मामले में अभी जांच-पड़ताल पूरी नहीं हुई है।

कलकत्ता के डलाई खानों में हार्ड कोक की कमी

5157. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में उपोत्पाद हार्ड कोक की कमी के कारण ढलाईखानों के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो हार्ड कोक के उत्पादन में कमी होने के कारण हैं; और

(ग) सरकार ने ढलाईखानों को उपोत्पाद हार्ड-कोक उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के एकीकृत इस्पात संयंत्र हार्ड कोक का उत्पादन मूलतः अपनी आन्तरिक जरूरतों के लिए करते हैं न कि बेचने के लिए। हालांकि, विगत में राउरकेला (आर० एस० पी०) तथा दुर्गापुर (डी० एस० पी०) इस्पात संयंत्रों द्वारा कभी-कभार कुछ मात्रा फाउण्ड्रियों को सप्लाई की गई है, परन्तु उनकी वर्धित जरूरतों तथा कोक के उत्पादन के लिए मंहगे आयातित कोयले के उपयोग से उनके लिए नियमित आधार पर उपोत्पाद हार्ड-कोक को उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो पाता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के तुलनपत्र का नया प्रारूप

5158. **श्री जी० एस० बासवराज :**
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के तुलनपत्र का नया प्रारूप तैयार किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक बनाए जाने की संभावना है;

(ग) इस सम्बन्ध में घोष समिति ने अपनी सिफारिशें कब प्रस्तुत की थीं; और

(घ) समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों के अन्तिम लेखों के फारमेट्स में परिवर्तन पर विचार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसके उप गवर्नर श्री ए० घोष की अध्यक्षता में गठित समिति (जो साधारणतया घोष समिति के नाम से जानी जाती है) ने अपनी रिपोर्ट 1985 में प्रस्तुतत कर दी थी। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने समिति की सिफारिशों को कतिपय संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है। बैंकों के लेखों में और अधिक पारदर्शिता (ट्रांस्परेंसी) लाने के लिए बैंकों के तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखों फारमेट्स में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में रूप-रेखा तैयार की जा रही है।

हिमाचल ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की मांगें

[हिन्दी]

5159. **प्रो० प्रेम कुमार धूमल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हिमाचल ग्रामीण बैंक कर्मचारी एसोसिएशन से कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों के बारे में कोई ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) हिमाचल ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के ज्ञापन में अनेक मांगें प्रस्तुत की गई थीं, जैसे, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार लिपिक कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देना, कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिकों के रूप में पदोन्नत करना, भूतपूर्व सैनिकों को सेवा का लाभ देना, स्थानापन्न भत्ता तथा चिकित्सा एडवांस, सवारी ऋण सुविधा आदि । मामले पर ग्रामीण बैंक के प्रबन्धन तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने विचार किया था तथा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे । पंजाब नेशनल बैंक ने, जो हिमाचल ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है, सूचित किया है कि हिमाचल ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष को हिमाचल ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ से हाल ही में एक और ज्ञापन प्राप्त हुआ है । ज्ञापन में कई मांगें थीं जिनमें हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के तुलनीय पदों पर लागू होने वाले संशोधन वेतनमान को लागू किया जाना, वरिष्ठ लिपिकों के वेतनमान का निर्धारण, स्थानांतरण आदेशों को निरस्त किया जाना, कर्मचारियों के तबादले के अनुरोध पर विचार किया जाना, निलम्बित कर्मचारियों की बहाली आदि शामिल थीं । सम्बद्ध मामलों पर ग्रामीण बैंक के प्रबन्धन तथा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों की बैठक में विचार किए जाने का प्रस्ताव है ।

आयात लाइसेंस जारी करने में धोखाधड़ी

[अनुवाद]

5160. **श्री शांताराम पोटदुखे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई स्थित आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में, जिसमें कई करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है, काफी संख्या में जाली आयात लाइसेंस जारी किए जाने की धोखाधड़ी का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो जाली लाइसेंस जारी करने में किस प्रकार की धोखाधड़ी और हेराफेरी की गई;

(ग) ये लाइसेंस किन-किन वस्तुओं के आयात के लिए दिए गए;

(घ) यह धोखाधड़ी पहले क्यों नहीं पकड़ी गई;

(ङ) इस धोखाधड़ी की जांच के क्या परिणाम निकले और संबंधित दलों और इसमें सम्मिलित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है; और

(च) भविष्य में इस प्रकार की धोखाधड़ी रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) राजस्व आसूचना निदेशालय ने तराशे हुए तथा पालिश किए हुए हीरों की बड़े पैमाने पर तस्करी की सूचना दी है जिसमें 43 कंपनियां शामिल हैं।

(ख) निर्यात किए गए तराशे हुए तथा पालिश किए हुए हीरों की वापस तस्करी की गई और उनका पुनर्निर्यात किया गया जिससे कि ऐसे पुनर्निर्यात के बढ़ते आर० ई० पी० लाइसेंसों का दावा किया जा सके। कुछ मामलों में फर्जी निर्यातों तथा जाली दस्तावेजों के आधार पर आई० ई० पी० लाइसेंसों की मांग की गई है।

(ग) अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिए आयात लाइसेंस जारी किए गए थे।

(घ) पहले ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली थी।

(ङ) इस धोखाधड़ी में शामिल कम्पनियों को प्रसुप्तावस्था के अन्तर्गत रखा गया था और उनके लाइसेंसों का कार्यचालन निलम्बित कर दिया गया था। मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी भेजे गए हैं। इस धोखाधड़ी में सरकारी अधिकारियों की शामिल होने की बात अभी तक सिद्ध नहीं हुई है।

(च) लाइसेंस जारी करने से पूर्व सम्बन्धित बैंकों से बैंक प्रमाणपत्रों की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए हिदायतें जारी कर दी गई हैं। ऐसी धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्रिया-विधि को और कठोर बना दिया है।

बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए ऋण

5161. श्री ए० के० ए० अब्दुल समद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान सभी आवेदनकर्त्ताओं का बैंक-वार कुल कितने ऋण स्वीकृत किए गए;

(ख) उपर्युक्त भाग (के) में संस्थाओं अथवा निगमित निकायों को दिए गए ऋण से भिन्न व्यक्तियों को दिए गए ऋणों का बैंक-वार कुल ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ भाग (ख) का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त भाग (ख) में सामाजिक समूहों—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों द्वारा लिए गए ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अप्रैल, 1989 और 1 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार सभी आवेदकों को दिए गए ऋणों की बैंक-वार कुल कितनी धनराशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ङ) आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, जून, 1989 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार व्यक्तियों एवं सभी प्रकार के संगठनों/व्यवसायों के नाम बकाया ऋण निम्नानुसार था :—

(खाते लाखों में)
(रकम करोड़ रुपए में)

व्यवसाय	सभी संगठन/व्यवसाय		व्यक्ति	
	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
कृषि	5.89	6601.45	5.29	3314.40
उद्योग	5.92	37093.85	1.14	878.28
परिवहन परिचालक	2.28	2514.83	2.03	1821.73
व्यक्तिगत ऋण एवं सेवाएं	4.38	4212.35	4.11	2887.22
व्यापार	3.26	8801.93	0·61	423.99
अन्य सभी	1.51	3520.77	1.05	736.95
	23.31	62870.94	14. 5	10095.20

एग्रीकल्चरल फाइनेंस कन्सलटेन्टस लिमिटेड

5162. **श्री राम नाईक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एग्रीकल्चरल फाइनेंस के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या एग्रीकल्चरल फाइनेंस कन्सलटेन्टस लिमिटेड ने वांछित उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में एग्रीकल्चरल फाइनेंस कन्सलटेन्टस लिमिटेड के उद्देश्यों पर पुनः विचार करने के लिए, अगर कोई, कदम उठाए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कन्सलटेन्टस लि० के उद्देश्य इस प्रकार हैं—(एक) कृषि और ग्रामीण विकास परियोजनाओं की पहचान करना और उन्हें तैयार करना तथा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से और/या सदस्य वाणिज्यिक बैंकों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता देना और (दो) ऐसे प्रोन्नत क्रियाकलापों को हाथ में लेना जो वाणिज्यिक बैंकों को कृषि के लिए उनके ऋणों को बढ़ाने में सहायता करें।

अपने कार्यकाल के गत 22 वर्षों के दौरान, एग्रीकल्चरल फाइनेंस कन्सलटेन्टस लि० (ए०

एफ० सी०) ने 700 कार्यों के लिए रिपोर्टें तैयार की हैं जिसके अन्तर्गत देश में परियोजनाएं तैयार करना और व्यवहार्यता अध्ययन, मूल्यांकन रिपोर्टों को तैयार करना, सामाजिक-आर्थिक और अन्य प्रभावी अध्ययन, अनुसंधान अध्ययन, मोनीटरिंग और मूल्यांकन अध्ययन शामिल हैं।

निगम द्वारा हाथ में लिए गए संवर्धनात्मक क्रियाकलापों ने समग्र रूप से बैंकिंग उद्योग की निम्नलिखित मामलों में मदद की है—(एक) उनके द्वारा कृषि को वित्त पोषित करने में आने वाली बहुत सी अड़चनों को दूर करना और (दो) कृषि वित्त पोषण में बहुत से नये विचारों अथवा योजनाओं को प्रारम्भ करना।

कोलार सोने की खानों से उत्पादन

5163. **श्री बी० कृष्ण राव** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान कर्नाटक में कोलार सोने की खानों से सोने का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या इन खानों से प्राप्त सोना सार्वजनिक बिक्री हेतु उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड द्वारा कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्डस खानों से 1988-89 में 732.7 किलोग्राम तथा 1989-90 में 589-90 में किलोग्राम स्वर्ण का उत्पादन किया गया।

(ख) और (ग) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित स्वर्ण जून, 1988 से स्टेट बैंक आफ इण्डिया की बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली तथा मद्रास स्थित चार महानगरीय शाखाओं की मार्फत और जून, 1989 से बम्बई में इस प्रयोजन हेतु नियुक्त विक्रय एजेन्टों की मार्फत भी औद्योगिक खपत-कर्त्ताओं तथा लाइसेंसधारी व्यापारियों को बेचा जाता है।

"अहमदाबाद डी० डी० सेंसरिंग रिपोर्ट" शीर्षक से समाचार

5164. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई से प्रकाशित होने वाले "इन्डेपेन्डेन्ट" के 26 जुलाई, 1990 के अंक में प्रकाशित समाचार के अनुसार गुजरात विधान सभा की कार्यवाही रिपोर्ट तैयार करने वाले कुछ पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि अहमदाबाद दूरदर्शन केन्द्र उनके द्वारा तैयार की गई सभा की कार्यवाही रिपोर्ट का सेंसर करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं।

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) सरकार ने संदर्भाधीन उक्त समाचार मद को देखा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद, गुजरात विधान सभा की कार्यवाही को कवर करने वाले फीलांस पत्रकारों की रिपोर्टों को सेंसर करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्तमान राज्य सरकार की आलोचना के समाचारों को प्रसारित न किया जाए।

(ग) जहां कहीं रिपोर्ट इतनी लम्बी होती है कि उसका समूचा उपयोग नहीं किया जा सकता, तो समाचार संपादक द्वारा उसका संपादन किया जाता है।

चुनाव सम्बन्धी कार्य में नियुक्त व्यक्तियों के लिए बीमा योजना

5165. डा० ए० के० पटेल :
श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चुनावों के दौरान हिंसक घटनाओं के कारण चुनाव सम्बन्धी कार्य के लिए नियुक्त अनेक व्यक्ति अपने चुनाव सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन करते समय हिंसात्मक घटनाओं में गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं और कभी-कभी उनकी मौत तक हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन सभी व्यक्तियों का बीमा करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मतदान कर्मचारियों के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने या उनकी मृत्यु हो जाने की घटनाओं की संख्या, निर्वाचन ड्यूटी में लगाए गए व्यक्तियों की कुल संख्या के मुकाबले में बहुत कम है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) साधारण बीमा कवर का उपबन्ध करना मुख्यतया इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नहीं समझा गया कि मतदान कर्मचारियों को, उनके सेवा नियमों के अधीन ऐसी क्षतियों के लिए प्रतिकर दिया जाता है और साथ ही संबद्ध मुख्य निर्वाचन आफिसर तथा राज्य प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक मामले में अनुग्रह राशि के संदाय के लिए अलग से विचार करते हैं।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में वित्तीय अनियमितताएं

[हिन्दी]

5.66. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में कुछ वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में हुई वित्तीय अनियमितताओं को सरकार के ध्यान में

नहीं लाया गया है। तथापि, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की कुछ टिप्पणियां/लेखा परीक्षा आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। कुछ अधिकारियों के खिलाफ कुछ व्यक्तिगत अभियोगों की सूचना मिली है जिसकी जांच की जा रही है।

कॉफी बोर्ड के कार्यकरण का निरीक्षण करने के लिए सांविधिक निकाय

[अनुवाद]

5167. **श्री ए० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक प्लांटर्स एसोसिएशन ने केन्द्रीय सरकार से एक सांविधिक निकाय गठित करने का अनुरोध है, जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों में कॉफी उत्पादकों का प्रतिनिधित्व कर रहे लोगों को शामिल किया जाए और जो कॉफी बोर्ड के कार्यकरण का निरीक्षण करें;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कॉफी बोर्ड के कार्यकरण का निरीक्षण करने के लिए एक शीर्षक निकाय गठित करने का है; और यदि हां, तो कब तक; और

(घ) सरकार का कॉफी बोर्ड के कार्यकरण में क्या अन्य परिवर्तन करने का विचार है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कॉफी बोर्ड में सभी ग्रुपों के प्रतिनिधि होते हैं जिसमें अन्य के साथ-साथ उपजकर्ता व्यापारी और उपभोक्ता शामिल हैं। इस प्रकार कॉफी बोर्ड के कार्य संचालन का निरीक्षण करने के लिए किसी अन्य निकाय की आवश्यकता नहीं है। तथापि, कॉफी बोर्ड के कार्यसंचालन की समीक्षा सरकार द्वारा समय-समय पर की जाती है और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण देना

5168. **श्री के० मुरलीधरण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा कितने व्यक्तियों ने ऋण का भुगतान कर दिया है तथा अन्यों से कितनी धनराशि वसूल की जानी शेष है; और

(ख) क्या इन योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्तियों के जो इसे वापस करने में असमर्थ हैं, ऋण की बकाया राशि को माफ करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत तथा वर्ष 1988-89 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मंजूर किए गए राज्य-वार ऋणों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इसकी आंकड़ा सूचना प्रणाली से लाभार्थियों द्वारा वापस की गई/लौटाई गई राशियों तथा उनके द्वारा देय बाकी राशि के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त किए गए ऋणों तथा लाभार्थियों द्वारा वापस न किए गए/ न लौटाई गई बकाया राशि को बट्टे खाते डालने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

1989-90 के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार प्रदान करने की योजना तथा 1988-89 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूर किए गए ऋणों की संख्या की राज्य-वार स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989-90 के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए ऋणों की संख्या	1988-89 (अद्यतन उपके दौरान शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूर किए गए ऋणों की सं०
1	2	3
आंध्र प्रदेश	6725	11335
असम	3141	3502
बिहार	9001	10261
गुजरात	5084	11855
गोआ	124	752
हरियाणा	2418	7864
हिमाचल प्रदेश	769	580
जम्मू और कश्मीर	—	300
कर्नाटक	6010	28216
केरल	2871	10592
मध्य प्रदेश	7936	14159
महाराष्ट्र	8210	43593
मणिपुर	749	721
मेघालय	—	494
नागालैंड	57	277

1	2	3
उड़ीसा	4926	7263
पंजाब	7684	12871
राजस्थान	5127	20436
सिक्किम	17	—
तमिलनाडु	8692	37205
त्रिपुरा	183	732
उत्तर प्रदेश	13297	32303
पश्चिम बंगाल	3199	13888
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17	111
अरुणाचल प्रदेश	16	—
चंडीगढ़	93	534
दादरा और नागर हवेली	26	—
मिजोरम	109	—
पांडिचेरी	230	141
लक्षद्वीप	20	—
दिल्ली	—	11525

आकड़े अनन्तिम स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

अरंडी के तेल का निर्यात

5169. **श्री कृपाल सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई, हैदराबाद और गुजरात के अरंडी के तेल के कुछ प्रसिद्ध निर्माताओं और निर्यातकों ने जुलाई, 1986 से जून, 1989 की अवधि के दौरान अपने उत्पाद को मिथ्या से अरंडी का तेल बी० पी० बताकर सरकार से लगभग 8 करोड़ रुपए प्राप्त किए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) अरंडी तेल का निर्यात, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एग्मार्क के तहत अनिवार्य ग्रेडिंग और प्रमाणीकरण के अध्यधीन किया जाता है ।

औषधीय ग्रेड के अरंडी-तेल के निर्यात पर दिनांक 1-7-1986 से 5% की दर से नकद मुआवजा सहायता दी गई थी।

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय को भारत से निर्यातित अरंडी-तेल की क्वालिटी के बारे में आयातकों से कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : सभापति महोदय, महाराष्ट्र में गत दो महीनों से मिट्टी के तेल के बारे में बहुत असुविधा का निर्माण हुआ है और इसका कारण है केन्द्र शासन द्वारा मिट्टी के तेल में की गई कटौती और पैट्रोलियम कम्पनियों द्वारा भी खाना पकाने की गैस की असुविधा का निर्माण किया जा रहा है। इस कारण जब कभी भी टैंकर आता है, लोगों की कतारें लग जाती हैं। बहुत काला-बाजारी हो रही है और 8-9 रुपए के भाव से भी मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। गैस सिलेंडर्स की कमी होने के कारण 15-15 दिनों तक गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाते है, देहात हो या शहर, दोनों जगह गैस की असुविधा और मिट्टी के तेल की असुविधा है और इसका कारण केन्द्र सरकार द्वारा की गई कटौती है। इससे बहुत ही नुक्सान है, इस पर जल्दी ध्यान दिया जाए, यही मैं कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : सभापति महोदय, भारत वर्ष के 38 रक्षा उत्पादन कारखानों में 1 लाख 70 हजार श्रमिक और कर्मचारी काम करते हैं। प्रति वर्ष इन लोगों को दशहरे से पहले बोनस वितरित कर दिया जाता है, परन्तु पिछले वर्ष प्रशासनिक आदेश पत्र देर से मिलने के कारण कई कारखानों में जो श्रमिक काम कर रहे थे, उनको यह बोनस दशहरा पूर्व नहीं मिला। इसलिए मैं रक्षा मन्त्रालय से निवेदन करूंगा कि समय रहते प्रशासनिक आदेश पारित कर दें, ताकि 1 लाख 70 हजार श्रमिकों का बोनस दशहरे से पहले मिल सके।

12.02 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिंदी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, कल की घटना के सिलसिले में मैंने कुरियन साहब के खिलाफ प्रिवलेज मोशन दिया है, मैं उसके बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, यस श्री अतिन्दर पाल जी।

स० अतिन्दर पाल सिंह (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो लिखकर दिया है, उसको कहें, विशेषाधिकार को फिलहाल छोड़िए।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, कल जो अनप्रेसिडेंटेड घटना हुई है····

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, अभी आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

स० अतिन्दर पाल सिंघ : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में सैंकड़ों सालों से 1984 से लेकर अब तक सैंकड़ों सिख नौजवान बिना मुकदमा चलाए जेलों में नजरबन्द हैं। इनके मामलों में अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई और संवैधानिक तौर पर संविधान के अन्तर्गत 24 घंटों में एक आदमी को किसी भी ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है। मुझे भी तीन महीने तक किसी भी ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था। इसी तरीके से आज तक तीन साल से ज्यादा हो गए हैं। सैंकड़ों नौजवानों को जिनके ऊपर अभी तक कोई मुकदमों दर्ज नहीं किया गया है, इस संवैधानिक कृत्य को समाप्त करने के लिए अत्यन्त आवश्यकता है और सरकार आश्वासन दे कि कुछ 250 से ज्यादा सिख औरतें पूरे भारत में अभी तक नजरबन्द हैं जिनके ऊपर कोई मुकदमादर्ज नहीं किया गया है। यह अपील मैंने आपको की है। उनकी तुरन्त रिहाई की जाए और टाडा एक्ट को तुरन्त समाप्त किया जाए। ये सभी बातें मैंने आपसे की है। इसी के तहत संवैधानिक तौर पर पजाब में स्पेशल कानून बिना किसी संविधान धारा के किया गया उसको समाप्त किया जाए क्योंकि पंजाब में अलगाववाद में जनभावना के अन्दर नकली मुकदमे कायम किए गए। मेरे अपने क्षेत्र में श्री बलजीत सिंह···· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

स० अतिन्दर पाल सिंघ : यह बहुत इम्पारटेंट विषय है। सैंकड़ों नौजवानों में पांच-छः नकली नौजवान मारे जा रहे हैं। इन दिनों पुलिस वालों को ए० के० 47 राईफल सप्लाई की गई है। उनका पूरा-पूरा रिकार्ड बताया जाए। ए० के० 47 राईफल पंजाब में किनकी इजाजत से सरकार ने दी है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० एम० पल्लम राजू (काकीनाडा) : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य बाढ़ की स्थिति से उभर रहा है, एक अन्य संकट खड़ा हो गया है जिसका किसानों और लोगों पर गंभीर असर पड़ रहा है। राज्य में नकली उर्वरक बेचे जा रहे हैं जोकि फसलों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन नकली उर्वरकों को जाने पहचाने ब्रांड नाम के बैगों में भर कर उन्हें असंदेही किसानों को बेचा जा रहा है। ये उर्वरक फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जब लोग उन फसलों फसलों को खाते हैं, तो उनको नुकसान पहुंच रहा है। महोदय, मैं कृषि मन्त्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस गंभीर मामले की ओर ध्यान दिया जाए और तत्काल इस मामले की जांच कराई जाए।

(व्यवधान)

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 357 और 222 के अन्तर्गत

दो नोटिस दिए हैं। महोदय, मुझे भुवनेश्वर के पुलिस अधीक्षक ने 4 सितम्बर, 1990 को गिरफ्तार किया था, जबकि मैं उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के लिए राज्यपाल को एक ज्ञापन देने जा रहा था। उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया और मुझे खंडागिरी पुलिस स्टेशन में रखा और आपको सूचना दी कि मुझे व्यक्तिगत बांड पर रिहा किया गया जोकि सच नहीं है। मुझे अन्य लोगों के साथ बिना किसी शर्त पर रिहा किया गया था। मुझे अवैध रूप से गिरफ्तार करके एक संसद सदस्य के नाते उन्होंने मुझे अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने से वंचित रखा। वास्तविकता यह है कि मैंने न तो कोई व्यक्तिगत बांड ही दिया और इस प्रकार के किन्हीं पत्रों हर हस्ताक्षर भी नहीं किए। पुलिस अधीक्षक ने झूठमूठ यह कहकर मेरी बदनामी की कि मुझे व्यक्तिगत बांड पर रिहा किया गया था। इससे मेरी साख को गिराया गया है। यह विशेषाधिकार हनन का एक कार्य है। मैं इसे आवश्यक कार्यवाही के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजने के लिए आपकी सहमति चाहता हूं।

(व्यवधान)

मैं इसके लिए नोटिस पहले ही दे चुका हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

आपने दिया है, मैं विचार करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने यह कहा है और मैंने आपको बताया है कि मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कोई अन्य मामला उठाने की अनुमति नहीं दी है।

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं आयातित आयोडीन से तैयार किए जाने वाले नकली पोटाशियम आयोडेट की खरीद में कुछ गंभीर अनियमितताओं से सम्बन्धित मामला उठाना चाहता हूं, जिसकी वजह से नमक में मिलावट का खतरा बढ़ गया है।

नमक आयुक्त ने वर्ष 1988 में मैसर्स भवानी कैमीकल्स प्राइवेट लि० से करोड़ों रुपए का पोटाशियम आयोडेट खरीदा था और उन्हें इसे विभिन्न स्थानों पर पहुंचाना था लेकिन, इसके बजाय इसे नमक उपायुक्त द्वारा विटोला, बम्बई में 25 कि०ग्रा० के कन्टेनरों में प्राप्त किया गया और उन्हें उनके गैरेज में रखा गया था।

बाद में विभागीय कर्मचारियों ने उस सामग्री की विभिन्न डिपुओं में डिलीवरी लेने से मना कर दिया क्योंकि यह पाया गया था कि इसमें पोटाशियम आयोडेट की बजाय कुछ अन्य जहरीली सामग्री मिली हुई है। मिलावट वाली सामग्री के कंटेनर अभी भी अहमदाबाद, और जामनगर में पड़े

हुए है। कार्यकर बात यह है कि इस खरीद के बाद टेंडर की शर्तों में परिवर्तन कर दिया गया और उसे पिछली तारीख से प्रभावी बनाया गया। विभागीय लेखा परीक्षा में इस पर तथा पोटाशियम आयोडेट में मिलावट के सम्बन्ध में कार्यवाही न किए जाने पर भी आपत्ति की गई है।

वित्तीय पहलुओं के अलावा, यह मिलावट हमारे लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग संक्षेप में बोलेंगे तो ज्यादा लोग बोल सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ने तीन महीने पूर्व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में अपना निर्णय दिया है। इस न्यायाधिकरण ने अपना यह निर्णय दिया है कि ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को अन्य वाणिज्यिक बैंक कर्मचारियों की तरह, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यद्यपि तीन महीने गुजर गए हैं और इस विषय को इस सभा में कई बार उठाया गया लेकिन, सरकार द्वारा इसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। मेरी मांग है कि राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय को तत्काल कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

महोदय, एसोसिएशन बनाना एक मूलभूत अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को इसी सभा में एक कठोर कानून पारित करके वर्ष 1987 में वापस ले लिया गया था। रेलवे सुरक्षा बल को अपनी एसोसिएशन बनाने में अब वंचित कर दिया गया है। इस सभा के सभी वर्गों से इस सभा में सर्व-सम्मत मांग थी कि इस कठोर कानूनों को निरसन कर दिया जाना चाहिए। रेलवे संरक्षण बल को मान्यता दी जानी चाहिए। यह मान्यता तत्काल प्रदान की जानी चाहिए। यह मांग सभा के सभी वर्गों द्वारा की गई थी अतः, यह कार्य तत्काल किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी···

अध्यक्ष महोदय : आज आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे, मैं सब को समय दूंगा लेकिन पुनरावृत्ति न करिए, केवल एक-डेढ मिनट में खत्म करिए तो सबको समय मिलेगा।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, आज सारे देश में विद्युत संकट है लेकिन बिहार में बहुत भंयकर है। हमारे यहां····

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : अध्यक्ष जी, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिन मिनिस्टर्स को दूसरे हाऊस में जाना है, क्योंकि जैसे यहां पर "जीरो ऑवर" है, वहां पर "जीरो आवर" शुरू होने से पहले दो मिनट में पेपर्स लेकर दिए जाते हैं। इसलिए जैसा राज्यसभा में होता है, यहां भी करवा दीजिए।

———

12.15 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम द्वारा अपने उद्देश्यों तथा दायित्वों को पूरा करने में 1980-88 के दौरान किए गए वास्तविक कार्य निष्पादन में बारे में विवरण

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : श्री अरुण कुमार नेहरू की ओर से मैं राज्य व्यापार निगम द्वारा अपने उद्देश्यों तथा दायित्वों को पूरा करने में 1980-88 के दौरान किए गए वास्तविक कार्य निष्पादन के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 142/90]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयंत्रों में अनबिके इस्पात स्क्रेप की मात्रा के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 334 के 31 अगस्त, 1990 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

[अनुवाद]

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : मैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के संयंत्रों में अनबिके इस्पात स्क्रेप की मात्रा के बारे में श्री एस० बी० घोरट, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं० 334 के 31 अगस्त, 1990 को दिए गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1424/90]

"भारत में समाचार-पत्र, 1986" के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 1 और 2)

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : मैं "भारत में समाचार-पत्र, 1986" के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 1 और 2) की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1425/90]

राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसकी समीक्षा आदि

[हिन्दी]

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 1426/90]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 तथा जूट पैकेज सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम 1987 इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : श्री शरद यादव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना सं० सा० का० नि० 2088, जो 18 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि नियम, 1966 को निरसित किया गया है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 1427/90]

(2) जूट पैकेज सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 672 (अ), जो 31 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि 1 सितम्बर, 1990 से अधिसूचना में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की पूर्ति या वितरण के लिए उनकी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिशत जूट पैकेज सामग्री में पैक की जाएगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) जूट पैकेज सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 673(अ), जो 31 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि 1 सितम्बर, 1990 को तथा से 100 मीट्रिक टन तक प्रति दिन अधिष्ठापित क्षमता वाले लघु अथवा छोटे सीमेंट संयंत्रों को आदेश के लागू होने से छूट दी जाएगी तथा कलकत्ता से 1200 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित सीमेंट संयंत्र सीमेंट के अपने 65 प्रतिशत उत्पादन को जूट पैकेज सामग्री में 70 प्रतिशत के बजाय पैक करेंगे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 1428/90]

(4) (एक) वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा एकत्रित की गई धनराशि के बारे में प्रो० के० वी० थामस द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 291 के 8 अगस्त, 1990 को

दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1429/90]

सफदरजंग अस्पताल में नशीली औषध व्यसन उपचार वार्ड के सम्बन्ध में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2196 के 22 अगस्त, 1990 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : मैं सफदरजंग अस्पताल में नशीली औषध व्यसन उपचार वार्ड के बारे में श्री लाल कृष्ण आडवाणी तथा उमा भारती, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 2196 के 22 अगस्त, 1990 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1430/90]

गरम मसाला बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम, 1990 आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) गरम मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 40 के अन्तर्गत गरम मसाला बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम, 1990, जो 30 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 397 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1431/90]

(2) आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 379(अ), जो 21 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च 1990 की खुली सामान्य अनुज्ञप्ति संख्या 3/90 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) आयात (नियंत्रण) (पांचवां संशोधन) आदेश, 1990, जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 421(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का० आ० 465(अ), जो 7 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 की खुली सामान्य अनुज्ञप्ति, सं० 15/90 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का० आ० 579(अ), जो 20 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 की खुली सामान्य अनुज्ञप्ति सं० 1/90 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का० आ० 580(अ), जो 20 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 की खुली सामान्य अनुज्ञप्ति सं० 14/90 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1432/90]

लोकसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण सं० 26—छठा सत्र, 1986

[ग्रंन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1433/90]

(दो) विवरण सं० 24—सातवां सत्र, 1986

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1434/90]

(तीन) विवरण सं० 24—आठवां सत्र, 1987

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1435/90]

(चार) विवरण सं० 21—आठवें सत्र, 1987 का दूसरा भाग

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1436/90]

(पांच) विवरण सं० 20—नौवां सत्र, 1987

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1437/90]

(छह) विवरण सं० 18—दसवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1438/90]

(सात) विवरण सं० 14—ग्यारसवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1439/90]

(आठ) विवरण सं० 11—बारहवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1440/90]

(नौ) विवरण सं० 10—तेरहवां सत्र, 1989

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1441/90] आठवीं

(दस) विवरण सं० 7—चौदहवां सत्र, 1989 लोक सभा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1442/90]

(एक) विवरण सं० 5—पहला सत्र, 1989 नौवीं

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1443/90] लोक

(दो) विवरण सं० 4—दूसरा सत्र, 1990 सभा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1444/90]

12.16 म० प०

राज्य सभा से संदेश

अपर सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देती है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा, 5 सितंबर, 1990 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 सितंबर, 1990 को हुई उसकी बैठक में पारित किए गए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक, 1990 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ कि राज्य सभा, 5 सितंबर, 1990 को हुई अपनी में, लोक सभा द्वारा 3 सितंबर, 1990 को हुई उसकी बैठक में पारित किए गए विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक, 1990 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे पंजाब विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1990 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 5 सितंबर, 1990 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 3, विधेयक 1990 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 5 सितंबर, 1990 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा की उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(पांच) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1990 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 5 सितम्बर, 1990 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

12:16½ म० प०

प्राक्कलन समिति

की गई कार्यवाही का विवरण

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

1. वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग)—राजस्व की चोरियों के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के अड़तालीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति (आठवीं लोक सभा) का चौवनवां प्रतिवेदन।

2. नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय (पर्यटन विभाग)—प्रमुख बौद्ध तीर्थयात्री केन्द्रों के विकास के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (आठवी लोक सभा) के तिरसठवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति (आठवीं लोक सभा) का सड़सठवां प्रतिवेदन।

3. संचार मन्त्रालय (डाक विभाग)—ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के अठावनवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति (आठवीं लोक सभा) का अड़सठवां प्रतिवेदन।

4. संचार मन्त्रालय (दूर संचार विभाग)—ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार सेवाओं के संबंध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के उनसठवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति (आठवीं लोक सभा) का उनहत्तरवां प्रतिवेदन।

12.17½ म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र —जारी

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 तथा सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 आदि के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 503(अ), जो 18 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 16/90-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० का० नि० 530(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण विशेष शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० का० नि० 531(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मुक्त व्यापार क्षेत्र या शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों में उत्पादित या निर्मित माल को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण विशेष शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० का० नि० 532(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत तैयार शुदा उत्पादों में प्रयुक्त निविष्टियों पर विशेष उत्पाद शुल्क को मुजरे डालने की व्यवस्था करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 533(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले माल को 5 प्रतिशत से अधिक विशेष उत्पाद शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा० का० नि० 534(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 84/90-के० उ० शु० को विखंडित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० का० नि० 535(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 या नियम 12क के अन्तर्गत शुल्क योग्य माल के निर्यात पर विशेष उत्पाद शुल्क की रियायत विनिर्दिष्ट करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० का० नि० 536(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 191क के अन्तर्गत विशेष उत्पाद शुल्क के संदाय के बिना शुल्क योग्य माल के संचलन की अनुमति देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा० का० नि० 537(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 177/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा० का० नि० 614(अ), जो 2 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 30/89-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा० का० नि० 631(अ), जो 12 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 जून, 1988 की अधिसूचना संख्या 211/88-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा० का० नि० 683(अ), जो 1 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 225/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि ऐक्रिलिक फाइबर की बाबत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान करने के लिए मेथिल ऐक्रिलेट पर संदत्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क/संतुलनकारी शुल्क की रकम को मुजरा करने की सुविधा को लागू किया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा० का० नि० 684(अ), जो 1 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 175/86-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि लघु उद्योग का लाभ कपड़ा भित्ति आवरक को दिया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा० का० नि० 685(अ), जो 1 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय आडियो कैसेटों के लिए कैसेटों को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पादन-शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 692(अ), जो 1 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय धातु आधानों तथा धातु आधानों के निर्माण में प्रयुक्त उनके संघटकों को 28 फरवरी, 1986 से 10 जून, 1987 तक की अवधि के लिए उत्पादन शुल्क के संदाय से माफ करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा० का० नि० 711(अ), जो 16 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय सरकार के कारखानों में निर्मित आंसु धुआंकारी सामग्री, जिसमें इसकी मिश्रिष्टियां भी शामिल हैं, को उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1990, जो 17 अगस्त, 1990

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 716(अ), में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1445/90]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 515(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 49/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 516(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एडवांस्ड टेक्नालाजी बैंसल्स कार्यक्रम के प्रयोजनों के लिए आयातित, मशीनरी, उपकरण, फिटिंग, युक्तियों, वैज्ञानिक साधन, चटक, फालतू पूर्जे, औजार, उपसाधनों, कम्प्यूटर यंत्र उपादान, कम्प्यूटर पद्धति उपादान, संचकित माल, फोजित माल, पाइपिंग, ट्यूबिंग, कच्ची सामग्री तथा खाने वाली सामग्री को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल तथा अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 517(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना में उल्लिखित माल पर सहायक सीमा-शुल्क की प्रभावी दरें विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 518(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सहायक सीमा-शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 519(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सहायक सीमा-शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा० का० नि० 520(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर उपचंगी शुल्क के उतने भाग से आंशिक छूट देना है जितना मूल्यानुसार 5 प्रतिशत से अधिक है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 521(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय माल, जिसे अधिसूचना द्वारा मूल शुल्क से आंशिक छूट प्राप्त है, पर उपचंगी छूट के उतने भाग से आंशिक

छूट देना है जितना मूल्यानुसार 5 प्रतिशत से अधिक है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० का० नि० 522(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर उपधंगी शुल्क के उतने भाग से आंशिक छूट देना है जितना मूल्यानुसार 30% से अधिक है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा० का० नि० 523(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय माल पर, जिसे अधिसूचना द्वारा मूल शुल्क से आंशिक छूट दी गई है, उपधंगी शुल्क के उतने भाग से आंशिक छूट देना है जितना मूल्यानुसार 30 प्रतिशत से अधिक है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा० का० नि० 524(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वायुयानों आदि के अनुपूरकों के संघटक हिस्सों पर उपधंगी शुल्क का स्तर नियत करने के बारे में है, तथा एक एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा० का० नि० 525(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उद्भाषित सिनेमा फिल्मों पर उपधंगी शुल्क से आंशिक छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा० का० नि० 526(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मेडिकल इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के संघटक हिस्सों पर उपधंगी शुल्क की दरें नियत की गई हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा० का० नि० 527(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आरम्भ में विनिर्दिष्ट मशीनरी स्थापना आदि के लिए आयातित मशीनरी के संघटक हिस्सों पर उपधंगी शुल्क का स्तरनियत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा० का० नि० 528(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पहले निर्यातित तांबा रिबटों में उत्पादित तांबा तार, छड़ों पर उपधंगी शुल्क का स्तर नियत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 529(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय माल पर मूल सीमा-शुल्क की प्रभावी दर विहित करना है तथा जिप बन्धकों, जिप कुन्डलियों, जिप रोलों तथा जिप टेपों पर भी 2.50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से विशेष दर विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा० का० नि० 591(अ), जो 21 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 जुलाई, 1988 की अधिसूचना संख्या 216/88-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा० का० नि० 641 (अ), जो 26 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 जून, 1989 की अधिसूचना संख्या 179/89-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा० का० नि० 660 (अ), जो 26 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना सं० 110/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि सीमा-शुल्क टैरिफ के शीर्ष सं० 98.01 के अन्तर्गत कलकत्ता महानगरीय रेल परियोजना को कर निर्धारण प्रयोजनों के लिए परियोजना आयात के रूप में एक परियोजना अधिसूचित किया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा० का० नि० 661(अ), जो 26 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कलकत्ता महानगरीय रेल परियोजना के लिए आयातों के सम्बन्ध में 35% की रियायती मूल सीमा-शुल्क विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा० का० नि० 662(अ), जो 26 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय छपाई उद्योग में प्रयुक्त किए जाने वाले कतिपय विशिष्टियों को फोटो कम्पोजिंग/फोटो टाइपसेटिंग प्रणाली के संबंध में 35 प्रतिशत का रियायती मूल सीमा-शुल्क विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा० का० नि० 663(अ), जो 26 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फोटो कम्पोजिंग मशीनों तथा उनके की-बोर्डों के सम्बन्ध में उस दशा में 35 प्रतिशत का रियायती मूल-सीमा शुल्क विहित करना है जब उनका आयात समाचार-पत्र स्थापनाओं के लिए किया जाए, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाइस) सा० का० नि० 664 (अ), जो 26 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जून, 1980 की अधिसूचना संख्या 114/80-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा० का० नि० 665 (अ), जो 26 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 26 जुलाई, 1990 की अधिसूचना संख्या 215/90-सीमा शुल्क, 216/90-सीमा-शुल्क तथा 217/90-सीमा-शुल्क के

अन्तर्गत आने वाले माल पर 5 प्रतिशत का सहायक शुल्क विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौबीस) सा० का० नि० 666 तथा सा० का० नि० 667(अ), जो 26 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आयात किए जाने पर प्रयुक्त मशीनरी तथा उपकरणों पर 25 प्रतिशत का रियायती मूल सीमा-शुल्क विहित करना है तथा संपूर्ण सीमा-शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पच्चीस) सा० का० नि० 668(अ), जो 26 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 1 अगस्त, 1989 की अधिसूचना संख्या 219/89-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस) सा० का० नि० 669 (अ), जो 26 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 159/86 सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताईस) सा० का० नि० 670(अ), जो 26 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 155/86-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठाईस) सा० का० नि० 671 (अ), जो 26 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 60/87-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्तीस) सा० का० नि० 687(अ), जो 1 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 74/90-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीस) सा० का० नि० 688 (अ), जो 1 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय निर्यात के लिए अभीष्ट फुटबालों के विनिर्माण में प्रयुक्त मेल्टन कपड़े पर उद्ग्रहणीय मूल सीमा शुल्क और प्रति-संतुलनकारी शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इकतीस) सा० का० नि० 689(अ), जो 1 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 31 मई, 1990 की अधिसूचना संख्या 180/90 सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बत्तीस) सा० का० नि० 541(अ), जो 4 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिसके द्वारा 31 मई, 1990 की अधिसूचना सं० 180/90-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तैंतीस) सा० का० नि० 569(अ), जो 12 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 9 फरवरी, 1981 की अधिसूचना सं० 13/81-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौंतीस) सा० का० नि० 611(अ), जो 2 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मई, 1990 की अधिसूचना सं० 190/90-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पैंतीस) सा० का० नि० 612 (अ), जो 2 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 मार्च, 1990 की अधिसूचना सं० 162/90 सीमा शुल्क मे कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छत्तीस) सा० सा० नि० 613 (अ), जो 2 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 1985 की अधिसूचना सं० 244/85-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सैंतीस) सा० का० नि० 677 (अ), जो 31 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 सितम्बर, 1985 की अधिसूचना सं० 351/85 सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अड़तीस) सा० का० नि० 678 (अ), जो 31 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 अगस्त, 1987 की अधिसूचना सं० 287/87-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्तालीस) सा० का० नि० 690 (अ), जो 1 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 16 जून 1986 की अधिसूचना सं० 345/86-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चालीस) सा० का० नि० 696 (अ), जो 3 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना सं० 34/90-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इकतालीस) सा० का० नि० 697 (अ), जो 3 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 31 मई, 1990 की अधिसूचना संख्या 183/90-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बयालीस) सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का अवधारण) संशोधन नियम, 1990 जो 5 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 619 (अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तैंतालीस) सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का अवधारण) संशोधन नियम, 1990 जो 3 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 695(अ) में प्रकाशित में हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चवालीस) का० आ० 626(अ), जो 9 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिनके द्वारा 27 जून, 1990 की अधिसूचना संख्या 38/90-एनटी-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किये किये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पैंतालीस) का० आ० 706(अ), जो 10 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में परिवर्तित करने की संशोधित दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छियालीस) का० आ० 652(अ), जो 23 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 27 जून, 1990 की अधिसूचना संख्या 38/90-एन टी-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1466/90]

(3) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 459 (अ), 26 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 29 अप्रैल, 1990 से 1 मई, 1990 तक भारत की यात्रा पर आए जापान के प्रधानमन्त्री महामहिम श्री तोशिको कैफू, श्रीमती, साचियो कैफू और शिष्टमंडल के दस सदस्यों को विदेशी यात्रा कर की अदायगी से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० का० नि० 475(अ), जो 11 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 7 से 14 मई, 1990 तक भारत की यात्रा पर आये जाम्बिया के राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार डा० एम० ए० रंगनाथन को

विदेशी यात्र-कर की अदायगी से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० का० नि० 504(अ), जो 21 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 20 से 24 मई, 1990 तक भारत की यात्रा पर आये बंगला देश जनवादी गणराज्य के विदेश मन्त्री महामहिम अनिसुल इस्लाम महमूद और शिष्टमंडल के छह सदस्यों को विदेशी यात्रा-कर की अदायगी से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा०का०नि० 542(अ), जो 5 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 8 से 10 जून, 1990 तक की भारत की यात्रा पर आये नेपाल के प्रधान मन्त्री, श्री कृष्ण प्रसाद भट्टाराई और शिष्टमण्डल के बारह सदस्यों को विदेश यात्रा-कर की अदायगी से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 560(अ), जो 7 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा ७ जून, 1990 की अधिसूचना संख्या 18/एफ टी टी/90 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० का० नि० 568(अ), जो 2 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 11 से 14 जून, 1990 तक की भारत की यात्रा पर आए रवांडा के विदेश मंत्री महामहिम डा० बिजिमुंग कैसीमीर और शिष्टमंडल के छह सदस्यों को विदेश यात्रा कर की अदायगी से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा०का०नि० 573(अ), जो 14 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 11 से 15 जून, 1990 तक की भारत की यात्रा पर आये अफगानिस्तान गणराज्य के विदेश मन्त्री महामहिम श्री अब्दुल वकील और शिष्टमंडल के आठ सदस्यों को विदेश यात्रा-कर की अदायगी से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा०क०नि० 673(अ), जो 27 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 1 से 2 अगस्त, 1990 तक की भारत की यात्रा पर आये आस्ट्रेलिया के विदेश कार्य और व्यापार सीनेटर माननीय गैरथ इवांस, क्यू० सी० डा० (श्रीमती) मैरन ईवान्स और शिष्टमंडल के पांच सदस्यों को विदेश यात्रा-कर की अदायगी से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा०का०नि० 674(अ), जो 27 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो 1 अगस्त से 4 अगस्त, 1990 तक की भारत की यात्रा पर आये फिलीपीन के विदेश मन्त्री महामहिम श्री रॉल एस० मंगलापस श्रीमती

मंगलापस और शिष्टमंडल के तीन सदस्यों को विदेश यात्रा-कर की अदायगी से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा०का०नि० 703(अ), जो 9 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 9 अगस्त, से 12 अगस्त, 1990 तक की भारत की यात्रा पर आये पाकिस्तान के विदेश सचिव महामहिम श्री तनवीर अहमद खां और प्रतिनिधि मंडल के चार सदस्यों को विदेश यात्रा-कर की अदायगी से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1447/90]

(4) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सिक्का-निर्माण (75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल वाले एक रुपए के सिक्के का मानक भारत और उपचार) नियम, 1990, जो 1 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का० आ० 607 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सिक्का-निर्माण (वर्ष 1990 को दक्षेस द्वारा बालिका वर्ष मनाने के अवसर पर 'बालिका की देखभाल' विषय पर निर्मित 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल वाले एक रुपए के स्मारक सिक्के का मानक भार और उपचार नियम, 1990, को 1 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का आ० 609(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सिक्का-निर्माण (75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल वाले दो रुपये के सिक्के मानक भार और उपचार) नियम, 1990 जो 1 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का० आ० 611 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1448/90]

(5) निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) वर्धा ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 1449/90]

(दो) औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1450/90]

(तीन) कच्छ ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1451/90]

(चार) हिमाचल ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1452/90]

(पांच) पर्वतीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1453/90]

(छः) श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1454/90]

(सात) शाहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 145./90]

(आठ) गुड़गांव ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1456/90]

(नौ) मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1457/90]

(दस) श्री अनन्त ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1458/90]

(ग्यारह) श्री गंगानगर ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1459/90]

(बारह) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1460/90]

(तेरह) शेखावटी ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1461/90]

(चौदह) गोलकुंडा ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1462/90]

(पन्द्रह) रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1463/90]

(सोलह) छिन्दवाड़ा सलोनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1464/90]

(सत्रह) बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष, 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1465/90]

(अठारह) सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1466/90]

(उन्नीस) रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1467/90]

(बीस) झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1468/90]

(इक्कीस) पिनाकीनी ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1469/90]

(बाईस) श्री विशाखा ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1470/90]

(तेईस) विलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1471/90]

(चौबीस) अधियामन ग्राम्य बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1472/90]

(पच्चीस) श्री राम ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1473/90]

(छब्बीस) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1474/90]

(सत्ताईस) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1475/90]

(अट्ठाईस) सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1476/90]

(उनतीस) मांडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1477/90]

(तीस) फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1478/90]

(इकतीस) मयूराक्षी ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1479/90]

(बत्तीस) प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1480/90]

(तेंतीस) बुन्देलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1481/90]

(चौंतीस) चिकमगलूर कोडगू ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षका का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1482/90]

(पैंतीस) दुर्ग राजनन्द गांव ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1483/90]

(6) निक्षेप बीमा प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 50 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या डी० आई० सी० जो० सी०/डी० आई० सी०-29/89-90 की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 7 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम साधारण विनियम, 961 के विनियम 18 में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1484/90]

(7) बैंककारी कम्पनी (उपकमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1989, जो 24 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) बैंक आफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1989, जो 30 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएक्सआई/एसटी/15851 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) बैंक आफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1989, जो 16 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच ओः ओएस आर एण्ड आई आर: 27/107/688 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल० टी० 1485/90]

(8) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1979 में संशोधन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1486/90]

(दो) इण्डियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी वर्ग) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1487/90]

(तीन) इण्डियन ओवरसीज बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) विनियम, 1976 में संशोधन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1488/90]

(चार) इण्डियन बैंक (अधिकारी वर्ग) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1489/90]

(पांच) इण्डियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) विनियम, 1979 में संशोधन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1490/90]

(छः) इण्डियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 में संशोधन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1491/90]

(सात) यूनियन बैंक आफ इण्डिया (अधिकारी वर्ग) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1492/90]

(आठ) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी वर्ग) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1493/90]

(नौ) सिंडीकेट बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1979 में संशोधन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1494/90]

(दस) देना बैंक (अधिकारी वर्ग) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1495/90]

(ग्यारह) देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) विनियम, 1976 में संशोधन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1496/90]

(9) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पंजाब और सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1982, जो 1 नवम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/स्टाफ/ओएसआर/1988 में प्रकाशित हुए थे, में संशोधन।

(दो) पंजाब और सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1982, जो 18 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० पी एस बी/स्टाफ/ओएसआर 1990 में प्रकाशित हुए थे, में संशोधन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1497/90]

(10) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स (अधिकारी वर्ग) सेवा विनियम, 1982 में संशोधन ।

(दो) विजय बैंक (अधिकारी वर्ग) सेवा विनियम, 1982 में संशोधन ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1498/90]

12.18½ म० प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

पहला और पांचवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

1. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के संबंध में समिति (आठवीं लोक सभा) के पैंतालीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पहला प्रतिवेदन ।

2. भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के संबंध में समिति (आठवीं लोक सभा) के चवालीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पांचवां प्रतिवेदन ।

12.19 म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

(1) दूसरा प्रतिवेदन

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के संबंध में अड़तालीसवां

प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) से अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(2) अध्ययन दल के दौरे का प्रतिवेदन

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दल—11 के जून, 1990 के दौरान उसके बंगलौर, गोवा, पुणे और मुम्बई के अध्ययन दौरे की रिपोर्ट (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.19½ म० प०

याचिकाएं

(एक) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक में औद्योगिक अशांति तथा इसके कर्मचारियों की शिकायतों को दूर किए जाने के बारे में

श्री पी०आर०कुमारमंगलम (सलेम) : मैं, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक में औद्योगिक अशांति तथा इसके कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के बारे में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, नई दिल्ली कार्यालय के एक कर्मचारी श्री सुरेन्द्र कुमार तथा बैंक के विभिन्न कार्यालयों में कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(दो) बंगलादेश के विस्थापितों, जो अब हस्तिनापुर रिफ्यूजी कालोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, के रोजगार तथा पुनर्वास के बारे में

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं, विस्थापितयों के रोजगार पुनर्वास के बारे में श्री फकीर चन्द मण्डल तथा बंगलादेश के अन्य विस्थापितों जो अब हस्तिनापुर रिफ्यूजी कालोनी मेरठ, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री बसंत साठे (वर्धा) : विधायी कार्यों पर विचार शुरू करने से पहले मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करने नहीं जा रहा हूं। अब प्रो० दंडवते बोलें।

12.20 म० प०

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) कराधान से संबंधित कतिपय आवश्यक मामले

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : महोदय, वर्ष 1990-91 के बजट को प्रस्तुत करने के

पश्चात सरकार ने कराधान से सम्बन्धित कतिपय आवश्यक मुद्दों पर विचार किया है। चूंकि ये मुद्दे सार्वजनिक महत्व के हैं, इसलिए मैंने यह आवश्यक समझा हैं कि इनकी घोषणा अब सदन में कर दी जाए।

माननीय सदस्यों को यह याद होगा कि निर्गुट राष्ट्रों के नेताओं ने वर्ष 1986 में हरारे शिखर-सम्मेलन में अफ्रीका-फंड स्थापित करने का फैसला किया था, जिसमें भारत को इस फंड का अध्यक्ष बनाया गया था। दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के बहुमत के संघर्ष के साथ भारतीय जनता के गहन भावनात्मक लगाव को ध्यान में रखते हुए अफ्रीका (लोक अंशदान-भारत) फंड स्थापित करने का फैसला किया गया था। इस फंड में उदारतापूर्वक अंशदान करने के सम्बन्ध में जनता को प्रेरित करने की दृष्टि से यह फैसला किया गया है कि इस फंड के अंतर्गत 1 अप्रैल, 1990 को अथवा इसके पश्चात किए गए सभी अंशदानों को आयकर अधिनियम की धारा 80-छ के अधीन शत-प्रतिशत कटौती की अनुमति दी जाए।

जिन क्षेत्रों में पर्यटन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाएं आज प्राय: नगण्य हैं, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों तथा अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किए गए नए अनुमोदित होटलों पर व्यय को दस वर्षों की अवधि के लिए व्यय-कर से छूट दी जाएगी। यह भी फैसला किया गया है कि इस प्रकार के होटलों को धारा 80-झ के अधीन सामान्यतया दी जाने वाली 30 प्रतिशत की कटौती की बजाए, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए, 50 प्रतिशत की कटौती की अनुमति दी जाएगी।

देश इस समय जिस स्थिति में से गुजर रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए अपेक्षाकृत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के बारे में तत्काल जितना अधिक से अधिक बल दिया जाए उतना ही कम है। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात में अधिकाधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है कि कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त समस्त लाभों को आयकर से उसी आधार पर छूट दी जाए जिस प्रकार पण्य-वस्तुओं के निर्यात के मामले में दी जा रही है। इस कर-रियायत के कारण इस उद्योग द्वारा निर्यात के मामले में चालू वर्ष के दौरान ही पर्याप्त वृद्धि दर्शाए जाने की संभावना है। अगले दो वर्षों में वास्तविक निर्यात कार्य को ध्यान में रखकर इस रियायत की समीक्षा की जाएगी।

इस समय कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के मूल्य पर, उसे आयात के लिए एक वस्तु के रूप में समझते हुए, सीमा शुल्क लगाया जाता है। अनिवासी लाइसेंसेदाता अथवा विक्रेता पर भी साफ्टवेयर के लाइसेंस के लिए किए गए रायल्टी-भुगतान पर आयकर लगाया जाता है। निर्यातकताओं पर लगाए जाने वाले इस दोहरे शुल्क के परिहार के लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि निर्माता द्वारा हार्डवेयर सहित सिस्टम-साफ्टवेयर की सप्लाई के लिए किए गए एक-मुश्त भुगतान के मामले में केवल सीमा-शुल्क लगेगा, न कि आयकर। जिन मामलों में अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर किसी अनुमोदित सॉफ्टवेयर निर्यात स्कीम का एक भाग हो, उन मामलों में लाइसेंसदाता अथवा विक्रेता पर ही आय-कर लगेगा। ऐसा प्रस्ताव है कि इस प्रकार के अनुप्रयोग साफ्टवेयर पर कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए आयात-शुल्क से उस स्थिति में पूर्णतया छूट दी जाए, जब उसका आयात कम्प्यूटर साफ्ट-वेयर निर्यात विषयक मौजूदा नीति के अंतर्गत किया गया हो।

रियायती-शुल्क के अनुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर के आयात के बारे में तीन अलग-अलग स्कीमें हैं जिन में अलग-अलग निर्यात-बाध्यताएं हैं। रियायती-शुल्क 35 प्रतिशत से लेकर 65 प्रतिशत के

बीच है तथा निर्यात-बाध्यता 150 प्रतिशत से लेकर 350 प्रतिशत के बीच है। साफ्टवेयर निर्यातकर्ता 25 प्रतिशत के एक रियायती शुल्क पर हार्डवेयर का आयात करने के पात्र होंगे तथा उनकी निर्यात-बाध्यता को भी निर्माता-निर्यातकर्ताओं पर लागू परिमाण के अनुसार निर्धारित किया जाएगा अर्थात चार वर्षों की एक अवधि में आयातित उपकरण के मूल्य के तिगुने के बराबर निर्यात।

इन प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के बारे में अधिसूचनाएं शीघ्र ही जारी की जायेंगी। जहां कहीं आवश्यक होगा, मैं इसके बारे में विधायी-प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करूंगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : इन सबका राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप उन्हें उनसे मिलने के लिए कहें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने सदन में जो महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है, वह ऐसा विषय है, जिस पर बहस होनी चाहिए थी। अब चूंकि उन्होंने यह वक्तव्य सदन के अन्तिम दिन दिया है, इसलिए उस पर अब बहस होना सम्भव नहीं है। मेरा निवेदन है कि ऐसा वक्तव्य सदन के बीच में आना चाहिए, कुछ दिन पूर्व आना चाहिए था ताकि समय रहते उस पर डिस्कशन हो सके, चर्चा हो सके। ऐसी स्थिति में उस पर हम क्या बहस कर सकते हैं।

12.25 म० प०

(दो) मैसर्स आई० टी० सी० लि० से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की देय राशि वसूल न किया जाना

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : महोदय, आपको याद होगा कि 31 अगस्त, 1990 को लोक सभा में प्रश्नोत्तर काल के पश्चात कुछ माननीय सदस्यों ने मैसर्स आई० टी० सी० लि० की सहारनपुर फैक्टरी से संबंधित 80.30 करोड़ रुपए की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की देय राशि वसूल न करने का प्रश्न उठाया था। चूंकि इन राशियों को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की यथेष्टता के बारे में दिनांक 23-8-90 को अतारांकित प्रश्न सं० 1917 के सम्बन्ध में दिए गए मेरे उत्तर के संदर्भ में कुछ शंकाएं व्यक्त की गई थीं, अतः इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं सदन के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों ने इस एकक के सम्बन्ध में, जिसका प्रबन्ध विधिवत रूप से कम्पनी द्वारा किया जाता है, मैसर्स आई० टी० सी० लि० को 5.91 करोड़ रुपये की मांग जारी की थी। तत्पश्चात्, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उन कुछ समाहर्ताओं ने इस मांग के निर्धारण में अपनाई गई कार्य पद्धति के बारे में कुछ शंकायें उठाई थीं जिनके अधिकार क्षेत्र में आई० टी० सी० की फैक्ट्रियां आती हैं। मामले को विधि मन्त्रालय तथा बाद में महान्यायवादी को भेजा गया था। विधि मन्त्रालय की सलाह के आधार पर, सहारनपुर एकक के लिए मांग को 80.30 करोड़ रुपए के रूप में पुनःनिर्धारण किया गया था। मैसर्स आई० टी० सी० ने इस मांग के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी कि उन्हें अपने पक्ष को प्रस्तुत

करने का अवसर नहीं दिया गया तथा तदनुसार नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। यद्यपि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्धारिती से वसूलियां करने के विरुद्ध कोई स्थगन आदेश मंजूर नहीं किया था तथापि, उस समय सरकार द्वारा मामले पर विचार किया गया था तथा कम्पनी से प्राप्त अभ्यावेदन और केन्द्रीय सरकार के स्थाई वकील की सलाह पर फरवरी, 1989 में यह निर्णय लिया था कि जब तक रिट याचिका पर कोई निर्णय नहीं दे दिया जाता है तब तक बकाया पड़ी मांग की राशि वसूल करने के लिए कोई भी सख्त कदम न उठाया जाए।

इसी बीच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में श्री विरेन्द्र वर्मा ने, जो उस समय संसद सदस्य (राज्य सभा) थे, लोक हित सम्बन्धी एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने कम्पनी से देय बकाया राशियों की वसूली के लिए निर्देश मांगा था। जब यह मामला सरकार के ध्यान में लाया गया था, तब 10-1-90 को बैंक गारंटी को तुरन्त भुनाने और बकाया राशि को वसूल करने के लिए प्रस्ताव वित्त मन्त्री को पेश करने के आदेश दिए गए थे, क्योंकि कोई बलपूर्वक कार्रवाई न किए जाने सम्बन्धी निर्णय पिछली सरकार मे मन्त्री के स्तर पर लिया गया था। तथापि, इससे पूर्व कि बैंक गारंटी को भुनाया जा सकता, निर्धारिती ने वसूली के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 9-8-1990 को याचिका खारिज कर दी थी। निर्धारिती ने सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की जिसे भी 22-8-90 को खारिज कर दिया गया था। तथापि, न्यायालय ने कम्पनी को आदेश की तारीख के एक महीने के अन्दर सम्बन्धित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता (अपील) के समक्ष एक अपील दायर करने की अनुमति दे दी थी। हम इस बारे में कानूनी सलाह ले रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमत एक माह की अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही क्या वसूलियों के लिए कड़ी कार्रवाई की जा सकती है अथवा नहीं।

सरकार की यह सुविचारित नीति है कि निर्धारित मांगों, भले ही ये विवादास्पद हों, सरकार के पास उपलब्ध सभी तरीकों से वसूल की जायें यदि ऐसी वसूलियों के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकरण द्वारा स्थगन आदेश न दे दिया गया हो और हम इस कंपनी से भी बकाया राशियों को वसूल करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मेरा खत्म कर दिया क्या ?

अध्यक्ष महोदय : अभी आपका शुरू नहीं हुआ है।

श्री भोगेन्द्र झा : तो मैं बैठ जाऊं ?

अध्यक्ष महोदय : हां, आप बैठ जाइए।

श्री भोगेन्द्र झा : तो ठीक है। मैं बाहर जाकर बैठ जाता हूं। दण्डवते जी ने दो मिनट के लिए कहा था, अब तो साढ़े बारह बजने वाले हैं ?

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : अरे बाबा, बैठो न। अभी पेपर लेइंग चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : भोगेन्द्र जी, आप यहीं बैठिए ! अभी पेपर लेइन्ग हो रहा है ।

12.30 म० प०

निदेश 115 के अधीन वक्तव्य

बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबन्ध मण्डल और मजदूर संघों के बीच कोई भी समझौता होने से इन्कार करने के बारे में दिनांक 30 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2842 के इस्पात और खान मन्त्री की ओर से वाणिज्य तथा पर्यटन मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर

[अनुवाद]

श्री ए० के० राय (धनबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपकी अनुमति से निदेश 115 के अधीन एक वक्तव्य देना चाहता हूं जो इस प्रकार है :—

मेरे दिनांक 30 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2842 के लिए मन्त्री का उत्तर, जिसके द्वारा उस समझौते की विद्यमानता तक को नकारा गया है जिसके कार्यान्वयन की मांग की गई है, पूर्णतः गलत तथा असत्य था और इसका अर्थ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को संसद से छिपाना तथा उसकी संवीक्षा से बचाना है । इस प्रकार उसे कामगारों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोका गया है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र की सात यूनियनों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों को वर्ष 1986 में अपनी 21-सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त रूप से हड़ताल का एक नोटिस दिया था । इस पर रात भर समझौता-वार्ता हुई थी जिसमें प्रबन्धकों तथा यूनियन के अतिरिक्त धनबाद के उपायुक्त तथा उप-श्रमायुक्त ने भाग लिया था । इस बैठक के अन्त में एक समझौता हुआ था जिसे उप-श्रमायुक्त ने रिकार्ड किया था और सहमति प्राप्त मुद्दों पर प्रबन्धकों तथा यूनियनों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे । यद्यपि चार वर्ष हो गए हैं तथापि बोकारो इस्पात लिमिटेड के प्रबन्धकों ने 21-सूत्री मांगों में से अनेक मांगों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है, जिससे कामगारों मे असंतोष बढ़ा है । उपरोक्त अतारांकित प्रश्न का उद्देश्य मन्त्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना था ताकि भारी असंतोष फैलने से पूर्व ही समय पर उपचारी उपाय किए जा सकें । किन्तु सहमति प्राप्त सभी मुद्दों को पूर्णतः लागू करने के लिए उपचारी उपाय करने की बजाय मन्त्रालय ने उस समझौते के होने के तथ्य को ही नकार दिया और इस प्रकार संसद के समक्ष असत्य जानकारी देने का अपराध किया; और निदेश 11 ? के अधीन इस बाबत ध्यान दिलाए जाने पर "सेटलमेंट" शब्द को बीच में लाकर, जिसका कभी कोई उल्लेख ही नहीं किया गया था, इस मामले पर परदा डालने का प्रयास किया ।

अतः सभा को गलत जानकारी देने, गुमराह करने तथा समझौते के ऐसे दस्तावेज जिस पर प्रबन्धकों, संघों तथा श्रम विभाग के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं और जिसे रात भर विचार-विमर्श करने के पश्चात तैयार किया गया था जिसमें औद्योगिक शांति के हित में उपायुक्त ने भी भाग लिया था, को छिपाने के प्रयास को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उचित उपाय करने के लिए सभा

के समक्ष इस प्रकार रखा जाना चाहिए ताकि भविष्य में संसद के समक्ष इस प्रकार की मनमानी न की जा सके।

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय श्री ए० के० राय के वक्तव्य के उत्तर में तथ्यों और स्पष्टीकरणों के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न संख्या 2842 जिसका उत्तर इस सदन में 30 मार्च, 1990 को दिया गया था, के उत्तर पर प्रकट की गई गहरी रुचि की सराहना करता हूं।

माननीय सदस्य द्वारा दिए गए वक्तव्य में यह मूल मुद्दा उठाया गया है कि क्या अक्तूबर, 1986 में आठ यूनियनों और बोकारो स्टील प्लांट के प्रबन्ध मंडल के बीच कोई करार हुआ था। इस सम्बन्ध में घटनाओं के बारे में सिलसिलेवार जानकारी देना उपयुक्त होगा :—

1. आठ यूनियनों ने एक मांग पत्र दिनांक 12-9-86 प्रस्तुत किया तथा साथ ही साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 22(1) के अन्तर्गत हड़ताल का नोटिस भी दिया।

2. श्रम उपायुक्त ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12(4) के अन्तर्गत श्रम सचिव, बिहार सरकार को 2 अक्तूबर, 1986 को समझौता असफल रहने की रिपोर्ट भेजी।

3. 5 अक्तूबर, 1986 को श्रम उपायुक्त के कार्यालय में विचार-विमर्श हुआ जिसमें बोकारो स्टील प्लांट के प्रबन्ध मण्डल के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। उन्होंने श्रम उपायुक्त को अपने 6 अक्तूबर, 1990 के पत्र के साथ अपने विचार लिखित रूप में भी दिए जिन पर प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए थे ताकि विचारों को अधिप्रमाणित माना जा सके तथा यह अनुरोध किया कि यदि भूख-हड़ताल समाप्त दी जाती है तथा प्रदर्शन वापस ले लिए जाते हैं तो श्रम उपायुक्त अपने तरीके से सम्बन्धित यूनियनों को प्रबन्ध मण्डल के विचारों से उपयुक्त तौर पर अवगत करा सकते हैं।

ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिस पर प्रबन्ध मण्डल के प्रतिनिधियों, यूनियनों तथा श्रम उपायुक्त ने हस्ताक्षर किए हों।

उपरोक्त घटना चक्र को देखते हुए यदि मांग-पत्र को "पेशकश" भी माना जाता तो भी प्रबंध मंडल को वह स्वीकार नहीं था। इसी प्रकार प्रबन्ध मंडल द्वारा श्रम उपायुक्त को भेजे गए विचारों को "पेशकश" अथवा "पेशकश के जवाब में दी गई पेशकश" माना जाता है तो भी वह स्वीकार्य नहीं था। अतः घटनाओं के उपरोक्त विवरण से यह आशय नहीं निकाला जा सकता कि बोकारो स्टील प्लांट के प्रबन्ध मंडल और आठ यूनियनों के बीच कोई करार हुआ था।

यह हमारा दृष्टिकोण है। मेरा निवेदन है कि हमारा कभी भी सदन को जानबूझ कर गुमराह करने का इरादा नहीं रहा है।

मेरे निदेश पर मेरे मन्त्रालय ने इस मामले पर श्रम उपायुक्त, बोकारो स्टील सिटी तथा विधि मन्त्रालय से परामर्श किया है। दोनों ने ही यह मत व्यक्त किया है कि बोकारो स्टील प्लांट के प्रबंध मंडल तथा यूनियनों के बीच कोई करार नहीं हुआ था। अतः 30 मार्च, 1990 को उल्लिखित उत्तर दिया गया था।

मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरे इस वक्तव्य से संयुक्त होंगे ।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, सारे देश में बिजली का संकट है। बिहार में तो अकाल है और उत्तर बिहार में बिजली कब आ जाती है यही एक दुविधा की बात है। पूरे बिहार में संकट है और बाकी बिहार का 1/5 हिस्सा उत्तर बिहार में है। लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। विद्युत के लिए पानी से बिजली सबसे सस्ती बिजली होगी। संसार के सबसे ऊंचे शिखर सागर मत्था से निकलने वाली कोसी की धारा है जिसको हम लोग अंग्रेजों की गुलामी के चलते एवरेस्ट कहते हैं, उसी ग्लेसियर से अनन्त जलधारा चलती है। 3300 मेगावाट केवल एक डैम से, 7000 मेगावाट और कुछ डैम से कोसी पर से आएगी। बाढ़ जो हमेशा एक मुसीबत के रूप में हमारे यहां आती है उस बाढ़ का खात्मा हो जाएगा। कलकत्ता बन्दरगाह के लिए जो 49 हजार क्यूसेक पानी का खतरा है उसके लिए 50 हजार क्यूसेक पानी सूखा पड़ने पर भी दिया जा सकेगा। रेल और सड़क आदि की जो बाढ़ से करोड़ों रुपये की दुर्दशा होती है उसकी बचत होगी। केवल एक खर्च से चौगुना फायदा होगा।

1981 में भारत ने नेपाल को अपनी परियोजना भेजी थी। 1984 में मैं नेपाल सरकार के अतिथि के रूप में वहां बुलाया गया था लेकिन 1984 से 1988 तक कुछ नहीं हुआ? 1988 में जब हमारे मित्र श्री राजीव गांधी जी प्रधान मन्त्री थे एक बार भी उन्होंने उस पत्र का तकादा नहीं किया, खोजबीन नहीं की और न ही कोई पत्राचार किया। भयंकर बरबादी और बाढ़ के बाद कुछ बातें हुई। बिहार का यह दुर्भाग्य है कि वहां पर चाहे किसी दल का भी शासन रहे मिट्टी के काम में तबीयत ज्यादा लगती है, जल्दी का भोज वगैरह होता है, स्थायी समाधान में तबीयत नहीं लगती है। मैं यहां किसी दल का भेद नहीं करना चाहता हूं। यह हमारी पिछली परंपरा है और इसमें हम लोग भागीदार हैं। वहां से मिट्टी के काम की मांग होती है, स्थायी समाधान नहीं होता है। जल संसाधन मन्त्रालय और विदेश मन्त्रालय दोनों का इससे सम्बन्ध है। जल संसाधन मन्त्रालय कहता है कि इसको विदेश मन्त्रालय देखेगा और विदेश मन्त्रालय को जल संसाधन की बातों को समझने का समय नहीं मिलता। यह दिक्कत आई हुई है। कोसी, बागमती और कमला यह नदियां अक्सर धारा बदलती रहती हैं। इनकी एक धारा रहती नहीं है। इसलिए बड़े से बड़े अभियन्ता जो इसके चरित्र को नहीं जानते हैं वह इसका समाधान नहीं कर पाते हैं। मिट्टी के तटबन्धों से खर्चा अलग हुआ और दूसरी तरफ बाढ़ और सूखा दोनों में वृद्धि होती चली गई। यह वृद्धि आगे भी होती चली जाएगी। बागमती में हमारे मुख्यमन्त्री गलवाघाट का उद्घाटन करने गए थे। वहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हम इसे नहीं होने देंगे। इसलिए इलाज होगा जहां से नदियां गिरती हैं।

उत्तर प्रदेश में पंचेश्वर और करनाली का समझौता 1976 में नेपाल से हो गया था। अभी तक मामला लटका हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए भारत सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि नेपाल की बरबादी हो रही है, नेपाल की तराई के लोग दुखी हैं। मैं जब 1984 में वहां गया तो नेपाल के तत्कालीन मुख्य अभियन्ता ने कहा था कि भारत अपना काम सीमा से करा लेता है, हम नहीं करते हैं। मैंने कहा कि हम दोनों की पिछड़ी बुद्धि के चलते यह नुकसान आपको भी हो रहा है और हमें भी हो रहा है। यहां शिकायत की जाती है कि नेपाल नहीं कर रहा है। इससे नेपाल का भी काया पलट हो जाएगा। दोनों देशों की मैत्री के लिए एक ऐसा अटूट बन्धन

होगा जिसको सरकार की नीतियां बदल नहीं सकती हैं। 1981 में बराड़ क्षेत्र की जो परियोजना गई थी उसका कार्यान्वयन किया जाये। कोसी बागमती और कमला नदियों के स्थायी समाधान के लिए शीघ्र अन्तिम निर्णय हो। इस सत्र में तो यह काम नहीं होगा। भारत सरकार हमें यह आश्वासन दे कि अगले सत्र में इस मामले में अवश्य ही काम हो जाएगा। 1983-84 में इसी सदन में हमें यह आश्वासन दिया गया था कि राजनीतिक स्तर की नेपाल से बात करेंगे। अब इस बारे में उनसे राजनीतिक स्तर की बात की जाये ताकि जल्दी समाधान हो। दोनों देशों के हित को देखते हुए यह बात शीघ्र ही हो। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

12.38 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई सातवीं से दसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री वसंत साठे : लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम संख्या 98, 99, 100 और 101 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 98 में कहा गया है —

"यदि धन विधेयक के अतिरिक्त सभा द्वारा पारित तथा राज्य सभा को पहुंचाया गया कोई विधेयक सभा को संशोधन सहित लौटाया जाए, तो वह प्राप्त होने पर पटल पर रखा जायेगा।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में आप कह रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : मैं राज्य सभा द्वारा लौटाये गये विधेयक के बारे में बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह विधेयक पारित हो गया है।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : कोई भी अनियमित बात होगी तो उसे मैं आपके ध्यान में अवश्य लाऊंगा। यह मेरा कर्त्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी अनियमितता नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, हमें माननीय सदस्य की बात सुननी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है आप उनसे सहमत हों।

श्री वसंत साठे : कृपया मुझे बताने की अनुमति दीजिए। इसके बाद आप अपना विनिर्णय दे सकते हैं। मैं आपके विनिर्णय पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। इसलिए अब नियम 99 में कहा गया है :—

"संशोधित विधेयक के पटल पर रखे जाने के बाद, सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मन्त्री, या किसी अन्य अवस्था में कोई सदस्य, दो दिन की सूचना देने के बाद या अध्यक्ष की सम्मिति से बिना सूचना के प्रस्ताव कर सकेगा कि संशोधन पर विचार किया जाए।"

श्री सोज और डा० तम्बि दुरै ने संशोधन प्रस्तुत किए थे।··· **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मुझे प्रसार भारती विधेयक पर राज्य सभा द्वारा लाए गए संशोधनों पर अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए नहीं बुलाया गया था।

श्री वसंत साठे : उन्हें अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। कृपया इस पर विचार कीजिए। मैं आपसे यह देखने का अनुरोध कर रहा हूं कहीं इस नियम का उल्लंघन तो नहीं किया गया था। कृपया नियम 100 देखिए :—

(1) "यदि यह प्रस्ताव कि संशोधन पर विचार किया जाए, स्वीकृत हो जाये, तो अध्यक्ष ऐसे संशोधन को सभा के सामने ऐसी रीति से रखेगा जिसे वह उस पर विचार करने के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक समझे।

(2) राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन के विषय से संगत कोई संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा, किन्तु विधेयक में कोई अग्रेतर संशोधन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह राज्य सभा द्वारा किये गये किसी संशोधन का आनुषंगिक या वैकल्पिक न हो।"

फिर, नियम 101 के अनुसार····**(व्यवधान)** कृपया यह नियम देखें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : जिस तरह से इन लोगों ने कल सदन में मिस बिहेव किया है, उसका भी तो कुछ करिए न। यह सब लोग बैठे हुए हैं, कुरियन साहब बैठे हुए हैं। उसका कुछ नहीं होगा क्या ? मैंने इस विषय में प्रिवलेज मोशन भी दिया है।

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, कुरियन साहब से माफी मंगवाइये, जिस तरह से इन्होंने कल मिनिस्टर साहब के हाथ से कागज छीने हैं, उसके लिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपा करके अपनी जगह पर बैठेंगे ?

श्री बसंत साठे : कृपया नियम 101 देखिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधेयक की वैधानिकता पर आपत्ति है।...(**व्यवधान**) अब हमें यह कहते हुए इस विधेयक को वापस भेजना है कि यह सभा राज्य सभा के संशोधनों से सहमत है।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपनी जगह पर बैठेंगे।

श्री बसंत साठे : इस नियम के विरुद्ध की गयी कोई भी बात कानून द्वारा असान्य होगी और इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मैं नहीं चाहता हूं कि प्रसार भारती विधेयक जिसे हमने सर्वसम्मति से पारित किया था, हम फिर से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए तैयार हैं, को निरस्त कर दिया जाये। मेरे मित्र प्रो० कुरियन और यहां उपस्थित सभी सदस्यों ने कहा कि हम सभी उन्हें पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसमें एक कमी रह गयी जिसके कारण इसे निरस्त किया जा सकता है। इसलिए मैं यह आपके समक्ष रख रहा हूं। आप इस पर विचार करें।

प्रो० संकुहीन सोज : मुझे संशोधन प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था।

श्री बसंत साठे : आपको यह देखना है कि इस कमी और त्रुटि को दूर किया जाये। यही बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। यद्यपि प्रसार भारती विधेयक पारित कर दिया गया है, जब यह अधिनियम बन जायेगा तो इसे अमान्य घोषित कर दिया जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : जहां तक प्रक्रिया की वैधता का सम्बन्ध है, इसमें आपको ही निर्णय लेना है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण यह बात जानते हैं कि अध्यक्षपीठ द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होता है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। कल पीठासीन माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने प्रसार भारती विधेयक पर राज्य सभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के बारे में सभा के निर्णय को जान लिया है और नियमों के अनुसार इस मामले को निपटा दिया गया है। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नहीं है।

(**व्यवधान**)

प्रो० संकुहीन सोज : महोदय, ये आपके दस्तावेज हैं....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। मैंने अपना निर्णय दे दिया है। अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आडवाणी जी को बुलाया है।

(**व्यवधान**)

डा० तम्बि दुरै (करूर) : महोदय, श्री बसंत साठे ने कोई मुद्दा उठाया था तथा आपने अपना निर्णय दे दिया है....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही अपना विनिर्णय दे दिया है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

प्रो० संकुहीन सोज : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने श्री साठे की बात का उत्तर दिया है, अतः सभा का कार्य बन जाता है। नियम 376 के अन्तर्गत मैं व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाना चाहता हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रो० संकुहीन सोज : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही अपना निर्णय दे दिया है। आप अध्यक्षपीठ के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते····

प्रो० संकुहीन सोज : महोदय, मुझे अपना संशोधन प्रस्तुत करने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया ? ये आपके पत्र हैं····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें···

(व्यवधान)

प्रो० संकुहीन सोज : यह आपके दस्तावेज हैं। क्या किसी विधेयक को पारित करने का यही तरीका है····(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : महोदय, मैं व्यवस्था प्रश्न उठाना चाहता हूं····(व्यवधान)

प्रो० संकुहीन सोज : महोदय, व्यवस्था के प्रश्न की इस प्रकार उपेक्षा नहीं की जा सकती।

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

डा० तम्बि दुरै : महोदय, मैंने प्रसार भारती विधेयक के सम्बन्ध में अपना संशोधन दिया था। मैंने इसे प्रस्तुत किया था परन्तु मुझे नहीं सुना गया···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तम्बि दुरै जी, मैंने पहले ही अपना निर्णय दे दिया है। अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार मैं आपको व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने श्री आडवाणी जी को बुलाया है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे मेरे निर्णय के आधार पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इसकी अनुमति कैसे दे सकता हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तम्बि दुरै जी, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। जी हां, आडवाणी जी।

12.47 म० प०

सेवारत डाक्टरों की शिकायतों पर विचार करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के बारे में

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : महोदय, मैं देश में सेवारत डाक्टरों के मामले के सम्बन्ध में कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। ज्वाइन्ट एक्शन काउंसिल आफ सर्विस डाक्टर्स आरगेनाइजेशन नाम का एक संगठन है जो देश में लगभग दस हजार डाक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है तथा जो पिछले तीन वर्ष से भी अधिक समय से उनके लिए बेहतर सेवा शर्तों के लिए अभियान चला रहा है। वर्ष 1987 में तत्कालीन सरकार के स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा उनके लिए अनेक लाभों की घोषणा की गई थी। इसके पश्चात् वर्ष 1989 में सेवारत डाक्टरों के संगठन तथा सरकार द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। दुर्भाग्य से, पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य मन्त्रियों में काफी तेजी से परिवर्तन हुआ है। तीन वर्षों में छः स्वास्थ्य मन्त्री बदले। जहां तक मुझे याद है वर्ष 1988 में हमारी स्वास्थ्य मन्त्री सरोज खापर्डे थीं। उसके पश्चात् फिर मोतीलाल वोरा ने यह पदभार संभाला···· (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : तत्पश्चात्····

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस वर्ष भी इस सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् पहले श्री राउतराय थे तथा अब श्री रशीद मसूद हैं। परिणाम यह है कि अनिवार्यतः···· (**व्यवधान**) खैर, तीन वर्षों में छः मन्त्री बदले। इसके परिणामस्वरूप अधिकारी-तंत्र द्वारा अत्यन्त मनमर्जी से इन समझौतों का अर्थ निकाला गया तथा तभी से लगातार शिकायत बनी हुई है। वास्तव में, जो कुछ डाक्टर मुझसे मिले थे उन्होंने बताया है कि केबिनेट-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। उनका निरादर किया गया है। केबिनेट ने क्या निर्णय लिया था अथवा केबिनेट द्वारा क्या निर्देश दिए गए थे उन सबको मैं नहीं जान सकता परन्तु मैं यह समझता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें मन्त्री जी को निजी-तौर पर अपनी रुचि लेनी चाहिए तथा देखना चाहिए कि यथाशीघ्र उनकी शिकायतें दूर हों। वे काफी लम्बे अर्से से इसके लिए अभियान छेड़ रहे हैं तथा मैं मन्त्री जी का अत्यन्त आभारी रहूंगा यदि उनके मामलों में उनके साथ न्याय किया जाए।

[**हिन्दी**]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : अध्यक्ष महोदय, आडवाणी साहब ने जो प्रश्न उठाया है, यह बात सही है कि डाक्टर्स में और मिनिस्ट्री में एक एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन हमारे जो उधर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि एक हाई-पावर-कमेटी बनाने की बात थी, उस हाई-पावर-कमेटी को भी ये नहीं बना सके। मैंने वह कमेटी बना दी है। डाक्टरों की सेटिसफेक्शन के मुताबिक यह कमेटी बनी है। कहीं-कहीं मिनिस्टरी में डाक्टर्स के रिप्रजनटेटिव्स में इण्टरप्रीटेशन पर इख्तिलाफ है, उसके लिए तीन सेक्रेट्री को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए मैंने प्रधानमन्त्री जी को लिखा है कि एक कमेटी बना दी जाए

ताकि उसको सही इन्टरप्रेट कर सकें, जैसे ही वह इन्टरप्रेटेशन क्लियर होगा फौरन उसको लागू कर दिया जाएगा और उसमें जरा सी भी देर नहीं की जाएगी। डाक्टरों की जायज डिमांड्स के साथ मुझे हमदर्दी है और मैं पर्सनली पांच दफा डाक्टरों से मिल चुका हूं और उनकी दिक्कत को हल करने की कोशिश करूंगा।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, भारतीय ओलम्पिक संघ में आपसी झगड़े के कारण जो भारतीय खेल की स्थिति है वह पहले से ही दयनीय है, और दयनीय होती जा रही है। इस समय हालत यह है कि जहां माननीय विजयकुमार मल्होत्रा जी इसके पार्ट एण्ड पार्सियल है, तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा और आपके माध्यम से सरकार से भी यह कहना चाहूंगा····

(व्यवधान)

सर, मैं यह उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम स्पोर्ट्स वाले मामले में तो उधर के लोग पालिटीकल हिसाब से नहीं सोचेंगे और मैं उनसे भी मदद की उम्मीद कर रहा था कि ओलम्पिक संघ के आपसी झगड़े के कारण खिलाड़ी हतोत्साहित हो रहे हैं, इससे न केवल खेल पर प्रभाव पड़ रहा है बल्कि भारत की स्थिति दूसरे ओलम्पिक संघों के समक्ष भी दयनीय होती जा रही है, वहां पर बदनामी हो रही है और उसका ज्वलंत प्रभाव, इस समय खिलाड़ियों की जो एशियाड के लिए तैयारी है उनके ऊपर पड़ रहा है। हालत यहां तक पहुंच गई है कि उनकी तैयारी पर जो भोजन आदि की व्यवस्था है वह भी बहुत घटिया है, इस सम्बन्ध में अखबारों में भी छपा है। खिलाड़ी लोग इसकी शिकायतें कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई ऐसा उपाय करें जिससे ये खेल चौपट होने से बच सकें और भारतीय ओलम्पिक संघ के झगड़े को निपटाने के लिए पहल करें।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, कल दिल्ली के विद्यार्थियों पर जो लाठीचार्ज किए गए, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि काफी दिनों से लगातार दिल्ली के कालेजों और होस्टलों के अन्दर जाकर लाठी चार्ज और टीयरगैस किया जा रहा है। कालेजों और होस्टलों के अन्दर जाने का ये कोई औचित्य नहीं है। देशबन्धु कालेज के प्रिंसिपल को कालेज के अन्दर जाकर पीटा गया और उसके खिलाफ ऐसा केस बना दिया गया कि जैसे प्रिंसिपल ने पुलिस के ऊपर कोई हमला किया हो, इस सारे संघर्ष पर जो मामला चल रहा है, यहां पर कल प्रधानमन्त्री जी ने भी इसका जिक्र किया था कि वे विद्यार्थियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं कि तैयार होना ही काफी नहीं है उनको इस पर इनिशिवेटिव लेना चाहिए, सारे देश में जहां-जहां आग लगी हुई है, प्रधानमन्त्री जी उनको बुलायें और बुला करके बातचीत करें और उसके बाद इसको देखें, जिससे कि यहां पर शान्ति स्थापित हो जाए और विद्यार्थियों पर कोई रिप्रेशन करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के भोजपुर जिले में सूखे की स्थिति हो गई है। सोन नहर जो अंग्रेजों ने बनाई थी, उसकी अवधि समाप्त हो गई है। किसानों की तमाम फसल सूख रही है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि भोजपुर जिले के किसानों को सिंचाई के लिए अधिक से अधिक बिजली उपलब्ध करवाई जाए और सोन नहर को पक्का बनाया जाए। अब

तक सोन नहर को पक्का नहीं बनाया जाएगा, तब तक भोजपुर जिले के किसानों को अन्न नहीं मिल सकता है। भारत सरकार से मेरी मांग है कि भोजपुर जिले में सिंचाई के लिए अधिक से अधिक बिजली उपलब्ध करवाई जाए और सोन नहर को पक्का बनाया जाए। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने श्री पी० जे० कुरियन के बारे में जो प्रिवलेज मोशन दिया है, उसके बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, मैं अभी आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं, अभी अण्डर-कंसीडरेशन है।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, हाउस की निंदा का सवाल है, अनप्रेसीडेंटेड काम हुआ है। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। श्री खुराना नियम 222 के अन्तर्गत यहां नोटिस तो दे सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन बिना आपकी अनुमति के यहां पर उस मामले को कह नहीं सकते। इसकी निंदा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको इजाजत नहीं दी है, आप बैठ जाइए।

प्रो० यदुनाथ पांडेय (हजारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, हजारी बाग क्षेत्र प्राकृतिक संपदा से भरा पड़ा है। वहां के लोग एम ए, बी ए तो कर जाते हैं, लेकिन रेल नहीं देख पाते। आजादी के 43 वर्ष के बाद भी इस क्षेत्र को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया है। जितने भी प्रधानमन्त्री अभी तक हुए हैं, सभी ने आश्वासन दिया कि हजारी बाग को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा, लेकिन सिर्फ सर्वे का सब्जबाग दिखा दिया जाता है। 294 किलोमीटर रेल लाइन बननी है, हम मानते हैं कि इसको एक साथ करना सम्भव नहीं होगा, तो इसको हिस्सों में बांटकर कर दिया जाए। पहले हजारीबाग को कोडरमा से जोड़ दिया जाए, उसके बाद हजारीबाग को रामगढ़ से जोड़ दिया।

अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग को रेल लाइन से न जोड़े जाने से वहां की जनता में बहुत असंतोष है और उसको सड़कों पर आकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दिया जाए।

श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर (दादरा और नगर हवेली) : अध्यक्ष महोदय, दादरा और नगर हवेली में लोकल रिक्रूट किए हुए जो आफिसर्स होते हैं, उनका ट्रांसफर नहीं होता है। वहां पर एक लेबर आफिसर 6-7 साल से एक ही स्थान पर काम कर रहा है। वह करप्शन में एन्वाल्व है, उसके खिलाफ सी० बी० आई० इन्क्वारी के लिए प्रिलिमिनरी चार्जेज प्रूव हो चुके हैं। दो तीन प्वाइन्ट्स पर चार्जेज प्रूव हुए हैं। हमने सरकार को लिखकर दिया है, उसके खिलाफ सी० बी० आई० इन्क्वारी हुई है और दो तीन चार्जेज प्रूव हुए हैं, ऐसी स्थिति में उसको ससपेंड करना चाहिए, उसके बाद उसको चार्जशीट देनी चाहिए। सर्विस में रखकर उसके खिलाफ इन्क्वारी नहीं हो सकती है।

(व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सबसे पहले उसको ससपेंड किया जाए, उसके बाद उसको चार्जशीट दी जाए और उसके बाद इन्क्वारी करवाई जाए। (व्यवधान)

.00 म० प०

श्री बाऊदयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सब दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। राजस्थान के पास अब भी कई नदियां हैं, इसलिए अन्य राज्यों में बिजली और पानी के मामले में हमेशा दूसरे राज्य की परियोजनाओं में हिस्सा प्राप्त करता है। वे नदियां राजस्थान में होकर बहती हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ 27 जून, 1984 को एक विद्युत परियोजना मंडल के साथ तय हुआ कि छोल परियोजना में जो हिमाचल क्षेत्र है उसमें विद्युत परियोजना बनाई जाए जिससे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का पचास-पचास प्रतिशत हिस्सा रहेगा। दुर्भाग्य यह है कि पिछली कांग्रेस सरकार के* राजस्थान के मुख्यमन्त्रियों ने हिमाचल सरकार के साथ पत्र-व्यवहार किया। हिमाचल सरकार ने बार-बार कहा कि अपने हिस्से का रुपया आप हिमाचल को दें। दुर्भाग्य यह है कि उन दोनों मुख्य मन्त्रियों ने राजस्थान के हितों को अनदेखा करके एक फूटी कौड़ी हिमाचल प्रदेश को नहीं दी। 1987 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने छोल परियोजना अपने हिस्से से बनानी आरम्भ कर दी। आज वह परियोजना बनकर पूर्ण होने जा रही है। राजस्थान चूंकि डेजर्ट प्रदेश है, अकाल-ग्रस्त क्षेत्र है और मरु क्षेत्र है इसलिए इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि कृपा करके जो बिजली हमारे हिस्से की है वह केन्द्रीय नीतिगत योजना के आधार पर दी जाए। हमें पचास प्रतिशत बिजली हिमाचल से दिलाने की कृपा करें।

श्री युवराज (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य की नकदी फसल पाट है और वहां की एक प्रमुख मिल है कटिहार जूट मिल जिसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, फाइनेंशियल कारपोरेशन आफ इण्डिया और आई० एफ० सी० राज्य वित्त निगम आदि ने एक बड़ी राशि ऋण में दी थी और यह कारखाना इन दिनों लगभग तीन वर्षों से जूट के अभाव में है और इसका उत्पादन ठप्प है। इसमें काम करने वाले 1400 मजदूरों में से गोपीनाथ मिश्र, मुसाफिर साह, राम प्रतिपाली, गफूर साहब, रशीद आदि ने जो कटिहार जूट मिल के पार्ट धर में काम करते थे और इनके अलावा 41 मजदूर भूखे मर गए। इन मजदूरों के आश्रित और 22 परिवार के सदस्यों की अभी अनाहर मृत्यु हो गई। मैंने इस सिलसिले में प्रधानमन्त्री जी, वित्त मन्त्री जी, श्रम मन्त्री जी एवं टैक्सटाइल मन्त्री जी को अर्जी दी और 52 पार्लियामेंट के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर से इस कारखाने को अधिग्रहण करने के लिए निवेदन किया। इसके बावजूद भी इस सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। इस सिलसिले में मुझे यह कहना है कि जिस तरह की वर्दनाक मौत कटिहार जूट मिल के मजदूरों की हुई वह स्थिति इतनी असहाय हो गई है कि मुझे बाध्य होकर सत्याग्रह का मार्ग अपनाना पड़ेगा। मैं इस सम्मानित सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि कटिहार नगर में एकमात्र बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के द्वारा चलाये जाने वाला कारखाना है और जो आधुनिकीकृत है और जिसमें 1400 मजदूर काम करते हैं तो इनका बकाया वेतन, बोनस जो लगभग साढ़े चार करोड़ है।

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ने कुल राशि का भुगतान नहीं किया और इसकी फिक्र नहीं कि किस तरह यह कारखाना चले। उत्तर बिहार के इलाके में यही एक मार्डनाइज कारखाना है जिसमें मजदूर काम करते थे और जो दूसरा कारखाना है, वह भारत सरकार का है जो चल रहा है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह अनाहार मौत होती रहेंगी और सरकार बहरी बनी रहेगी तो स्थिति और विस्फोटक हो सकती है··· (व्यवधान)

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामकृष्ण यादव (आजमगढ़) : फैजाबाद जिला आजमगढ़ से सटा हुआ है और फैजाबाद में अयोध्या नगरी स्थित है जहां पर 1 सितम्बर से राम ज्योति जलाने का प्रयास किया जा रहा है और जल रही है। मेरा उससे विरोध नहीं है, वह करें, लेकिन यह राम ज्योति 19 सितम्बर को जलाने का इन्होंने वायदा किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 सितम्बर का राम ज्योति के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करने की तैयारी की थी, लेकिन इन्होंने 1 सितम्बर से जलानी शुरू कर दी और सरकार के साथ विश्वासघात किया। यह राम ज्योति मथुरा, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर में जा रही है और सरकार इससे निपटने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि उसने 1 सितम्बर के बजाय 19 सितम्बर को जलाने के वायदे को ध्यान में रखकर व्यवस्था करने की सोची थी। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार के गृह मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस ज्योति को जो वहां जल रही है और जो सांप्रदायिक नारे लगाये जा रहे हैं उससे निपटने के लिए सरकार समुचित कार्यवाही करे, अन्यथा गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस, झांसी, फैजाबाद, लखनऊ आदि में सांप्रदायिकता की स्थिति पैदा हो जाएगी और उसको केन्द्र सरकार भी नहीं रोक पायेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसको रोकने के लिए व्यवस्था की जाए ताकि वहां सांप्रदायिकता की भावना न भड़के।

प्रो० यदुनाथ पांडेय : राम ज्योति से सांप्रदायिकता नहीं फैल रही है। भगवान राम सांप्रदायिकता के नहीं मानवता के प्रतीक थे। सूरज अपनी गर्मी त्याग सकता है, चन्द्रमा अपनी शीतलता त्याग सकता है, गंगा फिर से हिमालय में समा सकती, लेकिन कोई ताकत राम जन्मभूमि पर राम के मन्दिर को बनाने से नहीं रोक सकती है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री बी० कृष्ण राव (चिक्कबल्लापुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आपने मुझे कर्नाटक में सूखा की स्थिति के बारे में बोलने का अवसर प्रदान किया है।

कर्नाटक में लगभग पचास तालुकों में पिछले दो वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। पानी का स्तर नीचे चला गया है। पीने के पानी की भी कमी हो गई है। (व्यवधान)

बुवाई का पचास प्रतिशत कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। फसल लगभग सूख रही है। कृषि मजदूरों के लिए भी कोई कार्य नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त एक अध्ययन दल भेजे तथा राहत कार्यों के लिए तुरन्त धनराशि स्वीकृत करे। यदि सरकार तुरन्त ही अध्ययन दल भेजने का उपाय नहीं करेगी तो मवेशी तथा मनुष्यों का भूख से मर जाने का डर है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि पचास करोड़ रुपये की राशि तुरन्त स्वीकृत करे जिससे राहत कार्य शुरू किए जा सकें। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त ही केन्द्र से एक अध्ययन दल भेजे।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पश्चिमी राजस्थान की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू। पश्चिमी राजस्थान के पाली, जोधपुर, नागौर और बाड़मेर जिले पूरे रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। वहां पर पानी का अभाव है, बिजली का

अभाव है। हमने कई बार गंगा योजना, यमुना योजना और कई नहरों की योजनाएं प्रस्तुत की हैं, इस क्षेत्र का विकास करने के लिए, इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से विदर्भ में, मराठवाड़ा में और कच्छ में संविधान की धारा 371 के तहत अलग-अलग विकास बोर्ड बनाये हैं उसी प्रकार से मरू प्रदेश विकास बोर्ड का निर्माण किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि जब तक वहां पर मरू प्रदेश विकास बोर्ड का निर्माण नहीं होगा, तब तक वहां की प्रगति नहीं हो सकती। यह मरू धरती पानी, बिजली, सिंचाई के साधन, यातायात एवं सब प्रकार के अभावों से ग्रस्त है तो जो सदियों से इन अभावों से जूझती रही है। वहां पर तीन प्रकार का शोषण होता रहा है—अंग्रेजों के जमानें में, अंग्रेजों के पश्चात राजा-महाराजाओं से और उसके बाद राजाओं की जमींदारी प्रथा और जागीरदारी से प्रभावित रहे हैं। इसलिए वहां गरीब लोग बुरी तरह से दलित हैं।

अध्यक्ष महोदय : लोढा जी, आप संक्षेप में कहिये।

श्री गुमान मल लोढा : इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर मरू प्रदेश विकास बोर्ड का गठन किया जाये और इसे संविधान की धारा 371 के तहत किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। क्योंकि आज आपका और हमारा और इस सदन का अन्तिम दिवस है···

अध्यक्ष महोदय : अन्तिम दिवस है ? आप शतायु बनिएं।

श्री गुमान मल लोढा : राजस्थान में मरू प्रदेश···(व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा हूं··· (व्यवधान)···30 अक्तूबर को राम जन्म भूमि मन्दिर के निर्माण के लिए···· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। कालका जी आप भी बैठ जाएं। लोढा जी, आप बहुत समय लेते हैं। आपको एक-डेढ़ मिनट में समाप्त करना चाहिए था। अब आप इसको जल्दी कंक्लूड कीजिए।

श्री गुमान मल लोढा : मैं एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय सदस्य महोदय का कहना है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, अब आप बैठ जाइए। मि० कुरियन।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लोढा जी, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री गुमान मल लोढा : जिस प्रकार से जो भी···

अध्यक्ष महोदय : आप एक सवाल को उठाना चाहेंगे तब दूसरे सवाल पर आ जाएंगे। प्लीज आप बैठ जाएं। यैस मि० कुरियन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुभाषिनी जी।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं आपके सामने··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : आप सभा की बैठक को मध्याह्न-भोजन के लिए स्थगित करें। आज शुक्रवार हैं। हमें नमाज पढ़ने जाने की अनुमति दें। हम वापस आ जाएंगे। आप भोजनावकाश की अनुमति दें और तत्पश्चात् दूसरे मामलों पर चर्चा करवाएं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने साथियों की भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैं सभा को स्थगित करता हूं और 2.15 म० प० पर यह सभा की कार्यवाही पुनः आरंभ होगी।

1.14 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.19 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.19 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय—पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : अध्यक्ष जी, मैंने नियम 222 के अन्तर्गत विशेषाधिकार का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, लेकिन मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

डा एस० पी० यादव : अध्यक्ष महोदय, कल जो कुछ सदन में हुआ, वह वास्तव में एक विशेषाधिकार का मामला है, मैं उस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप मुझे टाइम दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सर, जो मैंने नियम 222 के तहत प्रिवलेज का मोशन दिया हुआ है, उसका क्या हुआ ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए खुराना जी। मैंने सिर्फ राम नाईक को बोलने के लिए कहा है। बाकी सभी लोग बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, आप और इस सदन के जो माननीय सदस्य खादी पहनते हैं, उन सबको यह मालूम है कि जब खादी बाजार में खरीदने जाते हैं, तो उस पर 15 परसेंट रिबेट दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : राम नाईक जी, कृपया संक्षेप में बोलें, ताकि दूसरों को भी समय दिया जा सके ।

श्री राम नाईक : ठीक है, अध्यक्ष जी । 10 परसेंट अतिरिक्त रिबेट महात्मा गांधी की जयंती से प्रति वर्ष और दिया जाता है और इस प्रकार यह रिबेट कुल 25 प्रतिशत हो जाता है । इसकी कालावधि भी पहले 4 महीने थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों सरकार ने यह 10 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत कर दिया है और 120 दिन की कालावधि को घटाकर 90 दिन कर दिया है । इसके कारण खपत बहुत कम होगी । पहले जब 25 प्रतिशत रिबेट मिलती थी तो खादी खरीदने वाले अपनी सालभर की आवश्यकता की खादी, लगभग 85 प्रतिशत लोग इन्हीं चार महीनों में खरीद लेते थे ।

अध्यक्ष महोदय : राम नाईक जी, आप क्या चाहते हैं ?

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मैं यह चाहता हूं कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी जयन्ती के अवसर पर, पहले 25 प्रतिशत रिबेट दी जाती थी, वही दी जाए और जो इसकी कालावधि 120 दिन थी और जिसको अब घटाकर 90 दिन कर दिया है, ऐसा न हो । वही 120 दिन की कालावधि की जाए । ताकि देहातों में जो लोग खादी बुनने का काम करते हैं, उनको रोजगार मिले । उनको नुकसान न हो । इसके बारे में, मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करे और वक्तव्य दे ।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : अध्यक्ष जी, मेरी कांस्टीट्यूएंसी कानपुर में, सुन्दरीकरण के नाम पर बुलडोजर चढ़ा-चढ़ा कर गरीबों के घरों को रौंदा जा रहा है और इसमें केन्द्रीय सरकार का भी हाथ है क्योंकि जो डिफेंस का विभाग है वह इस काम को करने में सबसे आगे है । बरसात के इस मौसम में वहां झोंपड़-पट्टियों, झुग्गियों को बुलडोजरों से तोड़ा जा रहा है । बेरहमी से उनके ऊपरबुलडोजर चलाया जा रहा है । मैं चाहूंगी कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे इसको तुरन्त रोके, क्योंकि सुप्रीमकोर्ट ने भी कई बार रूलिंग दी है कि कम से कम बरसात के मौसम में इस तरह का अभियान न चलाया जाए और इस तरह से लोगों के घरों को तोड़ना और उनको बेघर करना मानवता के खिलाफ है ।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, कुवैत की स्थिति के बारे में गत कुछ दिनों की समाचार पत्रों की खबरें काफी परेशान कर देने वाली हैं । कल के इकोनोमिक्स टाईम्स में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें यह कहा गया है कि कुवैत में भारतीयों को अब देश-द्रोहियों के रूप में देखा जा रहा है । यह कहा जा रहा है कि जिस देश में भारतीय काम कर रहे हैं, उस देश से अधिक सहानुभूति उन्हें राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से है । यह भी कहा जा रहा है कि कुवैत से आने वाले भारतीयों को, जो कि खाड़ी क्षेत्र से यहां आ रहे हैं, कुछ कुवैती लोगों द्वारा वहां से आते समय सताया जा रहा है । कुवैती भारतीयों को इराकी फौजों के विरुद्ध अपने संघर्ष में बाधा समझते हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत जी, आप तो मौखिक बोल सकते हैं ।

[अनुवाद]

आप समाचार पत्रों में से क्यों पढ़ रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत : मैं केवल समाचार पत्र से उस रिपोर्ट को उद्धृत कर रहा था, जिससे मैं यह मुद्दा उठाने के लिए प्रेरित हुआ । इसी तरह कल के 'दी हिन्दू' में यह बताया गया है कि अब हमारे समुद्री जहाज कुवैत नहीं जा सकते हैं । हमारे विदेश मन्त्री बगदाद गए थे और वे वहां के विदेश मंत्री से भी मिले थे । मैं माननीय विदेश मन्त्री से वहां की वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। क्योंकि आज सभा स्थगित हो जाएगी और उससे पहले मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

जो वक्तव्य वे देने वाले हैं, मैं चाहूंगा कि ये विशेष रूप से हमें इसके बारे में अवगत कराएं। क्योंकि यह हैरानी की बात है कि जब हमने सद्दाम हुसैन की स्थिति और उनकी कठिनाइयों को समझा है और हमारा दृष्टिकोण रचनात्मक है, फिर भी मैं मेरे विचार में जिस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ होना चाहिए था, वह व्यवहार हमारे साथ नहीं किया जा रहा है । हमारे समुद्री जहाजों को वहां जाने की अनुमति नहीं है । हमारे विमान और यहां तक कि हमारी वायु सेना के विमानों को भी वहां उड़ान भरने की अनुमति नहीं है । अतः मैं चाहूंगा कि इन सभी मुद्दों पर मन्त्री महोदय आज ही स्पष्टीकरण दें ।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, जो मुद्दा इन्होंने उठाया है···

अध्यक्ष महोदय : गुजराल जी, आज कुछ बोलने वाले हैं ।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : दो चीजें बहुत सीरियस हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह आम सवाल है ।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : यही बात मैं कहना चाहता था । बीस हजार लोग अम्मान में फंसे हुए हैं । उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है । सरकार को कुछ करना चाहिए ।

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं एक ऐसा मामला उठा रहा हूं जिसके विषय में आप अत्यधिक चिन्तित हैं और उड़ीसा के सदस्य भी चिन्तित होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : आपको सुनने के बाद सारा सदन भी चिन्तित होगा । मैं पहले से ही चिन्तित हूं ।

श्री संफुद्दीन चौधरी : उड़ीसा के कालाहान्डी, कोरापुर, बोलनगीर, ढेंकानाल, फूलबनी और सुन्दरगढ़ जिलों में बहुमूल्य पत्थर अधिकता में पाए जाते हैं । वहां 20000 करोड़ रुपए से 40000 करोड़ रुपए तक के मूल्य का, इनका भंडार होने का अनुमान है । सरकार का इन बहुमूल्य पत्थरों पर कोई नियंत्रण नहीं है । आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वहां हीरा, पुखराज, पन्ना, नीलम, ऐलैक्जैंड्राइट मानिक लहसुनिया किस्म के कीमती पत्थर बहुतायत में मिलते हैं । वहां एक अन्तर्राष्ट्रीय

गिरोह सक्रिय है। कुछ वर्ष पहले जाने माने भूवैज्ञानिक श्री विश्वनाथ ने उड़ीसा सरकार को एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट की बाहर तस्करी की गई और उन्होंने उस रिपोर्ट के सैटेलाइट चित्र प्राप्त कर लिए। उन्होंने इसका विश्लेषण किया और अपने गिरोह के माध्यम से वे इसे देश के बाहर ले जा रहे हैं। गैर-सरकारी व्यापारी इन पत्थरों को लूट रहे हैं। इस्पात और खान मन्त्री इस समय यहां मौजूद हैं। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि भुगतान संतुलन और संसाधनों की कमी के इस संकट के दौर में हम कैसे इन कीमती पत्थरों की लूट की अनुमति दे सकते हैं। वहां कोई पुलिस नहीं है। संयुक्त क्षेत्र की एक कंपनी 'सेमको' स्थापित की गई है और तस्कर से उसमें शामिल हो गए हैं। मैं इस्पात और खान मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वे कृपया इस अति-आवश्यक मसले पर अभी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : मुझे किसी स्थान विशेष की जानकारी नहीं है, परन्तु मुझे एक प्रश्न का उत्तर देने का अवसर मिला था। हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं। चूंकि माननीय सदस्य महोदय ने यह मसला उठाया है, मैं इसकी ओर विशेष ध्यान दूंगा।

श्री संफुद्दीन चौधरी : हिंदी के समाचार पत्र हिंदुस्तान में, इस बारे में एक पत्रकार श्री सुशील शर्मा के चार लेख क्रमशः 19, 20, 21 और 22 अगस्त को प्रकाशित हुए है। मन्त्री जी को यह लेख अवश्य पढ़ लेने चाहिए।

श्री दिनेश गोस्वामी : जैसे कि माननीय सदस्य महोदय ने यह मामला उठाया है, मैं इस ओर ध्यान दूंगा और देखूंगा···

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : आप वहां एक संसदीय प्रतिनिधिमण्डल ले जाएं और हमें इसकी जानकारी दें।

श्री दिनेश गोस्वामी : सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वहां संसदीय प्रतिनिधि-मण्डल ले जाने से कीमती पत्थर सुरक्षित रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी ऐजेंडा में तीन बजे प्राईवेट मैम्बर्स बिजनस है क्योंकि आज फ्राईडे है। दिल्ली बिल के बारे में क्या फिर कोई ऐसी प्लानिंग बनाई है।

अध्यक्ष महोदय : अब सारी चीज ठीक चल रही है, आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : दिल्ली को राज्य का दर्जा देने वाले विधेयक के सम्बन्ध में मैंने कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने पाइंट आफ आर्डर उठाने कहां दिया है, कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसंकुरा) : जो बात मैं कहना चाहती हूं, वह हर एक की चिंता का विषय है। यह राष्ट्र की चिंता का विषय है। अतः मैं सभी सदस्यों का सहयोग चाहती हूं हमारे यहां पेट्रोल का भारी संकट है। यह बात सारा देश जानता है। अतः मैंने पहले ही पेट्रोलियम मन्त्री का ध्यान पश्चिम बंगाल में पेट्रोल का पता लगाने के लिए आकर्षित किया है। जिस प्रकार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग वास्तव में बेधन कर रहा है यह पश्चिम बंगाल को तेल देने में कभी समर्थ नहीं हो सकेगा। किन्तु एक तरीका है जिसके द्वारा यह किया जा सकता है। मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगी क्योंकि मैंने पेट्रोलियम मंत्री को पहले ही पूरा प्रस्ताव दे दिया है। यदि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिक नीचे तक बेधन करता है तो उन्हें तेल मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल तेल पर तैर रहा है। यह सच है। किन्तु, वे इतना अधिक नीचे नहीं जा रहे हैं, कितना आवश्यक है, और जो कुछ किया जाना चाहिए, वह नहीं किया जा रहा है। इसलिए, महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, श्री चिन्त बसु और मैंने स्वयं इस संबंध में नोटिस दिया था। यह केवल पश्चिम बंगाल में नहीं है। पश्चिम बंगाल के बारे में यह जो कह रही हैं वह बिल्कुल सही है। त्रिपुरा, असम की बराक घाटी और उड़ीसा में भी ऐसा ही है। तेल की खोज करने के स्थान पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अन्य क्षेत्रों में से बेधन मशीनें निकाल रहा है। उन्हें इमानदारी से केवल तेल की खोज करने में ही अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। बहुत अवसर हैं और उन्हें खोज कार्यक्रम को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री बालगोपाल मिश्र (बोलनगीर) : महोदय, मैं श्री चौधरी का समर्थन करूंगा। पिछले दस वर्षों में पश्चिमी उड़ीसा, विशेषतया सम्बलपुर, बोलनगीर, कालाहांडी और फूलबनी में कीमती पत्थर पाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानते हैं कि आप बोलनगीर से संबंध रखते हैं।

श्री बाल गोपाल मिश्र : दुर्भाग्य से, पिछली उड़ीसा सरकार द्वारा स्थापित की गई 'जेम कारपोरेशन' ने कम्पनी के निदेशक-मंडल में विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दो व्यक्तियों को शामिल किया है। वहां पर कानून और व्यवस्था भी एक समस्या बन गया है। तस्करी में पुलिस भी शामिल है। इसलिए, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे पन्ना डायमंड माईन पैटर्न का कुछ विस्तार करें जिससे इसका वास्तविक लाभ उन क्षेत्रों के गरीब क्षेत्रीय लोगों को पहुंचे। जैसाकि आप जानते हैं कि वे क्षेत्र पिछले 25 वर्षों से चिरकालिक सूखे का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि कालाहांडी और बोलनगीर में 20 रुपयों और 30 रुपयों तक के लिए लड़कियों को बेचा गया है। यह खबर अखबरों में आई थी। यह एक मुद्दा भी बन गया है। दुर्भाग्य से कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है। जिस प्रकार 'हर ओर पानी ही पानी है, किन्तु पीने के लिए एक बूंद भी नही है', चारों ओर प्रचुर मात्रा होने के बावजूद हम भूखे मर रहे हैं। इसलिए, मंत्री महोदय इसकी ओर ध्यान दें और कुछ करें।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, झांसी एक ऐतिहासिक नगर है और वह महारानी लक्ष्मीबाई का स्मृति स्थल है। वह आज हिन्दुस्तान की जनता की बहुत बड़ी धरोहर है। हिन्दुस्तान की जनता बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा व दर्शन करती है। मुझे बहुत पीड़ा इस बात से है कि महारानी लक्ष्मीबाई से सम्बन्धित जितने भी ऐतिहासिक और स्मृति केन्द्र थे ये सब पहले सैनिक छावनी के अंतर्गत आते थे। केन्द्र का जो पुरातत्व विभाग है उसने हिंदुस्तान की जनता को यह विश्वास दिया था कि हम इसलिए इसको अपने पास में ले रहे हैं जिससे उसके सौन्दर्यीकरण और रखरखाव की सुरक्षा कर सकें। हजारों की संख्या में पर्यटक झांसी का किला और महल को देखने के लिए आते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि वर्षों से उस किले की और महल की कोई मरम्मत नहीं की गई है। उनकी बहुत खराब हालत हो गई है। उनके रखरखाव की कोई चिन्ता नहीं की जा रही है। इसको लेकर झांसी की जनता के अन्दर काफी आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से पुरातत्व विभाग के मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता के लिए यह एक बड़ी शर्मनाक बात है कि उन्होंने पुरातत्व विभाग लेने के पहले लिखित रूप में सैनिक छावनी से समझौता किया है, उस सौन्दर्यकरण की ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, उड़ीसा में, 6 लाख सहकारी ऋणप्राप्तकर्ता हैं। उनमें से केवल 2 लाख को लाभ मिल रहा है। ऋण मुक्ति योजना के साथ जुड़ी हुई शर्तों के कारण 14 लाख लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। वास्तव में उड़ीसा में कुल ऋण प्राप्त कर्ताओं में से केवल 10 से 20 प्रतिशत को ही ऋण मुक्ति योजना से लाभ मिलता है।

आपके माध्यम से, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे तुरन्त उड़ीसा सरकार से बात करें और इन शर्तों के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करें जिससे सभी ऋण प्राप्त कर्ताओं को लाभ मिल सके।

परिणामस्वरूप, इससे कृषकों को नए ऋण न मिलने के कारण उन्हें संकट का सामना करना पड़ रहा है। फलस्वरूप, कृषि कार्य अवरुद्ध हो गए हैं। इसलिए, यह एक अत्यन्त कठिन समस्या है जिसकी ओर केन्द्रीय सरकार द्वारा तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : माननीय, अवध असम एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के लिए आती है, वह ट्रेन रामपुर जंक्शन पर नहीं रुकती है, उसमें रोज बरेली से दिल्ली यात्री जाते हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ?

श्री संतोष कुमार गंगवार : रामपुर में लोग उसे चेन पुल करके रोक लेते हैं जिसमें एक घंटा लग जाता है। मैं चाहता हूं कि वह ट्रेन वहां केवल दो मिनट रोकी जाए, क्योंकि सैकड़ों दैनिक यात्रियों को इससे लाभ होगा।

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, दिल्ली के करोलबाग क्षेत्र में पूसा इन्स्टीट्यूट में कृषि अनुसंधान परिषद है, जो कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत आती है, वहां के कर्मचारियों ने पिछले दो महीने से हड़ताल की हुई है, अपनी न्यायोचित मांगों को मनवाने के लिए····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह आपके दल के संसद सदस्य नहीं हैं ?

श्री कालका दास : उन्होंने अपनी एक ही विभाग में समान वेतन की न्यायोचित समस्याओं के लिए पिछले दो महीने से हड़ताल कर रखी है लेकिन कोई भी उच्चाधिकारी उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक दफा उनका डेलीगेशन लेकर मैं राज्य मन्त्री कृषि के यहां गया था और उन्हें मांग पत्र दिया था। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि जल्दी से जल्दी हम कर्मचारियों से बात करके उनकी न्यायोचित मांगों पर ध्यान देकर एक ही काम के लिए एक जैसा वेतन एक ही विभाग में न मिलने की समस्याओं को हल करेंगे लेकिन खेद का विषय यह है कि मिनिस्टर महोदय को मिलने के बाद भी मुझे बीस दिन हो गए लेकिन बीस दिनों में न तो मन्त्री जी ने उनसे बात की, न उच्च अधिकारियों ने बातचीत की और लम्बी हड़ताल करके उनके मनोबल को गिराना चाहते हैं। मैं आपके द्वारा यह मांग करता हूं कि सरकार उनसे बातचीत करे और उनकी न्यायोचित मांगों को माने।

[**अनुवाद**]

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : महोदय, कल अपने भाषण के दौरान माननीय प्रधानमन्त्री ने कहा था कि सरकार विद्यार्थियों से बातचीत करने के लिए तैयार है। आज सुबह भाजपा के कुछ सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया था। मैं कहूंगा कि जिस प्रकार केन्द्र में राजनीतिक नेताओं के कहने पर सेना का प्रयोग किया जा रहा है उस तरह से इस स्थिति का सामना नहीं किया जा सकता। अखबारों में यह कहा गया है कि पुलिस इस स्थिति का डिसाई से मुकाबला कर रही है। अखबारों में ऐसा छपा था कि राजनीतिक नेताओं ने उन्हें अधिक दृढ़ता से निपटने के लिए कहा था। जिस प्रकार से ताकत का प्रयोग किया जा रहा है उससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। गृह मन्त्री जी यहां हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे विद्यार्थियों के साथ तुरन्त वार्ता प्रक्रिया आरम्भ करें जिससे सामान्य स्थिति बहाल की जा सके।····(**व्यवधान**)····गृह मन्त्री जी जो कहना चाहते हैं वह कहें।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : सोज साहब आपको क्या कहना है ?

(**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : अध्यक्ष महोदय, आपने फैसला किया, दो मिनट मैं बोलूंगा और दो मिनट खुराना जी बोलेंगे। मेरी अर्ज यह है कि खुराना साहब ज्यादा शोर न मचाएं, क्योंकि "संडे" और "मिड-डे" में आया है कि आडवाणी जी शोर के कारण अपनी सीट बदल रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है, आप जज हैं····(**व्यवधान**)····महोदय, आप सदन के संरक्षक हैं। आप सदस्यों के विशेष-अधिकारों के रक्षक हैं···(**व्यवधान**)···महोदय, मेरे विशेषाधिकार को नुकसान पहुंचाया गया है···(**व्यवधान**)····आप मुझे केवल दो मिनट दीजिए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० सोज, आप उनसे यह बात नहीं कहलवा सकते ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, आप कृपया इस विषय को विशेषाधिकार समिति के पास ले जाइए । वे हमारे भाई हैं । किन्तु विशेषाधिकार समिति को इसका निर्णय करने दें । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रिवलेज का सवाल ही पैदा नहीं होता है ।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : खुराना साहब ने कन्फर्म किया है । (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : खुराना साहब ने कन्फर्म किया है कि आपके बारे में भला-बुरा नहीं कहा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वे कहते हैं कि उनके पास कैसेट है । वे इसे अवश्य समिति को दिखाएं । कभी उन्होंने मुझे आतंकवादी और कभी आतंकवादियों को उकसानेवाला कहा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

इनके पास बेनजीर भुट्टो का कैसेट है, जो बिल्कुल मेरी तकरीर है । (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : जो आपने कहा है, वे यह नहीं कह रहे हैं । आप इनके मुंह में शब्द डाल रहे हैं ।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उसमें गवर्नर, श्री जगमोहन के खिलाफ कहा है ।···(व्यवधान)····ये मुझे कभी टैरेरिस्ट कहते और कभी टैरेरिस्ट एबेटर कहते हैं ।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आपके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं लगाया है । आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : आपने पहले उनको टाइम दिया पिछले हफ्ते और उन्होंने कहा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने बता दिया। आपको कुछ नहीं कहना है। मैंने कहा है, वे शब्द उन्होंने नहीं कहे हैं, उनके मुंह में डाल रहे हैं आप। कोई प्रिवलेज नहीं है। उनकी राय है, यह हमारी राय नहीं है। मैंने उनको प्रिवलेज उठाने की इजाजत नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना साहब, आप बैठ जाएं। आप आडवाणी जी से पूछ लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सोमनाथ चटर्जी।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उनके भाषण मेरे पास हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर)। महोदय, भुवनेश्वर में रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत एक सैनिक स्कूल है। उस सैनिक स्कूल के दो अध्यापकों को 1988 में पिछली सरकार ने इस आधार पर बर्खास्त कर दिया था कि उन्होंने स्कूल की इमारत से एक किलोमीटर दूर मई दिवस रैली का आयोजन किया था। रैली को एक राजनैतिक नेता ने संबोधित किया था। महोदय, इस आधार पर, अध्यापकों को बर्खास्त किया गया है। यहां तक कि एक अध्यापक श्री जे० एन० साहू के पुत्र को, जो उस सैनिक स्कूल में पढ़ रहा था, उसे भी वहां से भगा दिया गया। उसे पढ़ने की कोई सुविधा नहीं दी गई। श्री एच० के० एल० भगत की सरकार का काम करने का यही निष्ठुर तरीका था। हम पहले भी एक प्रतिवेदन दे चुके हैं। वे कई बार स्वयं को प्रधानमन्त्री भी सोचते हैं। (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मुझे याद तो किया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? मैं आशा करता हूं कि आप सदैव मेरी दाहिने रहेंगे। महोदय, यह एक बहुत गम्भीर मसला है। एक मीटिंग या प्रदर्शन करने का अधिकार इस देश में नागरिकों का एक मूलभूत अधिकार है? दो अध्यापकों के साथ मनमाना निष्ठुर व्यवहार किया गया है। मैं वर्तमान सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर शीघ्र ध्यान दे। हम इसे सरकार के ध्यान में पहले ही ला चुके हैं। मैं माननीय प्रधानमन्त्री से, श्री उपेन्द्र, श्री गुजराल, श्री मुफ्ती साहब, श्री गोस्वामी और यहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध करूंगा कि उन्हें पुनः नौकरी पर बहाल करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन पर नैतिक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था। यह भी आरोप नहीं था कि वे सही ढंग से नहीं पढ़ा रहे। आरोप सिर्फ यही है कि उन्होंने मई दिवस पर स्कूल इमारत से एक किलोमीटर दूर एक रैली की। मैं चाहता हूं कि इसे सुधारा जाए और उन्हें शीघ्र ही सेवा में बहाल किया जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उमा जी, आपने मण्डल कमीशन के बारे में दिया है।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : कल मैंने मंडल कमीशन पर बोलते हुए प्रधानमन्त्री जी से जो बात कही थी, उसके बारे में बोलने के लिए नोटिस दिया है उन्होंने जो आर्य और द्रविड़ की बात कही थी वह इस देश के भविष्य के लिए शुभलक्षण नहीं है। (व्यवधान) जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही कि किस प्रकार से द्रविणों को कुचला, उसके बाद में आज तक द्रविड़ों को इस देश में उठने का मौका नहीं मिला। इस तरह की बातें प्रधानमन्त्री जैसे, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति कहें तो यह अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। (व्यवधान) प्रधानमन्त्री जी ऐसी बात कहें कि पिछड़े तबके के लोग अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर लड़ने के लिए आ जायें, इस तरह की बातें इस सदन में कहना, ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन यादव (गोड्डा) : अध्यक्ष जी, लालमटिया प्रोजेक्ट कोयलरी के अन्तर्गत पांच गांव पड़ते हैं जिनके नाम हैं सिमरिया, घाटसिमरिया, नीमा, तेतरिया और छोटी तेतरिया, जिसमें 6 हजार की आबादी है। ये इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आ गए हैं। इन गांवों के लोगों के लिए अलग से बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इनको अभी तक जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला है और न ही इनको नौकरी मिली है। इन लोगों का प्रोजेक्ट के अन्दर रहते-रहते स्वास्थ्य भी खराब हो चुका है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि लालमटिया के अन्दर रहने वाले लोगों को अलग से बसाया जाये और उनको नौकरी दी जाए।

कुमारी मायावती (बिजनौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत पूरे सदन का ध्यान, खासतौर से सरकार का ध्यान इस देश की जो 50 परसेंट आबादी महिलाओं की है, उसकी तरफ दिलाना चाहती हूं। आज सत्र का आखिरी दिन है और आज से 8-9 दिन पहले लेडिस एट्रोसिटी पर हमारी बहन गीता मुखर्जी जी ने 193 के तहत चर्चा उठाई थी, लेकिन इस चर्चा को बीच-बीच में रोक दिया गया है और आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पूरे देश के कोने-कोने में जो दलित और शोषित समाज की महिलाएं हैं, उनके साथ बड़ा अन्याय एवं अत्याचार हो रहा है। जिला अलीगढ़ में सिकन्दराराहु एक जगह है जहां पर 11 साल की एक बालिका को रेप हुआ, उसके बाद से सिकन्दराराहु में आज भी तनाव बना हुआ। अध्यक्ष जी, एक तरफ तो सरकार महिलाओं के हित में बिल पास करती है, महिलाओं को बराबर का दर्जा देने के लिए और एक महत्वपूर्ण विषय 193 के तहत, महिलाओं पर जो एट्रोसिटी हो रही है, देश के कोने-कोने में जब ये विषय लिया गया था तो फिर इसको पेंडिंग में क्यों छोड़ा गया ? आज सदन का आखिरी दिन है, होम मिनिस्टर और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे रिकवेस्ट करती हूं कि वैसे तो अब तीन बजने वाले हैं लेकिन यदि सदन के अन्दर महिलाओं के मामले को इस तरीके से छोड़ा गया तो मैं समझती हूं कि इस देश की महिलाएं अपने हक के लिए उठकर खड़ी हो जाएंगी, अपने अधिकार लेने के लिए, इसलिए इस तरफ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए।

2.50 म० प०

अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संसद सदस्यों सर्व श्री पी० आर० कुमारमंगलम, हरीश रावत और दिनेश

सिंह, ने 20 अगस्त, 1990 को सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) के विरुद्ध अलग-अलग विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं दी हैं, जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि मन्त्री ने 17 अगस्त, 1990 को सभा को गुमराह किया और इस प्रकार विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है और सदन की अवमानना की है। सदस्यों ने आरोप लगाया कि सभा में 17 अगस्त, 1990 को सूचना और प्रसारण मन्त्री द्वारा दिए गए इस आश्वासन के बावजूद कि 19 अगस्त, 1990 को प्रसारित होने वाले दूरदर्शन के 'खुला मंच' कार्यक्रम को, जिसमें रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) भाग लेंगे सेंसर नहीं किया जाएगा, 19 अगस्त, 1990 को दूरदर्शन पर प्रसारित इस कार्यक्रम को सेंसर किया गया। सदस्यों ने कहा कि इसलिए 17 अगस्त, 1990 को सभा में मन्त्री द्वारा दिया गया आश्वासन, विशेषाधिकार का उल्लंघन है क्योंकि मन्त्री ने सभा को गुमराह किया था। श्री दिनेश सिंह ने 20 अगस्त, 1990 को सदन में मामला उठाना चाहा और कहा कि न सिर्फ कार्यक्रम को सेंसर किया गया, बल्कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले एक पत्रकार के द्वारा पूछे कुछ प्रश्नों को कार्यक्रम में से हटा दिया गया और कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) ने स्थिति स्पष्ट करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा :—

> "मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि कार्यक्रम सेंसर नहीं किया जाएगा। मैं इस वक्तव्य पर दृढ़ हूं। किन्तु सेंसर करने में और संपादन करने में अन्तर है। महोदय, जब कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था तो कुछ मापदंडों पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि इस कार्यक्रम में मन्त्री अपने मंत्रालयों के कामकाज के बारे में चर्चा करेंगे। चुने हुए दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देंगे····सामान्यतः उनसे वही प्रश्न पूछने की आशा रखी जाती है, जो उन्होंने भेजे थे। किन्तु कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न भी रखे जाते हैं जो उस विशेष मन्त्रालय से सम्बन्धित नहीं होते। हालांकि यह कार्यक्रम आधे घंटे का होता है, किन्तु इसकी रिकार्डिंग पचास मिनट या एक घंटे के लिए की जाती है। उसके बाद उस विशेष मन्त्रालय से संबंधित खण्डों को ही रखा जाता है और असंबंधित बातों को संपादित कर निकाल दिया जाता है···इसलिए, इस मामले में भी रेलवे से संबंधित हर शब्द रख लिया गया था, एक भी शब्द हटाया नहीं गया, यहां तक कि सभी उत्तेजक वक्तव्य भी रखे गए। अपमानजनक टिप्पणियां भी नहीं हटाई गईं। मैं उस वक्तव्य पर दृढ़ हूं। कुछ भी सेंसर नहीं किया गया। दर्शकों और प्रश्नकर्ताओं को पुनः बताया गया था कि प्रश्न मन्त्रालय विशेष से ही संबंधित होने चाहिए और अन्य सभी बातों को संपादित किया जाएगा। यह नीति है और इसी का पालन होता रहेगा।

श्री पी० चिदम्बरम, संसद सदस्य ने 21 अगस्त, 1990 को मुझे दिए गए विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना में 21 अगस्त, 1990 टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित एक समाचार का उल्लेख किया था, जिसमें कहा गया था कि कार्यक्रम के प्रसारण से पूर्व दो प्रश्न कार्यक्रम की रिकार्डिंग में से निकाल दिए गए थे। क्योंकि ये प्रश्न रेलवे से संबंधित बताए जाते हैं, अतः श्री चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि मन्त्री ने 20 अगस्त, 1990 को सदन को गुमराह किया था कि सिर्फ रेलवे से सम्बन्ध न रखने वाले प्रश्नों को ही निकाला गया था और रेलवे से सम्बन्धित प्रश्नों को नहीं निकाला गया।

दिनांक 22 अगस्त, 1990 को श्री ए० जे० अकबर ने विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी,

जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि कार्यक्रम के दो प्रस्तुतकर्ताओं में से एक की शुरू वाली और अन्त वाली टिप्पणियों को सेंसर किया गया और एक उद्घोषक की आवाज एक अलग क्लिप्ट के साथ प्रयोग की गई। श्री अकबर ने उस दिन यह मामला सदन में भी उठाना चाहा।

दिनांक 23 अगस्त, 1990 को सर्वश्री जर्नादन पुजारी और दिनेश सिंह ने श्री पी० उपेन्द्र के खिलाफ विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी, जिसमें उस दिन के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित एक समाचार का उल्लेख दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) ने एक साक्षात्कार में कहा है कि उन्होंने सूचना और प्रसारण मन्त्री से कहा है कि कार्यक्रम को बिना काटपीट के दिखाना चाहिए और जनता इस बारे में अपनी ओर से निष्कर्ष निकाले। यह भी कहा गया था कि रेल मन्त्री ने कहा है कि 'कार्यक्रम का संपादन आवश्यक नहीं था' और उनके विचार में 'संपादन' और 'सेंसर' में कोई अन्तर नहीं है। सर्वश्री दिनेश सिंह, जर्नादन पुजारी और कुछ अन्य सदस्यों ने भी मामले को सदन में उठाना चाहा।

विशेषाधिकार के सभी प्रश्नों की सूचना की प्रति मेरे निर्देशानुसार सूचना और प्रसारण मंत्री को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई। इस बीच श्री दिनेश सिंह ने भी 29 अगस्त, 1990 को एक और सूचना देकर आरोप लगाया कि मंत्री का यह मत कि केवल रेल मन्त्रालय से असम्बद्ध प्रश्न ही निकाले गए हैं, उस पत्र द्वारा झूठा सिद्ध हो जाता है (जिसकी एक प्रति श्री दिनेश सिंह ने अपनी सूचना के साथ लगाई थी।) जो कार्यक्रम में भाग लेने वाले एक पत्रकार ने मन्त्री को लिखा था। इस पत्र के अनुसार कार्यक्रम के तैयार करने वाले तथा प्रस्तुतकर्ताओं ने यह फैसला किया था कि कार्यक्रम का खाका इस प्रकार तैयार किया जाए ताकि रेलों से संबंधित न होने पर भी कुछ प्रश्न रख लिए जाएं और कार्यक्रम रुचि कर बन सके।

मुझे सूचना और प्रसारण मंत्री की टिप्पणियां प्राप्त हो गयी हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि रेल मंत्री ने उनसे बात करके अनुरोध किया था कि कार्यक्रम पूरे का पूरा प्रसारित किया जाये तथापि सूचना और प्रसारण मन्त्री ने कहा कि 'खुला मंच' दूरदर्शन का कार्यक्रम है और यह फैसला करना दूरदर्शन का काम है कि कार्यक्रम का कौन सा भाग संबद्धता तथा अन्य आधार पर रखा जाये या संपादन के दौरान निकाल दिया जाये। अन्तिम निर्णय उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता जो कार्यक्रम में भाग ले रहा है बल्कि कार्यक्रम की जरूरतों को देखकर यह निर्णय लिया जाता है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले मन्त्री के विचारों के अनुसार नहीं बल्कि विभाग से संबद्ध तथा अन्य बातों का संपादन करना और असंबद्धता के आधार पर उन्हें निकाल देने का अधिकार पूर्णतया दूरदर्शन के पास है।

इस आरोप के बारे में कि रेलों से संबंधित अनेक प्रश्न सेंसर किये गये हैं, मन्त्री ने यह बात कही :—

> "श्रोताओं में उपस्थित कुछ पत्रकारों ने न केवल रेल मंत्रालय से असंबद्ध प्रश्न पूछे बल्कि वे उन विषयों पर लगातार अनुपूरक प्रश्न पूछते रहे। इससे रेलों के बारे में समस्याओं से ध्यान हट गया जो कि वास्तव में प्रश्नों का उद्देश्य होना चाहिए था। दोनों प्रस्तुतकर्ता भी चर्चा को रेल के विषय पर लाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। यदि यह कार्यक्रम संपादन के बिना प्रसारित किया जाता तो सारा प्रभाव खत्म हो जाता और दर्शकों को भारतीय रेलों के बारे में प्रस्तुत कार्यक्रम देखने से वंचित रहना पड़ता। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस कार्यक्रम का प्रभाव खत्म न हो, दूरदर्शन ने रेलवे से संबद्ध न रखने वाले उन भागों को

निकाल दिया जिनके आधार पर श्री चिदम्बरम ने 21 अगस्त, 1990 के टाइम्स आफ इंडिया में लिखित रिपोर्ट के अनुसार विशेषाधिकार भंग की सूचना देने की अनुमति चाही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मैंने संसद की दोनों सभाओं में कहा था कि रेलों से सम्बन्धित सभी बातें कार्यक्रम में रखी गयी हैं। तथापि श्री चिदम्बरम ने इस रिपोर्ट का सहारा लेकर रेलों से संबंधित दो प्रश्न की बात की है कि उन्हें हटा दिया गया है। पहला प्रश्न यह था कि क्या श्री फर्नान्डीस रेलों में पैप्सी सप्लाई करने की अनुमति देंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि श्री फर्नान्डीस ने कहा है कि वह रेलों में पैप्सी सप्लाई करने की बात को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। यह सच है कि ऐसा प्रश्न पूछा गया था और श्री फर्नान्डीस ने उसका उत्तर दिया। तथापि यह प्रश्न उन अनेक प्रश्नों में से एक था जिनमें भारतीय बाजार में पैप्सी कोला के प्रवेश के संबंध में पूछा गया था। इस प्रश्न का अधिकतर सम्बन्ध भारतीय रेलवे से नहीं बल्कि पैप्सी की बिक्री से है और इसे संपादित कार्यक्रम में नहीं रखा जा सकता था। यदि इसे कार्यक्रम के आरंभ में ही रखा जाता तो यह बिल्कुल अलग प्रश्न दिखाई पड़ता क्योंकि पैप्सी से संबंधित सारा भाग चर्चा के शुरू में ही था और वह चर्चा भारतीय रेलों से सम्बन्धित होनी चाहिए थी।"

मन्त्री ने इस आरोप का खंडन किया है कि एक प्रस्तुतकर्ता की आवाज के बदले एक उद्घोषक की आवाज का इस्तेमाल किया गया है। यह भी बताया गया है कि 'खुला मंच' जिसमें रेल मन्त्री भाग ले रहे हैं, के दौरान अनेक असंगत प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए दर्शकों को यह स्पष्ट कर देने का निर्णय किया गया कि भावी कार्यक्रमों के लिए सम्बन्धित मन्त्री के विभाग से सम्बन्धित ही प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। यह घोषणा एक उद्घोषक द्वारा कार्यक्रम के अन्त में की गई और यह घोषणा प्रस्तुतकर्ता द्वारा इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि कार्यक्रम प्रसारण की तारीख से कुछ दिन पहले रिकार्ड किया गया था।

मेरे सामने निर्णय लिए जाने सम्बन्धी सीमित प्रश्न यह है कि क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री ने सभा को गुमराह किया है और यह कह कर विशेषाधिकार भंग किया है कि 19 अगस्त, 1990 को प्रसारित 'खुला मंच' कार्यक्रम का संपादन किया गया न कि उसका सेंसर किया गया।

सम्पादन और सेंसर शब्दों के इस्तेमाल के बारे में काफी भ्रम पैदा किया गया है। 'चैम्बरर्स टवेंटीयथ सेंचुरी' शब्द कोश में "सेंसर" शब्द का अर्थ वह अधिकारी बताया गया है जो किताबों, कागजातों, टेलीग्रामों पत्रों, फिल्मों, आदि की जांच करता है और जिसे कुछ सामग्री का लोप करने अथवा उसके प्रकाशन, डिलीवरी या प्रदर्शन पर रोक लगाने की शक्तियां प्राप्त हैं। "सम्पादन" शब्द का अर्थ प्रकाशन, प्रसारण आदि पुनरीक्षित करने, सेंसर करने और अन्तिम संस्करण···तैयार करना है।

इससे पता चलेगा कि संपादन में सेंसर वाली बात भी शामिल है। यद्यपि, "सेंसर" शब्द इसलिए अलोकप्रिय हुआ क्योंकि सेंसर का कार्य अधिकांशत ऐसे विचार जो उस समय के अधिकारियों की इच्छा के अनुरूप नहीं होते, उनकी अभिव्यक्ति को रोकना होता है। संपादन में वह सामग्री जो विषय के संबद्ध नहीं होती उसे भी छांटना अथवा सेंसर करना होता है। अतः वर्तमान मामले पर इस संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

जैसाकि सदस्यों को पता है, दूरदर्शन प्रसार माध्यम सरकारी नियंत्रण में है। अतः मैं सूचना

और प्रसारण मन्त्री से इस बात से सहमत हूं कि दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता और विषय वस्तु के बारे में नीतियां और मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करना सरकार का कार्य है और उन नीतियों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में कार्यक्रमों का संपादन करने का कार्य भी सरकार का है।

इस मामले में मन्त्री ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि रेलवे से संबंधित कोई भी बात संपादित नहीं की गई है। कोई भी यह आशा कर सकता है, चाहे वह इस पर अधिक जोर न दें, कि रेलवे के अलावा अन्य मामले जिनके बारे में प्रश्न पूछे गए थे और उनके मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए थे उन्हें दूरदर्शन पर दिखाया जाना चाहिए था, मेरे विचार में इससे स्वयं यह कार्यक्रम ही असंगत हो जाता। मंत्री का यह तर्क गलत नहीं हो सकता कि दूरदर्शन को कार्यक्रम से ऐसे प्रश्नों तथा उत्तरों को निकालने का अधिकार प्राप्त है।

यह सुस्थापित परंपरा है कि यदि कोई सदस्य अथवा मन्त्री सभा में कोई वक्तव्य देता है और उसे कोई अन्य सदस्य असत्य, अपूर्ण या गलत मानता है तो इसी से विशेषाधिकार भंग नहीं हो जाता। विशेषाधिकार भंग होने अथवा सभा की अवमानना का मामला तब बनता है जब यह सिद्ध कर दिया जाए कि कोई वक्तव्य न केवल गलत अथवा गुमराह करने वाला है बल्कि यह सभा को गुमराह करने के लिए जानबूझकर दिया गया है विशेषाधिकार भंग का मामला तभी बन सकता है जब सदस्य या मंत्री ने जानते हुए, जानबूझकर और सोच समझकर कोई असत्य या गलत वक्तव्य दिया हो।

उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए मेरा यह विचार है कि 19 अगस्त, 1990 को दूरदर्शन पर प्रसारित "खुला मंच" कार्यक्रम को संपादित करने/काट-छांट करने के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि मंत्री ने सभा को गुमराह किया है, जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं। अतः सर्वश्री पी० आर० कुमारमंगलम, हरीश रावत, एम० जे० अकबर, जनार्दन पुजारी और दिनेश सिंह द्वारा विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में दी गई सूचनाओं को अनुमति नहीं देता और तदनुसार, इस मामले को सभा में विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता।

मुझे श्री एम० जे० अकबर की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की एक सूचना भी प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया था कि मन्त्री ने 10 अगस्त, 1990 को यह कह कर सभा को गुमराह किया था कि 5 अगस्त, 1990 को प्रसारित "खुला मंच" कार्यक्रम में भाग लेने वाला एक व्यक्ति जैसाकि श्री अकबर ने आरोप लगाया है—अभिनेता नहीं, बल्कि एक किसान था—और इस कार्यक्रम को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए दूरदर्शन ने एक स्वतन्त्र निर्माता, अर्थात 'हिन्दुस्तान टाइम्स टी० वी०' को इस काम के लिए सहयोजित किया था, और उसने इस कथित कार्यक्रम के लिए सभी नामों का चयन किया था। श्री अकबर ने दावा किया था कि उनके द्वारा की गई पूछताछ से पता चलता है कि कार्यक्रम में भाग लेने वालों का चयन दूरदर्शन के प्राधिकारियों द्वारा किया गया था और सभी प्रश्न दूरदर्शन द्वारा अनुमोदित किए गए थे।

मंत्री ने मुझे भेजी गई टिप्पणियों में यह कहा है :

> "आरंभिक चरणों में, जब इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में विचार किया गया था, तब यह निश्चय किया गया था कि इस कार्यक्रम का निर्माण-कार्य किसी बाहरी एजेंसी को दिया जाए। तत्पश्चात् यह निश्चय किया गया कि दूरदर्शन के पास उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए

इसका निर्माण-कार्य उसी के लिए किया जाए और इस कार्यक्रम के निर्माण सम्बन्धी कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में उनकी सहायता करने के लिए 'हिन्दुस्तान टाइम्स टी० वी०' को सलाहकार के रूप में सम्बद्ध किया जाए। जब दूरदर्शन और 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के प्रतिनिधियों के साथ इस मामले पर चर्चा की गई, तो यह निर्देश दिए गए कि कार्यक्रम में भाग लेने वालों का चयन हिन्दुस्तान टाइम्स टी० वी० द्वारा किया जाए। तत्पश्चात् कार्यक्रम का ब्यौरा दूरदर्शन और एच० टी० वी० द्वारा तैयार किया गया था, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रक्रिया में कार्यक्रम में भाग लेने वालों की सूची को अन्तिम रूप दूरदर्शन द्वारा दिया गया। बहरहाल यह मामला मेरी जानकारी मे नहीं आया, अतः हिन्दुस्तान टाइम्स टी० वी० और दूरदर्शन को दी गई जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में मेरी जानकारी के आधार पर, मैंने सभा में कहा था कि भाग लेने वालों का चयन हिन्दुस्तान टाइम्स टी० वी० द्वारा किया गया था। मेरी ओर से सभा को गुमराह करने का, जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं, कोई प्रयास नहीं किया गया था।"

मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि उन्होंने इस आरोप के सम्बन्ध में स्थिति का पता लगाया था कि इस कार्यक्रम में एक अभिनेता को किसान के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था और यह पाया गया कि जिस व्यक्ति का चयन किया गया था, वह एक किसान है जो अंशकालिक अभिनेता भी है।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि मंत्री ने सभा को गुमराह किया है। अतः इस मामले में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। मैं श्री एम० जे० अकबर को इस मामले को सभा में विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता।

(व्यवधान)

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : महोदय, मेरी विशेषाधिकार सूचना का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा है कि वह विचाराधीन है।

(व्यवधान)

3.04 म० प०

संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) विधेयक*

(नये भाग 9 का अन्तः स्थापन)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री दिनेश गोस्वामी।

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* दिनांक 7-9-90 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विनेश गोस्वामी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैंने दिया है उसका क्या हुआ, कल की घटना का क्या हुआ, इतनी बड़ी घटना हो गई, उपाध्यक्ष महोदय उसके विरोध में सदन में नहीं आए, आप उसको क्यों नहीं लेना चाहते। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री गुजराल।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे।

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, इसे 3.30 म० प० पर लेना है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 3.30 म० प० पर ले सकते हैं।

श्री बसंत साठे (वर्धा) : आप उसे नियमों के अन्तर्गत नहीं ले सकते। आप सदन में क्या कर रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। अब प्राईवेट मैम्बर्स बिल होगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर जाएं। श्रीमती जमुना, मैं आपकी बात वहीं से सुन लूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : नियमों के अन्तर्गत आप गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य नहीं ले सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह प्राईवेट मैम्बर्स बिल का समय है और इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं लिया जा सकता है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री के० प्रधानी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री प्रधानी को बोलने की अनुमति दी है ।

3.06 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

(दसवां प्रतिवेदन)

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 5 सितम्बर, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 5 सितम्बर, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथू सिंह ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी तो प्राईवेट मैम्बर्स बिल चल रहा है, उसके बाद ही कुछ और लिया जाएगा ।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : एजेंडा में दिल्ली के बिल का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

3.07 म० प०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक*

(धारा 125 और 127 में संशोधन)

श्री नाथू सिंह (दौसा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री नाथू सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.08 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 371 में संशोधन)

श्री वामनराव महाडीक (मुम्बई दक्षिण मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री वामनराव महाडीक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.09 म० प०

महात्मा गांधी विश्वविद्यालय विधेयक*

[श्रीमती गीता मुखर्जी—पीठासीन हुईं]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य में शैक्षणिक और सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या

---

* दिनांक 7-9-1990 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-2, में प्रकाशित ।

उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, यह साजिश है कि दिल्ली के लिए बिल नहीं लाया जा रहा है।

3.09½ म० प०

तत्पश्चात् श्री मदन लाल खुराना सभा-भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बिहार राज्य में शैक्षणिक और सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राधा मोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.10 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 84 और 173 में संशोधन)

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी (कुडप्पा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 7-9-1990 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

3.10½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 348 और 348 में संशोधन)

[हिन्दी]

श्री लोकेन्द्र भाई (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री भीखेन्द्र भाई : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.11 म० प०

युवा कल्याण विधेयक*

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (अहानाबाद) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह :

"कि देश में युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 7-9-1990 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

3.11½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 57 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयकक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, मुझे अभी-अभी समाचार मिला है कि जयपुर शहर में, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहां कल दो सम्प्रदायों के बीच झगड़ा हो गया था। कल ही वहां पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसमें काफी लोग मारे गए और घायल हुए। उसमें पुलिस के लोग भी शामिल हैं और दूसरे लोग भी शामिल हैं। मेरा कहना है कि वहां एक बम बनाने का कारखाना काफी समय से चालू है, जो वहां एक कुटीर उद्योग के रूप में चल रहा है। उस कारखाने के बने हुए बम कोटा पहुंच गए हैं, धौल र पहुंच गए हैं। जयपुर शहर हमेशा से एक शान्तिप्रिय नगर रहा है। वहां शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्य सरकार काफी प्रयत्न कर रही है और मुख्यमन्त्री भैरों सिंह शेखावत काफी प्रयत्नशील हैं लेकिन साथ-साथ केन्द्रीय सरकार का फर्ज भी हो जाता है कि वह भी जयपुर में शान्ति व्यवस्था कायम करने में राज्य सरकार की मदद करे। वहां जिस तरह से बम बनाने का क्रम जारी है, उससे सारे राजस्थान की शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, आप उन्हें निर्देश दें कि वहां जिस प्रकार से कुछ पाकिस्तानी तत्व सक्रिय हैं, बम बनाने का काम कर रहे हैं, उसी के कारण जयपुर शहर में इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, उसे तुरन्त रोका जाना चाहिए ताकि जयपुर शहर के साथ-साथ पूरे राजस्थान शहर में शांति और व्यवस्था बनी रहे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

---

* दिनांक 7-9-1990 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

3.14½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(आठवीं अनुसूची में संशोधन)

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जनक राज गुप्त : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.15 म० प०

वन विधेयक*

श्री चम्बूभाई देशमुख (भड़ौच) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वनों, वन उपज के अभिवहन से सम्बन्धित विधियों का समेकन करने और नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों को गिराने और उनके पुन:रोपण के विनियमन और चन्दन की लकड़ी तथा उससे सम्बन्धित विषयों के लिए विशेष उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वनों, वन उपज के अभिवहन से सम्बन्धित विधियों का समेकन करने और नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों को गिराने और उनके पुन:रोपण के विनियमन और चंदन की लकड़ी तथा उससे सम्बन्धित विषयों के लिए विशेष उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री चम्बूभाई देशमुख : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.16 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

(अनुच्छेद 263 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

सभापति महोदय : अब हम श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा द्वारा 24 अगस्त, 1990 को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे ।

---

* दिनांक 7-9-1990 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित ।

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा बोल रहे थे। वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा (बेतिया) महोदया, 24 अगस्त, 1990 को दिए गये अपने भाषण के अनुक्रम में मेरा यह कहना है कि इस विधेयक में विधेयक की धारा 1 के खंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित कार्यों के निर्वहन हेतु एक अन्तर-राज्य परिषद के गठन की व्यवस्था है। यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता होती है कि भारत सरकार ने 28 मई, 1990 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक परिषद का पहले ही गठन कर दिया है और चूंकि मेरे विधेयक में भी उसी प्रकार परिषद के गठन की व्यवस्था है, अतः मैं अनुभव करता हूं कि इस विधेयक को लोक सभा में प्रस्तुत करने के उद्देश्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं किया गया है। यह विधेयक लोक सभा में मार्च, 1990 में प्रस्तुत किया गया था और मैं महसूस करता हूं कि उसके बाद सरकार द्वारा इस प्रकार की परिषद का गठन मई, 1990 में किया गया था।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे सदन की गरिमा बनाए रखें और अध्यक्षपीठ के सामने अपना बैग न रखें।

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा मैं : इस बात से प्रसन्न हूं कि इस विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के उपरांत प्रधानमन्त्री ने अन्तर-राज्य परिषद का गठन कर दिया है। अतः मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उसने राष्ट्रीय मोर्चा के घोषणा-पत्र में किए गए अपने वायदे को पूरा किया है। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं।

मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को धन्यवाद करता हूं कि उसने आरम्भ से ही इस अन्तर-राज्य परिषद के गठन का विचार बनाया हुआ था लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि आज विपक्ष में बैठे व्यक्तियों ने इस कार्य को गत 40 वर्षों में कभी नहीं किया। वे राज्यों को अपनी शक्तियों में से कुछ भी देना नहीं चाहते थे। कांग्रेस (आई) सरकार ने संघ की हास्यास्पद और गलत अवधारणा के आधार पर राज्यों की शक्तियों को अवैध रूप से अधिकृत किया हुआ था।

महोदया, आधुनिक संविधान के निर्माता, डा० अम्बेडकर ने अनुभव किया था कि अनुच्छेद 263 में अन्तर-राज्य परिषद की स्थापना की व्यवस्था है जो केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्था है। अन्तर-राज्य परिषद से केन्द्र और राज्यों के बीच सन्तुलन बनाये रखने की आशा की गई थी। उनके अनुसार, केन्द्र और राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में सप्रभुसत्ता सम्पन्न हैं। उनके ही शब्दों में :

> "संविधान में केन्द्र में संघ और बाहर राज्यों में दोहरे राज्यतंत्र की व्यवस्था की गई है। संघ और राज्यों को संविधान के अन्तर्गत अलग-अलग प्रभुसत्ता सम्पन्न शक्तियां दी गई हैं जिनका प्रयोग वे उन्हें अलग-अलग सौंपे गए क्षेत्रों में करते हैं। केन्द्र राज्यों का कोई ऐसा संघ नहीं है जो ढीले सम्बन्ध से जुड़ा है और न ही कोई राज्य केन्द्र के अधीन है। संघ तथा राज्य दोनों संविधान द्वारा बनाए जाते हैं और दोनों ही अपनी-अपनी शक्तियां संविधान में से प्राप्त करते हैं। वे एक-दूसरे के अधीन नहीं हैं। एक की शक्ति दूसरे से मिलकर काम करती है।"

सरकारिया आयोग जिसका गठन केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के प्रश्न की जांच करने के लिए किया गया था। इस प्रकार के परिषद के गठन का सुझाव देता है। वास्तव में वर्ष, 1989 में राज्य सभा

में सरकारिया आयोग पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए श्री आडवाणी और आगे बढ़ गए और इस बात का समर्थन किया कि परिषद के गठन को अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए।

मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं और वर्तमान विधेयक संसद के समक्ष इस उद्देश्य से लाया जा रहा है ताकि परिषद का निर्माण वर्तमान सरकार की दया पर न छोड़ दिया जाए।

मेरा विधेयक अन्तर-राज्य परिषद को संवैधानिक मान्यता देना है। फिर भी वर्तमान उपबंध के अन्तर्गत जिस परिषद का गठन होगा वह केवल सिफारिश कर सकेगी और उसकी सिफारिशें उतनी प्रभावशाली नहीं होंगी जितनी कि उस स्थिति में होंगी। जब परिषद का गठन संविधान के अन्तर्गत किया जाए और उसे संवैधानिक मान्यता दी जाये।

इस समय परिषद के निर्णय सिफारिशी स्वरूप के हैं और वे अन्तिम नहीं हैं। विधेयक का आशय परिषद के निर्णयों को अन्तिम बनाना है किन्तु उनकी अभिपुष्टि संसद के दोनों सदनों द्वारा की जाएगी। यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग और सरकारिया आयोग दोनों ने यह सिफारिश की है कि इस प्रकार का परिषद सिफारिशी स्वरूप का होना चाहिए। किन्तु दोनों आयोगों द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने के बाद भारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं को देखते हुए और हमारे अपने अनुभव के आधार पर भी मैं समझता हूं कि परिषद की सिफारिशों की कोई अन्तिमता होनी चाहिए। इस समय, केन्द्र और राज्यों अथवा राज्यों और राज्यों के बीच विवाद काफी लम्बे समय तक चलते हैं जिसके कारण अनावश्यक कटुता और कलह पैदा हो जाता है। इस प्रकार के असंख्य मुद्दे हैं। उदाहरणार्थ भाखड़ा जल-विद्युत परियोजना की बिजली को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली संघ क्षेत्र में बांटने का मामला अभी जोरों से चल रहा है। इसी प्रकार, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच बेलगाम के क्षेत्र सम्बन्धी विवाद अभी तक नहीं सुलझाया गया है।

इसी प्रकार कर लगाने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्षेत्राधिकार के प्रश्न को लेकर कटुता और कलह लम्बे अरसे तक चल सकता है। इस सम्बन्ध में मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच "होमियोपैथिक" नामक उत्पाद पर कर लगाने के सम्बन्ध में मत-भेद का उल्लेख करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि चूंकि उपर्युक्त उत्पाद के आधार 'मदर टिंक्चर' में अल्कोहल होता है, इसलिए राज्य सरकार उस पर कर लगा सकती है। फिर भी केन्द्र सरकार का कहना यह है कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल वाष्प बन जाता है अतः केन्द्रीय सरकार इस पर कर लगा सकती है। यह झगड़ा अनेक छोटे न्यायालयों से होकर उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया और उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार के पक्ष में इसका फैसला कर दिया। इस सम्बन्ध में जो तथ्य महत्वपूर्ण है वह यह है कि उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि यह विवाद इतने लम्बे समय तक चला और इस मामले का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत बनाई गई अन्तर्राज्यीय परिषद में किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं उच्चतम न्यायालय की मैसर्स शावर इण्डिया लिमिटेड तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य की 1989 की रिट याचिका संख्या 264 में 12 जुलाई, 1990 को मुख्य न्यायाधीश सब्यासाची मुखर्जी और अन्य दो न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय की टिप्पणियों को शब्दशः उद्धृत करना चाहता हूं :

> "इस प्रकार की स्थिति में हमारी यह राय है कि सरकार की अलग-अलग सरकारों की देय राशियों के सम्बन्ध में निर्णय लेने और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद

263 के अन्तर्गत गठित की जाने वाली परिषद के अधीन एक मशीनरी की स्थापना करने की सम्भाव्यता पर विचार करना चाहिए। इन विशेष तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि विवाद एक कानून के अन्तर्गत है, राज्य के अधिकारी किसी आधार पर कर लगाएंगे और दूसरे कानून के अन्तर्गत उसी लेनदेन पर मामले के एक विशेष दृष्टिकोण को अपनाकर केन्द्रीय सरकार के अधिकारी कर लगा सकते हैं···।"

ऐसी स्थिति में, कैसे और किसमें भुगतान किया जाना चाहिए या एक प्राधिकरण, राज्य या केन्द्र को दिए गए कर में से समायोजित किया जाना चाहिए यह संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत गठित की जाने वाली परिषद द्वारा किए गए समझौते की विषय वस्तु होनी चाहिए।

महोदया, पहले बताई गई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए मेरे विचार से अन्तर्राज्यीय परिषद के प्रावधान संविधान में मुख्य रूप से होने चाहिए न कि गौण जैसाकि अनुच्छेद 263 में दिया गया है।

परिषद में विवादित मुद्दों पर चर्चा करके इन उद्देश्यों को प्राप्त करना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है और परिषद के संबंध में सर्वसम्मति प्राप्त होने के बाद इस पर फिर से दोनों सदनों में चर्चा की जाएगी। इससे पूर्व राष्ट्रीय वाद विवाद करने का एक अवसर मिलेगा और इस प्रकार अन्तिम निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी इन विवादों में अधिकतर प्रशासनिक और वैधानिक पहलुओं के अलावा राजनीतिक पहलू भी है। यह कहना व्यर्थ है कि ऐसे मुद्दे न्यायिक निकाय द्वारा नहीं निपटाए जा सकते और ऐसे मुद्दों पर केवल राजनीतिक संस्थाएं ही निर्णय ले सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्यों को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, इसके लिए यह विधेयक केन्द्र और राज्य सरकारों के बराबर के वित्तीय सहयोग पर इस परिषद को स्थापित करने की मांग करता है।

महोदया, सदन इस बात से अवगत है कि इस समय कई क्षेत्रीय परिषदें हैं जो स्वास्थ्य, बिक्री कर स्थानीय स्वशासी निकाय तथा यातायात विकास आदि जैसे विषयों से सम्बन्धित हैं। ये परिषदें भारत सरकार के विभागों की तरह बनाई गई हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति के आदेश द्वारा गठित की गई हैं और इन परिषदों को भारत सरकार द्वारा धन दिया जा रहा है। हमारा अपना अनुभव है कि कार्य-सूची भारत सरकार द्वारा तैयार की जाती है और ऐसे निकायों की बैठकें अपर्याप्त नोटिस और बिना कोई संक्षिप्त विवरण दिए बुलाई जाती हैं। इसलिए मेरे विधेयक में यह कहा गया है कि परिषद का गठन भारत सरकार और राज्य सरकारों के बराबर की वित्तीय सहायता से किया जाए।

इसमें यह भी प्रावधान है कि परिषद के सचिव की नियुक्ति प्रधानमन्त्री तथा राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की सलाह पर की जाएगी। परिषद अपने दिशा-निर्देश तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियम स्वयं बनायेगी और यह किसी सरकारी विभाग के नियमों तथा विनियमों द्वारा प्रभावित नहीं होगी।

निष्कर्षतः, मुझे यह कहना है कि मेरा विधेयक राज्य और केन्द्र के बीच अधिकारों के वितरण में बाधा नहीं डालता यद्यपि परिषद संविधान के सभी विषयों से सम्बन्धित है। क्योंकि विधेयक संविधान की सातवीं सूची में अन्तर्विष्ट 3 अनुसूचियों में से किसी भी अधिकार को परिषद को नहीं देता। परिषद जांच-पड़ताल करती है, सिफारिशें करती है और उनको संसद के समक्ष रखती है। वाद-विवाद के बाद, संसद संकल्प पारित करती है जो कानून बन जाता है। इस तरह से, सिफारिशें आदेशात्मक बन जाती हैं और इससे न तो केन्द्र को और न ही राज्य को परिषद के गठन करने में कोई आपत्ति होती है जैसा मेरे विधेयक में कहा गया है क्योंकि इससे परिषद को जांच-पड़ताल और

सिफारिश के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शक्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है। इससे संविधान का संघीय ढांचा नहीं बिगड़ता।

मेरा विधेयक निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की मांग करता है, अतः मैं विधेयक को सदन के समक्ष विचार करने के लिए, चर्चा के लिए तथा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन यादव (गोड्डा) : सभापति महोदया, इस बिल के मूवर ने अपना जो उद्देश्य बताया है, सचमुच में इस काउंसिल के बन जाने से राज्य और दूसरे राज्य का झगड़ा और राज्य के और केन्द्र सरकार के झगड़े का निराकरण हो सकता है। यों तो पहले से भी एक काउंसिल बनी है, राष्ट्रपति के आदेशानुसार लेकिन उस काउंसिल के माध्यम से जो हमारे मूवर चाहते है या राज्य की जनता चाहती है, उसका निराकरण नहीं हो सकता है। क्योंकि, वह जो काउंसिल बनी है वह अन्तर राज्यीय काउंसिल आदेशात्मक अनुच्छेद के अन्दर बनी है और हमारे मूवर जो चाहते हैं, जो आवश्यक भी है कि अगर उस काउंसिल को आदेशात्मक अनुच्छेद के रूप में स्वीकार किया जाए तो राज्यों के आपसी संघर्ष और केन्द्र के संघर्ष का जल्दी के साथ फैसला लिया जा सकता है। हमारे मूवर ने कहा कि इस काउंसिल के तीन ही काम हैं इन्क्वायरी, लिटिरेशन और रिकमेण्डेशन और अगर वहां फैसला नहीं हो सकता तो पार्लियामेंट के अन्दर उसका फैसला हो सकता है इसलिए इस काउंसिल को बनाना बहुत आवश्यक है।

मैं बिहार से आता हूं। बिहार और उत्तर प्रदेश, दो राज्यों का जमीन को लेकर झगड़ा है, नैनीजोर का, वह आज तक फैसला नहीं हो पाया। महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार का एक बांध है, जिसकी जमीन का झगड़ा है, उसका फैसला नहीं हो सका और बांध का काम रुका हुआ है इसलिए यह काउंसिल बनाना बहुत जरूरी है। आज बिहार में एक नया झंझट पैदा हो गया है। बिहार को माइन्स का जो सैस मिलता था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सैस लेने का स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है इसलिए बिहार में जो माइन्स चला रहे हैं, वे लोग सरकार को सैस नहीं दे रहे हैं जिससे बिहार सरकार को 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का घाटा हो रहा है। इसलिए अन्तर-राज्यीय झगड़ों को, राज्य और केन्द्र की समस्या के निराकरण के लिए यह काउंसिल जो आदेशात्मक अनुच्छेद के अन्तर्गत होगी, बहुत आवश्यक है। मैं इसका समर्थन करता हू।

3.34 म० प०

आयुध (निरसन) विधेयक*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अगले वक्ता को बुलाने से पहले, मैं श्री हुक्मदेव नारायण यादव को विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए सभा की अनुमति लेने के लिए कहती हूं।

---

* दिनांक 7-9-90 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री हुकमदेव नारायण यादव (सीतामढ़ी) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयुध अधिनियम, 1959 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयुध अधिनियम, 1959 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब विधेयक पुरःस्थापित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हुकमदेव नारायण यादव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम संविधान (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा जारी रखेंगे। श्री मान्धाता सिंह।

3.35 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 263 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रति स्थापन—जारी)

सभापति महोदय : श्री मान्धाता सिंह।

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : सभापति महोदया, मैं कुछ समय के लिए अनुपस्थित रहने के कारण सर्वप्रथम आपके और सदन के प्रति खेद व्यक्त करता हूं क्योंकि मैं किसी संगोष्ठी में व्यस्त था। जब मैं सदन में आया तो गाइड ने मुझे बताया कि मेरा नाम पहले ही बुलाया जा चुका है। महोदय, जब मैंने आपको पीठासीन देखा तो मैंने राहत की सांस ली कि अब मुझे बोलने के मौके से वंचित नहीं होना पड़ेगा।

जहां तक श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा द्वारा प्रस्तुत संविधान (संशोधन) विधेयक का सम्बन्ध है मैं वर्मा जी के विचारों का पूर्णतया समर्थन करता हूं। यह विधेयक अहानिकर और संक्षिप्त है लेकिन विभिन्न राजनैतिक विचारा धाराओं की सरकारों और देश के विभिन्न भागों में उभरे ग्रुपों के कारण राष्ट्र की बदलती परिस्थितियों में इसकी संक्षिप्तता का अपना महत्व है। संविधान में एक सांविधिक स्थायी उपबन्ध जोड़ना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। वाद-विवाद का उत्तर देते समय सरकार यह कह सकती है कि उपरोक्त अनुच्छेद में पहले से ही ऐसी प्रणाली का प्रावधान है बशर्ते राष्ट्रपति ऐसा करना चाहें। मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह एक अच्छा कदम उठाया है

जिसको बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। लेकिन इसका कारण उस समय के शासक भली प्रकार जानते हैं और वे इस प्रकार की घोषणा करने के लिए कभी आगे नहीं आए जैसी कि अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की गई है। मैं यह भी जानता हूं कि प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक बंगलौर में हो चुकी है। लेकिन इस गैर-सरकारी विधेयक को स्वीकार करना इसलिए आवश्यक हो गया है कि कल ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और नया राष्ट्रपति आ सकता है, नई सरकार भी आ सकती है। निःसंदेह निकट भविष्य में इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन संविधान केवल पांच या दस वर्ष के लिए नहीं है बल्कि हमेशा के लिए है। अतः यदि कोई दूसरी सरकार तत्कालीन राष्ट्रपति के उद्घोषण को वापिस लेने के लिए दबाव डालती है तो हम अधर में लटक जाएंगे और देश भी अधर में लटक जाएगा।

इसके अलावा, मैं इस उपाय के महत्व को दर्शाना चाहता हूं। महोदया, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि विभिन्न राजनैतिक दलों की विभिन्न सरकारों और देश के विभिन्न भागों में उभर रहे ग्रुपों के परिप्रेक्ष्य में हम भारत की समस्त स्थिति पर दृष्टि डालें। यदि अनुच्छेद 370 के साथ कश्मीर से शुरू करें। सदन में इन बातों में हमारा काफी समय लगता है लेकिन भारत संघ के सभी राज्य एक से है। आज वहां राष्ट्रपति शासन है। पंजाब में भी राष्ट्रपति शासन है। यदि कल पुरानी विधान सभा बहाल की जाती है तो वह इसके बारे में भविष्य में अधिक चर्चा करेगी जैसा मैं पहले कह चुका हूं जैसाकि ज्योतिषी ने विधानसभा बहाल होने की भविष्यवाणी की थी। हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि न्यायालय क्या निर्णय देगा? लेकिन किसी भी स्थिति में चाहे पुरानी विधान सभा बहाल की जाए या नए चुनाव करवाये जाएं कोई भी नहीं जानता कि पंजाब में किसका शासन होगा और कौन सी राजनैतिक पार्टी सत्ता में आएगी। कौन से राजनैतिक दल के हाथ में सत्ता होगी? हरियाणा में भी जनता दल की सरकार है। तथा यदि अब दिल्ली को राज्य का दर्जा मिल जाता है तब इस पर भी किसी अन्य दल का शासन होगा। दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने सम्बन्धी विधेयक को पहले ही ताक पर रख दिया गया है। यद्यपि मैं लगभग एक घंटे तक सदन में अनुपस्थित था परन्तु मैंने यह महसूस किया है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने सम्बन्धी विचार को अभी तक हमारे गृह मन्त्री द्वारा व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया है। तत्पश्चात् जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य का सम्बन्ध है, इस समय यहां पर जनता दल सरकार का शासन है तथा बिहार में भी जनता दल सरकार का शासन है। महोदया, आपके राज्य में पिछले तेरह वर्षों से वामपंथी सरकार का शासन है जो कि सभी संबंधित दलों के यथासंभव प्रयास किए जाने के बावजूद भी वे इसे बदलना नहीं चाहते। हमारे यहां राजनैतिक दलों की भरमार है। मैं तो उनके नामों तथा उनकी संख्या तक की गिनती नहीं कर सकता जैसे हिल पीपल काउंसिल तथा इसी जैसे दल मेघालय, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में हैं। तत्पश्चात् आसाम में भी राष्ट्रीय मोर्चा का एक घटक असम गण परिषद है जो वहां पर सरकार चला रहा है। फिर यदि हम दक्षिण की तरफ देखें तो हमें वहां दूसरा ही रूप देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में डी० एम० के० की सरकार है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेसी सरकार है। तथा केरल में वामपंथी सरकार है। अतः राजनैतिक स्थिति में आने वाले बदलाव के बारे में हमें गंभीरतापूर्वक ध्यान देना है। इससे हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का संकेत मिलता है जिसमें उन्होंने एक संघीय स्वरूप की कल्पना की है तथा इस समय उस संघीय स्वरूप को स्पष्टतः देखा जा सकता है। वे दिन अब नहीं रहे अब एक अकेला दल ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शासन किया करता था। अब वे दिन आसानी से वापस आने वाले नहीं है अब राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय ग्रुपों तथा उनकी विभिन्न संस्कृतियों, परम्पराओं, खानपान तथा रहन-सहन आदि पर अधिक ध्यान दिया जाता हो। उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी संस्कृति है तथा वे अब अपना अधिकार जमाना

चाहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होना स्वाभाविक है। मैं गोर्बाचोव के समय से भी काफी पहले कामरेड स्टालिन के युग को भी जानता हूं तथा मैंने सोवियत संघ का संविधान पढ़ा है जिसमें एक अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को अलग हो जाने के अधिकार का भी उल्लेख किया गया है तथा जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : ऐसा लेनिन के समय के दौरान था।

श्री मान्धाता सिंह : उन दिनों स्टोलिन अथवा अन्य कोई भी शासक रहा हो, उसकी शक्ति के कारण यह संभव रहा होगा। मैं दूसरे देश के आंतरिक मामलों में नहीं जाना चाहता। अब जबकि गोर्बाचोव 'ग्लासनोस्ट' तथा पेरेस्ट्रोइका' आदि परिवर्तनों की बात करते हैं जैसा कि हम रोजाना पढ़ते हैं तथा मुझे कुछ दिन पहले मास्को जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तथा बीच में मैं एथेंस में विश्व शांति सम्मेलन में भी शामिल हुआ था तथा हम कुछ दिनों के लिए मास्को में रुके थे तथा सम्पूर्ण विश्व की निगाहें उसी ओर ही लगी हुई हैं कि सोवियत संघ के कुछ राज्य अपने अपने राज्यों की संसद से संकल्प पास कर रहे हैं तथा सोवियत संघ से अलग होने का निर्णय कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि हम भारत में भी यह अधिकार देने का विचार कर रहे हैं क्योंकि हमारे सामाजिक राजनैतिक तथा आर्थिक ढांचे के कारण वह स्थिति यहां पर नहीं हो सकती। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल श्रीलंका तथा अन्य स्थानों पर घटने वाली घटनाओं के कारण लोकतंत्र जातीय ग्रुप, राष्ट्रीयता आदि बहुत बदनाम हो गए हैं। परन्तु जातीय ग्रुप जातीय ग्रुप ही होते हैं जिनकी अपनी संस्कृति, परंपरा तथा इतिहास होता है। मैं जानता हूं कि इस देश में तमिल गर्व से दावा करते हैं कि उनकी तमिल भाषा संस्कृत से भी अधिक प्राचीन है। हम गर्व से दावा करते हैं कि संस्कृत हमारे देश में लगभग सभी भाषाओं की जननी है। परन्तु तमिल बन्धु इसे स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि वे अन्य भाषावादी दल के हैं तथा तमिल साहित्य, ऋग्वेद की तुलना में, जिसे हम मानव इतिहास में प्राचीनतम लिखित ग्रन्थ समझते हैं, संभवतः अधिक पुराना है।

अतः मैं इस तथ्य को प्रकाश में लाना चाहता हूं कि सम्पूर्ण देश को इस बारे में जानना चाहिए और इस देश की संसद को भी जानना चाहिए। संसद को इस स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। हम परिपक्व लोकतन्त्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दुर्भाग्य से यहां पर संसद की कार्य प्रक्रिया में कुछ दुःखद घटनाएं, जैसे सारे पत्र इत्यादि छीन लेना, पिछली बार घटी थी। यह बहुत दुःख की बात है। जब मैं उन बातों का उल्लेख करता हूं तो मुझे शर्म आती है परन्तु इसी के साथ-साथ संसद में वे लोकतांत्रिक परम्पराएं नहीं बन रही होंगी। परन्तु इस देश की जनता तथा इस देश के विभिन्न भाषाई ग्रुप अपनी अलग परम्पराएं लेकर आ रहे हैं। वे अपनी परम्पराएं लेकर आने के लिए विवश हैं तथा हमें भी मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए तथा विकास करने के लिए उनके स्वप्नों तथा उनकी इच्छाओं को पूरा कहने के लिए आगे आना चाहिए। 'आज भी मैं राज्यों के विभाजन का समर्थन नहीं कर रहा हूं। वह एक अलग अध्याय है, एक अलग कहानी है। परन्तु अब हम अपने राज्यों को गिन सकते हैं तब हम देखते हैं कि वहां विभिन्न प्रकार की सरकार हैं, विभिन्न प्रकार के राजनीतिज्ञ हैं तथा उनकी विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं। अतः यदि हम चाहते हैं कि भारत जैसा देश जिसका संघीय स्वरूप है तथा वह स्वरूप विकसित हो, समृद्ध हो तब हमें निश्चित रूप से कुछेक साधन, तरीकों को बुद्धिमत्तापूर्वक खोज करनी होगी जिससे कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों तथा स्थानों की जनता की इच्छाओं को पूरा किया जा सके।

अतः मैं इस विधेयक के प्रस्तावक मेरे मित्र श्री डी० पी० वर्मा को बधाई देना चाहता हूं जो

इस संबंध विधेयक को लाए हैं तथा मैं आशा करता हूं कि सरकार भी इसका विरोध नहीं करेगी क्योंकि सरकार पहले ही उस दिशा में विचार कर रही है। मैं माननीय गृहमंत्री जी को याद दिलाता हूं कि उस सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा पहले ही उद्घोषणा की गई है तथा उन्होंने ही बंगलौर में अन्तर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक का आयोजन करवाया था।

जैसाकि मैंने पहले इंगित किया था, समय के बदलने के साथ, जो लोग सत्ता में हैं उनके बदलने से, राष्ट्रपति बदल सकता है, सरकार बदल सकती है और इसलिए, अन्तर्राज्यीय परिषद स्थापित करने हेतु इसे देश के संविधान में स्थाई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। यह आमूल परिवर्तन नहीं है यह कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है। परन्तु यह अन्तर्राज्यीय या केन्द्र और राज्य सरकार की समस्याओं के समाधान का रास्ता है।

आप यह बात पूरी तर जानते हैं कि बंगाल में वामपंथी सरकार उस समय दिल्ली में केन्द्र सरकार के व्यवहार से बहुत नाराज थी। अब उन्होंने राहत की सांस ली है और बेहतर समन्वय स्थापित हो रहा है। देश के विभिन्न भागों में हालात तेजी से बदल रहे हैं और इसलिए, चाहे यह एक अन्तर्राज्यीय समस्या है द्विपक्षीय समस्या है या त्रिपक्षीय समस्या है या चतुरपक्षीय समस्या है—मैं नहीं जानता कि क्या वाक्यांश प्रयोग करूं—समस्या का समाधान विचार-विमर्श के माध्यम से किया जा रहा। हाल ही में मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा था कि कृष्णा नदी के जल के सम्बन्ध में कुछ विवाद था और कांग्रेस पार्टी के तीनों मुख्य मन्त्रियों, श्री पंवार, जो महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री हैं श्री चन्ना रेड्डी जो आंध्र के मुख्य मन्त्री हैं और श्री वीरेन्द्र पाटिल जो कर्नाटक के मुख्य मन्त्री हैं, ने बंगलौर में अन्तर्राज्यीय परिषद की एक बैठक की और श्री वीरेन्द्र पाटिल उसमें मेजबान थे। बंगलौर एक खूबसूरत शहर है और यह ऐसी कई बैठकों की मेजबानी कर सकता है। अन्तर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक बंगलौर में हुई थी। तीनों मुख्य मन्त्रियों को अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु कुछ देर साथ बैठना पड़ा था।

जब पूरे विश्व में समन्वय हो रहा है, जब जिनेवा पवित्र धाम बन गया है, वह दो विभिन्न प्रणालियों, जिनमें से एक का प्रतिनिधित्व श्री गोर्बाचेव करते हैं तथा दूसरी का प्रतिनिधित्व श्री बुश करते हैं, के मिलने का पवित्र स्थान है, जब वे मिल सकते हैं और अपनी समस्यायें सुलझा सकते हैं तो क्या हम उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय परिषद कहेंगे ? यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय बैठकें कर सकते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनेस्को अथवा यूनीसेफ, तो अन्तर्राज्यीय परिषद क्यों नहीं हो सकती ? यह अवश्य होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि हम कोई नई चीज बनाना चाहते हैं। जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं यह ना तो कोई क्रांतिकारी कदम है और ना ही इसमें कोई तर्क वाली बात है। यह बहुत व्यावहारिक है। यदि केन्द्र सरकार की पश्चिम बंगाल सरकार के साथ कुछ समस्यायें हैं या मान लीजिए कि वामपंथी लोग वर्तमान राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को समर्थन दे रहे हैं तो देश के विभिन्न भागों में कांग्रेस (इ) के नेतृत्व वाली सरकारों के क्या हाल हैं ? समस्याएं पैदा हो सकती हैं और संसाधनों के बटवारे को लेकर पैदा हो रही हैं। प्रो० दण्डवते इस राज्य या उस राज्य को केन्द्र से वित्तीय सहायता देने की बात को लेकर चिन्तित हैं। केवल अन्तर्राज्यीय समस्याओं को निपटाने के लिए ही नहीं, बल्कि लम्बित समस्याओं का समाधान खोजने के लिए या भविष्य में भी केन्द्र और राज्यों के बीच पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान खोजने हेतु एक परिषद की स्थापना और अनुच्छेद 263 में वाक्य के केवल एक भाग "बशर्ते कि राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करे" को लोप करके इसे संविधान में शामिल करना आवश्यक है। हम केवल इसका लोप करना चाहते हैं। हम दूसरे शब्दों को बरकरार रखना चाहते हैं।

मुझे खुशी होती यदि इस विधेयक को सभा के समक्ष कुछ अधिक विस्तार के साथ रखा गया होता जिसमें समस्याओं का हवाला दिया गया होता, कम से कम ज्वलंत मुद्दों का हवाला अवश्य दिया गया होता जिनका हमें आज सामना करना पड़ रहा है। परन्तु चाहे कुछ भी हो यह एक अच्छी शुरुआत है और देश की एकता, देश में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने, देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की सरकारों को सम्मान देने, लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं तथा इच्छाओं को सम्मान देने के हित में है, अब यह उचित समय है कि सभा इस विधेयक को खुशी से सर्वसम्मति पूर्वक स्वीकार करे।

इस समय सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां सिर्फ मुफ्ती साहब ही हैं। वे गृह मंत्री हैं। उन्हें इन समस्याओं को देखना है। इन समस्याओं का देश वे दिन रात अनुभव कर रहे हैं। इसलिए, उनके मस्तिष्क में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले तनावों से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए यह सभा अर्थात अंतर्राज्यीय परिषद बिल्कुल उपयुक्त है। यह हमारे गृह मन्त्री की सहायता कर सकती है, केन्द्र में हमारी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की सहायता कर सकती है। संसद की उन मामलों को सुलझाने में सहायता कर सकती है जिनमें संसद का काफी समय लग जाता है। प्रतिदिन, विभिन्न भागों से संसद सदस्य समस्याओं के बारे में बोलने के लिए खड़े होते हैं या वे पीठासीन अधिकारी का ध्यान अपने क्षेत्र की कुछ ज्वलंत समस्याओं की ओर खींचने का प्रयास करते हैं। आज सुबह ही, शून्य काल के दौरान, हमारे मित्र, श्री भोगेन्द्र झा थोड़े उत्तेजित थे क्योंकि पीठासीन अधिकारी ने अपना ध्यान वाम पक्ष की ओर कर लिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं और कार्य है और वे बाहर जाना चाहते हैं। वे सदन व अध्यक्ष का ध्यान बिहार में नेपाल की तरफ से आने वाली बाढ़ग्रस्त नदियों से उत्पन्न समस्याओं की ओर दिलाना चाहते थे। ये नदियां चारों ओर विनाश करती हैं। उन्होंने उपलब्ध कुछ मिनटों में ही बहुत विद्वतापूर्वक स्थिति स्पष्ट की और सुझाव दिया कि किस प्रकार पानी की ज्यादा मात्रा विभिन्न राज्यों के लाभ के लिए उपयोग की जा सकती है और किस प्रकार उत्तरी बिहार की गरीब जनता को बाढ़ के विनाश से बचाया जा सकता है। इसलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि यहां बैठे हुए कुछ अन्य सदस्य भी बोलना चाहेंगे। इसीलिए वे अभी यहां बैठे है। अन्यथा, शून्यकाल तक उनका काम समाप्त हो गया होता। यहां कोई नहीं होता। सच तो यह है कि उनमें से कुछ लोग यहां सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं बैठे हैं। यहां उनकी उपस्थिति, राष्ट्रीय महत्व की इस समस्या के प्रति उनकी गंभीरता और उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है।

महोदया, भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं दोबारा कहता हूं कि हमारी जनतांत्रिक परम्पराओं को समृद्ध करने के लिए, अपनी संघीय व्यवस्था की पुनः संरचना के लिए, संविधान के निर्माणकर्त्ताओं ने जिस संघीय संविधान का ढांचा खड़ा किया था उसे जीवंतता देने के लिए, अब बिल्कुल परिपक्व अवस्था है जब हमें जनतांत्रिक विश्व के सामने एक आदर्श स्थापित करने का स्वर्णिम अवसर मिला है कि कैसे एक देश जिसमें अनेकता है, कई भाषाएं हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, और कठिन व जटिल समस्याएं हैं, वह अपनी समस्याओं को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक ढंग से किसी की भावनाओं और इच्छाओं को ठेस पहुंचाए बिना सुलझा सकता है। इसलिए, मैं आशा करता हूं कि सरकार प्रसन्नतापूर्वक प्रस्ताव को स्वीकार करेगी जिससे एक बेहतर भारत एक बेहतर संघीय ढांचा, देश के लिए एक सुदृढ़ संघीय ढांचा बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, जो इस देश में लोकतन्त्र के भविष्य के लिए शुभ है।

अन्त में, महोदया, इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए मैं आप का धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : मान्धाता सिंह जी, कुछ देर के लिए आपकी अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति आपके भाषण से हो गई है। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं।

4.00 मध्याह्न

[हिंदी]

श्री सूबेदार (राबर्ट्सगंज) : माननीय सभापति महोदया, अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों को ठीक करने के लिए इस परिषद का गठन किया गया है, इसका हम स्वागत करते है। इसकी बहुत आवश्यकता थी। हमारे देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में बहुत गंभीर समस्याएं है। कहीं नदी का विवाद है तो कहीं हमारे राष्ट्रीय मार्गों का। कहीं-कहीं इतनी आर्थिक विषमता है कि कई प्रदेश इस मायने में पिछड़े हुए हैं। इसलिए यह जो परिषद का गठन हुआ है, इसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है।

सभापति महोदया, हमारे बिहार प्रदेश के बगल में लगे हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है जहां पर कई समस्याएं गंभीर बनी हुई हैं कि लोग सूखे से पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सरकार की तरफ से आम समझौता नहीं होने के कारण वहां पर बांध का निर्माण नहीं हो पा रहा है और बिजली उत्पादन करने की दृष्टि में कोई योजना नहीं बना पा रहे हैं जिससे वहां के लोगों में खुशहाली आ सके। इसी तरीके से हमारी बहुत सी ऐसी सड़कें है जो विभिन्न प्रदेशों में से होकर गुजरती हैं लेकिन भिन्न-भिन्न राज्यों में आपसी इस प्रकार के तनाव हैं कि कहीं भी एक साथ नहीं बैठ पाते हैं, फलस्वरूप समाधान नहीं निकल पाता है। यदि इस परिषद के गठन से हमारे प्रदेश के यानि बिहार, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में बैठकर इन समस्याओं का निराकरण सही रूप से निकाल सकें तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा काम होगा।

सभापति महोदया, आप देखेंगी कि कई प्रदेश आर्थिक विषमता से प्रभावित हैं और कई राज्य आगे बढ़े हुए हैं और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनके साथ भेदभाव किया गया है। उनको सही रूप से आर्थिक सहायता नहीं दी जिससे अपने प्रदेश का विकास कर नहीं पाता। इस सन्दर्भ में जहां जितनी आवश्यकता है, विकास के लिए जो उद्योग लगाने चाहिए, कृषि के लिए जो आर्थिक सहायता चाहिए, उनको दी जानी चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का सही रूप से निराकरण हो सके। मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से विकास सम्भव होगा। जो प्रदेश पिछड़े हुए हैं और जो आगे बढ़े हैं, पूरी तरह से सामने आ सकते हैं। इसी तरीके से मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूं। हमारे जनपद मिर्जापुर से मध्य प्रदेश का जिला सीधी और बिहार का जिला पलामू लगता है लेकिन सड़कों की इतनी कठिनाई होने पर भी सोन नदी पर पुल नहीं बन पा रहा है, कारण—उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश सरकार की आपसी सहमति नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार सड़कों का विवाद है और प्रदेशों में आपसी विवाद के कारण यह नहीं हो पा रहा है और आवागमन के साधन बन्द हो गए हैं, इससे जनता को कठिनाई हो रही है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि हम लोग नदियों, सड़कों का विवाद तय कर सकें तो हर क्षेत्र के विकास के लिए, आवागमन को सुलझाने के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य होगा।

सभापति महोदया, दूसरी बात मैं जंगलों के बारे में कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में कई बीहड़ क्षेत्र हैं। वहां पर तेंदू पत्ते का कार्य होता है। इस सन्दर्भ में मध्य प्रदेश कहते हैं कि यह क्षेत्र हमारा है। कभी बिहार का वन विभाग कहता है कि यह क्षेत्र हमारा है और कभी उत्तर प्रदेश का वन विभाग कहता है कि यह क्षेत्र हमारा है। इस प्रकार वहां तनाव बना रहता है और जब बीड़ी-पत्ते का सीजन आता है तो खून-खराबा होता है, हत्याएं

होती है लेकिन आज तक उसका समाधान नहीं निकला। इसी तरीके से कुछ जमीन का विवाद है। एक प्रदेश कहता है कि यह हमारे क्षेत्र में है और दूसरे कहते हैं कि यह हमारे क्षेत्र में है।

आज स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश के किसान हमारे प्रदेश में आकर खेती कर लेते हैं और हमारे लोग मध्य प्रदेश में जाकर खेती कर लेते हैं परन्तु जब फसल कटने का समय आता है तो इसे लेकर वहां काफी तनाव पैदा हो जाता है, लाठियां चलती हैं, फरसे चलते हैं, हत्याएं होतीं हैं। मैं समझता हूं कि राज्यों के बीच यह एक गम्भीर समस्या है, जिसका समाधान होना अति आवश्यक है। यदि इस बिल में प्रस्तावित परिषद का गठन हो जाता है तो मेरा विचार है कि इस तरह की अनेकों समस्याएं हल की जा सकती हैं। इन समस्याओं के कारण आज हमारे सामने अनेक तरह की दिक्कतें आती हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी तमाम समस्याओं का हल निकले ताकि लोगों के बीच होने वाले व्यर्थ के झगड़े खत्म हों और उस क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि बिल में जिस परिषद के गठन की चर्चा की गई है, उसका अनुशंसात्मक रूप हो और उसके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएं, उन्हें सभी पर बंधनकारी बनाया जाए, केन्द्र सरकार भी उन निर्णयों को माने और राज्य सरकारें भी उन्हें मानें। यदि ऐसे ही परिषदें अथवा संगठन हमारे देश में बनते रहे, जिनके निर्णयों पर, जिनकी अनुशंसाओं पर कोई कार्यवाही न हो, कोई उनकी तरफ ध्यान न दे, तो ऐसी परिषदें और संघठन बनाने का कोई लाभ नहीं है, न उसका कोई औचित्य है। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक प्रभावी परिषद का गठन होना आवश्यक है औ इस दिशा में सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। यह परिषद अनुशंसात्मक ही न रहे बल्कि प्रभावी हो और राज्यों के बीच समन्वय की स्थिति लाने में प्रभावी भूमिका अदा करे। इसे दमदार बनाया जाए और संविधान के अन्तर्गत इसे शक्तियां प्रदान की जाएं वैसे तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट्स के अंतर्गत राज्यों को बहुत सी सुविधाएं मिली हुई हैं, परन्तु छोटी-छोटी समस्याओं के कारण आज भी अनेक प्रदेश पिछड़े हुए हैं, अनेक जिले पिछड़े हुए हैं। आपने खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में देखा होगा कि वह अनेक छोटे-छोटे विवादों में फंसा हुआ है, जिससे उसका विकास अवरुद्ध हो गया है। मैं चाहूंगा कि जो परिषद गठित की जाए, उसे इतना प्रभावी बनाया जाए, उसके निर्णयों की ओर केन्द्रीय सरकार तवज्जह दे, उनको माने ताकि सही रूप में उसका लाभ इस देश की जनता को मिल सके। बिल में जिस परिषद के गठन का प्रस्ताव है, इस बिल की जो मंशा है, मैं समझता हूं कि वह आज की परिस्थितियों में अत्यन्त आवश्यक है और केन्द्र सरकार को इस मामले में तुरन्त उचित कदम उठाने चाहिए। इतना ही नहीं, परिषद के निर्णय प्रभावी होने भी आवश्यक हैं ताकि हर राज्य को उसका सही हिस्सा मिल सके, उसका विकास हो सके, आर्थिक, सामाजिक सभी रूप से वह विकसित हो सके। मैं चाहूंगा कि इस परिषद में विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमन्त्रियों को भी शामिल किया जाए, जो प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में बैठकर, अन्य सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करके सही निर्णय ले सकें ताकि आम जनता उनसे लाभान्वित हो सके और आज लोगों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, जिनकी वजह से लोग पीड़ित हैं, जैसे कहीं पुल नहीं बन पा रहा है, कोई मार्ग नहीं बन पा रहा है, कहीं वनों से सम्बन्धित समस्या है, उन तमाम समस्याओं का समाधान हो सके। इन शब्दों के साथ, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया।

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : माननीय सभापति महोदया, श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा ने सदन में जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि संविधान में उसकी व्यवस्था पहले से विद्यमान है। आज देश की परिस्थितियों में जिस तरह से राजनैतिक परिवर्तन आ रहा है, उसे देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि वर्मा जी ने अनुच्छेद 263 के स्थान पर जो नया अनुच्छेद

पतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया है, उसकी आज आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक जमाना था जब केन्द्र में और विभिन्न प्रदेशों में करीब-करीब एक ही पार्टी की सत्ता होती थी। कांग्रेस पार्टी 1952 से लेकर 1969 तक लगभग सभी राज्यों में और केन्द्र में भी सत्ता में रही है, जब एक ही पार्टी का राज विभिन्न राज्यों में और केन्द्र में भी रहे तो उनमें आपस में सामंजस्य की स्थिति बनी रहती थी, उनके बीच कोई बहुत बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होती। हमारा देश बहुत बड़ा है, जहां प्रान्तों की अपनी-अपनी संस्कृति, संस्कार, रहन-सहन, वेशभूषा है और आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक समानता का अभाव है। यही कारण है कि हमारे यहां अलग-अलग प्रान्तों में समय के साथ-साथ अनेक प्रान्तीय दलों का जन्म हुआ, वहां की समस्याओं को लेकर अनेक आंदोलन हुए और इसी आधार पर आज विभिन्न प्रान्तों में अलग-अलग दलों की सरकारें बनी हैं। आज स्थिति यह है कि केन्द्र में मोर्चा सरकार है और दूसरे प्रान्तों में कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं जनता दल की सरकार है, कहीं सी० पी० आई० की सरकार है, कहीं सी० पी० एम० की सरकार है और कहीं किसी अन्य पार्टी की सरकार प्रांतों में हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में केन्द्र और प्रांतीय सरकारों में द्वन्द्व होना स्वाभाविक है क्योंकि हर पार्टी की विचारधाएं अपनी जगह पर अलग-अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल, इनके विचारों में काफी अन्तर है और जब विचारों में अन्तर होता है, तो विकास के कार्यक्रमों में, देश को बनाने के रास्ते में भी थोड़ा-बहुत फर्क पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रांतीय और केन्द्रीय सरकार में सामंजस्य न होना भी स्वाभाविक है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रांतीय और केन्द्रीय सरकार में आपस में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए एक समिति का गठन होना आवश्यक है, जिससे केन्द्रीय सरकार और प्रांतों की सरकारों में तालमेल बनाया जा सके।

माननीय सभापति महोदया, कभी-कभी प्रांतीय और केन्द्रीय सरकार में झगड़ा होता है—सड़कों के बारे में, नदियों और नहरों के बारे में और विकास के कई कामों के बारे में। कई, तरह-तरह के झगड़े होते हैं और कभी-कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि केन्द्र सरकार अपने दायित्व से बचने के लिए प्रांतीय सरकार पर लांछन लगाती है और कभी प्रांतीय सरकार अपने दायित्व से बचने के लिए केन्द्रीय सरकार पर लांछन लगाती है। इस प्रकार परस्पर लांछन लगाती रहती हैं और विकास के काम ठप्प पड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों सरकारों में से कोई भी सरकार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होती है।

सभापति महोदया, सारे देश के लोगों के मनोभावों को देखते हुए, हर प्रांत की संस्कृति और संस्कारों को देखते हुए, यह स्थिति पैदा हो गई है कि इस देश के विकास के लिए एक तीसरी शक्ति का बनना जरूरी है, जो दोनों सरकारों के मतभेदों को दूर कर सके। इसलिए मेरी समझ में जो संवैधानिक संशोधन लाया गया है और जैसी मेरी गृह मन्त्री जी से बात भी हुई है, इसमें कोई कौंसिल बन भी गई है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा निवेदन इस संशोधन विधेयक में यह है कि इसमें प्रधान-मन्त्री, केन्द्रीय गृह मन्त्री और राज्यों के मुख्य मन्त्री सम्मिलित होंगे। प्रधान मन्त्री परिषद का अध्यक्ष होगा। मेरी राय में अगर सामंजस्य लाना है, तो केन्द्र में जो विरोधी दल का नेता होता है, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। अगर वास्तव में सामंजस्य लाना चाहते है तो ऐसा करना अनिवार्य है, क्योंकि विरोधी दल की जहां सरकारें प्रांतों में हैं, उनके मुख्य मन्त्रियों को तो इसमें शामिल किया गया है, लेकिन केन्द्र में जो सरकार का विरोधी दल का नेता होता है, उसकी भावनाओं और विरोधी दल की भावनाओं को परिलक्षित करने के लिए और अच्छा सुझाव देने के लिए मेरी राय में विरोधी दल के नेता को भी शामिल किया जाना चाहिए।

सभापति महोदया, इतने बड़े देश में, सारी चीजों के परिप्रेक्ष्य में, विकास के सामंजस्य के

दृष्टिकोण से, विकास के बढ़ते हुए कदम के दृष्टिकोण से और जो हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है, प्रजातंत्र है, समाजवादी है और इस बात की गारंटी है कि हर प्रांत में स्वायत्तता के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार का केन्द्र बिंदु बने रहेंगे, तो मेरी समझ में यह आता है कि केन्द्रीय सरकार का केन्द्र-बिंदु बन करके प्रांतीय सरकारों के स्वाभिमान, सम्मान की रक्षा के लिए, वहां के लोगों के विकास के लिए, चाहे सह सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास हो, इस सारे परिप्रेक्ष्य में यह जो संशोधन लाया गया है, यह मेरी समझ में अच्छा है। मैं इसका स्वागत करता हूं। मगर जैसा मैंने पहले कहा—मैं चाहूंगा और गृह मन्त्री जी से भी अनुरोध करूंगा—व्यापक दृष्टिकोण से इसको देखें और यदि इसमें विरोधी दल के नेता को शामिल कर लिया जाता, तो ज्यादा अच्छा होता, सर्वमान्य होता, व्यापक होता, व्यापक दृष्टिकोण होता, व्यापक दायरा होता।

सभापति महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : सभापति महोदया, मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

संविधान के अनुच्छेद 263 में, साफ तौर से लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति यह आवश्यक समझें कि देश के किन्हीं राज्यों में बहुत झगड़ा बढ़ गया है, तो एक अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन इस बिल को लाने की आवश्यकता इसलिए हुई कि यदि पूर्णरूप से डाटा देखा जाए तो करीब-करीब देश के हर राज्यों में एक-दूसरे के साथ झगड़ा अभी तक पड़ा हुआ है। केवल राज्यों के बीच में झगड़ा नहीं है बल्कि केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच में भी झगड़ा पड़ा हुआ है और अभी तक उसका निपटारा नहीं हुआ है। उदाहरणस्वरूप उत्तर प्रदेश और बिहार को ले लिया जाए। उत्तर प्रदेश और बिहार के भूमिवाद के मामले को सुलझाने के लिए त्रिवेदीवाद के मुताबिक भोजपुर जिला, बनिया जिला और गाजीपुर जिले का बंटवारा हुआ। त्रिवेदीवाद लागू हुआ पिलर लगा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी एक साल हो या आज से दस बरस पहले की बात हो, हर साल 20-25 लोगों की जान जाती है क्योंकि जमीन का मामला आज तक नहीं सुलझा है। यदि अन्तर्राज्यीय परिषद होती तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह झगड़ा समाप्त हो गया होता। मेरे साथी जनार्दन जी ने कहा कि नैनीजोर, महुआर, राजापुर, रांगोगी का ठिकाना नहीं है, बनिया के लोगों ने कितने लोगों को जान से मार दिया। एक राज्य के लोगों को नहीं मारा बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कितने किसानों की जान ले ली। यदि अन्तर्राज्यीय परिषद होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। एक ही मामला नहीं है। आप सोम नहर की बात ले लीजिए, सोम नहर का बंटवारा बहुत दिनों का है। भोजपुर, रोहतास, गया, औरंगाबाद और पटना जिला को सोम नहर से पानी मिलता था। कई बार दोनों राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की बैठक हुई और उसमें तय किया गया कि इतना पानी भोजपुर, रोहतास, गया और पटना जिला को सोम नहर से दिया जाएगा। लेकिन तमाम फैसले होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के सिगनेचर, बिहार के मुख्य मन्त्री के सिगनेचर, मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री के सिगनेचर होने के बावजूद बिहार को पूरा पानी नहीं मिलता है। इसी कारण 22 लाख एकड़ जमीन की पटवन बिहार में नहीं होती है, किसान भूखे मरने के कगार पर हैं। अंग्रेजों ने जो नहर बनाई थी वह बर्बाद हो गई है लेकिन यदि टूटी-फूटी नहर में भी बांध से पानी मिलता तो किसान के खेत का पटवन हो जाता। लेकिन एग्रीमेंट होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार बिहार सरकार को हिसाब से जो पानी मिलता है वह पानी नहीं देती है। यदि अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना हो गई होती तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह मामला सुलझ जाता और 22 लाख एकड़

जनीन की पटवन आज ऐसी स्थिति में नहीं होती। इसलिए मैं यह बात समझता हूं कि इस परिस्थिति में इसकी स्थापना होना निहायत जरूरी है, इससे राज्यों के मामलों के निपटारे में इतना विलम्ब नहीं होगा। बिहार और बंगाल की सीमा पर भी इसी तरह की स्थिति है, बिहार और मध्य प्रदेश की सीमा पर भी यही स्थिति है। कई बार सोम नहर के पानी के लिए मध्य प्रदेश सरकार से भी झगड़ा हुआ और आज तक भारत सरकार के द्वारा कोई भी निपटारा नहीं किया गया है। इसलिए अनुच्छेद 263 की जगह पर एक नया अनुच्छेद बनाने की बात श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा ने रखी है, मैं उसका पूर्णरूप से समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस संशोधन के आलोक में गृह मंत्री विचार करेंगे और जल्द से जल्द इस प्रस्ताव को मानकर देश के तमाम नागरिकों के हित की रक्षा करेंगे जिससे राज्यों में मतभेद न हो, झंझट न हो। इसे निपटाने के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा ने आज की परिस्थिति में धारा 263 में संशोधन की बात जो कही है वह सर्वदा उपयुक्त और अनुकूल है। वास्तव में जब देश आजाद हुआ था उस समय इस बात का इतना महत्व नहीं समझा गया था। आज जब किसी प्रदेश में किसी पार्टी की सरकार है, कहीं पर पक्ष, कहीं पर विपक्ष, कहीं पर क्षेत्रीय दलों की सरकार है तो इस हिसाब से आपस में तालमेल की बहुत आवश्यकता है।

सरकारिया कमीशन ने भी एक स्थायी गठन की बात कही थी। उसके बाद भी कोई ऐसा सकारात्मक प्रयास इस दिशा में नहीं हुआ जिससे कि सही दिशा में काम हो सके। वर्तमान सरकार ने भी कुछ विचार के साथ गठन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि वह भी पूरी सक्रियता से काम नहीं कर पायेगा। इसके लिए आवश्यक यह है कि जो हमारे संविधान की धारा 263 में है। उसमें इस प्रकार से संशोधन करें जिससे समस्याओं का समाधान हो सके।

आज जगह-जगह पर सीमा का विवाद है। राज्यों के अन्दर और केन्द्र में पानी का विवाद है। जो हमारे सुदूर के प्रदेश हैं उनके यहां भी अपनी समस्याएं हैं। अगर उन समस्याओं का निपटारा नहीं किया तो राज्यों में विवाद बढ़ता जाएगा। बातें बहुत छोटी कहने की हो सकती हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, वहां देखता हूं कि कुछ चीजें जैसे दवाइयां दूसरे रेट की हैं और दिल्ली में कोई दूसरे मूल्य की हैं। इसका राज्य की आर्थिक स्थिति में बहुत असर पड़ता है। एक डाबर कंपनी है इसका यहां हमारे भाई वर्मा जी ने भी क्वोट किया है उसकी एक दवाई बरेली में भी मिलती है और वह वहां 20 रुपए 45 पैसे की मिलती है। दिल्ली में वही दवाई 17 रुपए 95 पैसे की मिलती है बरेली और दिल्ली के अन्दर ढाई रुपए का अन्तर होना निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है कि हम सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। मेरी एक सज्जन से बात हुई। गोदरेज वाली कम्पनी अपना एक प्रोजेक्ट गाजियाबाद में लगाना चाहती थी। केवल करों की विषमता होने के कारण मध्य प्रदेश में ले जाकर वह लगायी गई। मध्य प्रदेश के अन्दर बिक्री कर कम हो और वहां रेवेन्यू कम न आए, आगे बढ़कर आए और उत्तर प्रदेश में निरन्तर बिक्री कर बढ़ता जाए इस असमानता को आप कैसे दूर करेंगे। दिल्ली में कई चीजों पर 13 परसेंट, 14 परसेंट, 15 परसेंट होता है और दिल्ली में वह केवल 7 परसेंट होता है या उससे भी कम होता है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारा सामंजस्य ठीक ढंग से नहीं चल रहा है।

बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस दिशा में स्थायी समावेश करे। हम चाहते हैं कि संविधान की धारा के अन्दर संशोधन का प्रस्ताव लेकर सरकार

आए। भाई वर्मा जी ने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा है वह वास्तव में सराहनीय है और समय के अनुकूल है। मैं और ज्यादा न कहते हुए गृह मन्त्री जोकि यहां मौजूद हैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि वह इस दिशा में कोई सकारात्मक प्रयास करें जोकि आने वाले समय में सबके लिए मार्गदर्शक हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदया, भारत प्राकृतिक दृष्टि से एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सब जगहों से सुरक्षित हैं। लेकिन देश की आजादी के बाद जिन भाषाओं के आधार पर हमने प्रान्तों का निर्माण किया उसके कारण यह स्वाभाविक था कि प्रान्तों में छोटी-मोटी समन्वय होने में कमी होगी। हर प्रान्त अपने हित को सर्वोपरि मान कर उसके अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करता रहा। राजस्थान इस दृष्टि से सबसे ज्यादा दुखी रहा। राजस्थान के पास पानी का कोई स्रोत नहीं है। राजस्थान की अपनी कोई नदियां नहीं हैं। जिस समय देश का बंटवारा हुआ उस समय भारत पाकिस्तान के बीच में जो सिन्ध के पानी के बंटवारे को लेकर संधि हुई वह इस आधार पर हुई कि राजस्थान के रेगिस्तानी हिस्से को किसी प्रकार पीने का पानी मिल सके। इसी आधार को मान कर हमने पाकिस्तान के साथ इस पानी का बंटवारा किया लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि आज इस स्वतन्त्र देश में 42 वर्ष की आजादी के बाद जो हमारा हिस्सा था वह हमें नहीं मिला। हमारे हिस्सा का पानी आज भी पंजाब हमको नहीं दे रहा है। कई वर्षों से हम और हमारी सरकार इस बारे में प्रयत्नशील है। जिस एग्रीमेंट के आधार पर समझौता हुआ और जो हमने सतलुज, व्यास और रावी नदियों का समझौता किया उसमें राजस्थान का 52 परसेंट हिस्सा तय किया। उसकी कितनी विद्युत योजनायें थीं उसमें जितना पैसा हमने लगाया उसके अनुपात में हम को उसका पानी आज भी उपलब्ध नहीं होता है।

सतलुज व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को यह अधिकार देने का फैसला आज से पांच साल पहले किया गया था लेकिन पंजाब आज भी सतलुज व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को यह अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। आपस में बैठकर ये सब निर्णय हो गया था यह अधिकार उनके सुपुर्द कर दिया जाए लेकिन उसके पश्चात उसको स्वीकृत नहीं किया गया है। और उसके कारण से हमारे हिस्से का जो पानी है, वह हमारे हिस्से का पानी, बरसात में जब बाढ़ आती है तब तो उसको छोड़ दिया जाता है और हमारे कोटे को पूरा करने की दृष्टि से दिखा दिया जाता है, जिस पानी का हमारा कोई उपयोग नहीं होता है। हमें जिस समय पानी की जरूरत रहती है, जिस समय हमारे किसान को पानी की जरूरत रहती है, क्योंकि, वहां उस पानी को खोलने का अधिकार पंजाब का होने के कारण, पंजाब के हाथ में वह अधिकार होने के कारण वह अपनी मनमर्जी से हमको पानी देता है और इसके कारण से राजस्थान इतने साल तक पानी से महरूम रहा है

इन्दिरा गांधी नहर पर हजार करोड़ रुपया हमने खर्च कर दिया, इतने वर्ष हमने गुजार दिये और उसके बाद भी उसका जो लाभ हमको मिलना चाहिए, वह हमें लाभ नहीं मिला। भाई धर्मेन्द्र जी ने जो संशोधन संविधान में रखने के हिसाब से और 267 अनुच्छेद में जोड़ने की बात की है, अन्तर्राज्यीय परिषद का इसी कारण से उन्होंने गठन किया है कि हमारा देश कई राज्यों का समूह मिल कर है और कई राज्य अलग-अलग हैं, उनकी अलग-अलग सरकारें भी हो सकती हैं, हमारे यहां किसी पार्टी की सरकार है, कहीं किसी पार्टी की है, कहीं किसी विचार के मानदे वाले लोग हैं, कहीं किसी का दृष्टिकोण कोई दूसरा है। इस कारण से ये झगड़े झगड़े के रूप में परिणत न हों, अगर इस अन्तर्राज्यीय परिषद का हम निर्माण कर देंगे और वहां बैठकर अगर हम अपने झगड़ों को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यही नहीं,

हमारे यहां तो कई जगह बाउंडरी का भी झगड़ा है कि यह स्थान राजस्थान में आता है, यह गुजरात में आता है। हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र का जो हिस्सा है, एक बहुत बड़ी जमीन का पिछले कई वर्षों से झगड़ा है। गुजरात कहता है कि यह हिस्सा हमारा है, हम कहते हैं कि यह हिस्सा हमारा है और वहां कई बार किसानों में आपस में द्वन्द के कारण से गोलियां चली हैं, कई बार वहां लोग मर चुके हैं, कितने ही वर्षों से हम इस समस्या से जूझ रहे है लेकिन इस समस्या का कोई समाधान इस कारण से नहीं हुआ कि इस प्रकार की कोई परिषद नहीं है जहां आपस में बैठकर इसका कोई सुलझारा कर सकें और इस समस्या का कोई समाधान कर सकें। आज के वातावरण की स्थिति में देश में जिस प्रकार के आज हालात दिख रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा लोग बोलते जा रहे हैं, जिस प्रकार की पंजाब की समस्या है और कश्मीर की समस्या है। यह समस्याएं वास्तव में कभी-कभी हमारे लिए एक तरह से सोचने की हैं। अगर राजस्थान का पानी, जो हमें मिलना चाहिए, वह अगर हमें नहीं मिला तो राजस्थान हमेशा-हमेशा के लिए पिछड़ जाएगा। उसके कारण से राजस्थान के लोगों में भी कभी एक अलगाव का भाव पैदा होगा, कभी उनके मन में इस कारण से गुस्सा आएगा कि जिस देश में हम रहते हैं, इस देश से निकलने वाली हिमालय की नदियों पर क्या हमारा अधिकार नहीं है, क्या उसके पानी को पीकर हम अपनी प्यास नहीं बुझा सकते हैं। हम तो पीने के पानी की एक-एक बूंद के लिए मोहताज होकर रहते हैं, एक-एक घड़ा पानी दो-दो रुपए में लेकर अपने काम को चलाते हैं और दूसरी तरफ पानी इतना अधिक है कि वहां वाटर लॉगिंग है, वहां जमीन दलदल हो रही है और उसके बाद भी वह अपने पानी को नहीं छोड़ रहा। यही नहीं, पंजाब ने तो बिना स्वीकृति के और बिना हमारे पूछे, उन्होंने नई नहर की लिंक बना ली, जिस पर राजस्थान ने बार-बार अपनी नाराजगी जाहिर की कि बिना स्वीकृति के आज यह क्यों बनाई और उन्होंने पम्प स्टेशन भी बना डाला, जबकि हमारा हिस्सा उसमें 52 प्रतिशत का तय है। जिस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बीच में संधि हुई थी और पानी का बंटवारा हुआ था, उस समय हमारी सब स्थितियां तय होने के बाद भी हम उस समस्या में इस तरह से उलझे हुए हैं।

इसलिए इस अन्तर्राज्यीय परिषद के आधार पर हम इस समस्या को सुलझा सकें, आपस में बैठकर, क्योंकि, हम कोई दूसरे देश के लोग नहीं हैं, हम सभी भारत माता के पुत्र हैं, चाहे वह और किसी राज्य में रहते हैं, चाहे हम और किसी राज्य में रहते हैं। हमारा और उनका, दोनों की कहीं गलतफहमियों के कारण से समस्याएं उलझती आ रही हैं। यह केवल राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की समस्या हो या गुजरात और मध्य प्रदेश की समस्या हो, ऐसा नहीं है, यह सम्पूर्ण देश में कहीं न कहीं पानी के बंटवारे को लेकर, सीमाओं के विवाद को लेकर और कई छोटी-मोटी बातों के आधार पर इस प्रकार के झगड़े खड़े होते रहते हैं और इसलिए अगर इस परिषद का निर्माण हो गया और इसको हमने सशक्त किया इसके आधार पर हम्रारे समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से समस्याएं सुलझेंगी और इससे इस देश को जोड़ने में और एक-दूसरे को नजदीक लाने में काफी मदद मिलेगी

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : सभापति महोदया, हमारे संघीय ढांचे का संविधान है। हालांकि हमारी व्यवस्था संघीय है, किन्तु केन्द्र को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। हमारे देश में बहुसांस्कृतिकता वाले और बहुभाषी लोग हैं व उनकी समस्याएं भी कई हैं। सरकार को इन समस्याओं को सामूहिक, उचित और प्रभावशाली तरीके से निपटाना है।

इस सन्दर्भ में, 1974 में संयुक्त संसदीय समिति ने प्रांतों में होने वाले मतभेदों से उत्पन्न विवादों को सुलझाने के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद बनाने का सुझाव दिया था। 1949 में, 13 जून, 1949 को संविधान सभा में, धारा 263 के अधीन वर्तमान संविधान के प्रावधानों को अपनाया गया था। संविधान सभा के वाद-विवादों में यह कहा गया था कि पानी के कारण उत्पन्न विवादों या इससे संबंधित अन्य मामलों की जांच के लिए एक अन्तर्राज्यीय परिषद होनी चाहिए। किन्तु मैं सोचता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने धारा 263 की ओर उस समय समुचित ध्यान नहीं दिया जब वे राज्यों को इसे लागू करने की सलाह दे रहे थे। और यह एक पवित्र इच्छा ही बनी रही। 42 वर्षों के कांग्रेस शासन के दौरान, इसके बावजूद कि विभिन्न राज्यों की जनता ने उनके बीच उत्पन्न विभिन्न विवादों को सुलझाने के लिए एक अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना की मांग की, इस धारा की सहायता नहीं ली गई है। कांग्रेस सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया उन्होंने प्रावधानों को लागू करने की ओर सिर्फ इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुख्य मंत्री ही सत्ता के केन्द्र थे और प्राय: वे उनके दल के ही थे। इसलिए, केन्द्र में प्रधानमन्त्री या कांग्रेस दल का नेता, नियम और विनियम बनाते और राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को उनकी इच्छानुसार कार्य करने का आदेश देते थे। इसीलिए उन्होंने इस नियम को लागू करने की ओर ध्यान नहीं दिया।

महोदया, इस समय महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सुस्पष्ट समस्याएं हैं। सीमा-विवाद है। कावेरी जल समस्या है और अन्य कई समस्याएं हैं। यदि राज्यों के बीच लाभप्रद और तथ्यपूर्ण वार्ता हो तो ये कई समस्याएं सुलझ सकती हैं। सारी समस्याएं कलम चलाने से नहीं सुलझ सकती हैं।

महोदया, यह स्मरण करके हमें बहुत दु:ख होता है कि किस प्रकार कांग्रेस शासन में मुख्य-मन्त्री उनके नेताओं की इच्छा पर बदल दिए जाते थे जिससे उनका उद्देश्य तो पूरा हो जाता था किन्तु यह राज्य की जनता के हितों के विरुद्ध था।

अत: मैं यह सुझाव करूंगा कि एक अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 263 के उपबन्धों में इसके उद्देश्यों तथा परिषद को सौंपे जाने वाले कार्यों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। समयाभाव के कारण मैं उन सभी का यहां पर उल्लेख नहीं कर सकता। परन्तु मैं यहां पर यह उल्लेख करना चाहता हूं कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि 'आल रोड्स लीड टू रोम' जिसका अभिप्राय है कि दिल्ली में ही प्रत्येक मामले का निर्णय किया जायेगा। दिल्ली में हमारा तथाकथित राष्ट्रीय समाचार-पत्र मुख्यालय है। तत्पश्चात् रेडियो तथा दूरदर्शन केन्द्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय, कृषि तथा वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र भी यहां पर ही हैं। संभवत: उन्होंने सोचा होगा कि यदि वे उन पर यहीं से नियंत्रण कर सकते हैं, तब वे राज्यों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। परन्तु हम शक्तिशाली राज्य तथा इसके साथ ही साथ शक्तिशाली केन्द्र के पक्ष में हैं। कांग्रेस दल ने केन्द्र को राज्यों की कीमत पर भी अधिक मजबूत बनाना अधिक बेहतर समझा था। हम इसके खिलाफ हैं। अत: हम चाहते हैं कि राज्यों को उनका उचित हिस्सा तथा उचित सम्मान दिया जाना चाहिए तथा इसी कारण हम एक अन्तर्राज्य परिषद स्थापित करना चाहते हैं।

वर्तमान राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने हमारी संतुष्टि के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद स्थापित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किया है। हमारे देश के लोगों की काफी लम्बे अर्से से यह मांग रही है तथा इससे लोकतन्त्र की स्थापना में तथा राज्यों के झगड़े निपटाने में भी काफी सहायता मिलेगी। इससे बातचीत द्वारा उनकी आपसी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक मैत्रीपूर्ण वातावरण

बनाने में भी काफी सहायता मिलेगी। मैं यह भी उल्लेख करूंगा कि हमारे यहां छः अंतर्राज्यीय परिषदें हैं। वे निम्नलिखित हैं :—

(1) स्थानीय स्वशासी केन्द्रीय परिषद, जिसकी वर्ष 1954 में स्थापना हुई थी,

(2) केन्द्रीय चिकित्सा परिषद, जिसकी स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी, तथा

(3) इसके अतिरिक्त चार क्षेत्रीय बिक्री-कर परिषदें भी हैं। यद्यपि कुछ समस्यायें सुलझाने के लिए ये प्रभावशाली तंत्र हैं परन्तु अंतर्राज्यीय परिषद को एक निकाय के रूप में होना चाहिए जिसमें राज्य विभिन्न समस्याओं का उल्लेख कर सकें। यह अकेली समिति स्थायी होनी चाहिए तथा इसका एक सचिवालय भी होना चाहिए जिससे कि राज्यों द्वारा बताई जाने वाली समस्याओं का विश्लेषण किया जा सके तथा उनका उचित रूप से समाधान भी किया जा सके इसीलिये अन्तर्राज्यीय परिषद की आवश्यकता है तथा श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। हम इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीया सभापति जी, इस बात से इन्कार करने की बात नहीं है कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जा रहा है और इसीलिए हमारे संविधान में उसके लिए व्यवस्था भी की गई है, अधिकारों और कार्यक्षेत्र का एक स्पष्ट विश्लेषण किया गया है और समय-समय पर उनके विषय में सदन में भी चर्चा होती है और सदन से बाहर भी लोगों ने अपने विचार जाहिर किए हैं, उसी के अनुरूप कुछ सुधार भी किए गए हैं। लेकिन अमूमन हम सैद्धांतिक रूप से तो इस बात को जरूर करते हैं कि राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं, लेकिन जब कुछ विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की बात आती है तो मेरा अपना 10 साल का इस सदन का अनुभव है कि हमने केन्द्र के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियों को डालने की कोशिश की है, चाहे शिक्षा के बारे में हो या और किसी विषय के बारे में हो। मैं समझता हूं कि इस सदन के बहुत सारे सदस्य उस समय भी इस सदन के सदस्य रहे होंगे, जब शिक्षा के बारे में हमने केन्द्र को कुछ अधिकार देने की बात की, वनों के विषय में राज्यों के जो अधिकार थे, जब उनको सीमित करके उन पर अंकुश लगाने के लिए, उनको केन्द्रीय सूची में लाए तो उस समय कई सदस्यगण यहां पर थे, लेकिन ऐसे मुद्दे जब आते हैं, उस समय तो उसमें भिन्न राय जाहिर नहीं करते, क्योंकि लोग यह समझते हैं कि केन्द्र यदि इन जिम्मेदारियों को लेगा तो राज्यों के ऊपर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा और यह आर्थिक बोझ राज्यों पर न पड़े, इस प्रवृत्ति के कारण केन्द्र में ज्यादा से ज्यादा शक्तियां एकत्रित होती हैं। यदि राज्यों को ज्यादा अधिकार देने हों तो राज्यों को ज्यादा क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। किसी भी सरकार के ऊपर चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार नेशनल फ्रंट की रही हो, दोष देने से काम नहीं चलेगा, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार नेशनल फ्रंट की हो, दोष देने से काम नहीं चलेगा। अगर हम कहें कि कांग्रेस सरकार ने उस समय राज्यों के अधिकारों को जानबूझकर सीमित करने का प्रयास किया, तो यह उचित नहीं होगा। सामयिक आवश्यकताओं को देखकर, दबावों को देखकर और कभी-कभी और कभी-कभी राज्यों के स्वयं के आग्रह को देखकर उन अधिकारों को सीमित किया गया है और केन्द्र के कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। मैं संविधान की धारा 263, जिसके तहत यह कहा गया है कि एक ऐसी इंटरस्टेट कौंसिल गठित की जा सकती है और यह कोई मैंडेटरी

प्रावीजन संविधान का नहीं था, एक प्रकार का रिकमन्डेटरी प्रावीजन था और इसको रिकमण्डेटरी प्रावीजन रखने का कारण उस समय यह था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि कालांतर में ज्यों-ज्यों राज्यों के दायित्व बढ़ेंगे, ज्यों-ज्यों विकास बढ़ेगा, तरक्की होगी, देश आगे बढ़ेगा, उस समय इस प्रकार की समस्याएं उठ सकती हैं और उन समस्याओं का कालांतर में निराकरण करने के लिए किसी ऐसी संस्था का गठन किया जा सकेगा, इसलिए संविधान निर्माताओं ने इसकी व्यवस्था की है और मैं समझता हूं कि इस दिशा में आज सोचने का समय आ गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेफार्म्स कमीशन ने भी अपनी सिफारिशों में इस बात का उल्लेख किया है कि इस विषय में आने वाले समय में केन्द्र को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि नेशनल फ्रंट की सरकार ने अपने घोषणापत्र में इस बात को कहा है और मैं समझता हूं कि यहां कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बराबर इस बात की वकालत करती रही हैं, आवाज उठाती रही हैं, आज उनमें से कुछ पार्टियां नेशनल फ्रंट सरकार की समर्थक पार्टियां हैं, अब उनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इण्टरस्टेट कौंसिल गठित हो, क्योंकि आज हम भी इस बात को महसूस करते हैं कि जिस तरीके से देश के पोलीटिकल अनवायर्नमेंट में बदलाव आया है, पोलीटिकल कंपोनेंट चेंज हो गए हैं, केन्द्र में, राज्यों में नये एलीमेंट्स इंट्रोड्यूज हुए हैं, उसके आधार पर हमको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि कोई न कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो केवल सत्ता के लिए ही न हो, वह संस्था ऐसी न हो जहां आकर मुख्यमन्त्री आपस में या राज्यों के प्रतिनिधि आपस में आकर केवल बातचीत कर सकें, बल्कि निष्कर्ष निकालने वाली संस्था के रूप में गठित होनी चाहिए। अब यह माननीय गृह मन्त्री महोदय पर निर्भर करता है कि वे कैसे अपने इस चुनावी वादे को पूरा करते हैं। वादे तो बहुत सारे उनकी पार्टी पूरा करने का दावा करती है, कई सारे बिल लेकर आ रहे हैं, कई जल्दबाजी में, हाफ हार्टेडली अफर्ट्स भी कर रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली स्टेट बिल यहां पर लाया गया, उसके लिए जिस तरह से कंजुअल अप्रोच हुई है, जिस तरह से बिल का स्वरूप है, सिर्फ शब्द लिख देने से कोई लाभ नहीं होता, सिर्फ दिल्ली को स्टेट का नाम देने की बात सोची जा रही है, इस तरह से ये अपने कर्त्तव्य को पूरा कर रहे हैं। और इसीलिए उस बिल को समय पर प्रस्तुत करने में भी वे लोग हमेशा संकोच का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि अपना फायदा उठाना चाहते हैं। अपनी सहयोगी पार्टी के दबाव में कुछ भी करें··· (व्यवधान) लेकिन हकीकत यह है कि गृह मन्त्री जी यहां पर मौजूद हैं। कोई व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछकर देखे। इस सदन के सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो नहीं चाहते कि दिल्ली को स्टेटहुड मिले। आज समय आ गया है कि ऐसे मामलों को भी इस तरीके से यदि काउंसिल गठित करते हैं तो उसमें डिसकस करने की आवश्यकता है। मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया कि मैं कोई प्वांइट रेज करना चाहता हूं। कई सदस्यों से इस बारे में पूछा और जनता दल के सदस्यों से भी बात की है। आपको शंका है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अस्तित्व क्या होगा, अगर दिल्ली को स्टेटहुड मिल गया हो। यह माननीय सदस्यों की राय थी, मेरी नहीं है। अच्छा होता यदि काउन्सिल डिसाइड करती और उस पर बातचीत की जा सकती। कांग्रेस पार्टी के लिए यह कहना कि 42 साल से कांग्रेस दिखाई देती है और आज भी कई सदस्यों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज भी सरकार है। हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करते हैं। जिनके कंधे पर जिम्मेदारी को सौंपा गया है तो उनको अहसास कराना जिम्मेदारी हमारी है। सरकारिया कमीशन का गठन इस उद्देश्य से किया गया कि सरकार यह देखे कि उनको वे सारी सुविधाएं मिलें जिससे अपनी सिफारिश दे सकें। हमने इस बात की कोशिश की कि जो उनकी अंतरिम रिपोर्ट है, उसी आधार पर राज्यों से परामर्श ली जाए। राज्य सरकारों के परिवर्तन और कई राज्यों के अधिकारों से कोई सम्बन्ध नहीं होता। राज्य के अधिकारों का संबंध संविधान के अंदर बताया गया है। यह कहना कि कांग्रेस के समय में डिस्टार्टशन

हुआ तो उसका उदाहरण नहीं हो सकता। सरकारिया कमीशन को कई जिम्मेदारियां सौंपी गई और उन्होंने सब व्याख्या की है। गृह मन्त्री जी उन सिफारिशों पर विचार करके आगे कदम उठाएंगे। उन्होंने इण्टर स्टेट काउन्सिल गठित करने की बात नहीं कही है। कई राज्यों में डिस्प्युट पैदा होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में भी पैदा हो जाते हैं तो इस बारे में दूरगामी सिफारिशें की हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन सिफारिशों पर विचार और मनन होना चाहिए और नेशनल डिबेट होनी चाहिए। देश का जो हमारा ढांचा है और कठिनाइयां तथा दबाव इस समय हैं और विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां जगह-जगह उभर रही हैं। उससे यह संदेह होता है कि हमको और शक्तियों का संग्रह केन्द्र के साथ तो नहीं करना पड़ेगा। यह कहना भ्रम है कि शक्तियों और जिम्मेदारियों का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए। सिद्धांत जो इसमें हैं उसमें मतभेद नहीं हो सकते कि शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए। यदि ऐसी समस्याएं पैदी होती हों जिससे संघीय ढांचा खतरे में पड़ता हो और ऐसी प्रवृत्तियां पैदा करती हों जिससे देश की एकता और अखंडता के लिए चुनौती पड़े तो उसके लिए मुकाबला करना पड़ेगा। हम यह नहीं कह सकते कि हम अपने फेडरल सिस्टम व अपने इस ढांचे को मजबूत कर पाए हैं। राजनीतिक दृष्टि से इसको जोड़ने का काम करते हैं। हम लोग जोश में आकर कहते हैं कि आंख मूंद कर कराने की प्रवृत्तियों को लगा दों तो भगवान भली करेगा। इस प्रवृत्ति से काम लिया तो उसके घातक परिणाम हो सकते हैं। कहना बड़ा सरल है, कई सदस्यों ने यह बात उठाई कि आज जो राज्यों की समस्याएं हैं उनके पीछे यही कारण है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं और बड़ी गंभीरता से पूछना चाहता हूं कि कई जगह जहां राज्यों को अधिकार देने के मामले में कोई कोताही नहीं की गई वहां भी समस्याएं उठ रही हैं। जिनके लिए संविधान में अलग से प्रोविजन किया गया है वहां भी इस तरह की प्रवृत्तियां उठ रही हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे। आज हमारे देश को एकीकृत राष्ट्र के रूप में काम करने के लिए प्रवृत्तियों की और ज्यादा मजबूत करने के लिए इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि केवल यह कह देने से कि इण्टर स्टेट कौंसिल गठित कर दी जाए, इन समस्याओं का हल होने वाला नहीं है। हमें राज्यों के मन में यह भावना भरनी पड़ेगी कि वे गंभीरता से अपनी समस्याओं के बारे में सोचें। मैं कई राज्यों के वाटर डिस्पयुट के बारे में जानता हूं जिसमें अमुक राज्य इसलिए बाधा पैदा कर रहा है कि कहीं दूसरे राज्य को सहूलियत न मिल जाए। यदि मैं यहां पर उस मामले को उठाऊंगा तो कई माननीय सदस्यों को आपत्ति हो सकती है इसलिए मैं इस विवाद में नहीं जाऊंगा। यदि हम ऐसे मुद्दों पर गंभीरता से सोचें तो समस्याओं का हल हो सकता है। हम अपनी संकीर्ण भावनाओं से और क्षेत्रीय भावनाओं से ही सोचते रहें तो इसको केवल डिवेटिंग फोरम बनाकर समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता है। उस पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। वह तभी हो सकता है जब हम एक ऐसे ढांचे की कल्पना करें जिस ढांचे के अन्दर ऐसी स्थितियों में केन्द्र के पास कुछ ऐसा प्रोविजन हो कि जो निर्णय उसका हो वह मान्य होगा। यदि हमने इन्टरस्टेट कौंसिल बना दी और उसमें कोई मुद्दा आता है और उसमें वर्षों तक विचार करते रहें तो उससे क्या नतीजा निकलेगा। जिस तरह से इन्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आते हैं, केन्द्र सरकार मध्यस्थता करना चाहती है, लेकिन राज्य सरकारें न मानें तो यह भी समस्या का समाधान नहीं है।

वर्मा जी ने जो बातें कहीं हैं मैं सैद्धांतिक रूप से कोई मतभेद नहीं रखता, ऐसा भी नहीं है कि जनता दल के सदस्य ने यह बिल पेश किया है इसलिए मेरा कोई सैद्धांतिक मतभेद हो। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि कोई न कोई फोरम होना चाहिए, संसद और सेन्ट्रल केबिनेट के अलावा जहां राज्य आपस में आकर अपनी समस्याओं को मिल-कर बातचीत से हल कर सकें और अपने अधिकारों की वकालत कर सकें। लेकिन वह निर्णय लेने

वाला फोरम होना चाहिए, उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, जिसका यहां पर कोई उल्लेख नहीं है। यदि गृह मन्त्री जी समझते हैं कि उनके घोषणा-पत्र में उनकी पार्टी ने लिखा है वह गंभीरता के साथ लिखा है उसमें राजनीति नहीं है या यह सोचकर कि हमको तो सरकार में आना नहीं और अब आ गए हैं ये सारे कम्प्लीकेशंस नहीं हैं तो वे इस पर विचार कर सकते हैं और जो कौंसिल गठित की जानी है उसके पास ऐसे अधिकार होने चाहिए कि उसमें निर्णय हो तो राज्यों को वे मान्य हों।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल की भावना का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कई प्रमुख सदस्यों ने इस पर बोलने के लिए अपने नाम बिल्कुल अन्त में दिए हैं : मन्त्री जी, आप कितना समय लेंगे।

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : मैं दस मिनट का समय लूंगा।

सभापति महोदय : अतः मैं उन सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगी—जिनका मैं एक-एक करके नाम लूंगी—जिन्होंने बोलने के लिए अपने नाम दिए हैं कि उन्हें अत्यन्त संक्षेप में अपनी बात कहनी है चाहे वे अत्यन्त महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अब मैं श्री हरि शंकर महाले का नाम लूंगी कि वह अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

श्री हरि शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदया, मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ऐसे अवसर पर सांसद धर्मेश प्रसाद वर्मा ने जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश में विविधिता है और एकता भी है। एकता होते हुए भी कम ज्यादा झगड़े जो राज्यों के अन्तर्गत हैं। पानी के बारे में, कुछ विकास के बारे में है और कुछ सुधार के बारे में ऐसे झगड़े हैं। जैसे कई अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े हैं, उन झगड़ों को मिटाने के लिए यू० एन० ओ० एक महत्वपूर्ण संस्था है, वैसे ही राज्यों के आपसी छोटे-मोटे झगड़ों को मिटाने के लिए कोई महत्वपूर्ण संस्था होनी चाहिए। इसके साथ एक बात और भी है कि राज्यों में तो झगड़े होते ही हैं, कहीं-कहीं तो डिस्ट्रिक्ट में भी झगड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में पिछले 40 सालों में कांग्रेस सरकार रही है और आज भी है लेकिन वहां पर मराठवाड़ा, कोंकण तथा विदर्भ रीजन्स में ऐसे झगड़े हैं जिनके सामाधान नहीं होने के कारण उन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है। इसके लिए 15 अगस्त को संविधान मंडल की घोषणा करनी पड़ी।

महोदया, हमारे महाराष्ट्र में गोदावरी, कृष्णा नदियां बहती हैं लेकिन पानी के बारे में उनका उपयोग नहीं होता है। आंध्र प्रदेश में ही सारा पानी चला जाता है। इसके अतिरिक्त पार, नार, वाजड़ी तथा दमन नदियों का पानी भी गुजरात में चला जाता है। महाराष्ट्र से यह कहा गया कि हम बिजली की सुविधा देने की कोशिश करेंगे लेकिन पानी तक नहीं मिला और बिजली की सुविधा तो दूर की बात है। यदि इन चारों नदियों को पश्चिमी वाहिनी बना दिया जाए तो महाराष्ट्र में इनका उपयोग हो सकता है लेकिन गुजरात में मधुबनी बांध बना, उसकी सुविधा का उपयोग भी महाराष्ट्र को नहीं दिया गया है। अभी नर्मदा सरोवर बांध का कार्य होना है जिसमें महाराष्ट्र की भूमि भी

गयी है और मध्य प्रदेश की भूमि भी ली गयी है लेकिन सारे पानी का उपयोग गुजरात में होता है। यह अन्याय की बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि राज्यों को समान अधिकार देने के लिए कोई न कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो अन्तर्राज्यीय छोटे-मोटे झगड़ों को निपटाने में सहायता दे सके।

महोदया, अभी मंडल कमीशन के बारे में चर्चा की गयी। यह किस लिए ? समानता लाने के लिए ही है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि 263 धारा तो है ही लेकिन यदि कोई नई-नई समस्याएं आती हैं तो उसके लिए नए-नए मार्ग खोजना जरूरी है। इसके लिए बड़ी कमेटी रखनी चाहिए और राज्यों में जो पानी का झगड़ा है या विकास के कार्य करने हैं, उनको सुलझाने के लिए यह जरूरी है। महोदया, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : सभापति महोदया, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस विधेयक तथा इसके मुख्य उद्देश्य के समर्थन में अपनी बात कहने का अवसर मिला है जबकि आप इस सदन की अध्यक्षता कर रही हैं।

यह अत्यन्त खेद की बात है कि इन सभी वर्षों के दौरान जब से हमने संविधान पारित किया है, हमने इस मामले में विलम्ब किया है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। अनुवर्ती प्रधान मन्त्रियों का ध्यान ऐसी परिषद की आवश्यकता के बारे में दिया गया था। मेरे विचार से एक

5.00 म० प०

बार मेरे अच्छे पुराने मित्र पंत जी ने कहा था कि वह इसकी स्थापना करने जा रहे हैं। परन्तु तत्पश्चात समय-समय पर उन्होंने अनौपचारिक सम्मेलन बुलाए तथा कहा था कि इससे यह उद्देश्य पूरा हो जाएगा। परन्तु, इससे उनका वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता ने स्पष्टतः बताया है कि विभिन्न राज्यों में परस्पर विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। उनमें अनेक विवाद हैं। कुछ विवाद अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं तथा कुछ नहीं। इसके लिए कोई तंत्र नहीं है। कावेरी के जल के बंटवारे के संबंध में कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच विवाद चल रहा है।

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में श्री कृष्ण तथा गोदावरी नदी के जल के बंटवारे के संबंध में विवाद चल रहा है। ये झगड़े अभी भी जारी हैं। समय-समय पर मंत्री महोदय कहते रहे हैं कि वे संबंधित राज्य मन्त्रियों तथा मुख्य मन्त्रियों की बैठक करवाने तथा किसी समझौते पर पहुंचने में मदद कर रहे हैं। लेकिन, वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। केवल उन क्षेत्रों में, जहां पर कि मुख्य मन्त्री अपना पक्ष काफी दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत कर सके हैं जैसाकि एक तरफ आंध्र प्रदेश तथा दूसरी तरफ मद्रास के संबंध में हुआ था, हम उन विवादों का निपटान कर सकने और उन दावों के निपटाने में समर्थ हुए हैं जोकि उनमें विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में हुए आंदोलनों के बारे में किए गये थे। उदाहरण के लिए बेल्लारी कर्नाटक को ही दिया गया यद्यपि आंध्र प्रदेश इसको अपने राज्य में लेने के लिए काफी जोर देता रहा था। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश द्वारा बरहामपुर का भी दावा किया गया था परन्तु इसे उड़ीसा को दिया क्योंकि तत्कालीन मुख्य मन्त्री अपने अनुयायियों को नियंत्रित करने में पर्याप्त रूप से सक्षम थे तथा वे अपने विवाद निपटाने में भी समर्थ थे। अभी हाल ही में लोंगोवाल समझौते के अनुसार हरियाणा को दो ताल्लुक इस शर्त पर दे दिए गए कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। इस विवाद का समाधान नहीं किया जा सका क्योंकि दोनों तरफ के

मुख्यमन्त्रियों ने एक-दूसरे को तथा केन्द्र सरकार को भी धमकाना आरम्भ कर दिया था। यद्यपि हमारी प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी भी काफी सक्षम थीं परन्तु वह भी उनके साथ शांति स्थापित नहीं कर सकीं। अभी हाल ही में जो संकट उत्पन्न हुआ है वह इस कारण है क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब को नहीं दिया जाएगा तथा वे दो ताल्लुक हरियाणा को नहीं दिए गए। ऐसी ही घटनाएं पूर्वोत्तर भाग में भी घट रही हैं। जैसाकि आप जानते हैं कि वे व्यक्ति झगड़ालू हैं। बिना किसी बात के वे विवाद उत्पन्न करेंगे तथा वे इसे नाटकीय रूप भी दे देते हैं। वे उसी प्रकार की प्रवृत्ति तथा वातावरण में रहे हैं। मेघालय तथा आसाम के लिए अपने सीमा संबंधी विवाद का समाधान करना अत्यंत कठिन है। तत्पश्चात् नागालैंड को भी मेघालय, आसाम तथा अन्य पड़ौसी राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में किए गए अपने दावों को छोड़ने में भी काफी समय लगा। ये विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। इस विधेयक के अनुसार, परिषद को कोई अनिवार्य प्राधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह सिर्फ सिफारिश करने के लिए होगी। लेकिन इसके बावजूद शुरुआत तो करनी ही है। यह सही समय है जब इस दिशा में कुछ स्पष्ट और निश्चित कदम उठाए जाएं। मैं चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र गृह मंत्री जी इस अवसर को हाथ से न जाने दें और यदि वे इस विधेयक को, जिस रूप में यह अभी है, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो वह एक ऐसा अन्य विधेयक लाएं, जिसमें परिषद के लिए अधिक अधिकार, प्राधिकार और अधिक धनराशि का प्रावधान हो। इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कार्य करना चाहिए। मुझे खुशी है कि यहां एक सुझाव दिया गया है कि पांच वर्षों के लिए सचिव की नियुक्ति की जानी चाहिए और वास्तव में ऐसा ही किया जाना चाहिए। और उसे प्रधानमन्त्री की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाना चाहिए। फिर इसमें एक कार्यपालक अधिकारी और कार्यालय होना चाहिए। यह स्थायी हो। जब तक विवाद रहें यह परिषद कार्य करती रहे। नदी-जल, क्षेत्र, जनसंख्या आदि को लेकर समय-समय पर विवाद उठते रहेंगे। जब मैं जनसंख्या की बात करता हूं, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच दो शहरों को लेकर लम्बे समय से चली आ रही समस्या की ओर ध्यान जाता है। मैं इसका उल्लेख विशेष रूप से अभी करना चाहता हूं, क्योंकि एक बार हम भाषा के आधार पर अपने देश के ऐसे विभाजन की गलती कर चुके हैं कि एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के बीच जहां कि समान भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, सान्निध्यता होनी चाहिए। हमें उन पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच ऐसी ही बात पर हाल में समझौता हुआ था। श्रीलंका के दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग में तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। ये दोनों क्षेत्र साथ जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन क्योंकि दोनों में तमिल बोलने वाले लोग हैं अतः इन दोनों का एक राज्य में विलय कर दिया गया है। यदि ऐसा करना उनके लिए संभव है तो हमारे देश में ऐसा करना संभव क्यों नहीं है? उदाहरण के लिए बेलगाम और धारवार को लीजिए। ये दो शहर मुख्य रूप से मराठी भाषी क्षेत्र हैं और अभी तक वे कर्नाटक के अन्तर्गत हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ समय पूर्व किसी आयोग ने यह सुझाव दिया था कि वे समीपस्थ नहीं हैं और इसलिए वे पृथक रूप से कर्नाटक के अधीन कर दिए गए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि यह कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच हमेशा का विवाद बन गया। यहां तक कि जब दोनों जगह एक ही राजनीतिक दल सत्ता में होता है, तो भी उसके नेताओं द्वारा अपने समर्थकों को नियंत्रण में नहीं रखा जाता। अतः आवेश उत्पन्न होते हैं और झगड़े शुरू होते हैं। इस प्रकार की समस्यों का निदान हम कर सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने कुछ पूर्वाग्रहों से ऊपर उठें और फिर हम यह कहें कि उन शहरों को, जहां कि मुख्य रूप से मराठी बोली जाती है, महाराष्ट्र को सौंप दिया जाना चाहिए। दोनों जगहों की पुलिस और न्यायपालिका को किसी समझौते पर पहुंचना चाहिए ताकि समस्या को सुलझाया जा सके।

अब इस प्रकार की बातें उत्पन्न हो रही हैं और जहां तक लोगों की वास्तविक राष्ट्रभक्ति और विश्वास का संबंध है, इन बातों से उनके आवेश भड़क रहे हैं तथा ये बातें उनके सहयोग तथा एकता की भावना को नष्ट कर रही है। अतः इस प्रकार की ही अन्तर्राज्यीय परिषद की आवश्यकता है। हमारे संविधान-निर्माताओं ने इसका अनुमान पहले ही लगा लिया था और अभी भी राजनेता चाहें वे कितने भी महान क्यों न हों, कुछेक कारणों से राजनीतिक दुर्बलताओं से ग्रसित हो जाते हैं तथा हमें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कम से कम परिषद की स्थापना करने का उचित समय है। यदि मेरे माननीय मित्र, इस दिशा में पहले उपाय के रूप मे, इस विधेयक को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दूसरी ओर यदि वे समझते हैं कि इससे समस्या का निदान नहीं हो सकता है और वह सरकार को उचित सलाह देंगे तो उन्हें इसके लिए उचित समय लेना चाहिए और फिर इसी आधार पर एक विधेयक पेश करना चाहिए। पूर्व की सरकार से भिन्न यह सरकार उन सब मुद्दों पर जो महत्वपूर्ण हैं अथवा नहीं, एक के बाद एक विधेयक पेश करने पर ज्यादा उत्सुक है। इसलिए उन्हें इन सब मुद्दों के संदर्भ में विधेयक पेश करने की उनकी प्रक्रिया का पालन करने देना चाहिए। उन्हें इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए।

सभापति महोदय : अब चर्चा का समय समाप्त होता है। सिर्फ चार मिनट बाकी रह गए हैं। चार नाम अभी भी रह गए हैं और माननीय मन्त्री महोदय को भी इस बीच बोलना है। इन बातों को देखते हुए क्या हमें समय बढ़ाना चाहिए ?

श्री हरीश रावत : हमें दो घंटे या कम से कम एक घंटा समय बढ़ा देना चाहिए। इससे माननीय गृह मन्त्री महोदय को अन्तिम विचार प्रकट करने का समय मिल जाएगा।

सभापति महोदय : यह गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक है। अब मुझे सभा की राय जाननी है।

अनेक माननीय सदस्य : समय को आधे घंटे के लिए बढ़ाया जा सकता है।

सभापति महोदय : ठीक है, समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। अब मैं बाकी सदस्यों को बहुत ही कम समय दे पाऊंगा। वे सिर्फ दो या तीन मिनट का समय ले सकते हैं और शीघ्रता-पूर्वक अपनी बातों को कह सकते हैं। मैं सभी वरिष्ठ नेताओं से क्षमा याचना करूंगा। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है।

श्री ए० एन० सिंह देव (आस्का) : सभापति महोदया, मैं इस विधेयक के सिद्धांत का समर्थन करता हूं, क्योंकि इस अनुच्छेद के पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना के उद्देश्य से इसे हमारे संविधान में समाविष्ट किया गया था। महोदय, हमारा संविधान लागू हुए तीस से भी अधिक वर्ष बीत चुके है, फिर भी अभी तक यह अनुच्छेद लागू नहीं किया गया है तथा परिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति की ओर से कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। सबसे पहले सरकार को 28 मई को आदेश जारी करने के लिए बधाई देने से पूर्व, मुझे अपने मित्र श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा जी को बधाई देनी है, जो संविधान में संशोधन करने हेतु इस विधेयक को लाए, जिसे उन्होंने मार्च में प्रस्तुत किया था। फिर इसके बाद सरकार ने आदेश जारी किया है। लेकिन मैं देखता हूं कि राष्ट्रपति का यह आदेश दस्तूरी रूप से जारी किया गया है। इसमें कोई भी अधिकार या शक्ति निहित नहीं है। यह समझने के लिए कि संविधान में अनुच्छेद

263 क्यों समाविष्ट किया गया है, हमें यह जानना चाहिए कि हमारा देश एक संघीय राज्य है। यह सकारात्मक राज्य नहीं है। और एक संघीय राष्ट्र के रूप में देश में विभिन्न स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो संविधान की संघीय संरचना को बनाए रखने के लिए संघ सरकार के साथ सहयोग करती है। यही कारण है कि इस अनुच्छेद 263 को समाविष्ट किया गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश अनेक सदस्यों ने यह पूछा है कि इसे पहले क्यों नहीं लागू किया गया था। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि स्वतन्त्रता के पश्चात, सिर्फ एक दल ही केन्द्र और साथ ही साथ राज्यों में भी शासन कर रहा था। शायद इसी कारण ही यह अनुच्छेद लागू नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत विचारे जाने वाले विवादों और अन्य मामलों का निपटारा दल के आदेश द्वारा ही से जाता था। अतः पूर्व की सरकार ने इस अनुच्छेद को लागू करने के बारे में विचार नहीं किया। लेकिन आपको यह महसूस करना चाहिए कि इसके पश्चात् देश में राजनीतिक गतिविधियों में परिवर्तन हो चुका है। यह सरकार विभिन्न दलों से मिलकर बनी है। केन्द्र में विभिन्न दलों के समर्थन से सरकार बनी है तथा अन्य राज्यों में विभिन्न दल मिलकर सरकारें बना रहे हैं। इसलिए इस परिषद के गठन की आवश्यकता हुई है। लेकिन इस परिषद को अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए तथा इसका सुनिश्चित प्रयोजन होना चाहिए। मूल अनुच्छेद 263 में कहा गया है : "राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हों उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने"। अधिसूचना में इस प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है। अन्तर्राज्यीय परिषद के गठन में शामिल नहीं रहने पर यह निकाय विवादों को निपटाने में सहायक नहीं हो सकता।

दूसरा, इस निकाय के सिफारिशों के संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसका कोई वैधानिक कार्य नहीं है। यह कोई वैधानिक निकाय नहीं है। हमारे मित्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन में यह कहा गया है कि परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री को यह सलाह देना चाहूंगा कि उनके द्वारा यह स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा और ये अनुमोदित निर्णय ही अन्तिम होंगे। जब तक आप इस निकाय को कोई संवैधानिक महत्व नहीं देंगे अथवा दूसरे कानून के द्वारा किसी ऐसे अन्य निकाय का गठन न कर लें, जिसका संवैधानिक तथा कानूनी आधार भी हो, दो राज्यों के बीच का विवाद, अन्तर्राज्यीय समस्याओं तथा संघीय-राज्य समस्याओं तथा इन विवादो पर चर्चा का प्रयास निरर्थक होगा। इस विचार पर केवल सरकारिया आयोग ने ही जोर नहीं दिया, बल्कि सरकार द्वारा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार समिति ने भी अनुच्छेद 263 को भी अविलम्ब लागू करने की सिफारित की थी।

महोदया, जैसाकि मैंने वादा किया था, मैं अपनी बात अब समाप्त कर रहा हूं। मेरा यह सुझाव है कि सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाना चाहिए, ताकि इस अन्तर्राज्यीय परिषद को, जिसका गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है, आदेशात्मक शक्ति प्राप्त हो तथा इसके सिफारिशों को पूर्णतः अनिवार्य बना दिया जाए।

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि मैं किस अन्य सदस्य को अब बोलने की अनुमति नहीं दे सकती।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा (भीलवाड़ा) : महोदया, कृपया मुझे केवल तीन मिनट का समय दें।

सभापति महोदय : आपने मुझे यह अवसर दिया है। अब आप कृपया मुझे सहयोग दें।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा : महोदया, मुझे केवल तीन मिनट का समय दें। मुझे एक ही बात कहनी है।

सभापति महोदय : महोदय, मुझे क्षमा करें। मैं किसी भी अन्य सदस्य को समय देने की स्थिति में नहीं हूं। अब मन्त्री जी बोलेंगे।

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदया, यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 263 के वर्तमान प्रावधानों का स्थान लेगा। संविधान का अनुच्छेद 263 एक समर्थक प्रावधान है और यह विधेयक इसे अनिवार्य बनाएगा और इसमें अन्तर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 263 में प्रावधान है कि :

> "यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी जिसे—
>
> (क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हों उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने;
>
> (ख) कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार-विमर्श करने; या
>
> (ग) ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतया, उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने।"

5.19 म० प०

[श्री जसवन्त सिंह पीठासीन हुए]

सरकारिया आयोग ने भी अपनी सिफारिशों में कहा है कि अन्तर्राज्यीय विवादों के निपटारे के लिए अन्तर्राज्य परिषद की स्थापना पूर्णतया आवश्यक है। सीमा विवाद, जल वितरण विवाद और अन्य मामलों जैसे कई तरह के अन्तर्राज्यीय विवाद होते हैं। मुझे यह कहना है कि राष्ट्रपति ने आदेश दिए हैं और हम लोगों ने अन्तर्राज्य परिषद की स्थापना की है। मेरे विचार से परिषद की स्थापना की है। मेरे विचार से परिषद की संरचना इस गैर-सरकारी विधेयक में दिए गये सुझाव के अनुरूप ही की गई है। इस परिषद के सभापति प्रधानमन्त्री होंगे और कुछ केन्द्रीय मन्त्री भी— अधिकतम छह परिषद के सदस्य होंगे। यह निर्णय किया गया है कि एक वर्ष में कम से कम तीन बार परिषद की बैठक होगी। और वास्तव में अब बंगलौर में अन्तर्राज्य परिषद की एक बैठक होनी थी, जिसे संसद के इस सत्र के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह सच है कि परिषद को सिफारिश करने की शक्तियां है। यह परिषद सिफारिश करने वाली निकाय होगी और उस क्षमता से यह निम्न-लिखित कार्य करेगी :—

(क) ऐसे विषयों की, जो भी परिषद के समक्ष लाए जाएं जांच और उन पर विचार-विमर्श, जिनमें कुछ अथवा सभी राज्य या संघ तथा एक या अधिक राज्यों का समान हित जुड़ा हो;

(ख) ऐसी किसी भी विषय पर सिफारिशें करना तथा विशेषकर उस विषय पर ऐसे सुझाव देना, जिससे नीति और कार्यान्वयन में बेहतर समन्वय हो सके; और

(ग) परिषद के सभापति द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया राज्यों के सामान्य हित के ऐसे किन्हीं भी अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करना ।

परिषद की प्रक्रिया : परिषद अपने कार्य संचालन में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करेगी :—

(क) परिषद उन मुद्दों के चुनाव और पहचान के लिए निर्देश तैयार करेगी जिन्हें इसके समक्ष रखा जाना है;

(ख) परिषद प्रति वर्ष तीन बार बैठक आयोजित करेगी तथा सभापति इसके लिए समय और स्थान निश्चित करेंगे;

(ग) परिषद की बैठकें बन्द कमरे में होंगीं;

(घ) परिषद की बैठक के लिए (सभापति सहित) दस सदस्यों का होना आवश्यक है;

(ङ) परिषद के समक्ष प्रस्तुत सभी विचारार्थ प्रश्नों का निर्णय आम राय से किया जाएगा तथा इस संबंध में सभापति का निर्णय अन्तिम होगा; और

(च) परिषद अपने कार्य के संचालन में, केन्द्रीय सरकार की सहमति से, समय-समय पर निर्धारित प्रक्रियाओं को अपना सकती है ।

परिषद का सचिवालय : परिषद का एक सचिवालय होगा, जिसमें ऐसे अधिकारी और कर्मचारी तैनात होंगे, जिन्हें सभापति नियुक्त करना उपयुक्त समझेंगे ।

मैं बताना चाहता हूं कि आजादी के 43 वर्षों बाद पहली बार अन्तर्राज्य परिषद की स्थापना की गई है । हमें इसे कुछ समय देना होगा । यह सच है कि उक्त परिषद एक सिफारिशी निकाय है और इसकी सिफारिशों को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है । लेकिन इसे हमें कुछ समय देना होगा, क्योंकि प्रधानमन्त्री इस परिषद के सभापति हैं तथा अन्तर्राज्यीय विवादों और सामान्य हित के मामलों के अतिरिक्त कई ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं । राष्ट्रीय विकास परिषद से बढ़कर एक अलग मंच है । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे विधेयक को वापस ले लें । यदि माननीय सदस्यों द्वारा कोई सुधार किए जाते हैं या कोई सुझाव दिए जाते हैं, तो उनका स्वागत है, लेकिन मैं माननीन सदस्य श्री वर्मा से निवेदन करता हूं कि वे विधेयक को वापस ले लें ।

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : महोदय, मेरे विधेयक पर सदन में हुई चर्चा से यह स्पष्ट है कि मेरे विधेयक में अंतर्विष्ट साधारण और अनापत्तिजनक प्रावधानों पर पूर्ण मतैक्य है ।

मैं माननीय सदस्यों को एकमत से विधेयक का समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं । मैं अपने विधेयक का समर्थन करने के लिए प्रमुख राजनीतिज्ञ और सांसद प्रो० रंगा का आभारी हूं । प्रो० रंगा के समर्थन से मेरे विचारों को असाधारण बल मिला है । जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है कि वर्तमान सरकार इस प्रकार के संस्थान को स्थापित करने की आवश्यकता पहले ही महसूस कर चुकी है और वाद-विवाद में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने इस बात पर बल दिया है कि संविधान में इसे स्थायी तौर पर शामिल करने की आवश्यकता है । श्री मान्धाता सिंह जी ने पहले ही स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे संविधान के संघात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने और इससे संरक्षण के लिए इसकी आवश्यकता है । हमारे लोकतन्त्र का विकास मुख्यत: इस मान्यता पर आधारित है कि हमारे राष्ट्र में

भिन्न-भिन्न संस्कृतियां, भाषाएं और जातियां हैं जिनकी अपनी आवश्यकताएं और आकांक्षाएं हैं। यदि सरकार मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती तो अच्छा होता लेकिन, एक अनुशासनप्रिय सदस्य के रूप में माननीय गृह मन्त्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा दिए गए आश्वासन का सम्मान करना मेरा कर्त्तव्य है और मैं चाहता हूं कि वह मेरे द्वारा प्रस्तुत विधेयक की भावना के अनुरूप कार्यवाही करेंगे। मैं इस आशा के साथ अपना विधेयक वापस लेता हूं कि सरकार सही भावना से अपने आश्वासन को पूरा करेगी।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

5.27 म० प०

नि:शक्त व्यक्ति (पुनर्वास तथा कल्याण) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम अगली मद पर विचार करेंगे।

श्री उत्तम राठौड़।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मुझे, मेरे द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। यह विधेयक हमारे देश में नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण से संबंधित है। आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण अनेक लोग विकलांग हैं। कुछ व्यक्ति नेत्रहीन हैं और मुझे बताया गया है कि केवल नेत्रहीनों की संख्या ही लगभग 70 लाख है। अनेक व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग हैं और अनेक शारीरिक रूप से विकलांग हैं। इस प्रकार, शारीरिक रूप से विकलांग ये व्यक्ति समाज की सही रूप से सेवा नहीं कर पाते। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विकलांगता के कारण हानियां उठानी पड़ती हैं। यह विधेयक समाज में ऐसे व्यक्तियों को स्थान दिलाने हेतु सहायता करने से संबंधित है ताकि वे समाज के कल्याण के लिए अपना योगदान कर सकें। ऐसा करने के लिए इस विधेयक में मैंने कुछ सुझाव दिए हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उनके लिए जो 3 प्रतिशत आरक्षण किया गया था वह अब समाप्त हो गया है। मंडल आयोग की रिपोर्ट में भी यह नहीं किया गया है।

श्री उत्तम राठौड़ : मैं जानता हूं। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक परिषद गठित की जानी चाहिए जिसमें विभिन्न विभागों के सचिव हों। इस विधेयक के अनुसार विकलांगों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद होनी चाहिए जो इस संस्थान के कार्यकलाप की जांच करेगी और भिन्न-भिन्न योजनाएं बनाएगी ताकि निष्क्रिय अथवा विकलांग व्यक्तियों की प्रतिभाओं का समाज की बेहतरी के लिए उपयोग किया जा सके। महोदय, हमने देखा है कि जन्मांध व्यक्तियों ने भी हमारे राष्ट्र के विकास में काफी योगदान किया है। 'नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड', 'रॉयल कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड' जैसे संस्थान···

सभापति महोदय : धन्यवाद, श्री राठौड़। आप अगली बार बोल सकते हैं।

अब हम अगली मद पर विचार करेंगे। अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

डा० असीम बाला।

5.31 म० प०

आधे घंटे की चर्चा

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा ली गई पूंजीगत निधि

डा० असीम बाला (नव द्वीप) : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न सरकारी क्षेत्र के एक प्रमुख औषध उद्योग, 'इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड' द्वारा वर्ष 1986-87 से 1989-90 के दौरान ली गई पूंजीगत निधि के बारे में है। मन्त्री महोदय द्वारा दिनांक 28-8-1990 को दिए गए उत्तर से यह पता चलता है कि वर्ष 1986-87 से 1989-90 की अवधि के दौरान 'इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड' ने कुल 28.8 करोड़ रुपए लिए। मंत्री महोदय के उत्तर में यह बताया गया है कि वास्तव में केवल 8.43 करोड़ रुपए व्यय किए गए। मन्त्री महोदय से यह पूछने के लिए प्रश्न किया गया है कि शेष 20.37 करोड़ रुपये का कैसे उपयोग किया गया। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है।

'इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड' ने पूंजीगत कार्यों के लिए निधि ली है। प्रश्न यह है कि ऐसा जानबूझकर किया गया अथवा अचानक ही ऐसा हो गया। यदि लगातार चार वर्षों तक ऐसा किया गया है तो इसे जानबूझकर किया गया माना जाएगा। यह जानबूझकर किया गया था। यह एक गंभीर चूक है बल्कि 'आई० डी० पी० लि०' के प्रबन्धकों विशेषरूप से अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक और वित्तीय निदेशक द्वारा किया गया अपराध है। जब से वर्तमान अध्यक्ष ने इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में पदभार संभाला है तब से वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान इसे 110 करोड़ रुपये का कुल घाटा हुआ है। यह संसद में दिए गए वक्तव्य के अनुसार है। इस प्रथा को वर्ष-दर-वर्ष जारी रखने के लिए इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के साथ-साथ मंत्री महोदय सहित मन्त्रालय के सचिव, इनके वित्तीय सलाहकार और बजट बनाने संबंधी स्टाफ भी दोषी है। सभी इस खामी के दोषी हैं। संक्षेप में, यह पता चलता है कि शुरू से आखिर तक पूंजीगत निर्माण कार्यों का प्रमाणीकरण जाली ही था। इस संबंध में संसद को गुमराह किया गया है। यह 20 करोड़ रुपये की राशि का मामला है। इसका किस प्रकार से उपयोग किया गया ?

यह स्वीकार किया गया कि ऐसा कम्पनी के घाटे को पूरा करने के वास्ते किया गया, क्योंकि अन्य किन्हीं स्रोतों से यह घाटा पूरा नहीं हो सकता था। अपने बैंकरों अथवा वित्त मन्त्री को अतिरिक्त कोष की मांग का औचित्य बताने के स्थान पर, आपने वित्त मन्त्री महोदय को धोखा दिया और पूंजीगत निर्माण कार्यों के नाम पर धन लेकर उसका दुरुपयोग किया।

क्या मैं पूछ सकता हूं कि पूंजीगत निर्माण कार्यों का क्या हुआ ? क्या उन्हें पूरा नहीं किया गया ? यदि हां तो उस उद्देश्य का क्या हुआ, जिसके लिए प्रारम्भ में धन लेने का औचित्य बताया गया था ?

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का प्रबंध मण्डल न केवल निधियों के संबंध में ही अनाचार कर रहा है, बल्कि प्रशासन के मामले में भी वह ऐसा ही कर रहा है। वे, कई बार मनमाने ढंग से कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी कर देते हैं। कभी कर्मचारियों को निलम्बित कर देते हैं। कभी कुछ एजेंटों की नियुक्ति कर देते हैं। उन्होंने कुछ एजेन्टों की पिछले संसदीय चुनाव से तीन माह पहले ही नियुक्ति की थी। प्रश्नकाल के दौरान मैंने उन एजेंटों के नाम पूछे थे। माननीय पेट्रोलियम और रसायन मंत्री महोदय ने उन एजेंटों के नाम नहीं बताए बल्कि भिन्न-भिन्न राज्यों में नियुक्त कुल एजेंटों की संख्या बता दी। अनेक अन्य अनाचार भी किए गए हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मुझे और सदन को पूंजीगत-निधि और उसके उपयोग के बारे में लेखा परीक्षा रिपोर्ट दें।

इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्री महोदय के लिए यह बिल्कुल उचित होगा कि वह इस मामले की विस्तार से जांच करने के लिए एक समक्ष समिति गठित करें। इसका अर्थ है कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड दिवालिया है और इस भ्रष्टाचार के लिए सरकार से बेईमानी से धन ले रही है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठाता महोदय, मैं यह समझ पाने में बिल्कुल असमर्थ हूं कि कैपिटल वर्क के लिए जो पैसा दिया गया, उस पैसे का उपयोग लायेंस को मीट करने के लिए आई० डी०पी०एल० को करना पड़ा और उसमें भी जितना अमाउंट सेंक्शन किया गया, उसका मेजर पोर्शन, 28.8 करोड़ में से 20.37 करोड़ लायेंस को मीट करने के लिए खर्च किया गया। इसमें सवाल यह है कि आई०डी०पी०एल० ही नहीं, दूसरे जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनमें यही प्रवृत्ति पाई जाने लगी है। कैपिटल वर्क्स के नाम पर जो पैसा सेंक्शन किया जाता है, उस पैसे का उपयोग लायेंस मीट करने के लिए, इनएफिशेंसी की वजह से होते हैं, किया जाता है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आखिर इसका कोई न कोई जस्टीफिकेशन होना चाहिए, जो उत्तर मंत्री महोदय ने दिया है, उसमें उन्होंने किस आधार पर जस्टीफाई किया है, यह नहीं बताया, कृपया वह बताने का कष्ट करें कि क्यों कैपिटल वर्क के नाम पर सेंक्शन किए गए पैसे का उपयोग लायेंस को मीट करने के लिए किया गया, क्या अरजेंसी आ गई थी और जिस काम के लिए पैसा सेंक्शन किया गया, उस काम को कैसे पूरा किया गया, आगे इसके विषय में मंत्री महोदय क्या करने जा रहे हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस उद्देश्य के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है, वह उद्देश्य था कि मस्टीनेशनल्स लाइफ सेविंग्स ड्रग्स के विषय में सौदेबाजी न कर सकें, हमें ऐसी स्थिति में न ला दें कि हमको उनकी सारी बातों को मानना पड़े। मुझे लगता है कि आज इनको गवर्नमेंट का वाजिब सपोर्ट नहीं नहीं मिल पा रहा है, स्टेट गवर्नमेंटस, इनसे परचेज नहीं कर रहीं या पेमेंट में कोई दिक्कत आती है, कारण कोई

भी रहे हों, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आई० डी० पी० एल० को खड़ा किया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। जितनी उम्मीद थी, उस उम्मीद को यह संस्था पूरी नई कर पाई है।

महोदय, इस समय लाइफ सेविंग ड्रग्स की इतनी कमी है, उस कमी को यह कम्पनी पूरा नहीं कर पाई है। यदि कम्पनी के पास संसाधनों की कमी थी तो सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए थी, मंत्रालय को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन लगता है कि मिनिस्ट्री और आई०डी०पी०एल० के बीच इक्वेशन की कमी है, लेकिन कारण जो भी रहे हों, चाहे मल्टी नेशनल्स का दबाव इतना जबरदस्त रहा हो, मगर नतीजा यही है कि आई०डी०पी०एल० इस कमी को पूरा नहीं कर पा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आखिर इस कमी को दूर करने के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इस कम्पनी को खड़ा किया गया था, उसकी पूर्ति करने के लिये क्या कदम उठाने जा रहे हैं। जो इनएफिशेंसी आई है, जिसके कारण लासेस हो रहे हैं, वहां वर्कर्स परेशान हैं, सुपरवाइजर्स परेशान हैं, जिनको वास्तव में काम करना होता है, वे परेशान हैं और जो टाप मैनेजमेंट है, उस को आप एक्सपेंड करते जा रहे हैं, उनकी फैसिलिटीज बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, इनको तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। बी० पी० ई० की गाइड-लाइन के बावजूद और उसके अनुसार सर्कुलर इश्यु किया गया और उसके अनुसार ही वह मामला सेटल नहीं हुआ है। तय नहीं हो पा रहा है और काफी लम्बे समय से पड़ा हुआ है। इसके कई कारण हैं जिससे लास हो रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम इस आसपेक्ट को देखने की कृपा करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया स्पष्टीकरण ही मांगिए।

श्री सुधीर गिरि (कोल्हाई) : सभापति महोदय, अक्सर हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध शिकायत करते रहते हैं क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपना महत्व खोते जा रहे हैं और देश के राजकोष को हानि पहुंचा रहे हैं। इसलिए जब सरकार ने सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को निजी क्षेत्र में देना प्रारम्भ किया, तो हमें सरकार से कोई उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि निधियों का कुप्रबंधन और दुरुपयोग ही सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के घाटे के लिए उत्तरदायी है। इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि० का उदाहरण हमारे सामने है। कुछ व्यक्ति, जो देशभक्त हैं और जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से औद्योगीकरण चाहते हैं, फैक्ट्रियों में लम्बे समय से चल रहे भ्रष्टाचार और कुबन्धन के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। इस फैक्टरी द्वारा किए जा रहे कदाचारों को उजागर करने के लिए दिल्ली में वर्ष 1983 में एक कन्वेन्शन हुई थी। कर्नाटक सरकार ने भी श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मैं रिपोर्ट के पूरे ब्यौरे के बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं इसमें से केवल एक पंक्ति उद्धृत करना चाहता हूं। आपकी अनुमति से, मैं यह उद्धृत करता हूं :—

> "चूंकि जांच का कार्यक्षेत्र इस अर्थ में सीमित है कि पक्षकारों की उपस्थिति और दस्तावेज प्रस्तुत करना बाध्यकारी नहीं किया जा सकता है, अतः ऊपर आंकलित 7.03 लाख रुपये की राशि तथा मै० इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि० और इसके वितरकों की कमीशन की जो सरकार को हानि हुई है, उसके लिए ई० एस० आई० एस० के प्रत्येक अधिकारी का विनिर्दिष्ट दायित्व निर्धारित करना संभव नहीं है।"

मेरा प्रश्न है : जब इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के कर्मचारी अपने उत्पादों

की बिक्री के लिए अस्पतालों और सरकार से संपर्क स्थापित करने के लिए सक्षम है, तो बिचौलिए नियुक्त करने का क्या उपयोग है ? अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऐसे बिचौलिए क्यों नियुक्त किए जा रहे हैं। ये बिचौलिए राजकोष और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कोष को हानि पहुंचा रहे हैं। मेरा विचार है कि कर्नाटक सरकार द्वारा गठित जांच समिति विस्तार पूर्वक जांच करने के लिए सक्षम नहीं थी। अतः मैं सरकार से अपील करता हूं कि मेरे प्रस्ताव पर विचार करे कि इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि० के कार्यकरण की जांच के लिए एक उचित जांच समिति गठित की जानी चाहिए, ताकि सरकारी क्षेत्र का उपक्रम राष्ट्र हित में कुशलता और लाभप्रदता के साथ चल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रो० यदुनाथ पांडेय (हजारीबाग) : आई० डी० पी० एल० सरकार की प्रमुख कम्पनी है और यह जो बिचौलियों को बहाल करती है उसके बारे में जैसा अभी हरीश रावत जी कह रहे थे कि जो टाप मैनेजमेंट है उनको सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन जो नीचे के कर्मचारी हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने चार सालों का ब्यौरा दिया है। 1987 से 90 तक जो राशि दी गई उसमें वर्षवार 1987 से लेकर 90 तक उतनी राशि खर्च नहीं हुई। 1990 तक वही हाल रहा तो उसका क्या कारण है। करीब-करीब 29 करोड़ रुपए दिए थे और लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। क्या हम ऐसा विश्वास रखें कि यह जो 1986 से 1990 तक की रिपोर्ट है और जब यह सबमिट हुई तो आने वाले समय में जब 1990-91 की रिपोर्ट आएगी उसमें सम्पूर्ण राशि खर्च होगी और इस तरह की जो गलतियां हुई हैं जिससे पूरी राशि खर्च नहीं हो पाई है वह खर्च हो पायेगी। मन्त्री जी ने बताया है कि नकद हानियों को पूरा करने के लिए कम्पनी द्वारा विगत राशि से कुछ राशि का प्रयोग किया गया, क्या सरकार नकद हानियों को पूरा करने के लिए कोई विचार कर रही है, यदि हां तो उसका प्रारूप क्या है ? क्या सरकार इस तरफ ध्यान देगी कि जो आई० डी० पी० एल० को रुपया दिया जाए इस योजना के तहत, उसको ईमानदारी के साथ खर्च किया जाए ? क्या इस सम्बन्ध में समय-समय पर जांच की जाती है, अगर की जाती है तो मन्त्री महोदय उसका स्पष्टीकरण दें, नहीं की जाती है तो उसका कारण क्या है ?

कर्नाटक के लेबर कमिश्नर ने एक रिपोर्ट सब्मिट की थी उसमें आपने बताया था कि बिचौलिए बीच में पैसा खा जाते हैं। पिछली सरकार के जो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री थे उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम 100 प्रतिशत जनता के सामने भेजते हैं, लेकिन बीच के आदमी 85 प्रतिशत खा जाते हैं और केवल 15 प्रतिशत जनता तक पहुंचता है। यह जो कम्पनी बिचौलियों के माध्यम से अस्पतालों में दवायें सप्लाई करती है, दवाओं के जरूरत से ज्यादा दाम दिए जाते हैं, जो दाम होता है उससे बढ़ाकर लिया जाता है। इसका जो आयात होता है हम चाहेंगे उसको प्रकाशित किया जाये और उसकी सी० बी० आई० से जांच होनी चाहिए। 1985-86, 1986-87 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में आई० डी० पी० एल० की दवाओं की खरीद-बिक्री की जांच पड़ताल की। जांच समिति के अनुसार छानबीन से पता चला कि आई० डी० पी० एल० को आर्डर दिये गये, लेकिन मैं० आई० मेडिकल्स, मैसर्स महेन्द्रा ड्रग हाउस, मैसर्स मैन्स इन्टरप्राइजेज और मैं० चिगेत्री एंड सन्स ने भारी मात्रा में दवाओं की पूर्ति की। आई० डी० पी० एल० के आर्डर की निजी कम्पनीज के जरिए आपूर्ति बढ़ती गई और 1987-88 में आई० डी० पी० एल० ने 58,987 रुपये की दवायें दीं जबकि उसके आर्डर

पर रिजी कम्पनी आई० मेडिकल्स ने 6,72,825 रुपए और चिगेत्री एंड संस ने 2,.2,568 रुपए के दवाओं की आपूर्ति की। जांच रिपोर्ट के अनुसार एम्पीसीलिन (250 मि० ग्रा०) का कुल 3,37,228 रुपये, टेट्रासाइक्लिोन (250 मि० ग्रा०) का कुल 32,95 रुपए, मिथाइलडोपा का कुल 3,16,187 रुपए और सक्सी का कुल 68,047 रुपए ज्यादा वसूला गया। इस प्रकार ई० एस० आई० के कुल 7.63 लाख रुपए मारे गए। ये रुपये आई० डी० पी० एल० के पास भी नहीं आए, बल्कि आई० डी० पी० एल० और ई० एस० आई० अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण निजी दवा कम्पनीज के पास गये। हम चाहते हैं कि घाटे और कुव्यवस्था के लिए आई० डी० पी० एल० प्रसिद्ध हो गई और इसमें जो घाटा हो रहा है दूसरे राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्था न हो जाये इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

[अनुवाद]

डा० राम चन्द्र डोम (बीरभूम) : सभापति महोदय, मेरे विचार से डा० असीम बाला द्वारा उठाया गया मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, क्योंकि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड भारत सरकार का एक ऐसा प्रतिष्ठान है जो औषधों का उत्पादन करता है। इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनेक जीवन रक्षक औषध बनाई जाती हैं। इसी उपक्रम के कारण देश के आम और गरीब व्यक्तियों को सस्ते दामों पर जीवन रक्षक औषधियां मिल जाती है। इसीलिए यह हमारे राष्ट्र की एक उपलब्धि है। यह हमारे राष्ट्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का एक सटीक उत्तर है।

इसी उद्देश्य से यह कंपनी स्थापित की गई थी। लेकिन यह खेद की बात है कि इस उपक्रम का वर्तमान प्रबन्ध-मंडल, इस कंपनी के उच्च अधिकारी अधिकांशतः भ्रष्ट हैं और उनके कुप्रबन्धन और भ्रष्टाचारों के कारण सकल उत्पाद में गिरावट आई है।

मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं।

सभापति महोदय : कृपया उदाहरण नहीं दीजिए, केवल स्पष्टीकरण मांगिए।

डा० राम चन्द्र डोम : अनेक सदस्यों ने इस ओर ध्यान दिलाया है लेकिन मैं इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहता। आप जानते हैं कि इस कम्पनी के वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति से पहले वहां सुचारू से कार्य होता था। लेकिन इस प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के बाद इन्होंने बिचौलिया प्रथा प्रारम्भ कर दी। बिचौलिया प्रथा·····

सभापति महोदय : हमें मालूम है इसका क्या मतलब है।

डा० राम चन्द्र डोम : गैर अधिकारिक लोगों को और प्राइवेट एजेंसियों को कमीशन देकर दवाइयों की कीमतें बढ़ाने का मतलब व्यवस्था में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है और इससे राजकोष को भी हानि होती है। इससे पहले हमारे मेडिकल रिप्रेजन्टेटिव यह कार्य कर सकते थे। अब बिचौलियों को अधिक धन मिल रहा है इससे उनकी जेबें भर गयी है।

मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि बिचौलिये की यह व्यवस्था अब भी क्यों विद्यमान और जारी है। मेरी यह मांग है कि बिचौलिये की इस व्यवस्था और एजेंसी व्यवस्था को तुरन्त समाप्त किया जाए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस महानिदेशक के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों की जांच करेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सभी आरोपों की जांच करेगी या नहीं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट के लिए बोलने दिया जाये ।

सभापति महोदय : मैं पता लगाता हूं, कि मन्त्री महोदय कितनी देर तक बोलेंगे ।

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भजमन बेहेरा) : दस मिनट ।

सभापति महोदय : अत: मैं आपको एक मिनट ही दूंगा ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : ठीक है, काफी है ।

सभापति महोदय : मुझे अफसोस है कि मुझे अभी यह सूचना दी गई है कि औपचारिक रूप से आपका नाम प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैंने अपना नाम दिया था अन्यथा मैं समय नहीं मांगता ।

सभापति महोदय : यह मेरी गलती है। मुझे सूचना दी गई है कि बैलेट में आपका नाम नहीं था । मुझे गलती का अफसोस है । मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता । मैं आपको एक मिनट की भी अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि यह नियमों के विरुद्ध होगा । जानते हुए मैं नियमों को नहीं तोड़ सकता ।

धन्यवाद, कृपया बैठ जाइए ।

माननीय मन्त्री जी ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया, संक्षिप्त बोलें और पूछे गए विशिष्ट प्रश्न का ही उत्तर दें ।

श्री भजमन बेहेरा : महोदय । उत्तर में मैं पहले ही यह कह चुका हूं :

"नकद घाटों वैधानिक भुगतानों आदि को पूरा करने के लिए पूंजीगत कोष में से कुछ धन कम्पनी ने इस्तेमाल किया था क्योंकि नकद हानि को पूरा करने का कोई और विकल्प नहीं था ।" (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया माईक के पास आइए ।

श्री भजमन बेहेरा : महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया कि योजना राशि से 20 करोड़ रुपए अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए गए । मैं उत्तर में इसे पहले ही स्वीकार कर चुका हूं और मैंने इस धन के हस्तांतरण के कारण भी दिए हैं । यदि सार्वजनिक उपक्रम द्वारा यह राशि आवश्यक दवाइयों को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं की गई होती तो सार्वजनिक उपक्रमों के लिए आवश्यक दवाइयों को बाजार में उपलब्ध कराना असंभव होता । कम्पनी को चालू हालत में रखने और आई० डी० पी० एल० के पूरे संगठन में जो 13 हजार कर्मचारी है उनमें से 5 हजार कर्मचारियों की छंटनी को रोकने के लिए इस योजना राशि को इस्तेमाल की आवश्यकता पड़ी । इसकी आवश्यकता टेट्रासाइकिलन, विटामिन बी, विटामिन बी-2 और फोलिक एसिड जिसके निर्माता आई० डी० पी० एल० है के निर्माण के लिए भी इस धनराशि की आवश्यकता थी ।

अतः इन कारणों से आई० डी० पी० एल० को दिए गए पूंजीगत कोष को अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना पड़ा।

1986 में स्थापित समिति ने भी योजना राशि में 23 करोड़ रुपए की राशि आई० डी० पी० एल० को इसके सुचारू संचालन के लिए देने का अनुमोदन किया था। किन्तु वर्षों तक यह राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः उन्होंने 20 करोड़ रुपए का हस्तांतरण कर दिया। मैंने उत्तर में ही बता दिया था कि इस प्रकार का हस्तांतरण कर दिया मैंने उत्तर में ही बता दिया था कि इस प्रकार का हस्तांतरण 1985-86 से 1989-90 से नहीं अपितु 1983-84 से किया जा रहा है। लेकिन वर्ष 1990-91 से हमने इस प्रकार के हस्तांतरण को सीमित कर दिया है। हमने इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार हेतु पुनरुद्धार कार्यक्रम चलाए हैं क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के दवाइयों को बनाने वाले उपक्रमों का पुनरुद्धार आवश्यक है अन्यथा इनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा और फिर दवाइयों के निर्माण में संलग्न एकाधिकार घराने मनमाने दामों पर दवाइयां बेचेंगे।

डा० असीम बाला : मुझे उचित उत्तर नहीं दिया जा रहा है। पूंजीगत कोष में से धनराशि प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। पूंजीगत कोष में से धन का हस्तांतरण किया गया। बिना उसका हस्तांतरण किए वह कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि उन्होंने अन्य गैर-योजना खर्च से धन का उपयोग किया है ?···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि आपको बाद में यह जानकारी मिल जाएगी यदि किसी जानकारी के विषय में कुछ संशय हो तो सरकार माननीय सदस्य को जानकारी भेज देगी।

(**व्यवधान**)

डा० असीम बाला : महोदय मेरी मांग है कि इस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इस प्रस्ताव से सहमत हैं···· (**व्यवधान**)

श्री भजमन बेहेरा : महोदय, मैं धनराशि को हस्तांतरण किए जाने के कारणों का उल्लेख कर चुका हूं। मैं यह स्वीकार कर चुका हूं कि धनराशि का हस्तांतरण किया गया और धनराशि को हस्तांतरित करने के कारणों का भी उल्लेख कर चुका हूं।

6.00 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस विषय में जांच की गई थी और एक क्षेत्रीय अधिकारी श्री एस० एन० सिंह को निलंबित कर दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो अन्य शामिल लोगों के विरुद्ध मुकदमे दायर करने जा रही है।

जहां तक एजेंटों का संबंध है, सभी सदस्यों ने इस मुद्दे पर जोर दिया है। संगठन में मेडिकल रिप्रेजन्टेटिव्स (प्रतिनिधि) होते हुए भी एजेंट मौजूद है और यही प्रक्रिया न केवल आई० डी० पी० एल० में अपितु सभी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी चल रही है। इस एजेंट व्यवस्था को समाप्त करने के तरीकों पर गौर किया जा रहा है साथ ही इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह वर्तमान मेडिकल रिप्रेजन्टेटिवों (प्रतिनिधियों) को इस कार्य को संभालने के लिए तैयार

किया जाए। इकाइयों के पुनरुद्धार के पश्चात ही इन सभी समस्याओं का समाधान संभव है। प्रधान-मन्त्री भी ऐसा करने के प्रति ज्यादा इच्छुक हैं रुग्ण उद्योगों, विशेषकर औषधि निर्माताओं के संबंध में प्रधानमन्त्री ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें इनके उचित रूप से पुनरुद्धार के विषय में गौर किया जा सके—इसमें न केवल आई० डी० पी० एल० अपितु पश्चिम बंगाल में स्थापित तीन इकाइयों के संबंध में भी गौर किया गया है। यह इकाइयां भी रुग्ण हैं। अतः समस्या का समाधान हो जाएगा (व्यवधान) उनके पुनरुद्धार के पश्चात वह लाभ अर्जित करने लगेगी। तब पूंजीकोष को पूंजीकोष खाते में हस्तांतरित किया जा सकेगा। इन सबका समाधान यह है कि सभी रुग्ण इकाइयों का पुनरुद्धार किया जाए। शायद इसी पर ही प्रश्न में मुख्य जोर था जिसका मैंने उत्तर दिया है।

6.03 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी नियम 377 के अधीन विषय हैं। हां, आडवाणी जी आप बोलिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो नियम 377 के नोटिसेस हैं, वे तो लिखित होते हैं।

[अनुवाद]

अगर यह मान लिया जाए कि वे पढ़े जा चुके हैं, तो उद्देश्य पूरा हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० के० वी० थामस :

(एक) कोची, केरल में अग्नि शमन सेवाओं का आधुनिकीकरण किए जाने की मांग

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : कोची, केरल की औद्योगिक राजधानी है। मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे कोचीन शिपयार्ड, एच० एम० टी०, एफ० ए० टी० सी०, एच० ओ० ई०, एच० आई० एल०, और भारतीय रेयर अर्थ तथा निजी उद्योग जैसे प्रीमियर टायर, भारतीय एल्युमिनियम, कोमिनो जिंक, कोची में हैं। कोची बन्दरगाह देश का मुख्य धारक बन्दरगाह है। इस शहर को अग्नि दुर्घटनाओं और प्रदूषण जैसे उन सभी खतरों का सामना करना पड़ता है जो किसी औद्योगिक नगर में होते है। छः वर्षों के अन्दर पांच मुख्य अग्नि दुर्घटनाएं हुई हैं। कोचीन रिफाइनरी पर हुई आग दुर्घटना को अभी तक एक भयावह स्वप्न की तरह याद किया जाता है। अभी हाल ही में कोचीन बन्दरगाह के तेल अड्डे पर एक आग दुर्घटना हुई थी। इन सभी दुर्घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि शहर में प्रभावी अग्नि शमन सेवा का अभाव है। मुख्य उद्योगों की अग्नि शमन सेवाओं का आधुनिकीकरण होना चाहिए और किसी भी प्रकार की आग से लड़ने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए। इन अग्नि शमन सेवाओं को एक ही संस्था के अन्तर्गत कार्य करना चाहिए। मैं

केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की अग्नि शमन सेवाओं का आधुनिकीकरण किया जाए और कोची की विभिन्न अग्नि शमन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए।

(दो) पाकिस्तान से आकर जम्मू और कठुआ में बसे लोगों को नागरिक अधिकार दिए जाने की मांग

श्री अबक रज़ा मुफ्ती (जम्मू) : देश के विभाजन के समय बड़ी संख्या में शरणार्थी पश्चिम पाकिस्तान से आए, और जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू और कठुआ जिलों में सीमांत गांवों में बस गए। सरकार ने उन्हें नागरिक अधिकार या अन्य सुविधाएं नहीं दी हैं। उन्हें मत देने का अधिकार या राज्य में कोई संपत्ति देने का अधिकार नहीं दिया गया। उनके बच्चे राज्य में रोजगार नहीं पा सकते। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगभग पिछले 42 वर्षों से वे वहां रह रहे हैं किन्तु उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन्हें अधिकार प्रदत्त किए जाएं ताकि उन्हें राज्य के स्थायी नागरिकों को मिलने वाली सभी सुविधाएं मिल सकें।

(तीन) आंध्र प्रदेश के प्रकाशम और श्रीकाकुलम जिलों में कनिगिरि और उसके आस-पास के गांवों के लिए ग्रामीण जल पूर्ति योजना को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की मांग

श्री राजमोहन रेड्डी (ओंगोले) : महोदय, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम और श्रीकाकुलम जिलों के कई गांवों में उपलब्ध पेयजल में काफी मात्रा में फ्लोरोसिस/फ्लोराइड की मात्रा होती है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकर है और इससे लोग शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। कनिगिरि और प्रकाशम जिले के 88 अन्य गांवों में सुरक्षित स्वच्छ जल आपूर्ति की एक 2703 करोड़ रुपए की लागत की प्रोजैक्ट रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए पड़ी हुई है।

यह योजना इस क्षेत्र में लाखों लोगों को लाभ पहुंचाएगी। मैं सरकार से इस योजना को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध करता हूं।

(चार) कटक, उड़ीसा में निकल निष्कर्षण संयंत्र लगाए जाने की मांग

श्री बालगोपाल मिश्र (बोलनगीर) : महोदय, देश में निकल धातु के एकमात्र ज्ञात स्रोत कटक जिले के सुकिन्दा घाटी में उपलब्ध हैं। वर्ष 1974-75 में निकल निष्कर्षण संयंत्र लगाए जाने के एक प्रस्ताव को भारत सरकार ने मंजूरी दी थी। वह संयंत्र स्वदेश में विकसित तकनालाजी पर आधारित था। क्योंकि तकनालाजी को पूरी तरह सक्षम नहीं पाया गया, इसलिए संयंत्र को स्थापित नहीं किया गया। तब से इस्पात और खान मन्त्रालय प्रस्ताव पर रुक रुक कर कार्य कर रहा है। और इस संबंध में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। दूसरी ओर, देश निकल आयात कर रहा है जिसके बदले 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है।

उपरोक्त संदर्भ में यह अपेक्षित होगा कि विदेश से ख्याति प्राप्त तकनालाजी आयात की जाए ताकि दुलर्भ विदेशी मुद्रा के लगातार हो रहे निर्गम को रोका जा सके।

(पांच) एन० सी० एल० सिंगरौली में हुई अनियमितताओं की जांच कराए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहसराम) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं :—

"एन० सी० एल० सिंगरौली कोल इण्डिया लिमिटेड की एक कम्पनी है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि वहां के उच्च अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपए का कोयला अनाधिकृत रूप से बेच दिया गया है, परन्तु दिखाया यह गया है कि वह कोयला आग में जल गया है। मैंने इस विषय में विभागीय मन्त्री को भी पत्र लिखा है, परन्तु अभी तक इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

मेरी मांग है कि इस मामले की तुरन्त जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों को दंड दिया जाए।"

(छः) मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान कराए जाने की मांग

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विषय सदन में पेश करना चाहती हूं :—

"मेरे लोक सभा क्षेत्र खजुराहो के अन्तर्गत दो जिले टीकमगढ़ और छतरपुर आते हैं। दोनों ही जिलों में सिंचाई का कोई साधन नहीं है। यद्यपि टीकमगढ़ जिले को राजघाट बांध का पानी मिल सकता था, किंतु कुछ राजनीतिक कारण से टीकमगढ़ जिले को राजघाट का पानी नहीं मिला। इसी प्रकार से छतरपुर एवं बांदा से लगकर बहने वाली केन नदी पर कुछ वर्षों पूर्व बृहत् केन बहुद्देशीय परियोजना का विचार आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के कई जिलों को लाभ मिलने वाला था। खासकर के छतरपुर जिले की सदियों से प्यासी लाखों एकड़ जमीन की प्यास बुझने वाली थी, किन्तु पर्यावरण की रिपोर्ट अनुकूल न पाये जाने के कारण यह योजना भी स्थगित कर दी गई। यदि बृहत् केन बहुद्देशीय परियोजना लागू हो गई होती, तो छतरपुर जिले में चमत्कार हो जाता, उस जिले में लोगों के पास जमीनें तो हैं, किंतु सिंचाई के साधन का अभाव होने के कारण उन जमीनों का कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए जरा सा सूखा पड़ते ही वहां के लाखों किसान मजदूरी के लिए इधर-उधर पलायन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं तथा किसानों के नौजवान बेटे, बेरोजगारी से त्रस्त होकर अपराध की ओर मुड़ जाते हैं। वैसे भी खजुराहो संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या अधिक है।

अतः मेरा सिंचाई मन्त्री महोदय से निवेदन है कि बृहत् केन बहुद्देशीय परियोजना को लाने के लिए पुनः विचार किया जाए।"

(सात) केरल-तमिलनाडु सीमा पर वालयार सीमा-चौकी पर राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ा किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री ए० विजयराघवन (पालघाट) : उत्तर-पूर्व 47 में वालयार सीमा चौकी केरल और

तमिलनाडु के बीच अन्तर्राज्यीय सीमा है। हर रोज हजारों वाहन सीमा को पार करते हैं। केरल और तमिलनाडु दोनों की सीमा-चौकियां वालयार में हैं और इसलिए इस क्षेत्र में यातायात की भारी भीड़ रहती है। सैकड़ों यात्री वाहन और मालवाहक लारियां घंटों तक फंसे रहते हैं। यहां तक कि कोयम्बदूर मेडिकल कालेज जा रहे मरीजों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस हिस्से में राजमार्ग को चौड़ा करने के कई प्रस्ताव और योजनाएं बनाई गई और किन्तु अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वालयार के राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए।

(आठ) भारत और बंगलादेश के बीच जल के बंटवारे सम्बन्धी विवाद में विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थ की भूमिका निभाए जाने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श लिए जाने की मांग

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : गंगा जल के बटवारे से सम्बन्धित प्रश्न ने कई दशकों से पश्चिम बंगाल के लोगों को उत्तेजित कर रखा है। कलकत्ता बन्दरगाह पर नौगम्यता हुगली नदी पर निर्भर करती है। इस गंभीर मुद्दे के समाधान हेतु बंगला देश सरकार के साथ बातचीत के कई दौर चल चुके हैं। यह समझा जाता है कि पूर्वी नदियों के जल बंटवारे के विवाद को सुलझाने में भारत तथा बंगलादेश के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने और गगा नदी के बेसिन, जो भारत, नेपाल, बंगलादेश तथा चीन में लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, के विकास हेतु वित्तीय तथा तकनीकी संसाधन जुटाने के लिए विश्व बैंक इच्छुक है। यह सच है कि बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु बेसिन समझौते में ऐसी भूमिका निभाई थी और फिर सिंधु नदी बेसिन के विकास हेतु कई दानकर्त्ताओं से संसाधन जुटाए गए थे। बहरहाल, भारत को सिंधु बेसिन समझौते में अधिक कुछ नहीं मिला, यह सत्य है कि भारत को सिंधु निधि में लगभग 2000 लाख डालर देने पड़े और संपूर्ण नदी बेसिन तथा इसके जल को 10 वर्ष के लिए छोड़ना पड़ा। मैं सरकार को ऐसी बात के लिए सावधान करना चाहता हूं विशेषतौर पर जबकि विश्व बैंक ने बंगलादेश को बाढ़ के बढ़ते हुए खतरे से बचाने के लिए 1500 लाख डालर की कार्य योजना हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी थी। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि विश्व बैंक के मध्यस्थ की भूमिका निभाने के बारे में निर्णय लेने से पहले पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करे चूंकि यह इससे मुख्य रूप से संबंधित है।

(नौ) उत्कल-कलिंग एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरिद्वार तक बढ़ाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह जू देव (जांजगीर) : पुरी से निजामुद्दीन के बीच चलने वाली उत्कल कलिंग दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी दोपहर एक बजे निजामुद्दीन पहुंचकर दूसरे दिन बारह बजे तक यार्ड में खड़ी रहती है। इस रेक का सही उपयोग करने हेतु इस ट्रेन की सेवा निजामुद्दीन से आगे हरिद्वार तक बढ़ायी जाए। इससे मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र एवं उड़ीसा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के हजारों लोगों को जिनमें मुख्यतः तीर्थ यात्री एवं श्रद्धालु लोग हैं, उन्हें भारी सुविधा होगी। ऊपर से इस ट्रेन के द्वारा गंगा के उद्गम स्थल गोमुख, भगीरथ, गंगोत्री, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, समेत हरिद्वार के पवित्र क्षेत्र एवं पर्वतराज हिमाचल का सीधा संबंध पुरी के समुद्र, पवित्र मन्दिर एवं कोणार्क आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़ जाएगा। इससे तीर्थ यात्रियों, सैलानियों और अन्य कार्यों से यात्रा करने वाले लोगों को भारी

सुविधा मिलेगी तथा रेलवे को भी प्रतिदिन हजारों रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। इसके लिए अतिरिक्त रेक की भी व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। इसका नाम हिम सागर एक्सप्रेस की तरह ही "हिमपुरी" एक्सप्रेस रखा जाए।

(दस) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के विकेन्द्रीयकरण सम्बन्धी आदेश वापस लिए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, केन्द्र सरकार ने केन्द्रित खरीद संस्थान अर्थात वाणिज्य मंत्रालय के अधीन पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, पूर्ति विभाग, को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से, खरीद कार्य जो पूर्ति और महानिदेशालय द्वारा किया जाता था उसे सम्बन्धित विभागों को इसके कर्मचारियों को कोई मार्गनिर्देश दिए बिना, सौंप दिया जाएगा, उन्हें अन्य मंत्रालयों में कैसे समायोजित किया जाएगा। इससे 4000 कर्मचारी बेशी हो जाएंगे। यह निर्णय संसद की प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के विरुद्ध है। समिति ने पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से केन्द्रित खरीद जारी रखने तथा इसके माध्यम से अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विस्तार की सिफारिश की थी। श्रमिक संघ से परामर्श किए बिना वाणिज्य मन्त्रालय ने हाल ही में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की निपटान शाखा तथा कानपुर, कुल्टी, राउरकेला के कार्यालयों को बन्द करने तथा मुम्बई, भद्रावती इत्यादि कार्यालयों का विलय करने हेतु आदेश जारी किए है। यह असाधारण और सरकार की नीति के विरुद्ध है। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के कर्मचारियों में उत्तेजना के कारण इस आदेश को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। यद्यपि इस आदेश को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है, फिर भी 6 सितम्बर, 1990 को पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के विकेन्द्रीयकरण तथा आवश्यक वस्तुओं की अस्थाई सूचियों के साथ पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सूची सम्बद्ध मन्त्रालयों/विभागों को भेजने के आदेश जारी किए गए थे।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के वर्तमान ढांचे में कोई परिवर्तन न करे और इसे बन्द करने तथा इसके विकेन्द्रीयकरण के संबंध में अपने आदेशों को तत्काल वापस ले। मैं इस संबंध में सरकार से एक वक्तव्य भी चाहता हूं।

(ग्यारह) श्रेणी 'क' सम्बद्ध सेवा के लिये चुने गए उम्मीदवारों को, अपनी नौकरियों से त्यागपत्र दिए बिना, भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दिए जाने की मांग

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य संबद्ध सेवाओं जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं हेतु उम्मीदवारों की भर्ती के लिए हर वर्ष सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। इनमें से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा, सेवा शर्तों, पदोन्नति तथा अन्य लोगों के सम्बन्ध में बेहतर सेवाएं हैं। अन्य संबद्ध सेवाएं जैसे भारतीय सीमा शुल्क सेवा, भारतीय आयकर सेवा, भारतीय रेल सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा सेवा, यद्यपि श्रेणी-I सेवाएं हैं, फिर भी इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा से घटिया समझा जाता

है। एक बार यदि किसी का इन सेवाओं के लिए चयन कर लिया जाता है तो वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हेतु फिर कोशिश करता है जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग चार अवसर प्रदान करता है।

1986 तक यदि कोई श्रेणी 'क' संबद्ध सेवा के लिए चुन लिया जाता था तो उसे फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए फिर अनुमति दे दी जाती थी। ऐसा पिछले 30-40 वर्षों से चलता आ रहा था। 1987 से सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा का नियम 4 लागू कर दिया जिससे उन उम्मीदवारों जिन्होंने संबद्ध सेवा (श्रेणी 'क') में सेवा ग्रहण कर ली हो, को भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पहले उन सेवाओं से त्यागपत्र देना पड़ता है।

सरकार ने अब अवसरों की संख्या और अधिकतम आयु सीमा को ध्यान में रखकर कुछ रियायतें दी हैं।

इन रियायतों का उपयोग वे अधिकारी नहीं कर सकते जो पहले ही संबद्ध सेवाओं में सेवाएं ग्रहण कर ली हैं परन्तु जो आयु सीमा में छूट तथा अवसरों की संख्या में वृद्धि के कारण भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रतियोगिता में सम्मिलित होना चाहते हैं।

इसलिए, यह निवेदन किया जाता है कि या तो इस नियम को रद्द कर दिया जाए या इसमें संशोधन कर दिया जाए।

(अरह) बरेली, उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाये जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

"बरेली पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख केन्द्र है। महानगर होने के साथ-साथ कई बड़े औद्योगिक संस्थान जैसे इफको-उर्वरक कारखाना, सिंथेटिक्स एवं केमिकल्स, कैम्फर प्लाउड प्रोडक्ट्स, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, मंडल रेल कार्यालय, पूर्वोत्तर रेल तथा तीन चीनी मिलें आदि हैं। बरेली के महत्व को देखते हुए केन्द्र सरकार ने इसको काउण्टर मैगनेट सिटी के रूप में भी विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके बाद भी बरेली की टेलीफोन व्यवस्था अत्यन्त अस्त-व्यस्त है। इस कारण टेलीफोन उपभोक्ताओं को अत्यन्त असुविधा होती है। इस कारण उपभोक्ता तो परेशान होता ही है, विभाग को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। बरेली में वर्तमान में करीब आठ हजार टेलीफोन उपभोक्ता हैं तथा काफी बड़ी प्रतीक्षा सूची है। पिछले काफी समय से बरेली में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की चर्चा चल रही है तथा स्वयं माननीय मन्त्री महोदय ने इसकी आवश्यकता को स्वीकार किया है, परन्तु अभी तक इस संबंध में निश्चित जानकारी नहीं दी है। मेरा माननीय संचार मन्त्री से आग्रह है कि आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बरेली में अतिशीघ्र दस हजार लाइनों का इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज को लगाए जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें।

(तेरह) बिहार के गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिये राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिये जाने की मांग

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :—

भारत वर्ष में आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद तेजी से बढ़ रहा है। जिससे भारत की एकता अखंडता खतरे में पड़ती जा रही है। जिसके कारण देश का विकास अवरुद्ध होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण सरकार की आर्थिक नीति एवं एकतरफा विकास है, जिसके कारण देश में बेकारी बहुत तेजी से बढ़ी है। जहानाबाद जिला में सैकड़ों गांव जिनकी जनसंख्या 500 से एक हजार के बीच है, जहां सभी के सभी दलित एवं पिछड़ी जाति के गरीब भूमिहीनों की संख्या है। जिनके बच्चों को 43 वर्ष की आजादी के बाद भी प्राथमिक शिक्षा देने का कोई प्रबन्ध नहीं है। दूसरी तरफ धनी एवं सवर्ण लोगों के गांवों में बच्चा एवं बच्ची के पढ़ने के लिए अलग-अलग प्राथमिक विद्यालय हैं। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार केन्द्र से धन देकर उन सब गांवों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं जिससे नौजवान लोगों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लौटाया जा सके।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के जौनपुर और अन्य जिलों में भारी वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री राम सागर (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विषय नियम 377 के अधीन प्रस्तुत करना चाहता हूं :—

"पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी तथा आजमगढ़ जिलों में विगत डेढ़ माह की भीषण बरसात के कारण किसानों की खरीफ की सारी फसल नष्ट हो गई है। चारे तथा अन्न का घोर अभाव है जिसके कारण भुखमरी की समस्या सर पर मंडरा रही है। घोर अकाल की स्थिति हो गई है। जल-जमाव के कारण झील जैसा दृश्य उपस्थित हो गया है। बहुत से मकान धाराशायी हो गए हैं और बहुत से नष्ट होने की स्थिति में आ गए हैं। शासन का ध्यान इस ओर नहीं है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर समस्या का समाधान करने की मांग करता हूं।"

(पन्द्रह) मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित बिजलीघर स्थापित किए जाने की मांग

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विषय नियम 377 के अधीन इस सदन में प्रस्तुत करता हूं :—

"मध्य प्रदेश में निरन्तर बिजली की कमी की स्थिति बनी हुई है। इस मांग और पूर्ति का उत्पादन से 500 मेगावाट का अन्तर है। यह कमी प्रति वर्ष 11 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में बिजली का संकट विद्यमान है।

मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में देश का सबसे ज्यादा विस्तारित प्रदेश है : बिजली, घरों से दूर-

सुदूर तक आपूर्ति के लिए पारेषण क्षति (ट्रांसमीशन लॉसिस) होते हैं। ऐसी स्थिति में पश्चिमी मध्य प्रदेश में उपयुक्त क्षमता का बिजलीघर स्थापित करने की आवश्यकता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश से एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन झाबुआ से दतिया तक 550 किलो मीटर बनी हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बिजली आपूर्ति के लिए गैस पर आधारित बिजलीघर स्थापित करने की अनुमति मध्य प्रदेश शासन ने केन्द्र सरकार से मांगी है। यह गैस-लिंकेज स्वीकृत होने पर मध्य प्रदेश को बिजली आपूर्ति में सहायता हो सकेगी। इस आशय का पत्र मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी ने प्रधानमन्त्री जी को प्रेषित किया है जिसे पेट्रोलियम मन्त्रालय को संप्रेषित किया गया है। मध्य प्रदेश के संसद सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रत्यक्ष तथा ज्ञापन प्रेषित कर संबंधित मंत्रालयों से गैस पर आधारित बिजलीघर की स्वीकृति देने का आग्रह किया है। मेरा पेट्रोलियम मन्त्रालय से तथा ऊर्जा मन्त्रालय से आग्रह है कि मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित बिजलीघर स्थापित करने की अनुमति और स्वीकृति शीघ्र प्रदान करें। साथ ही मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम संयंत्र रिफायनरी स्थापित की जाये।"

(सोलह) आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में प्रस्तावित प्रोपेलेंट कारखाना न खोलने के सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री कमालुद्दीन अहमद (हनमकोंडा) : आंध्र प्रदेश में वारंगल जिला एक महत्वपूर्ण जिला है परन्तु आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इस जिले में एक विश्वविद्यालय है, एक चिकित्सा महा विद्यालय है तथा एक केन्द्रीय इन्जीनियरिंग महा विद्यालय है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षित युवा बेरोजगारी बहुत बढ़ गयी है। अब केन्द्र सरकार का निर्णय वहां से प्रस्तावित प्रोपेलेंट कारखाना हटा देने का निर्णय है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे तथा इस परियोजना को शीघ्र शुरू करे या इसके विकल्प के तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र में कोई अन्य बड़ा उद्योग शुरू करे।

(सत्रह) मुरैना मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाये जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री छवि राम अर्गल (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं :—

"चम्बल संभाग मुरैना डाकू प्रभावित क्षेत्र रहा है जिससे उसका विकास सम्भव नहीं हो सका है। मध्य प्रदेश के चम्बल सम्भाग मुरैना में डाकतार व्यवस्था अस्त-व्यस्त है। एक-एक माह तक ग्रामीणों को डाक प्राप्त नहीं होती है। टेलीफोन व्यवस्था अत्यन्त दयनीय है। ट्रंक-काल सेवाएं काफी विलम्ब से होती हैं। टेलीफोन अधिकतर खराब पड़े रहते हैं। कभी डायल टोन, कभी करेंट नहीं रहता है। चम्बल सम्भाग, मुरैना के लिए इलेक्ट्रानिक मशीनें

भी गई थीं। वे मशीनें कहीं अन्यत्र लगा दी गई हैं जिससे चम्बल सम्भाग की जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है।

मैं भारत शासन से मांग करता हूं कि चम्बल सम्भाग मुरैना में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज तुरन्त लगाए जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें तथा डाकतार अव्यवस्था में तुरन्त सुधार किया जाए।"

(अठारह) डाक तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों की सेवायें नियमित किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री गोविंद चन्द्र मुण्डा (क्योंझर) : डाक तार विभाग में ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जिन्हें विभागेतर कर्मचारी कहा जाता है। वे काफी अर्से से बहुत कम दरों पर कार्य कर रहे हैं। उनकी सेवा शर्तें विभाग के स्थाई कर्मचारियों जैसी नहीं हैं। उन्हें उड़ीसा में "रनर" कहा जाता है। वे मुख्य अथवा उप-डाकघर, डाकघर शाखाओं से इधर-उधर डाक के थैले ले जाते हैं। वे पत्र, धनादेश तथा पार्सल उनके पतों पर पहुंचाते हैं। उनमें अधिकांश कर्मचारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए कोई नियमित सेवा शर्तें नहीं हैं।

मैं अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा तथा अन्य राज्यों के डाक विभाग के विभागेतर कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाये। उन्हें भविष्य निधि, उपदान तथा बोनस इत्यादि अन्य सुविधाएं भी दी जाएं।

(उन्नीस) बिहार में कालाजार फैलने से रोकने के लिये कदम उठाये जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री दसई चौधरी (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय सदन में प्रस्तुत करता हूं :—

"बिहार राज्य में कालाजार की भयंकर बीमारी से अब तक करीब दस हजार व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है तथा पच्चीस हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। दरभंगा एवं समस्तीपुर जिले के क्रमशः बनश्यामपुर, बिरौल, कुशेश्वर स्थान, हसनपुर एवं सिंघियों प्रखण्ड अत्यधिक रूप से प्रभावित हैं तथा विदेशी दवा लोमोडीन एवं पेण्टाडीन बिल्कुल उपलब्ध नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य सेवा संगठन ने इस रोग को भयंकर रोग माना है फिर भी केन्द्र सरकार की ओर से इसके लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रभावित इलाके में विश्व स्वास्थ्य संगठन को भेजकर केन्द्र सरकार उपचार की व्यवस्था करावे।"

6.04 म० प०

विदाई सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आज इस लोक सभा का तीसरा सत्र समाप्त हो रहा है, मैं इस अवसर पर माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभा की कार्यवाही संचालित करने में मुझे, मेरे साथियों—उपाध्यक्ष महोदय और सभापति-पैनल के सदस्यों को सहयोग दिया।

सभा की 21 बैठक हुई जो । 6 घंटे चलीं। इस दौरान 85 प्रश्नों और एक अल्प सूचना प्रश्न का मौखिक रूप में उत्तर दिया गया। इसके अलावा, 3 आधे घंटे की चर्चाएं भी हुईं।

सत्र के पहले ही दिन मैंने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निरन्तर वृद्धि को नियन्त्रित रखने में सरकार की विफलता पर एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अपनी सहमति दी। यद्यपि यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ लेकिन सभा ने मूल्यों की खराब स्थिति पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की।

सभा ने 9 अगस्त को भारत को भारत की आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद होने वाले शहीदों तथा जापान के हीरोशिमा और नागासाकी शहरों मे हुए आणविक विध्वंश के शिकार लोगों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सम्पूर्ण सभा ने 16 अगस्त को जमीन से आकाश में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र 'आकाश' के परीक्षण के तौर पर छोड़ने में महत्वपूर्ण सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई दी।

ध्यानाकर्षण सूचनाओं के माध्यम से अविलम्बीय लोक महत्व के कुछ महत्वपूर्ण मामले जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों द्वारा आंदोलन, नागा विद्रोहियों की गतिविधियां और असम में तेल पर रोक के मामले उठाए गये। इसके अतिरिक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर नियम 193 के अधीन पांच कम अवधि की चर्चाएं हुयीं जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार, खाड़ी की स्थिति, मंडल आयोग की रिपोर्ट तथा महिलाओं पर अत्यचार भी शामिल हैं, इन पर सभा ने चर्चा की। फिर भी समय की तंगी के कारण अन्तिम दो चर्चाएं पूरी नहीं हुयीं।

जहां तक विदाई कार्य का संबंध है, सभा ने इस सत्र में राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक, सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां विधेयक और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक सहित आठ विधेयक पारित किए। पांच सरकारी/वैधानिक संकल्पों पर भी चर्चा हुई।

विभिन्न दलों ने मेल-मिलाप और एक दूसरे की बात को समझने का व्यवहार किया और इससे सभा प्रसार भारती विधेयक जैसा महत्वपूर्ण कार्य पारित कर सकी, इसे हम सदैव याद रखेंगे। यह लोकतन्त्र का मूल है और हम सब इस पर गर्व कर सकते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों ने शुक्रवार को उपलब्ध सीमित समय में सभा के सम्मुख अपने विधेयक रखने में गहन रुचि बनाए रखी। सत्र के दौरान 58 गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित हुए जिनमें से अत्यधिक 43 विधेयक एक ही दिन पुरःस्थापित हुए। युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक नीति की आवश्यकता के बारे में श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत "युवा विधेयक" के प्रति

सभा के सभी वर्गों की सकारात्मक प्रतिक्रिया रही। इससे अलावा श्री गुमानमल लोढ़ा द्वारा प्रस्तुत गौहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए संकल्प पर भी सदस्यों की काफी रुचि रही।

पंजाब बजट 1990-91 की अनुदान मांगें पारित की गई। वर्ष 1990-91 के लिए सामान्य तथा रेल बजट के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर भी मतदान हुआ।

पिछले सत्र के दौरान एक प्रक्रियात्मक उपाय शुरू किया गया जिसमें अध्यक्ष को अति अल्प सूचना पर प्रश्न काल समाप्त होने पर सदस्यों द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाने की अनुमति देने का प्रावधान था, इसका परिणाम बहुत अच्छा रहा है क्योंकि इसके कारण सदस्य यथा-शीघ्र अवसर पर लोगों के सम्मुख मुद्दों को सभा और सरकार के सम्मुख ला सके हैं। अनेक मामलों में तो मंत्रियों ने इसके जवाब में स्वतः वक्तव्य दिये। मैं मानता हूं कि कुछ दिन इस विषय पर अपेक्षाकृत अधिक समय लगा लेकिन मैं समझता हूं कि अन्ततः इसका परिणाम यह रहा है कि मामले सभा कक्ष में अधिक शानदार और व्यवस्थित तरीके से उठाए जा रहे हैं।

मैं सभा की कार्यवाही चलाने में माननीय सदस्यों और दलों तथा गुटों के नेताओं द्वारा पूर्ण सहयोग देने के लिए उन सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं।

मैं सभा को पुनः समवेत होन तक सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं।

अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

6.09 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दि इण्डियन प्रेस, देहली।

लोक सभा

वाद-विवाद

(नवम माला)

खण्ड 9

24-8-1990 से 7-9-1990/2 भाद्र से 16 भाद्र, 1912 (शक)

तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

(खण्ड 9 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

पी०एस०एस०-48/9/21/90 (एन०)
225

© 1990 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
प्रबन्धक दि इण्डियन प्रेस, दिल्ली द्वारा मुद्रित ।